भारत
के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

1977-78

(वाणिज्यिक)

उत्तर प्रदेश सरकार

भारत

के

नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

1977-78

(वाणिज्यिक)

उत्तर प्रदेश सरकार

विषय–सूची

	अनुभाग	पृष्ठ
प्रस्तावनात्मक टिप्पणी		(i)
अध्याय I सरकारी कम्पनियां		
प्रस्तावना	I	1
उत्तर प्रदेश स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड	II	6
उत्तर प्रदेश स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड	III	21
दि इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	IV	48
अन्य सरकारी कम्पनियां	V	59
अध्याय II सांविधिक निगम		
प्रस्तावना	VI	64
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्		
हर्दुआगंज तापीय शक्ति केन्द्र	VII	67
ट्रान्सफार्मरों की अधिप्राप्ति, निष्पादन एवं मरम्मत	VIII	82
राजस्व की हानि	IX	110
अन्य रोचक विषय	X	117
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम		
भण्डार नियंत्रण और क्रय	XI	123
अन्य रोचक विषय	XII	130
उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम	XIII	132

परिशिष्ट

परिशिष्ट I सरकारी कम्पनियों के कार्य-कलापों के वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण 136

परिशिष्ट II सांविधिक निगमों के कार्य–कलापों के वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण 146

प्रस्तावनात्मक टिप्पणी

सरकारी वाणिज्यिक संस्थाएं, जिनके लेखाओं की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है, निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं :—

(i) सरकारी कम्पनियां,

(ii) सांविधिक निगम, और

(iii) विभाग द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक एवं अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रम ।

2. इस प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् सहित सांविधिक निगमों के लेखाओं की लेखा-परीक्षा से उपलब्ध परिणामों की चर्चा है। विभागों द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक और अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों की लेखा परीक्षा से उपलब्ध परिणामों की चर्चा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में की गई है ।

3. सरकारी कम्पनियों की लेखा परीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से नियुक्त व्यावसायिक लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है किन्तु कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (ख) के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक पूरक अथवा परख सम्परीक्षा करने के लिये अधिकृत है। उन्हें व्यावसायिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर टिप्पणी करने अथवा न्यूनता पूर्ति करने का भी अधिकार है। कम्पनी अधिनियम, 1956 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को लेखा परीक्षकों द्वारा निष्पादित कार्यों के संबंध में निर्देश देने का भी अधिकार प्रदान करता है। सरकारी कम्पनियों के कार्य के कुछ विशेष पहलुओं को देखने हेतु इस प्रकार के निर्देश लेखा परीक्षकों को नवम्बर 1962 में दिये गये थे। यह निर्देश दिसम्बर 1965 और पुनः फरवरी 1969 में संशोधित किये गये।

4. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् जो कि सांविधिक निगम हैं, के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ही एकमात्र लेखा परीक्षक हैं जब कि अन्य दो सांविधिक निगमों, यथा उत्तर प्रदेश वित्त निगम और उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम के संबंध में उसे संबंधित अधिनियमों में विहित प्राविधानों के अनुसार तत्सम्बन्धित अधिनियमों के अन्तर्गत नियुक्त व्यावसायिक लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा से स्वतंत्र लेखा परीक्षा करने का अधिकार है।

5. इस प्रतिवेदन में वह बातें कही गई हैं जो उपर्युक्त उपक्रमों के लेखाओं की परख सम्परीक्षा के दौरान प्रकाश में आई हैं। उनको संबंधित उपक्रमों के वित्तीय प्रबंध पर सामान्यतया न तो आक्षेप करने के आशय से दिया गया है और न ही उनका वैसा कोई अर्थ लिया जावे।

अध्याय I

सरकारी कम्पनियां

अनुभाग I

1.01. प्रस्तावना

31 मार्च 1978 को राज्य सरकार की 72 कम्पनियां (22 सहायक कम्पनियों सहित) थीं। 72 कम्पनियों में से 59 (18 सहायक कम्पनियों सहित) अपने लेखाओं को प्रतिवर्ष 31 मार्च को और 7 कम्पनियां (1 सहायक कम्पनी सहित) 30 जून को, दो सहायक कम्पनियां 31 जुलाई को और तीन कम्पनियां (1 सहायक कम्पनी सहित) 30 सितम्बर को बन्द करती हैं। शेष एक कम्पनी, यथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड अपने लेखाओं को प्रति वर्ष 31 दिसम्बर को बन्द करती है।

1.02. जनवरी 1979 तक प्राप्त नवीनतम लेखाओं के आधार पर 46 कम्पनियों (1977–78 : 26, 1976–77 : 18, 1975–76 : 1 एवं 1974–75 : 1) के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम दर्शाते हुए एक सारूप विवरण परिशिष्ट I में दिया गया है। पांच कम्पनियों ने 1978–79 के दौरान अपने दो वर्ष के लेखे पूर्ण किये, यथा उत्तर प्रदेश स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स (I) कम्पनी लिमिटेड, आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड और मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड (1976–77 एवं 1977–78) एवं उत्तर प्रदेश स्टेट लैदर डेवलपमेन्ट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड (1975–76 एवं 1976–77)।

1.03. 46 कम्पनियों के लेखे बकाया पड़े हैं (जनवरी 1979)। वे कम्पनियां जिनके लेखे दो अथवा दो से अधिक वर्षों से बकाया हैं निम्नलिखित हैं :–

	वर्ष जिनके लेखे बकाया हैं
उत्तर प्रदेश पंचायतीराज वित्त निगम लिमिटेड	दिसम्बर 1975, दिसम्बर 1976 एवं दिसम्बर 1977 को समाप्त वर्ष
उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	सितम्बर 1976, सितम्बर 1977 एवं सितम्बर 1978 को समाप्त वर्ष
उत्तर प्रदेश राज्य बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	1975–76 से 1977–78 तक
उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	1975–76 से 1977–78 तक
उत्तर प्रदेश एक्सकाट प्राइवेट लिमिटेड	1975–76 से 1977–78 तक
उत्तर प्रदेश पाटरीज प्राइवेट लिमिटेड	1974–75 से 1977–78 तक
उत्तर प्रदेश बिल्डवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड	1974–75 से 1977–78 तक
उत्तर प्रदेश प्लान्ट प्रोटेक्शन एप्लाएन्सेज प्राइवेट लिमिटेड	1974–75 से 1977–78 तक
उत्तर प्रदेश रूफिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	1974–75 से 1977–78 तक

	वर्ष जिनके लेखे बकाया हैं
कृष्णा फास्टनर्स लिमिटेड	1973–74 से 1977–78 तक
फैजाबाद रूफिंग्स लिमिटेड	1975–76 से 1977–78 तक
मोहम्मदाबाद पीपुल्स टैनरी लिमिटेड	1976–77 एवं 1977–78
उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	1976–77 एवं 1977–78
उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	1976–77 एवं 1977–78
उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	1976–77 एवं 1977–78
उत्तर प्रदेश प्रेस्ट्रैस्ड प्रोडक्ट्स लिमिटेड	1976–77 एवं 1977–78
उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम पाटरीज लिमिटेड	1976–77 एवं 1977–78
तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	1975–76 * से 1977–78 तक
उत्तर प्रदेश पश्चिमी क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड	जून 1977** और जून 1978 में समाप्त होने वाले वर्ष

मार्च 1979 में मामला सरकार की जानकारी में लाया गया।

चार कम्पनियां, यथा इन्डियन बाबिन कम्पनी लिमिटेड, गन्डक समादेश क्षेत्र विकास निगम लिमिटेड, रामगंग समादेश क्षेत्र विकास निगम लिमिटेड एवं शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास निगम लिमिटेड परिसमापनाधीन हैं।

1.04. **प्रदत्त पूंजी**

26 कम्पनियों (जिनके लेखे पूर्ण थे) की प्रदत्त पूंजी का योग 1977–78 के अन्त में 10,188.31 लाख रुपये था, जिसका विवरण निम्न प्रकार था :—

कम्पनियों की श्रेणी	संख्या	राज्य-सरकार	केन्द्रीय सरकार की कम्पनी	नियन्त्रक कम्पनियां	निजी संस्थाएं	योग
				(लाख रुपयों में)		
राज्य सरकार के पूर्ण-स्वामित्व वाली कम्पनियां	15	8,311.96	—	—	—	8,311.96
सम्पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियां	5	—	—	1,796.19	—	1,796.19
राज्य सरकार एवं निजी संस्थाओं के संयुक्त स्वामित्व वाली कम्पनियां	5	45.48	—	—	27.67	73.15
नियन्त्रक कम्पनी एवं केन्द्रीय सरकार की कम्पनी के संयुक्त स्वामित्व वाली कम्पनियां	1	—	@	7.01	—	7.01
योग	26	8,357.44	@	1,803.20	27.67	10,188.31‡

* 2 अगस्त 1975 से 31 मार्च 1976 तक।

** 31 मार्च 1976 से 30 जून 1977 तक।

‡कम्पनियों के लेखाओं के अनुसार।

@स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा 300 रुपये का अंशदान सम्मिलित है।

1.05. लाभ एवं लाभांश

26 कम्पनियों, जिन्होंने 1977–78 के अपने लेखाओं को अन्तिम रूप दिया, ने इस वर्ष के लिये कुल 598.51 लाख रुपये की शुद्ध हानि दर्शायी (14 कम्पनियों द्वारा अर्जित 154.21 लाख रुपये के लाभ एवं 11 कम्पनियों को हुई 752.72 लाख रुपये की हानि मिलाकर)।

एक कम्पनी ने, जो निर्माणाधीन अवस्था में है, अपने सम्पूर्ण व्यय इस वर्ष के दौरान पूंजीकृत कर दिए ।

1976–77 की तुलना में 1977–78 के दौरान जिन कम्पनियों ने अपने कार्य-कलाप के परिणामों में सारभूत सुधार किया उनका विवरण निम्न प्रकार है :

नाम	लाभ (+) हानि (–)	
	1976–77	1977–78
	(लाख रुपयों में)	
प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	(+) 28.42	(+) 42.29
हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड	(+) 1.05	(+) 4.77
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रोनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	(–) 5.22	(–) 1.07
आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	(+) 3.33	(+) 8.04
उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रास वेयर्स कार्पोरेशन लिमिटेड	(+) 1.96	(+) 3.28
उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	(+) 64.00	(+) 69.51
मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	(+) 3.90	(+) 6.53
उत्तर प्रदेश मध्य गन्ना बीज विकास निगम लिमिटेड	(+) 0.55	(+) 2.86

प्रयाग चित्रकूट कृषि एवं गोधन विकास निगम लिमिटेड ने 1976–77 में 0.92 लाख रुपये के लाभ के विरुद्ध 1977–78 में 0.57 लाख रुपये की शुद्ध हानि दर्शायी । इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड ने 1976–77 में 47.59 लाख रुपये की शुद्ध हानि के विरुद्ध 1977–78 में 70.19 लाख रुपये की शुद्ध हानि दर्शायी ।

उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड ने 1977–78 के लिये 28.45 लाख रुपये का लाभांश प्रस्तावित किया जो इसकी कुल प्रदत्त पूंजी (1,422.73 लाख रुपये) का 2 प्रतिशत है । उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड ने अपने क्रिया-कलाप के द्वितीय वर्ष (1976–77) भी लाभांश (2.55 लाख रुपये) प्रस्तावित किया जो आवंटन होने वाली अंश राशि (100 लाख रुपये) को सम्मिलित करते हुये इसकी कुल प्रदत्त पूंजी का 2.55 प्रतिशत है ।

9,988.21 लाख रुपये की कुल प्रदत्त पूंजी वाली 22 कम्पनियों को कुल 1,320.39 लाख रुपये की हानि (1977–78 : 752.72 लाख रुपये, 1976–77 : 547.63 लाख रुपये और 1974–75 : 20.04 लाख रुपये) हुई जिसमें से 1,304.27 लाख रुपये निम्नलिखित नौ कम्पनियों से सम्बन्धित थे :

नाम	वर्ष	हानि
		(लाख रुपयों में)
छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड	1977–78	218.73
उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	1977–78	70.19
उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड	1977–78	21.82

नाम	वर्ष	हानि (लाख रुपयों में)
उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड	30 सितम्बर 1977 को समाप्त	359.88
उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं0 I) लिमिटेड	1977–78	195.56
उत्तर प्रदेश स्टेट ऐग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड	1976–77	91.31
किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	30 सितम्बर 1977 को समाप्त	87.37
उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड	1977–78	239.37
उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	1974–75	20.04

1.06. **गारन्टियां**

सरकार ने 7 कम्पनियों द्वारा लिये गये कुल 6,398.78 *लाख रुपये के ऋण की अदायगी की गारन्टी दी है जिसमें से 31 मार्च 1978 को 5,061.84 लाख रुपये अदत्त थे । निम्न तालिका प्रत्येक कम्पनी के विरुद्ध अदत्त धनराशि एवं गारन्टी की गई अधिकतम धनराशि दर्शाती है :

कम्पनी का नाम	अधिकतम धनराशि जिसकी गारन्टी दी गई	31 मार्च 1978 को गारन्टी दी गई और अदत्त धनराशि (लाख रुपयों में)
प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड, लखनऊ	1,053.00	860.00
उत्तर प्रदेश स्टेट ऐग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ	1,057.94	1,019.00
उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, लखनऊ	395.00	301.00
उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ	2,258.00	1,530.00
उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं0 1) लिमिटेड, कानपुर	1,047.00	861.00
उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड, कानपुर	540.00	443.00
उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, कानपुर	47.84	47.84
योग	6,398.78	5,061.84

*आंकड़े 1977–78 के वित्त लेखाओं के अनुसार

इसके अतिरिक्त राज्य में कम्पनी अधिनियम की धारा 619 (ख) के अन्तर्गत आने वाली तीन कम्पनियां, यथा स्टील एण्ड फास्टनर्स लिमिटेड, अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड और इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्प्यूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड थी। इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्प्यूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड के 31 दिसम्बर 1975, 1976 व 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखे बकाया थे (जनवरी 1979)। अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड की प्रदत्त पूंजी 31 अक्तूबर 1977 को 140 लाख रुपये थी जिसमें से 85.40 लाख रुपये केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित एवं स्वामित्व वाली कम्पनियों एवं निगमों के पास थे। अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड के क्रिया-कलाप के परिणाम स्वरूप 1976–77 में 48.92 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ।

अनुभाग II

उत्तर प्रदेश स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड

2.01. **प्रस्तावना**

राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली उत्तर प्रदेश स्टेट टैक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड 2 दिसम्बर 1969 को प्रारम्भ में एक निजी लिमिटेड कम्पनी के रूप में निगमित की गयी थी। बाण्डस और डिबेंचर्स प्रसार द्वारा धन एकत्र करने की सुविधा प्राप्त करने के उद्देश्य से कम्पनी को 24, दिसम्बर 1973 को एक सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी में प्रत्यावर्तित कर दिया गया।

1974 में कम्पनी के पूर्ण स्वामित्व में दो सहायक कम्पनियां, यथा उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स नं0 I और नं0 II, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक द्वारा चार स्पिनिंग मिलों की स्थापना व प्रबन्ध के लिये निगमित की गईं।

2.02. **उद्देश्य**

कम्पनी के मुख्य उद्देश्य हैं (i) सभी शाखाओं में टैक्सटाइल मिलों का व्यापार चलाना, (ii) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा उसे सुपुर्द ऐसे किसी उपक्रम या व्यापार का प्रबन्ध करना, (iii) सूती मिलों की स्थापना और (iv) सभी प्रकार के सूतों का व्यापार और निर्माण और अन्य आकस्मिक कार्यवाहियां।

2.03. **संगठनात्मक स्थिति**

कम्पनी 12 निदेशकों के एक निदेशक मण्डल, जिनमें से एक वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरे राज्य सरकार द्वारा नामांकित होते हैं, से प्रबन्धित है। कम्पनी में एक पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक और एक अध्यक्ष है। कम्पनी का अध्यक्ष दोनों सहायक कम्पनियों का भी अध्यक्ष है। सहायक कम्पनियों के अपने अलग-अलग निदेशक मण्डल होते हैं। सहायक कम्पनी नं0 I में एक पूर्ण कालिक प्रबन्ध निदेशक है। सहायक कम्पनी नं0 II निष्क्रिय रखी गई। सितम्बर 1977 में सहायक कम्पनी नं0 II के निदेशक मण्डल ने उसे समाप्त करने का निर्णय लिया। तदुपरान्त (मार्च 1978), तथा कथित निदेशक मण्डल ने अपने पूर्व निर्णय को संशोधित किया और निर्णय किया कि मिल के समापन का मामला अस्थायी रूप से निलम्बित रखा जाय क्योंकि नई योजनाओं, यथा रेयन ग्रेड पल्प इकाई, विस्कोज स्टैपुल फाइबर इकाइयों और नई स्पिनिंग मिलों, की स्थापना राज्य सरकार के विचाराधीन थी। उपर्युक्त नई योजनाओं की स्थापना के सम्बन्ध में राज्य सरकार का अन्तिम निर्णय प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1978)।

कम्पनी और सहायक कम्पनी नं0 I के स्वामित्व वाली मिलें इकाई स्तर पर एक पूर्ण कालिक मुख्य अधिशासी की प्रधानता में हैं। दिन प्रति दिन के प्रबन्ध के लिये निदेशक मण्डल द्वारा प्रबन्ध निदेशक और प्रत्येक मिल के मुख्य अधिशासी को अधिकार प्रत्यावर्तित हैं।

2.04. **पूंजी संरचना**

प्रारम्भ में कम्पनी 300 लाख रुपये की अधिकृत पूंजी से पंजीकृत कराई गई थी जिसे बाद में दिसम्बर 1976 में बढ़ा कर 2,500 लाख रुपये कर दिया गया। 31 मार्च 1977 को 2,577.97 लाख रुपये की सम्पूर्ण प्रदत्त पूंजी (सरकार द्वारा दी गई और अपनी अधिकृत पूंजी को बढ़ाये बिना कम्पनी द्वारा स्वीकृत की गई 532.25 लाख रुपये के सामान्य अंशों की जमा सहित) राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है। 532.25 लाख रुपये के सामान्य अंश जमा में से 154.00 लाख रुपये के अंश राज्य सरकार को निर्गमित किये गये थे (मई 1977)। 378.25 लाख रुपये की शेष धनराशि में से, जो आटोमैटिक लूम प्रोजेक्ट के लिये प्राप्त हुई थी (मार्च 1977), 1.06 लाख रुपये योजना पर व्यय कर दिये गये और शेष अक्तूबर 1977 में योजना के छोड़ देने के कारण राज्य सरकार को वापस कर दिए गये (अक्तूबर 1978)।

नई स्पिनिंग मिलों की स्थापना हेतु कम्पनी ने 1976–77 के दौरान न्यू ओखला इण्डस्ट्रियल अथारिटी से 200 लाख रुपये का ब्रिजिंग लोन प्राप्त किया । इसके अतिरिक्त 1977–78 में 215 लाख रुपये और 197.50 लाख रुपये के ऋण क्रमशः भारत के औद्योगिक वित्त निगम और भारत के औद्योगिक विकास बैंक से प्राप्त किये गये । 200 लाख रुपये के ब्रिजिंग लोन की अदायगी की जा चुकी है (अक्तूबर 1978) ।

2.05. **रुग्ण कपड़ा मिलों का प्रबन्ध**

केन्द्रीय सरकार ने कम्पनी को औद्योगिक (डेवलपमेन्ट और रेगुलेशन) अधिनियम, 1951 की धारा 18 (ए) के आधीन न्यू विक्टोरिया मिल्स लिमिटेड, कानपुर और म्योर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर का क्रमशः 15 फरवरी 1971 और 22 जनवरी 1973 से अधिकृत नियंत्रक और रुग्ण कपड़ा उपक्रमों (प्रबन्ध अधिग्रहण) अधिनियम, 1972 के आधीन लार्ड कृष्णा टैक्सटाइल मिल्स, सहारनपुर, श्री विक्रम काटन मिल्स, लखनऊ और बिजली काटन मिल्स, हाथरस का अभिरक्षक नियुक्त किया । सितम्बर 1974 में सभी पांचों रुग्ण मिलें केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत कर दी गई ।

रुग्ण कपड़ा उपक्रमों (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1974 के प्रकाशित हो जाने (21 सितम्बर 1974) के परिणामस्वरूप उपर्युक्त मिलों का प्रबन्ध 25 नवम्बर 1974 से नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश) को हस्तान्तरित कर दिया गया । 24 नवम्बर 1974 को रुग्ण मिलों के विरुद्ध ऋण, ब्याज और दण्ड ब्याज के रूप में 169.28 लाख रुपये बकाया था जिसकी कम्पनी को राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति कर दी गयी (नवम्बर 1975) और इसके बदले नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश) ने समान राशि के लिये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पक्ष में अंश निर्गमित कर दिये ।

2.06. **कपास क्रय योजना**

पांच रुग्ण कपड़ा मिलों की गिरती हुई आर्थिक स्थिति को उठाने के लिये अक्तूबर 1971 के अपने निर्णय के अनुसरण में दिसम्बर 1971 में कम्पनी ने कपास का क्रय प्रारम्भ किया। प्रारम्भ में कपास इन रुग्ण मिलों की ओर से कम्पनी द्वारा खरीदी गई । तदुपरान्त (जनवरी 1973) कम्पनी द्वारा प्रदत्त निधि से रुग्ण मिलों द्वारा सीधे कपास खरीदा गया। इस प्रकार क्रय किया गया कपास कम्पनी के पास बन्धक रखना था और 65 प्रतिशत अग्रिम के विरुद्ध कम्पनी को उसे पुनः अपने बैंकरों के पास बन्धक रखना था । मिलों को 35 प्रतिशत की सुरक्षित धनराशि कम्पनी को अपने स्वयं के संसाधनों में से प्रदान करनी थी । बन्धित कपास, मिलों को, नौ प्रतिशत ब्याज (15 दिसम्बर 1973 से साढ़े नौ प्रतिशत तक बढ़ाया गया) और आधा प्रतिशत सेवा व्यय समेत शत प्रतिशत भुगतान के विरुद्ध, मुक्त किया जाना था । 1974–75 से 1976–77 के दौरान तीन रुग्ण मिलों ने कम्पनी के पास बन्धित कपास पूर्ण भुगतान किये बिना प्राप्त कर लिया और 31 मार्च 1977 को 43.50 लाख रुपये की एक धनराशि (ब्याज और सेवा व्यय सहित) वसूली योग्य थी । प्रबन्धकों ने बताया (नवम्बर 1978) कि केवल कपास के मूल्य का भुगतान न होने के कारण ही नहीं बल्कि कुछ मामलों में मिलों द्वारा कपास के मूल्य के भुगतान में दिये गये चेकों के अनादर के कारण भी बकाया शेष था । बाद में यह भी बताया गया कि तीन मिलों में से एक के विरुद्ध 14.03 लाख रुपये का बकाया अप्रैल 1977 में प्राप्त किया जा चुका था और अन्य दो मिलों से वसूली की कार्यवाही प्रगति में थी ।

2.07. **धागा योजनाओं की कार्य प्रणाली**

स्टैपुल फाइबर धागा

फरवरी 1972 से सितम्बर 1974 तक कम्पनी मैन मेड फाइबर स्पिनर्स एसोसियेशन और सदर्न इण्डिया मिल्स ओनर्स एसोसियेशन की विभिन्न सदस्य मिलों से स्टैपुल फाइबर धागा अधिप्राप्ति और राज्य के हथकरघा और शक्ति करघा बुनकरों के मध्य उसके वितरण के लिए राज्य सरकार की नियोक्ता के रूप में कार्यरत थी । धागा फरवरी से अक्टूबर 1972 के दौरान पूरे प्रदेश में खोले गए कम्पनी के 14 डिपो के माध्यम से वितरित किया गया । स्पिनिंग मिलों के संगठनों द्वारा चार्ज की गई कीमत पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं था । विक्रय मूल्य मैन मेड फाइबर स्पिनर्स असोसियेशन

और सदर्न इण्डिया मिल्स ओनर्स एसोसियेशन द्वारा निश्चित किया गया। स्पिनिंग मिलों के कपड़ा आयुक्त और कम्पनी के बीच हुई एक बैठक में निर्णय किया गया कि मैन मेड फाइबर स्पिनर्स एसोसियेशन और सदर्न इण्डिया मिल्स ओनर्स एसोसियेशन द्वारा कम्पनी को धागे की सुपुर्दगी या तो पूर्ण नगद भुगतान के विरुद्ध या मैन मेड फाइबर स्पिनर्स सोशियेशन और सदर्न इण्डिया मिल्स ओनर्स एसोसियेशन की सदस्य मिलों के पक्ष में खोली गई साख पत्र के माध्यम से की जा सकती थी। कम्पनी ने बाद की पद्धति को वरीयता दी जिसने आपूर्तिकर्ताओं को कम्पनी की वास्तविक मांग से असम्बद्ध साख पत्र में उपलब्ध धनराशि की सीमा तक, धागों की शीघ्र आपूर्ति के योग्य बना दिया। यह निम्नांकित सीमा तक धागे के एकत्रीकरण में परिणत हुआ :

माह	प्रारम्भिक रहतिया	प्राप्तियां	बिक्री	अन्तिम रहतिया
		(मात्रा गांठों में)		
जुलाई 1974	1,884	4,732	2,534	4,082
अगस्त 1974	4,082	4,119	736	7,465
सितम्बर 1974	7,465	3,386	98	10,752
अक्टूबर 1974	10,752	2,036	32	12,755

चूंकि धागा, जो रहतिये में जमा हो गया था, जब वह 1974 में आपूर्तकर्ताओं से कम्पनी के बीच मार्गस्थ था, वर्षा में खराब हो चुका था और इस कारण कि स्टैपुल फाइबर धागे का बाजार मूल्य गिरना प्रारम्भ हो गया था, कम्पनी ने पूरे रहतिये की (नवम्बर और दिसम्बर 1974 के दौरान 10,113 गांठों और 1975-76 में 2,642 गांठों) विपदाग्रस्त बिक्री की और 30.85 लाख रुपए की हानि उठाई। 1974 में, मैन मेड फाइबर स्पिनर्स एसोसियेशन ने अपनी सदस्य मिलों को धागे की कीमतें बढ़ाने और ऊर्जा कटौती के कारण एक अधिभार भी जोड़ने की अनुज्ञा प्रदान की। धागे की कीमत में इस वृद्धि का कम्पनी द्वारा विरोध किया गया। तथापि, साख पत्र द्वारा भुगतान की पद्धति ने पांच आपूर्तिकर्ता मिलों को साख-पत्रों के विरुद्ध बढ़ी हुई कीमतें लेने के योग्य कर दिया जो 27.17 लाख रुपए के अधिक भुगतान में परिणत हुआ। कम्पनी द्वारा अधिक भुगतान की वसूली के लिए दीवानी मुकदमे दायर किए गए (मार्च 1977)। मार्च 1977 तक पांच दीवानी मुकदमे दायर करने में किया गया व्यय 2.98 लाख रुपए था। अग्रिम प्रगतियां प्रतीक्षित हैं (जनवरी 1979)।

2.08. सूती धागा

भारत सरकार द्वारा 13 मार्च 1973 से चालू की गई सूती धागे के मूल्य नियंत्रण, पैकिंग और वितरण, की एक वैधानिक योजना के अधीन, कम्पनी राज्य सरकार द्वारा राज्य में सूत के वितरण के लिए 28 मार्च 1973 से नियोक्ता के रूप में नियुक्त की गई। लेखा परीक्षा में निम्न बातें सूचना में आई :

मार्ग में धागे की क्षति

(i) जून 1974 में 0.20 लाख रुपए मूल्य की चार गांठें और 21 बैग सूती धागा जब धामपुर डिपो से कानपुर डिपो को परिवहन हो रहा था मार्ग में क्षतिग्रस्त हो गया। चूंकि सामान का मार्ग बीमा नहीं था, परिवहन कम्पनी ने क्षति को प्रमाणित नहीं किया। क्षति प्रमाणित न किए जाने के कारण कम्पनी ने सामान की सुपुर्दगी लेने से इन्कार कर दिया और परिवहन कम्पनी पर एक दावा दायर कर दिया (जनवरी 1975) जो अनिर्णित है (दिसम्बर 1978)।

(ii) सहारनपुर की एक सूती मिल द्वारा 28 जुलाई 1973 को एक सड़क परिवहन ठेकेदार के माध्यम से भेजे गये सूती धागे के 600 बण्डलों में से, जिनका मार्ग हानि के विरुद्ध बीमा न था, 384 बण्डल क्षतिग्रस्त अवस्था (परिवहन कम्पनी द्वारा प्रमाणित) में प्राप्ति किए गए। 0.22 लाख रुपए मूल्य के धागे के क्षतिग्रस्त बण्डल जून 1974 में 0.09 लाख रुपयों में नीलाम कर दिए गए परिणामतः 0.13 लाख रुपए की हानि हुई। 2 जून 1976 को हानि की वसूली के लिए कम्पनी द्वारा परिवहन कम्पनी के विरुद्ध एक दीवानी मुकद्दमा दायर किया गया। मुकद्दमे का न्यायालय में निर्णय नहीं हुआ था (दिसम्बर 1978)।

2.09. स्पिनिंग मिलों की स्थापना

राज्य सरकार ने भारी व मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिए एक कार्यकारी दल गठित किया (जुलाई 1972) जिसने कपड़ा उद्योग के लिए एक उप–कार्यकारी दल बनाया (सितम्बर 1972)।

उप–कार्यकारी दल ने राज्य में पंचम पंचवर्षीय योजना के दौरान विकेंद्रित शक्ति करघा और हथकरघा क्षेत्र के लिए धागे की अत्यधिक कमी को पूरा करने के लिए आठ लाख अतिरिक्त तकुओं की प्रतिस्थापना की संस्तुति की (अक्टूबर 1972)। तद्नुसार, दो चरणों में समान संख्या में प्रत्येक 25,000 तकुओं वाली 16 स्पिनिंग मिलों की स्थापना कम्पनी द्वारा की जानी थी। कम्पनी के अभिलेखों में प्रत्येक चरण को पूरा करने के लिए कोई समय सूची उपलब्ध नहीं थी। निम्नतालिका (i) योजना प्रतिवेदनों, (ii) योजनाओं के कार्य आरम्भ और (iii) योजनाओं के चालू किए जाने की दिनांक दर्शाती है :

क्र० संख्या	योजना का नाम	योजना प्रतिवेदन तैयार की गई	योजना प्रति वेदनों के अनुसार अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	योजना का प्रारम्भ	योजना का चालू किया जाना
1	रायबरेली	अप्रैल 1974	514	जून 1974	1 अक्टूबर 1975
2	अकबरपुर	अक्टूबर 1974	480	फरवरी 1975	16 अक्टूबर 1976
3	मऊनाथभंजन	मार्च 1974	505	नवम्बर 1974	1 नवम्बर 1976
4	बाराबंकी	दिसम्बर 1974	530	अप्रैल 1975	1 अप्रैल 1977
5	झांसी	अगस्त 1976	490	जुलाई 1975	1 जून 1977
6	काशीपुर	फरवरी 1977	480	जनवरी 1975	1 जुलाई 1977
7	सण्डीला	फरवरी 1977	490	जुलाई 1975	1 सितम्बर 1977
8	मेरठ	जून 1977	510	जुलाई 1975	1 दिसम्बर 1977

क्रम संख्या 1 से 4 तक की मिलें सहायक कम्पनी नं० I द्वारा और क्रम संख्या 5 से 8 तक की अन्य मिलें नियंत्रक कम्पनी द्वारा प्रबंधित हैं।

झांसी, काशीपुर, सण्डीला और मेरठ की परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रतिवेदन कार्य प्रारम्भ हो जाने के बाद तैयार किये गये।

ड्राइंग्स में परिवर्तन

झांसी परियोजना

उत्पादन हाल की अगस्त 1975 में प्रारम्भिक अनुमोदित ड्राइंग जनवरी 1976 में और पुनः जून 1976 में संशोधित की गई। ड्राइंग में बाद में किए गए परिवर्तनों ने पहले से ही किए जा चुके पर्याप्त मात्रा में पक्के कार्य का गिराया जाना आवश्यक कर दिया और सभी एअर और रिटर्न एअर डक्ट दुबारा खोदने पड़े। कोन पैकिंग और यार्न कन्डीशनिंग भवनों की स्थिति में भी परिवर्तन हुआ जो 2.5 मीटर ऊंचाई तक पहले ही किए जा चुके कार्य को गिरवाने में परिणत हुआ। उपर्युक्त परिवर्तनों पर किया गया अतिरिक्त व्यय लगभग 0.50 लाख रुपए था।

मऊनाथ भंजन परियोजना

सलाहकारों की कुयोजना के परिणामस्वरूप, पहले से ही किया जा चुका कारखाना भवनों से सम्बन्धित सिविल वर्क गिराना पड़ा (मार्च 1976) और फिर से निर्मित कराना पड़ा जिसमें 0.50 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ। उपर्युक्त धनराशि में से केवल 0.16 लाख रुपए सलाहकारों द्वारा वहन किया गया।

2.10. उत्पादन योजना

(क) कपास मिश्रण

ब्लोरूम लाइन को कपास संभरण करने से पूर्व विविध प्रकार की कपास के हस्तगत रहतिये और बाजार में उनकी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए पहले से ही प्रधान कार्यालय द्वारा प्रत्येक मास निर्णीत एक निश्चित अनुपात में विभिन्न प्रकार की कपास मिश्रित की जाती है। कपास के प्रकार और अनुपात जिसमें उन्हें मिश्रित करना होता है के अग्रिम निर्णय का उद्देश्य मिश्रण लागत का निम्नतम सम्भव स्तर पर रखना है। स्पिनिंग मिल, अकबरपुर के अगस्त 1977 से मार्च 1978 तक कपास मिश्रण अभिलेखों की परख जांच ने दर्शाया कि कपास मिश्रण प्रधान कार्यालय द्वारा निर्णीत तरीके से नहीं किया जा सका क्योंकि आवश्यक प्रकार का कपास, यद्यपि बाजार में उपलब्ध था, कम्पनी द्वारा अधिप्राप्त नहीं किया गया। मिल को श्रेष्ठ गुणों की कपास प्रयोग करनी पड़ी जो अकबरपुर मिल में 0.60 लाख रुपए के परिहार्य व्यय में परिणत हुई।

प्रबंधकों ने बताया (सितम्बर 1977) कि अधिक मिश्रण लागत अकबरपुर मिल में आवश्यक गुणों की कपास की अनुपलब्धता के कारण थी।

(ख) क्षमता उपयोग

निम्न तालिका आठ स्पिनिंग मिलों का 1976–77 और 1977–78 के दौरान परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार धागे का उत्पादन और वास्तविक उत्पादन दर्शाती है:-

नाम	परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार दरीय क्षमता (350 दिन)	मासिक क्षमता	पूर्ण क्षमता उत्पादन के प्रारम्भ का दिनांक	उत्पादन के महीनों की संख्या	वास्तविक उत्पादन	परिचालन समय के लिए उत्पादन क्षमता	उत्पादन में कमी
	(लाख किलोग्राम में)					(लाख किलोग्राम में)	
1976–77							
रायबरेली	24.17	2.01	1 अप्रैल 1976	12	18.10	24.17	6.07
अकबरपुर	28.96	2.41	1जनवरी1977	3	7.27	7.23	..
मऊनाथभंजन	22.03	1.84	1फरवरी1977	2	3.67	3.68	..
1977–78							
रायबरेली	24.17	2.01	1अप्रैल 1976	12	11.36	24.17	12.81
अकबरपुर	28.96	2.41	1जनवरी1977	12	21.93	28.96	7.03
बाराबंकी	33.88	2.82	1जुलाई 1977	9	19.18	25.38	6.20
मऊनाथभंजन	22.03	1.84	1फरवरी 1977	12	14.64	22.03	7.39
झांसी	43.95	3.66	1 जून 1977	10	18.15	36.60	18.45
काशीपुर	39.24	3.27	1जुलाई 1977	9	18.80	29.43	10.63
संडीला	43.87	3.66	1सितम्बर1977	7	12.03	25.62	13.59
मेरठ	48.88	4.07	1फरवरी 1978	2	9.07	8.14	..

रायबरेली की मिल ने 1976–77 में और सभी मिलों ने 1977–78 में (मेरठ की एक मिल के सिवाय) अपनी दरीय क्षमता तक धागे का उत्पादन नहीं किया। प्रबंधकों ने बताया (नवम्बर 1978) कि वास्तविक उत्पादन–मिलावट परियोजना प्रतिवेदन में दिये गए अनुसार न थी और यह कि ऊर्जा कटौती, श्रम समस्याएं, कच्चा माल और बाजार अस्थिरता जैसे बहुत से कारण थे जिन्होंने क्षमता उपयोग प्रभावित किया।

(ग) तकुआ उपयोग

निम्न तालिका अकबरपुर की स्पिनिंग मिल (सहायक कम्पनी नं0 I द्वारा प्रबन्धित) और झांसी और संडीला की मिलों (कम्पनी द्वारा प्रबंधित) के तकुआ उपयोग दर्शाती है :

विवरण	अकबरपुर		झांसी	सण्डीला
	1976–77 (दिसम्बर 1976 से मार्च 1977 तक)	1977–78	1977–78 (जनवरी से मार्च 1978 तक)	1977–78 (दिसम्बर 1977 से मार्च 1978 तक)
स्थापित तकुए (लाखों में)	0.25	0.25	0.25	0.24
बजटेड उपयोग (प्रतिशत)	95	95	95	95
उपलब्ध तकुआ पारियां (बजटेड) (लाखों में)	90.60	250.10	64.65	80.19
आठ घंटे के आधार पर कार्यरत वास्तविक तकुआ पारियां	67.31	197.29	55.62	66.23
तकुआ उपयोग (प्रतिशत)	74.3	78.9	86.0	82.6

तीन मिलों में से किसी ने भी बजटेड तकुआ उपयोग प्राप्त नहीं किया। कमी के लिए कारण अभिलेख पर न थे। अन्य पांच मिलों की सूचना उपलब्ध न थी। प्रबंधकों ने बताया (नवम्बर 1978) कि ये रखे जाने वाले वैधानिक अभिलेख न थे।

(घ) तकुआ कुशलता

निम्न तालिका अकबरपुर की स्पिनिंग मिल (सहायक कम्पनी नं0 I द्वारा प्रबन्धित) और झांसी और सण्डीला की मिलों (कम्पनी द्वारा प्रबन्धित) में 1977-78 के लिये आठ घंटे की प्रति तकुआ पारी के अनुसार तकुआ कुशलता दर्शाती है :

काउन्ट	दरीय क्षमता	बजटेड उत्पादन	पैकिंग स्तर पर प्रति तकुआ वास्तविक उत्पादन	बजटेड उत्पादन की तुलना में कमी
		(ग्रामों में)		
अकबरपुर				
14	248.37	212.71	185.19	27.52
16	217.26	173.68	166.02	7.66
20	202.23	181.02	138.51	42.51
24	148.77	129.68	119.31	10.37
32	102.13	88.47	84.73	3.74
34	94.12	81.00	76.40	4.60
60	42.57	39.17	35.07	4.10
26	194.68	163.09	137.40	25.69

काउन्ट	दरीय क्षमता	बजटेड उत्पादन	पैकिंग स्तर पर प्रति तकुआ वास्तविक उत्पादन	बजटेड उत्पादन की तुलना में कमी
		(ग्रामों में)		
झांसी (जनवरी से मार्च 1978 तक)				
12	295.4	260.0	231.6	28.4
14	250.0	224.0	172.5	51.5
16	215.9	192.0	177.9	14.1
20	165.0	165.0	122.2	42.8
24	125.4	122.0	103.9	18.1
30	88.0	87.0	49.8	37.2
सण्डीला (दिसम्बर 1977 से मार्च 1978 तक)				
20	165.0	157.0	131.4	25.6
20 (होजरी)	171.0	160.0	140.7	19.3
25	115.0	113.0	93.4	19.6
30	84.0	84.0	42.2	41.8
34	73.0	73.0	62.0	11.0

प्रति तकुआ/पारी वास्तविक उत्पादन बजटेड उत्पादन की अपेक्षा कम था । प्रति तकुआ/पारी में उत्पादन में कमी के लिये कारण नहीं बताए गए और शेष पांच मिलों के तकुआ कुशलता से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं थे । प्रबन्धकों ने बताया (नवम्बर 1978) कि ये रखे जाने वाले वैधानिक अभिलेख न थे ।

(ङ) धागा प्राप्ति

निम्न तालिका रायबरेली की स्पिनिंग मिल में 1975–76 और 1976–77 के दौरान और अकबरपुर और मऊनाथ भंजन की स्पिनिंग मिलों में (सभी सहायक कम्पनी नं 0 I द्वारा प्रबन्धित) 1976–77 के दौरान धागे की प्राप्ति और दृश्य और अदृश्य क्षय के प्रतिशत को दर्शाती है :

	रायबरेली		अकबरपुर	मऊनाथ भंजन
	1975–76	1976–77	1976–77	1976–77
		(लाख किलो ग्रामों में)		
कपास का प्रारम्भिक रहतिया	..	1.38	..	..
क्रय किया गया कपास	10.22	23.71	10.61	6.96
कपास का अन्तिम रहतिया	1.38	2.05	1.72	1.59
उपभोग किया गया कपास	8.84	23.04	8.89	5.37
घटाया–प्रगति में कार्य	0.41	0.21	0.51	0.55
शुद्ध उपभोग	8.43	22.83	8.38	4.82
उत्पादित धागा	6.94	18.10	7.27	3.67
दृश्य क्षय	1.34	3.75	1.15	0.63
अदृश्य क्षय	0.15	0.98	(—) 0.04*	0.52
शुद्ध उपभोग का कपास से प्राप्त धागे का प्रतिशत	82.3	79.3	86.8	76.1
दृश्य क्षय का प्रतिशत	15.9	16.4	13.7	13.1
अदृश्य क्षय का प्रतिशत	1.8	4.3	..	10.8

*आंकड़े कम्पनी के संपरीक्षित लेखाओं पर आधारित ।

धागा प्राप्ति प्रतिशत एक मिल से दूसरी मिल में भिन्न थी । प्रबन्धकों ने मिलों के लिये धागा प्राप्ति सम्बन्धी मानक निश्चित नहीं किये हैं । उत्पादन के प्रत्येक क्रम पर दृश्य या अदृश्य क्षय सम्बन्धी या सम्पूर्ण क्षय के लिये भी मानक नहीं तय किये गये हैं । प्रबन्धक स्पष्ट नहीं कर सके कि अकबरपुर की स्पिनिंग मिल में उत्पादित धागा और दृश्य क्षय का योग उपभुक्त कपास से अधिक कैसे हो गया । प्रबन्धकों ने बताया (नवम्बर 1978) कि प्राप्त धागे और दृश्य और अदृश्य क्षय का प्रतिशत कपास की उपलब्धता, ऊर्जा कटौती, उत्पाद–मिलावट, श्रम समस्याओं और बाजार-मांग आदि पर निर्भर करती है ।

2 11. लागत पद्धति

कम्पनी और उसकी सहायक कम्पनी ने लागत पद्धति शुरू नहीं की है (मार्च 1978) यद्यपि अगस्त 1975 में एक लागत लेखा अधिकारी, जिसे बाद में अंशकालिक लागत सलाहकार का पद नाम दिया गया, नियुक्त किया गया था। प्रबन्धकों ने बताया (जुलाई 1977) कि लागत सलाहकार उत्पाद मिश्रण योजना के समय निर्णय लेने में कम्पनी की सहायता कर रहा था और यह कि वह सभी आठों मिलों के लिये सर्वोपरि सूचना पद्धति विकसित करने में सहायता कर रहा था । प्रबन्धकों ने बताया (नवम्बर 1978) कि लागत लेखा अभिलेख (सूती कपड़ा) नियम, 1977 पहली अप्रैल 1978 से प्रभाव में आया था और नियमों में निर्धारित पद्धति प्रभाव में लायी जा रही थी ।

2.12. मूल्य नीति और विक्रय निष्पादन

(क) मूल्य नीति

कम्पनी और उसकी सहायिका द्वारा धागा प्रचलित बाजार मूल्य पर बेचा जाता है। वहां एक धागा विक्रय समिति है जिसे बाजार के रुख को ध्यान में रख कर दिन प्रति दिन की बिक्री दरों का निर्णय करने का पूर्ण अधिकार है । धागा थोक व्यापारियों व माल पाने वालों (कन्साइनियों) के माध्यम से बेचा जाता है जिन्हें एक प्रतिशत व्यापारिक छूट प्रदान की जाती है । व्यापारियों को धागे की बिक्री नकदी आधार पर की जाती है । माल पाने वालों को बिक्री प्रत्येक मामले में 0.20 लाख रुपये की जमानत प्राप्त करने के बाद "परेषण पर वस्तुएं" के आधार पर की जाती है; प्रत्येक आर्डर का मूल्य इस धनराशि से अधिक था। व्यापारियों और माल पाने वालों (कन्साइनियों) के माध्यम से होने वाली बिक्री की शर्तों को सम्मिलित करते हुए अनुबन्ध प्रतिपादित नहीं किये गये (मार्च 1979) ।

नवम्बर 1975 में, स्पिनिंग मिल, रायबरेली (सहायक कम्पनी नं0 I द्वारा प्रबन्धित) ने 0.21 लाख रुपये मूल्य का धागा कानपुर के एक निजी व्यापारी को धागा विक्रय समिति के अनुमोदन बिना और जमानत जमा प्राप्त किये बिना उधार पर आपूर्त कर दिया । क्योंकि व्यापारी ने धनराशि का भुगतान नहीं किया, प्रबन्धकों ने पावने की वसूली के लिये एक दीवानी मुकदमा दायर कर दिया (अप्रैल 1978) । आगे की प्रगतियां प्रतीक्षित हैं (जनवरी 1979) ।

प्रबन्धकों ने बताया (नवम्बर 1978) कि निजी व्यापारी ने रायबरेली इकाई से धागा, मिथ्या वर्णन करके कि धागा उसके द्वारा कम्पनी की सम्पूर्णित योजना के अधीन प्रयोग किया जायेगा, क्रय किया । तथापि यह कहा जा सकता है कि सम्पूर्णित योजना के अधीन इस पार्टी को प्रासेसिंग के लिये पूरा कपड़ा आपूर्त होना था न कि धागा ।

(ख) विक्रय मूल्य वास्तविक विक्रय लागत के संदर्भ में

निम्न तालिका रायबरेली, अकबरपुर और मऊनाथ भंजन की स्पिनिंग मिलों (सहायक कम्पनी नं० I द्वारा प्रबन्धित) के सम्बन्ध में औसत विक्रय मूल्य और प्रति किलोग्राम धागे (ह्रास से पूर्व) की बिक्री लागत दर्शाती है :

मिल का नाम	1975–76		1976–77		1977–78	
	बिक्री की लागत	विक्रय मूल्य	बिक्री की लागत	विक्रय मूल्य	बिक्री की लागत	विक्रय मूल्य
	(प्रति किलो ग्राम रुपयों में)					
रायबरेली	10.91	10.78	16.49	15.24	22.44	20.46
अकबरपुर	..	..	17.56	18.62	17.54	18.54
मऊनाथ भंजन	..	..	19.87	19.06	21.29	21.43

धागे का विक्रय मूल्य रायबरेली मिल के मामले में तीनों वर्षों के दौरान और मऊनाथभंजन में 1976–77 के दौरान बिक्री लागत (ह्रास से पूर्व) की अपेक्षा कम था ।

प्रबन्धकों ने बताया (नवम्बर 1978) कि उनके नियंत्रण के बाहर की बहुत सी समस्याओं, यथा ऊर्जा कटौती, श्रम समस्या, कच्चा माल और बाजार रुख में अस्थिरता आदि के कारण विक्रय मूल्यों को उत्पादन को लागत से सम्बन्धित करना सम्भव न था ।

2.13. **क्रय विधि**

कम्पनी और उसकी सहायिका ने कपास "कपास क्रय समिति" के माध्यम से और पूंजीगत सामान "पूंजीगत सामान क्रय समिति" के माध्यम से क्रय किये । मिलों द्वारा आवश्यक उपभोग्य भण्डार अधिकार प्रत्यावर्तन के अनुसार मिलों के मुख्य अधिशासियों द्वारा क्रय किये गये ।

(क) स्थिर मूल्य उपबन्ध वाले अनुबन्ध के विरुद्ध वृद्धि भुगतान

अकबरपुर, मऊनाथ-भंजन और रायबरेली (सहायक कम्पनी नं० I द्वारा प्रबन्धित) मिलों के लिये 131.67 लाख रुपये मूल्य की स्पिनिंग मशीनों की आपूर्ति के लिये कानपुर की एक फर्म को कम्पनी द्वारा एक क्रय आदेश प्रेषित किया गया (नवम्बर 1973) । आदेश की शर्तों के अनुसार स्पिनिंग मशीनों की कीमतें स्थिर थीं और मशीनें मार्च 1975 से अगस्त 1976 के दौरान आपूर्त करनी थीं । मशीनों की आपूर्ति सितम्बर 1975 में प्रारम्भ की गई और जुलाई 1976 में पूर्ण की गई । मई 1975 में, आपूर्तिकर्ताओं ने सामान की लागत और मजदूरी संरचना में वृद्धि के कारण मूल्य वृद्धि (पूर्ण वृद्धि की 50 प्रतिशत सीमा तक) का दावा किया । प्रबन्धकों ने भारत के कपड़ा आयुक्त (बम्बई) को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया (सितम्बर 1975) यद्यपि क्रय आदेश में मध्यस्थता का कोई प्राविधान नहीं था और स्वीकृत की गई कीमतें स्थिर थीं । अक्तूबर 1976 में मध्यस्थ ने 12.93 लाख रुपये (पूर्ण वृद्धि की 25 प्रतिशत सीमा तक) की राशि की वृद्धि के भुगतान के लिये निर्णय किया जो अक्तूबर 1976 में भुगतान कर दिया गया । प्रबन्धकों ने बताया (नवम्बर 1978) कि मध्यस्थ की नियुक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं था अन्यथा आदेश निरस्त हो जाने की अवस्था में योजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब हो जाता ।

(ख) कपास का क्रय

कम्पनी और उसकी सहायिका द्वारा स्पिनिंग मिलों के लिये कपास उनकी सम्बन्धित "कपास क्रय समिति" के माध्यम से कानपुर में केन्द्रीय रूप से क्रय किया जाता है । कपास सी एस पी (काउन्ट, स्ट्रेंग्थ, प्रोडक्ट) और निरर्थक पदार्थों के मिश्रण के आधार के बजाय "सैम्पुल" आधार पर क्रय किया जाता है क्योंकि कम्पनी के पास इन पहलुओं की जांच करने के लिये प्रयोगशाला की सुविधायें नहीं हैं, यद्यपि प्रथम पद्धति बाद वाली की अपेक्षा कम्पनी द्वारा आवश्यक कपास के प्रकार के सम्बन्ध

में आपूर्तिकर्ताओं को एक स्पष्ट मत देने में लाभप्रद है । परिणामतः कम्पनी को आपूर्ति किये गये कपास में खराबियों के कारण आपूर्तिकर्ताओं से वसूलियां कपास प्रबन्धक के आत्मनिष्ठ निर्णय पर की जा रही हैं; जो क्रियाविधि परिहार्य है ।

प्रबन्धकों ने बताया (नवम्बर 1978) कि कपास क्रय समिति में एक कपास प्रबन्धक था जो कपास विशेषज्ञ था और वह दृश्य निरीक्षण से ही कपास की कताई योग्यता इत्यादि बताने में सक्षम था ।

निम्न तालिका 1976–77 और 1977–78 वर्षों के दौरान आपूर्ति किये गये कपास में खराबियों के प्रकार और उसी प्रकार की खराबियों के लिये, जो कि प्रबन्धकों द्वारा विभिन्न श्रेणियों की होना बताई गई हैं, प्रति कैण्डी (2 गांठें या लगभग 260 किलो ग्राम) प्रभावित वसूली की परिवर्तनशील दरों को दर्शाती है :

खराबी की प्रकृति	आपूर्त गांठों की कुल संख्या	खराब पाई गई गांठों की संख्या	प्रति कैण्डी वसूली दर से	तक
			(रुपयों में)	
कम्पनी				
श्रेणी में न्यून	2,350	1,100	15	130
श्रेणी में न्यून और अधिक वाह्य पदार्थ	1,700	500	25	120
स्टैपुल में छोटा/कमजोर	..	..	..	..
अधिक वाह्य पदार्थ	1,800	640	40	150
अधिक वाह्य पदार्थ और अपरिपक्व रेशा	..	..	..	..
अधिक वाह्य पदार्थ और रेशों में अनियमितता	..	..	..	..
अधिक वाह्य पदार्थ और कमजोर स्टैपुल	..	..	..	..
सहायक कम्पनी नं० I				
श्रेणी में न्यून	6,787	2,728	15	175
श्रेणी में न्यून और अधिक वाह्य पदार्थ	2,140	1,087	40	200
स्टैपुल में छोटा/कमजोर	2,250	802	25	200
अधिक वाह्य पदार्थ	7,100	2,349	20	165
अधिक वाह्य पदार्थ और अपरिपक्व रेशा	598	197	45	80
अधिक वाह्य पदार्थ और रेशों में अनियमितता	1,160	150	75	161
अधिक वाह्य पदार्थ और कमजोर स्टैपुल	4,752	1,292	50	350

2.14. **भण्डार नियंत्रण**

(क) भण्डार नियंत्रण में निम्न कमियां देखी गईं :

(i) प्रत्येक भण्डार मद के उच्चतम, निम्नतम और पुनरादेश स्तर तय नहीं किये गये हैं।

(ii) भण्डार के कठिनाई से उपलब्ध, आसानी से उपलब्ध, तेज और धीमी गति से उपभुक्त मदों का वर्गीकरण नहीं किया गया है ।

(iii) भण्डार और अतिरिक्त पुर्जों के वास्तविक शेष के सामयिक प्रतिवेदन भेजने की पद्धति प्रचलन में नहीं थी ।

(iv) उपभोग आधिक्य जान पाने के लिए विशिष्ट मदों के उपभोग के लिए कोई मानक नहीं तय किये गये हैं ।

(v) भण्डार लेखा नियम पुस्तक नहीं तैयार की गई है (दिसम्बर 1978) ।

प्रबंधकों ने बताया (नवम्बर 1978) कि कम्पनी अधिनियम के आधीन भण्डार लेखा के लिए कोई नियम पुस्तक आवश्यक न थी और यह कि कम्पनी उद्योग के मानक व्यवहारानुरूप भण्डार लेखा तैयार करती रही थी ।

(ख) भण्डार का भौतिक सत्यापन

दिसम्बर 1976 में रायबरेली मिल (सहायक कम्पनी नं० I द्वारा प्रबंधित) में सम्पादित भण्डार के भौतिक सत्यापन में क्रमशः 0.84 लाख रुपए और 0.22 लाख रुपए की कमियां और अधिकताएं प्रगट हुई । ये कमियां और अधिकताएं न तो निदेशक मण्डल को प्रतिवेदित की गईं न ही समाधानित/समायोजित की गईं । प्रबंधकों ने बताया (नवम्बर 1978) कि उपर्युक्त कमियां और अधिकताएं सूक्ष्म परीक्षाधीन थीं ।

(ग) मशीन रख रखाव प्रबन्ध

प्रत्येक मिल में नियुक्त रखरखाव प्रभारियों के मार्गदर्शन के लिए कम्पनी द्वारा मशीनरी रखरखाव सूची निश्चित करने वाली कोई नियम पुस्तक नहीं तैयार की गई ।

प्रबंधकों ने बताया (नवम्बर 1978) कि उनके पास प्रत्येक मिल में पूर्ण रूप से योग्य और अनुभवी एक मशीन रखरखाव प्रभारी हैं और यह कि वैधानिक रूप से अलग से कोई नियम पुस्तक आवश्यक नहीं थी ।

2.15. **आर्थिक स्थिति**

(क) निम्न तालिका 1977–78 तक के चार वर्षों के लिए कम्पनी की संक्षिप्त आर्थिक स्थिति मुख्य शीर्षकों में दर्शाती है :

	1974–75	1975–76	1976–77	1977–78
			(लाख रुपयों में)	
दायित्व				
प्रदत्त पूंजी (अंश प्रार्थना धन और सामान्य अंश जमा सहित)	1,155.00	1,545.72	2,577.97	2,577.97
रिजर्व और आधिक्य	16.22	22.21	29.71	244.25
ऋण				
बैंक से (कैश क्रेडिट)	2.92	..	..	178.39
न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एथोरिटी से	..	..	100.00	..
भारत के औद्योगिक वित्त निगम से	..	..	..	484.50
व्यापार देय और अन्य चालू दायित्व (प्राविधानों सहित)	4.33	65.86	226.35	248.86
योग	1,178.47	1,633.79	2,934.03	3,733.97

	1974–75	1975–76	1976–77	1977–78
परिसम्पतियां		(लाख रुपयों में)		
सकल अचल सम्पत्तियां	2.09	4.58	7.05	1,596.62
घटाया–ह्रास	0.74	1.33	2.14	247.06
शुद्ध अचल परिसम्पत्तियां	1.35	3.25	4.91	1,349.56
पूंजीगत निर्माणाधीन कार्य	92.49	281.64	1,345.93	65.85
विनियोग	293.49	700.01	1,040.01	1,040.01
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण और अग्रिम	791.14	648.89	542.43	832.15
विविध व्यय	..	..	0.75	0.50
एकत्रित हानियां	..	..	..	445.90
योग	1,178.47	1,633.79	2,934.03	3,733.97
लगाई गई पूंजी	788.46	586.58	321.29	1,933.29
शुद्ध मूल्य	1,171.22	1,567.93	2,606.93	2,375.82

टिप्पणीं : 1. लगाई गई पूंजी शुद्ध अचल परिसम्पत्तियों तथा कार्यरत पूंजी के योग को दर्शाती है ।

2. शुद्ध मूल्य प्रदत्त पूंजी तथा रिजर्व के योग में से अदृश्य सम्पत्तियों को घटा कर निकाला गया है ।

(ख) बजटरी नियंत्रण

कम्पनी और उसकी सहायिका ने 1976–77 तक उत्पादन, विक्रय, पूंजी व्यय और वित्तीय बजट नहीं तैयार किये । केवल निष्पादन/उत्पादन बजट 1977–78 के लिए तैयार किया गया।

2.16. आन्तरिक लेखा–परीक्षा

कम्पनी तथा उसकी सहायिका ने कोई आन्तरिक लेखा परीक्षा नहीं चालू की है। सहायक कम्पनी नं0 I द्वारा अप्रैल 1976 में नियुक्त एक आन्तरिक सम्परीक्षक ने दिसम्बर 1976 में पद त्याग दिया। प्रबंधकों ने बताया (नवम्बर 1978) कि एक आंतरिक सम्परीक्षक अब नियुक्त किया जा चुका था (अक्टूबर 1978)।

2.17. केन्द्रीय प्रासेसिंग हाउस और स्वचालित करघा इकाइयों की योजना का त्याग

राज्य सरकार के कहने पर, कम्पनी ने प्रति दिन 50,000 मीटर क्षमता के साथ एक केन्द्रीकृत प्रासेस हाउस उन्नाव में स्थापित करने का एक प्रस्ताव शासन को भेजा (अप्रैल 1976)। कम्पनी की स्पिनिंग मिलों की जीवन योग्यता में सुधार करने और केन्द्रीकृत प्रासेस हाउस की क्षमता का उच्चतम स्तर तक उपयोग करने के लिए कम्पनी ने शासन को अपनी पांचों स्पिनिंग मिलों में से प्रत्येक में 300 करघों की दर से 1,500 स्वचालित करघे स्थापित करने का एक प्रार्थना पत्र भी दिया (अक्तूबर 1976)। करघों को धागा कम्पनी की स्पिनिंग मिलों द्वारा आपूर्त किया जाना था, जो विकेन्द्रित सेक्टर में शक्ति करघों और हथकरघों की आवश्यकता पूर्ति हेतु स्थापित की गई थीं। स्वचालित करघा परियोजना के लिए कम्पनी द्वारा शासन से 378.25 लाख रुपये की रकम प्राप्त की गई थी (मार्च

1978) । भारत सरकार द्वारा प्रासेस हाउस और स्वचालित शक्ति करघों की स्थापना के लिये मई 1977 में आशय पत्र निर्गमित कर दिये गये थे । उपर्युक्त योजनाओं के सम्भावना प्रतिवेदन तैयार करन सम्बन्धी कार्य बम्बई की एक फर्म को 0.75 लाख रुपये (जून 1977 से जुलाई 1978 के दौरान भुगतान किया गया) पर प्रदान किया गया (जून 1977) । इस भुगतान के अतिरिक्त कम्पनी ने यात्रा भत्तों और भूमि व जल परीक्षण में 0.31 लाख रुपये का व्यय किया । तथापि, स्वचालित करघा इकाइयां स्थापित करने की योजना कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा अक्तूबर 1977 में त्याग दी गई क्योंकि वह आवश्यक रूप से स्पिनिंग मिलों द्वारा उत्पादित धागे का कुछ भाग उपभोग करती और हथकरघा और शक्ति करघा सेक्टर से प्रतियोगिता भी करती । प्रासेस हाउस योजना भी छोड़ दी गई (अक्तूबर 1977) क्योंकि वह बाहरी प्रतिनिधियों से पर्याप्त व्यापार आकर्षित कर पाने की सम्भावना नहीं रखती थी । इस तरह, उपर्युक्त दोनों योजनाओं पर किया गया 1.06 लाख रुपये का व्यय व्यर्थ हुआ साबित हुआ । 377.19 लाख रुपये की शेष धनराशि कम्पनी द्वारा अपनी कार्यरत पूंजी के लिये सितम्बर 1978 तक उपयोग की गयी जिसके बाद उसे राज्य सरकार को वापस किया गया (अक्तूबर 1978) ।

प्रबन्धकों ने बताया (मई 1978) कि एक विकासशील संगठन में नई लाइनों में परिवर्तन के सम्बन्ध में अन्वेषण और कल्पना में धन व्यय करना साधारण व्यवहार में था । इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि कम्पनियों (नियंत्रक साथ ही साथ सहायिकाओं) की स्थापना का उद्देश्य हथकरघा और शक्ति करघा के विकेन्द्रित सेक्टर को धागा आपूर्त करना था अतः स्वचालित करघों की स्थापना का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिये था । वे आधार, जिस पर कि योजना आगे नहीं बढ़ायी गई, योजना को चलाने का निर्णय करते समय भी उपस्थित थे ।

2.18. अन्य रोचक विषय

(क) बिक्री कर निर्धारण

समय-समय पर संशोधित उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 के अधीन बिक्री कर विभाग से प्राप्य III ए फार्म पर एक उद्घोषणा देने पर व्यापारियों को सूती धागे की बिक्री, बिक्री कर के भुगतान से मुक्त रहती है । निर्धारित उद्घोषणा न देने के कारण बिक्री कर विभाग द्वारा 2.07 लाख रुपये का निर्धारण बिक्री कर के रूप में किया गया (29 अगस्त 1977) । कम्पनी द्वारा अक्तूबर 1977 में 0.50 लाख रुपये का एक तदर्थ भुगतान किया गया और शेष 1.57 लाख रुपये के लिये नवम्बर 1977 में स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया । प्रबन्धकों ने बताया (मई 1978) कि आवश्यक फार्म बिक्री डिपो कर्मचारियों, जो अब कम्पनी की सेवा में न थे, की अनुभव हीनता के कारण नहीं दिये जा सके । मामला बिक्री कर अधिकारियों के पास पड़ा है (दिसम्बर 1978) ।

(ख) बिक्री कर का अधिक भुगतान

आपूर्तिकर्ताओं को निर्धारित उद्घोषणा प्रपत्र निर्गमित न किये जाने के कारण कम्पनी तथा उसकी सहायक कम्पनी नं 0 I ने किये गये क्रयों पर बिक्री कर छूट का लाभ खो दिया, जैसा नीचे दर्शाया गया है :

	क्रय की अवधि	क्रय का मूल्य	खो दिये गये लाभ की धनराशि
		(लाख रुपयों में)	
राज्य बिक्री कर	1976–77 1977–78	26.79	0.55
केन्द्रीय बिक्री कर	1975–76	7.05	0.42
	1976–77	1.46	0.09
			1.06

प्रबन्धकों ने बताया (नवम्बर 1978) कि आपूर्तिकर्ताओं को III–डी फार्म निर्गमित नहीं किये जा सके क्योंकि वे बिक्री कर कार्यालयों के पास उपलब्ध नहीं थे । यह भी बताया गया कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के आधीन बिक्री कर के लिये पंजीकरण सम्बन्धी प्रार्थना पत्र में कुछ मदें जैसे सीमेन्ट, विद्युत् सामान इत्यादि प्रारम्भ में सम्मिलित करने से छूट गये थे और इसी कारण आपूर्तिकर्ताओं को "सी" फार्म निर्गमित नहीं किये जा सके ।

(ग) **विद्युत् ऊर्जा व्यय**

कम्पनी ने झांसी की स्पिनिंग मिल में विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के साथ एक अनुबन्ध किया (फरवरी 1972) । मिल को एक सिंगिल प्वाइन्ट पर विद्युत् आपूर्ति 19 फरवरी 1977 से प्रारम्भ हुई । यद्यपि कारखाने के अतिरिक्त आवासीय भवनों के लिये भी विद्युत प्रयोग होती थी पर ऐसी विद्युत् को नापने के लिये जुलाई 1977 तक कोई अलग मीटर नहीं लगवाया गया जिस कारण मिल को परिषद् द्वारा उच्चतर टैरिफ पर बिल मिले जो फरवरी से जुलाई 1977 तक 0.75 लाख रुपये के अतिरिक्त भुगतान में परिणत हुआ ।

(घ) **विलम्ब शुल्क (डेमरेज) का भुगतान**

काटन कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के साथ सहायक कम्पनी नं0 I द्वारा मार्च 1977 में किये गये एक अनुबन्ध के विरुद्ध प्राप्त 448 मैट्रिक टन वजन की ओरलीन्स/टैक्सास कपास की 1,871 गांठों के एक परेषण पर विलम्ब शुल्क के रूप में दिसम्बर 1977 में बम्बई पोर्ट अधिकारियों को अपने क्लियरिंग एजेन्ट के माध्यम से सहायक कम्पनी नं0 I द्वारा 0.58 लाख रुपये का एक तदर्थ भुगतान करना पड़ा । यद्यपि विलम्ब शुल्क का भुगतान बम्बई पोर्ट ट्रस्ट में हड़ताल के कारण किया गया पर पोर्ट अधिकारियों से विलम्ब शुल्क माफ करवाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

प्रबन्धकों ने बताया (नवम्बर 1978) कि उन्होंने बम्बई पोर्ट अधिकारियों से उनके द्वारा लिये गये विलम्ब शुल्क को वापस किये जाने के लिये पहले ही कई बार निवेदन किया था लेकिन उन्होंने ऐसा करने में अपनी असमर्थता प्रदर्शित की । तथापि, इस वर्णन के समर्थन में कम्पनी द्वारा कोई कागजी साक्ष्य आडिट को उपलब्ध नहीं कराया गया ।

(ङ) **प्रक्रिया हानि**

मानक मिश्रण के आधार पर उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं0 I) द्वारा 12.70 से 14.65 तक के नियत मानकों के विरुद्ध स्पिनिंग प्रक्रिया में क्षय का प्रतिशत अप्रैल 1977 से अगस्त 1977 के मध्य 14.67 और 17.15 के बीच घटता बढ़ता रहा । मानक से ऊपर कपास का अतिरिक्त क्षय 1.40 लाख रुपये मूल्य का 0.10 लाख किलो ग्राम था । प्रयोग योग्य क्षय के विकय मूल्य समायोजन के पश्चात् इस कारण 1.30 लाख रुपये की शुद्ध हानि निकलती है ।

प्रबन्धकों ने बताया (सितम्बर 1977) कि नियत मानक तकनीकी कर्मचारियों के मार्ग दर्शन और मूल्यांकन के मतलब के थे, और चूंकि कपास वास्तविक परीक्षण परिणामों के आधार पर नहीं क्रय किया गया था, मानक प्राप्त करना सम्भव न था । यह भी बताया गया कि प्रयोग योग्य क्षय का प्रतिशत (जो आदर्श से 0.59 से 3.22 तक ऊपर था) ऊंचा होने के कारण थे :

(i) मशीने रनिंग–इन प्रक्रिया में रहीं,

(ii) मिल में कार्यरत कर्मचारी प्रशिक्षित नहीं रहे,

(iii) उपकरणों के चालू होने में और सिविल कार्यों में विलम्ब के कारण अपर्याप्त वायुमण्डल दशाएं, और

(iv) कुशल श्रम की कमी ।

प्रबन्धकों ने बताया (सितम्बर 1978) कि ये मानक केवल प्रधान कार्यालय में सर्वोच्च प्रबन्धकों के मार्ग दर्शन के मतलब के थे और वास्तव में मानक स्पिनिंग मिलों के मुख्य अधिशासियों पर और अच्छी पकड़ रखने के लिये तय किये जाते हैं ।

आगे बताया गया (दिसम्बर 1978) कि अप्रैल 1977 से अगस्त 1977 तक के दौरान अतिरिक्त कपास क्षय के आंकड़े आय-व्ययक विवरण पत्रों से संकलित किये गये हैं जो वैधानिक अभिलेख नहीं हैं ।

मामला सरकार को जुलाई 1978 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1978) ।

2.19. निष्कर्ष

(1) दोनों अवस्थाओं, जिनमें 16 स्पिनिंग मिलें स्थापित होनी थीं, के पूरा करने की कोई समय सूची निश्चित नहीं की गई ।

(2) धागे का उत्पादन रायबरेली की स्पिनिंग मिल में 1976–77 में और सभी आठों मिलों (मेरठ मिल को छोड़ कर) में 1977–78 में अपनी अपनी परियोजना प्रतिवेदनों में इंगित दरीय क्षमता से कम था । मिलों का तकुआ उपयोग और तकुआ क्षमता भी कम्पनी द्वारा लगाये गये अनुमान की अपेक्षा कम थी ।

(3) धागा प्राप्ति दृश्य क्षय और अदृश्य क्षय के लिये मानक तय नहीं किये गये थे ।

(4) मार्च 1978 तक लागत पद्धति चालू नहीं की गई ।

(5) कम्पनी की कपास परीक्षण प्रयोगशाला की अनुपस्थिति में कपास काउण्ट, मजबूती और उत्पाद के आधार के बजाय नमूना आधार पर दृश्य निरीक्षण द्वारा क्रय किया गया ।

(6) भण्डार में कमियां/अधिकताएं अन्वेषित और समायोजित नहीं की गई ।

अनुभाग III

उत्तर प्रदेश स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड

3.01. प्रस्तावना

राज्य में लघु उद्योगों की उन्नति, वृद्धि, विकास को तीव्र करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 13 जून 1958 को एक पूर्ण सरकारी स्वामित्व कम्पनी के रूप में हुई । मेमोरन्डम आफ एसोसियेशन में निहित कतिपय कार्यों में कम्पनी ने निम्न कार्यों तक अपना कार्यकलाप सीमिति रखा :

(i) कच्चे माल और कोक की अधिप्राप्ति एवं वितरण ;

(ii) वित्त, बीमा, जहाजी परिवहन और बन्दरगाह से प्रेषणों की निकासी को सम्मिलित करते हुये कच्चे माल के आयात में सहायता प्रदान करना;

(iii) किराया खरीद आधार पर उद्यमियों के लिये देशी मशीनों की अधिप्राप्ति और आपूर्ति;

(iv) निर्दिष्ट औद्योगिक प्रांगणों में इकाइयों की स्थापना में सहायता प्रदान करना;

(v) उद्यमियों के उत्पादन के विपणन में सहायता प्रदान करना;

(vi) उपभोक्ता सामग्री का लोगों को बेचना;

(vii) आधुनिक उत्पादन तकनीकी तरीका अपनाते हुये अपनी स्वयं की कुछ वाणिज्यिक योजनाओं का परिचालन; और

(viii) प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में संयुक्त उपक्रम के अन्तर्गत लघु स्तर क्षेत्र में व्यवसायिकता को बढ़ावा देना ;

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 1972–73 के प्रतिवेदन के अनुच्छेद 73 में कम्पनी के कार्यकलाप के कुछ पहलुओं के बारे में उल्लेख किया गया था ।

3.02. संगठनात्मक व्यवस्था

कम्पनी का प्रबन्ध एक अंशकालीन अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक और सात निदेशकों से युक्त एक निदेशक मंडल में निहित है ।

3.03. पूंजी ढांचा

कम्पनी की अधिकृत पूंजी एक करोड़ रुपये है । प्रदत्त पूंजी 31 मार्च 1978 को 65 लाख रुपये थी जिसका पूर्ण अभिदान राज्य सरकार द्वारा हुआ था । 1977–78 तक चार वर्षों में से प्रत्येक की समाप्ति पर साम्य पूंजी, संचित और अधिशेष, उधार और अनुदान/सहायता (जो कि वित्त के मुख्य स्रोत थे) की स्थिति निम्न थी :

	1974–75	1975–76	1976–77	1977–78
			(लाख रुपयों में)	
साम्य पूंजी	65.00	65.00	65.00	65.00
उधार	611.56	550.18	601.58	657.81
किंचित योजनाओं को क्रियान्वित करने के निमित्त राज्य सरकार से प्राप्ति	101.08	70.00	48.18	72.62
संचिति और अधिशेष	55.39	60.92	68.46	70.43

ऋण और पूंजी अनुपात जो कि 1974–75 में 5:1 था कम्पनी द्वारा अधिक ऋण लेने से 1977–78 में 7 :1 हो गया ।

3.04. उधार (बारोइंग्स)

राज्य सरकार से ऋण लेने के अतिरिक्त कम्पनी किराया खरीद, सामूहिक सहायता कार्यक्रम और अन्य कार्यकलापों तथा उसके अन्तर्गत दिये गये वचन, के क्रियान्वयन के लिय संस्थागत वित्त भी प्राप्त करती रही है ।

राज्य सरकार के ऋण पर (303.22 लाख रुपये 1975–76 में, 309.48 लाख रुपये 1976–77 में तथा 286.76 लाख रुपये 1977–78 में) मूलधन और ब्याज की किस्तों का समयानुसार भुगतान पर छूट, बशर्ते कि कोई बकाया न हो, के साथ ब्याज की दर साढ़े सात प्रतिशत से 15 प्रतिशत के बीच है; छूट की दर दो प्रतिशत से साढ़े तीन प्रतिशत तक अलग-अलग थी । एक वर्ष की छूट, अर्थात किस्त 1976–77 की, 3.87 लाख रुपये होती है, जिसका राज्य सरकार को ऋण की किस्त और ब्याज के विलम्बित भुगतान करने के कारण लाभ नहीं उठाया जा सका ।

ऋणों की शर्तों से युक्त और कम्पनी की समस्त सम्पत्ति पर चल भार (फ्लोटिंग चार्ज) सृजित करने के लिये एक अनुबन्ध, जो कि ऋण के आहरण के एक माह के भीतर बन जाना चाहिये था, नहीं बन सका है (मार्च 1979) । प्रबन्धकों ने बतलाया (दिसम्बर 1978) कि अनुबन्ध के बनाने में आवश्यक स्टैम्प शुल्क की छूट के लिये सरकार से अनुरोध किया गया है ।

उत्तर प्रदेश स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड से लिये गये ऋण (31 मार्च 1978 को 55.69 लाख रुपये) पर ब्याज की दर साढ़े बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष है ।

स्टाक, मशीनों इत्यादि के बंधक के विरुद्ध विभिन्न बैंकों से प्राप्त ऋण (31 मार्च 1978 को 180.38 लाख रुपये) पर ब्याज की दर 14 से 16 प्रतिशत प्रति वर्ष थी । इसके अतिरिक्त अप्रैल 1974 में उत्तर प्रदेश एडवोकेट्स वेलफेयर फन्ड ट्रस्ट से 30 लाख रुपये का डिपोजिट्स भी लिया गया था जिसके ब्याज की दर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी । ऋणों पर ब्याज का बोझ कम करने के लिये कम्पनी ने 10.25 प्रतिशत ब्याज की दर पर 105 लाख रुपये का अप्रतिभूत ऋण पत्र जारी किये (1976–77) और बैंक ऋण 147.79 लाख रुपये से घट कर 51.04 लाख रुपये हो गया । राज्य सरकार को 32.64 लाख रुपये मूलधन (18.59 लाख रुपये) और ब्याज के (14.05 लाख रुपये) 1976–77 के दौरान भुगतान किये गये ।

3.05. अनुदान और ऋण का उपयोग न होना

विशेष उद्देश्यों के लिये प्राप्त राज्य सरकार से 28.80 लाख रुपये का अनुदान और 33.46 लाख रुपये का ऋण, जिसका विवरण निम्न है, और जिनका प्राप्ति के एक साल के भीतर उपयोग कर लेना आवश्यक था, उपयोग नहीं हुआ (मार्च 1978) ।

योजना का नाम	स्वीकृति और प्राप्ति का वर्ष	प्राप्त राशि	उपयोग में लाई गई राशि	उपयोग में नहीं लाई गई शेष राशि (31मार्च 1978)	मार्च 1979 तक और उपयोग
					(लाख रुपयों में)
शिक्षित बेरोजगारों के लिये सामूहिक सहायता कार्यक्रम					
ऋण	1972–73 1974–75	46.66 7.66	36.83	17.49	..
अनुदान	1972–73 1974–75	23.34 10.19	20.11	13.42	..

योजना का नाम	स्वीकृति और प्राप्ति का वर्ष	प्राप्त राशि	उपयोग में लाई गई राशि	उपयोग में नहीं लाई गई शेष राशि (31 मार्च 1978)	मार्च 1979 तक और उपयोग
				(लाख रुपयों में)	
पिछड़े क्षेत्र में तकनीकी सलाह के लिये अनुदान	1972–73	2.00	0.22	1.78	..
तकनीकी सूचना सेवा के लिये अनुदान	1972–73 1973–74	1.50 1.50	2.89	0.11	..
बाजार सर्वेक्षण के लिये अनुदान	1973–74	0.70	0.18	0.52	वापस किया गया
परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये अनुदान	1973–74	6.00	..	6.00	2.52
रसायनिक व्यापार प्रांगणों के अधिष्ठान हेतु अनुदान	1973–74	5.00	0.88	4.12	वापस किया गया
पूंजी भागीदारी के लिये ऋण	1973–74	18.20	14.83	3.37	3.37
कार्यवाहक पूंजी के लिये ऋण	1971–72 1972–73	6.30 10.00	10.00	6.30	वापसकिया गया
किराया खरीद योजना के लिये आरंभिक राशि अग्रिम (मार्जिन मनी एडवान्स)	1973–74 1974–75	5.00 1.30	..	6.30	1.04 वापस किया गया
किराया खरीद योजना के लिये आरंभिक राशि अनुदान (मार्जिन मनी ग्रान्ट)	1973–74 1974–75	5.00 1.30	6.02	0.28	..
किराया खरीद योजना हेतु ब्याज में सहायता (सब्सिडी)	1974–75 1975–76 1976–77	1.00 0.10 4.00	3.24	1.86	1.86
व्यापार केन्द्रों के अधिष्ठान के लिये अनुदान	1976–77	1.20	0.49	0.71	0.71

3.06. **वित्तीय स्थिति**

कम्पनी की 1977–78 तक चार वर्षों की वित्तीय स्थिति मोटे शीर्षकों में निम्न थी :

	1974–75	1975–76	1976–77	1977–78
			(लाख रुपयों में)	
दायित्व––				
प्रदत्त पूंजी	65.00	65.00	65.00	65.00
संचित और अधिशेष	55.39	60.92	68.46	70.43
बारोइंग्स (नकद साख को सम्मिलित करते हुए)	611.56	550.18	601.58	657.81
व्यापारिक देनदारियां और दूसरे चालू दायित्व (प्राविधानों को सम्मिलित करते हुए)	373.23	301.34	264.07	297.61
योग	1,105.18	977.44	999.11	1,090.85
परिसम्पत्तियां––				
सकल अचल सम्पत्तियां (ग्रास ब्लाक)	28.30	28.89	34.75	33.64
घटाइये : ह्रास	8.87	10.24	10.87	11.46
शुद्ध अचल परिसम्पत्तियां	19.43	18.65	23.88	22.18
पूंजीगत कार्य प्रगति में	1.60	1.60	0.10	..
विनियोग	10.82	14.14	14.83	14.83
चालू सम्पत्तियां ऋण और अग्रिम	1,073.33	943.05	958.51	1,052.23
अदृश्य सम्पत्तियां (ऋण-पत्र निर्गमन पर व्यय)	..	..	1.79	1.61
योग	1,105.18	977.44	999.11	1,090.85
नियोजित पूंजी	719.53	660.36	718.32	776.80
शुद्ध मूल्य	120.39	125.92	131.67	133.82

टिप्पणी : (i) नियोजित पूंजी शुद्ध अचल परिसम्पत्तियों (पूंजीगत निर्माणाधीन कार्य को छोड़ कर) व कार्यशील पूंजी के योग को दर्शाती है ।

(ii) शुद्ध मूल्य प्रदत्त पूंजी व संचित व अधिशेष के योग से अदृश्य परिसम्पत्तियों को घटा कर निकाला गया है ।

3.07. कार्य परिणाम

1977–78 तक चार वर्षों के दौरान कम्पनी ने क्रमश: 10.16 लाख रुपये, 9.59 लाख रुपये, 6.28 लाख रुपये और 2.38 लाख रुपये का शुद्ध लाभ (टैक्स प्राविधान के बाद) अर्जित किया। प्रबन्धकों द्वारा कम्पनी के लाभ में निराबट का कारण तैयार माल के न बिके हुए स्टाक का एकत्र होना और लाभ की सीमा में कमी होना बताया गया।

3.08. कच्चे माल की अधिप्राप्ति और वितरण

कम्पनी ने लघु स्तर उद्योगों को आपूर्ति हेतु विभिन्न आयातित और देशी दुर्लभ कच्चे माल की अधिप्राप्ति का कार्य लिया और लघु स्तर उद्योगों को उनका समूह बनाकर देशी और विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं पर इन्डेन्ट देने के लिए लघु उद्योगों को निर्गमित आयात लाइसेन्सों/अवमुक्त आदेशों (रिलीज आर्डर) का परिचालन किया। अधिप्राप्त किए गये मुख्य कच्चे माल, लोहा और इस्पात, अलौह धातु (तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम इत्यादि), रसायन, ऊनी धागे, रंग, इत्यादि थे। ये कम्पनी के विभिन्न डिपो के माध्यम से लघुस्तर औद्योगिक इकाइयों को, कच्चे माल की लागत पर सेवा व्यय (सर्विस चार्जेज) जोड़ कर निर्गमित किये जाते हैं। मार्च 1974 में सरकार ने भी राज्य की तरफ से कम्पनी को पाठ्य पुस्तकों के छपाई कागज की अधिप्राप्ति और वितरण का कार्य सौंपा। कम्पनी ने थोकमात्रा में कड़े कोक/वाष्प कोयले की अधिप्राप्ति और इसे राज्य में लघुस्तरीय उद्योगों, मुख्यत: शीशे और चीनी-मिट्टी उद्योगों, को आपूर्ति करने की भी एक योजना ली (जनवरी 1975)।

कम्पनी ने सामानों के थोक इन्डेन्ट करने और उद्योग निदेशक द्वारा तैयार की गई एक मूल सूची (मास्टरलिस्ट) के आधार पर वितरण करने की एक योजना अपनाई। इन सूचियों की मदद से गन्तव्यानुसार इन्डेन्टों का नियोजन करना और जहां आवश्यक हो स्टाक यार्ड आमद के द्वारा शेषपूर्ति (सप्लिमेंट) करना संभव था। इस योजना के अन्तर्गत पार्टियों को अधिप्राप्ति के पूर्व कम्पनी को सामग्री का 5 प्रतिशत अग्रिम के रूप में जमा करना आवश्यक था, और शेष, सेवा खर्चों (सर्विस चार्जेज) के साथ सामान उठाने के समय देय था। यदि कम्पनी द्वारा माल प्राप्ति के 90 दिन के भीतर पार्टियों द्वारा सामान नहीं उठाया जाता तो पार्टियों द्वारा जमा किया गया अग्रिम जब्त हो जाता और राज्य सरकार की आज्ञा लेकर कम्पनी उनकी नीलाम या निविदा/कोटेशन प्राप्त कर बेचने के लिये स्वतंत्र थी। अनुबन्ध में कोई धारा न होने से विक्रय पर होने वाली हानियां, जिनका वर्णन आगे के अनुच्छेदों में किया गया है, पार्टियों से वसूल नहीं हो सकीं और उनका वहन कम्पनी को करना पड़ा।

1977–78 तक चार वर्षों तक कच्चे माल के क्रय और

सामग्री का नाम	1974–75		1975–76	
	क्रय	विक्रय	क्रय	विक्रय
(i) लोहा एवं इस्पात				
मात्रा (मैट्रिक टन में)	29,384	26,997	7,216	8,951
मूल्य (लाख रुपयों में)	562.69	612.76	150.26	192.29
(ii) अलौह धातु और रसायन				
मात्रा (मैट्रिक टन में)	2,896	2,691	372	576
मूल्य (लाख रुपयों में)	147.87	127.55	58.32	94.29
(iii) ऊनी धागे				
मात्रा (मैट्रिक टन में)	107	73	220	271
मूल्य (लाख रुपयों में)	120.61	88.41	59.66	76.82
(iv) कोक / कोयला				
मात्रा (मैट्रिक टन में)	23,141	23,149	51,621	50,233
मूल्य (लाख रुपयों में)	47.70	51.85	119.23	122.34
(v) पाठ्य पुस्तक कागज				
मात्रा (मैट्रिक टन में)	3,890	2,450	---	1,430
मूल्य (लाख रुपयों में)	120.42	85.57	---	52.22

विक्रय की तुलनात्मक स्थिति निम्न थी:

1976–77		1977–78	
क्रय	विक्रय	क्रय	विक्रय
10,871	12,958	20,833	17,998
179.00	235.76	366.87	354.15
2,064	2,111	2,000	2,219
117.00	130.62	131.77	123.37
292	324	304	304
91.00	101.76	106.36	108.44
47,940	47,268	74,559	74,449
112.78	116.74	119.40	128.58
—	7	—	3
—	0.20	—	0.12

कम्पनी ने प्रत्येक क्रियाओं/सामग्री के लिये लाभ/हानि नहीं निकाली है ।

(क) **लौह एवं इस्पात के विक्रय पर हानि**

लघु स्तर उद्योगों के लिये प्राप्त किये, पर उनके द्वारा न उठाये गये, नैनी (इलाहाबाद), आगरा, लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर डिपों में पड़े लोहे और इस्पात के विक्रय हेतु राज्य सरकार से आदेश (अप्रैल 1978) लेने के बाद मई 1978 में निविदा आमंत्रित की गई । चूंकि भारत सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क में वृद्धि किये जाने के कारण बाजार दर बढ़ रहा था इसलिये डिपो प्रबन्धकों को टेन्डर जोकि पहले ही प्राप्त किये और खोले जा चुके थे (जून 1978) पर अन्तिम निर्णय के पूर्व स्टाक न बेचने के निर्देश दिये गए (जून 1978) । परन्तु इन आदेशों के विरुद्ध और निविदा पर अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा किये बिना ही डिपो प्रबन्धकों ने डिपो की विक्रय दरों पर, जोकि बाजार/निविदा दरों से काफी कम थीं, विभिन्न लोह और इस्पात सामग्री (366.101 मैट्रिक टन) बेच दी (जून 1978) । इस प्रकार सामग्री का कम दर पर बेचने के परिणामस्वरूप जबकि बाजार और निविदा की ऊंची दर कम्पनी को ज्ञात थी, कम्पनी के लाभ में 1.14 लाख रुपयें की कमी हुई ।

(ख) **अलौह धातुओं और रसायन पर हानियां इत्यादि**

(i) मिनरल्स एण्ड मेटल्स ट्रेनिंग कारपोरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड (एम एम टी सी, केन्द्रीय सरकार का एक प्रतिष्ठान) ने उत्तर प्रदेश की 53 पार्टियों को 94 मैट्रिक टन जस्ता की खरीद के लिये 1973-74 और 1974-75 में विक्रय नोट *जारी किये । इन पार्टियों ने अपने विक्रय नोट कम्पनी को समर्पित कर दिये जिसने उनसे जमानत जमा (0.33 लाख रुपये) प्राप्त उनकी तरफ से सामान अधिप्राप्त किया (मूल्य: 15.68 लाख रुपये) । कम्पनी ने इस सामान को अपने कच्चे माल डिपो, मुरादाबाद में रखा जिसको बाद में 1975-76 में बरेली डिपो में स्थानान्तरित कर दिया । पार्टियों ने य सामान नहीं उठाये और उसको 14.08 लाख रुपये पर नीलाम करना पड़ा (जुलाई 1976) । इस सौदे में कम्पनी को जमानत जमा (0.33 लाख रुपये) और बसूलने योग्य सेवा व्यय (0.21 लाख रुपये) का समायोजन करने पर 1.28 लाख रुपये का घाटा हुआ ।

(ii) कम्पनी ने 1972-73 से 1974-75 के दौरान लघुस्तर उद्योगों को उनकी आवश्यकता के आधार पर और उद्योग निदेशक की संस्तुति से आपूर्ति करने के निमित्त राज्य कोटा के विरुद्ध हिन्दुस्तान जिन्क लिमिटेड (एच जेड एल, केन्द्रीय सरकार का एक प्रतिष्ठान) से जस्ते की छड़ और जस्ते की पट्टियां आदि प्राप्त कीं । कम्पनी के पास सामान का स्टाक 1974-75 के अंत में 15.89 लाख रुपये मूल्य का 112.74 मैट्रिक टन था । चूंकि कीमतों में गिरावट प्रदर्शित हो रही थी और पार्टियों ने 1974-75 के दौरान कोई भी सामान नहीं उठाया, इसलिये कम्पनी के निदेशक मण्डल ने निविदा आमंत्रण के द्वारा सम्पूर्ण स्टाक के निस्तारण करने का निश्चय किया (जून 1975) । तदनुसार, कम्पनी ने सम्पूर्ण स्टाक 13.77 लाख रुपये मूल्य पर निस्तारित कर दिया (अगस्त 1975) जिसके फलस्वरूप 2.12 लाख रुपय की हानि हुई ।

(iii) कम्पनी ने लघुस्तर उद्योगों की आवश्यकता तथा उद्योग निदशक की संस्तुति के आधार पर, इन इकाइयों को 166.50 रुपया प्रति किलोग्राम की दर पर विक्रय हेतु एच जेड एल से 1.22 मैट्रिक टन (मूल्य 1.38 लाख रुपये) कैडमियम धातु, (टीन के समान एक धातु) का क्रय 1974-75 के दौरान किया । बाजार कीमत में गिरावट आ जाने से मात्र 0.15 मैट्रिक टन ही 128.00 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिक सका और शेष (1.07 मैट्रिक टन मूल्य 1.21 लाख रुपये) उठाने से रह गया (दिसम्बर 1978) । इन सामानों के निस्तारण के लिये निविदायें आमंत्रित की गईं (मई 1978) परन्तु कम्पनी की अपनी धारित दर से कम दर आने के कारण प्राप्त निविदायें स्वीकृत नहीं की गई थीं । प्रबन्धकों ने बतलाया (अगस्त 1978) कि कम्पनी की दर बाजार दर से लगभग दूनी थी और इसलिये कोई भी इकाई इन सामानों को उठाने में इच्छुक नहीं थी ।

---

*विक्रय नोट एस टी सी और एम एम टी सी जैसी विक्रय अभिकरणों के माध्यम से सरणीबद्ध (कैनालाइज्ड) मदों के आयात के लिय भारत सरकार द्वारा निर्गत किये गये विनिर्मुक्त आदेश होते हैं।

(iv) कम्पनी ने 113 पार्टियों द्वारा समर्पित विक्रय 'नोट' के विरुद्ध 1973–74 और 1974–75 वर्षों के दौरान 206 मैट्रिक टन जस्ता पिण्ड का आयात एम एम टी सी के माध्यम से 30.78 लाख रुपये की लागत पर किया । यह सामान पार्टियों द्वारा नहीं उठाया गया । यह तय किया गया (सितम्बर 1975) कि इन सामानों के निस्तारण के लिये निविदायें आमंत्रित की जायें । इन सामानों को नवम्बर/दिसम्बर 1975 में 23.61 लाख रुपये मूल्य पर निस्तारण कर दिया, परिणामस्वरूप भण्डारण व्यय और फंसे धन पर ब्याज को छोड़ कर 7.17 लाख रुपये (जमानत की राशि का समायोजन किये बिना) का घाटा हुआ ।

(v) कम्पनी ने स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एस टी सी) के माध्यम से रायबरेली की एक फर्म की तरफ से 4.2 मैट्रिक टन रंग का कच्चा माल (फथालिक एनहाइड्राइड) के आयात की व्यवस्था की (जुलाई 1974) । कम्पनी की लखनऊ में कच्चे माल की डिपो में नवम्बर 1974 में प्राप्त 0.68 लाख रुपये मूल्य (सर्विस चार्चेज को सम्मिलित करते हुये) का यह सामान पार्टी द्वारा नहीं उठाया गया था । प्रबन्धकों ने निविदा आमंत्रण के द्वारा इसके निस्तारण करने का निश्चय किया (जून 1977)। इस रखे गये सामान की कुल लागत (0.94 लाख रुपये), भण्डार गृह किराया और जून 1976 तक ब्याज को सम्मिलित करते हुये 22.22 रुपया प्रति किलोग्राम होती थी । कम्पनी द्वारा दो फर्मों से प्राप्त (जून 1977) निविदा (8 रुपया प्रति किलोग्राम उद्धृत करते हुये) से यह इंगित हुआ कि वे इस सामान को 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से पहले से ही खरीद रहे थे और वे इसे इससे ऊंचे मूल्य पर प्राप्त करने के इच्छुक नहीं थे । यह सामान नवम्बर 1974 से बिना बिका पड़ा था (दिसम्बर 1978), जमानत जमा हेतु अग्रिम राशि (2, 970 रुपये) भी असमायोजित रह रही है ।

(ग) पाठ्य पुस्तकों की छपाई कागज के विक्रय में हानि

राज्य सरकार ने निर्दिष्ट मिलों से छपाई कागज की अधिप्राप्ति और इसका स्कूल तथा कालेज हेतु शिक्षा विभाग द्वारा नामित, पाठ्य पुस्तक के प्रकाशकों को वितरण करने की एक योजना कम्पनी को सौंपी (मार्च 1974) । इस योजना के परिचालन के लिये कम्पनी ने मार्च 1975 तक 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष और तदोपरान्त 12 प्रतिशत की दर से उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (यू पी एस आई डी सी) से एक करोड़ रुपये का ऋण लिया (जुलाई 1974) । राज्य सरकार ने जुलाई 1974 में 3,000 मैट्रिक टन छपाई कागज आवंटित किया, जिसका विक्रय मूल्य प्रबन्धकों द्वारा, इस कल्पना से कि सम्पूर्ण स्टाक छः महीने में बिक जायेगा, 3,410 रुपये प्रति मैट्रिक टन निकाला गया । राज्य सरकार ने अगस्त 1974 में 2,500 मैट्रिक टन छपाई कागज और आवंटित किया । किन्तु कम्पनी ने केवल 3,890 मैट्रिक टन छपाई कागज (मूल्य: 120.42 लाख रुपये) ही अगस्त 1974 में अधिप्राप्त किया जो 138.11 लाख रुपये में बेचा गया, जिसका ब्योरा निम्न है:

विक्रय वर्ष	मात्रा (मैट्रिक टन में)	मूल्य (लाख रुपयों में)
1974–75	2,450	85.57
1975–76	1,430	52.22
1976–77	7	0.20
1977–78	3	0.12

कम्पनी ने यू पी एस आई डी सी को दिसम्बर 1974 में 16 लाख रुपये, जून 1975 में 10 लाख रुपये, जुलाई 1975 में 20 लाख रुपये और सितम्बर 1977 में 54 लाख रुपये की अदायगी की । अगस्त 1977 तक अर्जित और भुगतान न किये गये ब्याज का योग 17.38 लाख रुपये होता था (मार्च 1979) ।

3,550 रुपये प्रति मैट्रिक टन के औसत बिक्री मूल्य के विरुद्ध ब्याज और आकस्मिक खर्चों के साथ पाठ्य पुस्तक छपाई कागज की विक्रय लागत प्रबन्धकों द्वारा 3,755 रुपये प्रति मैट्रिक टन निकाली गई । इस प्रकार कम्पनी को इस योजना पर 7.96 लाख रुपये की हानि हुई ।

3.09. कच्चे माल का आयात

कम्पनी द्वारा अप्रैल 1970 में तैयार की गई एक योजना के अन्तर्गत, आयात लाइसेंस धारकों को उनके लिये सामान आयात करने के लिये कम मूल्य के बहुत से लाइसेंसों को समूह बनाकर और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को थोक आदेश देकर सहायता की जाती है। लाइसेन्स को कम्पनी को समर्पित करने के अतिरिक्त लाइसेन्स धारक को लाइसेन्स के विरुद्ध आयात होने वाले सामान के लागत, बीमा भाड़ा मूल्य का 10 प्रतिशत के बराबर जमा करना होता था। सामानों के आयात में वित्तीय और उनका किस्तों में निर्गमन की भी सहायता प्रदान की जाती है। लाइसेन्स धारक को उन्हें सुपुर्दगी आदेश देने के तीन माह के भीतर सामान उठा लेना आवश्यक होता है अन्यथा जमानत जमा की राशि जब्त कर ली जाती है। कम्पनी उप मुख्य आयात एवं निर्यात नियंत्रक की अनुमति से न उठाये गये सामान का निस्तारण कर अपने देय वसूल करने के लिये अधिकृत है।

कम्पनी द्वारा कैनलाइजिंग एजेन्सियों के माध्यम से 1973–74 से 1977–78 तक निस्तारित विक्रय नोट/आयात लाइसेन्सों की स्थिति निम्न थी :

	निरस्तारित (प्रासेस्ड) विक्रय नोट की संख्या	निस्तारित (प्रासेस्ड) आयात लाइसेन्स की संख्या	मूल्य (लाख रुपयों में)
1973–74	199	40	51.00
1974–75	170	18	56.03
1975–76	16	10	16.00
1976–77	23	7	106.00
1977–78	8	15	102.00

1975–76 के दौरान व्यापार में गिरावट का कारण कैनालाइजिंग ऐजेन्सियों द्वारा प्रस्तावित सामग्रियों के मूल्य में वृद्धि बताया गया (अक्तूबर 1976) जो कि उन उत्पादनों के बाजार मूल्य के पक्ष में मेल नहीं खाते थे।

अभिलेखों की परख जांच (जुलाई 1977) ने दर्शाया कि 1971–72 से 1975–76 के दौरान आयात किए गये तथा 28 पार्टियों द्वारा न उठाये गये अलौह धातु और रसायन (मूल्य: 63.94 लाख रुपये) निस्तारण की प्रतीक्षा में थे। प्रबन्धकों ने सूचित किया (दिसम्बर 1978) कि 46.94 लाख रुपये मूल्य का सामान या तो निस्तारित कर दिया गया है या पार्टियों द्वारा अब उठा लिया गया है। यह भी बताया गया है कि कुछ मामलों में वसूली प्रमाण पत्र बकायों को भू-राजस्व के बकायों की तरह वसूल करने के लिये जिलाधीशों को जारी कर दिये गये हैं या मामले अदालत में चल रहे हैं।

आयातित सामानों पर हानियां इत्यादि

(i) पश्चिमी जर्मनी की एक फर्म से बियरिंग और अतिरिक्त पुर्जों के आयात के लिये, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने कम्पनी को अपना नवम्बर 1972 का आयात लाइसेन्स प्राधिकार पत्र के साथ दिया (नवम्बर 1973)। परेषण के जहाज पर लदान (जून 1974) के पश्चात् 30 अगस्त 1974 को कम्पनी द्वारा बैंक से कागजात छुड़ाये गये और बम्बई स्थित निकासी एजेन्ट को 6 सितम्बर 1974 को भेज दिये गये। सामान बम्बई में सितम्बर 1974 में उतारा गया और निकासी एजेन्ट द्वारा कष्टम से माल की निकासी ले ली गई परन्तु कानपुर के लिये रेल पर प्रेषण 4 दिसम्बर 1974, अर्थात् माल छुड़ाने के तीन माह बाद किया गया। रेल से परेषण की सुपुर्दगी कम्पनी के परियोजना प्रबन्धक के जाली प्राधिकार पत्र के आधार पर किसी एक व्यक्ति द्वारा 24 दिसम्बर 1974 को ले ली गयी। कम्पनी को माल के बम्बई उतरने और उसका कानपुर को प्रेषण का पता नहीं था। कानपुर में निकासी एजेन्ट से पूछ-ताछ करन पर कम्पनी को माल प्राप्ति की जानकारी मार्च 1975 में हुई और कथित जालसाजी की

जानकारी रेलवे से पूछ-ताछ करने पर जून 1975 में हुई। कम्पनी ने निकासी एजेन्ट से बीमा कम्पनी से दावा दायर करने को कहा (जुलाई 1975), दावा मार्च 1976 में दायर हुआ था । बीमा कम्पनी ने इस आधार पर कि (क) जहाज से सामान उतरने के 60 दिन के बाद पालिसी की मियाद खत्म हो गयी थी जिस दौरान माल को गन्तव्य स्थान पर पहुंच जाना चाहिये था (ख) बीमा पालिसी की वैधता अवधि में वृद्धि के लिये समय के अन्दर बीमा कम्पनी से अनुरोध नहीं किया गया,दावा अस्वीकृत कर दिया । निकासी एजेन्ट और रेलवे को परेषण, परिवहन तथा बीमा व्यय के कुल 2.88 लाख रुपये की वसूली के लिये वैधानिक नोटिस भेजी गई थी (21 अक्तूबर 1975) । जब कि निकासी एजेन्ट ने इस बात को स्वीकार किया था (दिसम्बर 1975) कि माल के प्रेषण में उनसे देरी हुई। रेलवे ने यह तर्क दिया (दिसम्बर 1975) कि उन्होंने माल की सुपुर्दगी (जाली प्राधिकार पत्र के विरुद्ध) सद्भाव में दी थी। न तो निकासी एजेन्ट से कोई प्रतिपूर्ति करने को कहा गया और न रेलवे के तर्क की वैधानिक स्थिति की जांच की गई । किन्तु मामला अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच पड़ताल में है (मार्च 1979) ।

(ii) 1974–75 के दौरान कम्पनी ने भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड के माध्यम से, भाड़ा व बीमा इत्यादि को सम्मिलित करते हुए 0.65 लाख रुपये की लागत से 4,435 किलोग्राम पालीथीन मोल्डिंग अल्काथीन पाउडर का आयात किया । 1974–75 में कोई भी उपभोग नहीं हुआ और 1975–76 में कम्पनी द्वारा अपने स्पोर्ट्स गुड्स फैक्टरी, देहरादून में मात्र 297 किलोग्राम की खपत की गई । 0.60 लाख रुपये मूल्य की शेष मात्रा (4,138 किलो ग्राम) अनुपयोगित पड़ी थी (मार्च 1979) । प्रबन्धकों ने बतलाया (जून 1977) कि भारत में बने प्लास्टिक के दाने आयातित से सस्ते थे और उद्योग इस प्रकार के देशी कच्चे माल को वरीयता देते हैं ।

3.10. किराया खरीद योजना

(i) 1973–74 की समाप्ति तक कम्पनी ने इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार से 320.50 लाख रुपये का ऋण प्राप्त किया और 31 मार्च 1974 तक 310.34 लाख रुपये की सीमा तक उपभोग किया । सरकार ने 1973–74 के बाद इस योजना के लिये वित्तीय सुविधा बन्द कर दी जब कि कम्पनी के पास दूरदर्शी (प्रासपेक्टिव) उद्यमियों को 91.52 लाख रुपये की वचन बद्धता पूर्ण होने से बाकी थी । इन वचन बद्धताओं को पूरा करने के लिये कम्पनी ने बैंकों से साढ़े चौदह/पन्द्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज पर ऋण लेकर उद्यमियों को 1974–75 से 1977–78 तक 76 लाख रुपये मूल्य की मशीनों की आपूर्ति की । किन्तु सरकार ने केवल 56 लाख रुपयों (मार्च 1975 में 10 लाख रुपये, अक्तूबर 1975 में 22.72 लाख रुपये और फरवरी/मार्च 1977 में 23.28 लाख रुपये) की प्रतिपूर्ति की ।

(ii) सरकार द्वारा स्वीकृत ऋणों पर, यदि कोई बकाया न हो, तो समय से किस्तों की अदायगी पर दो से साढ़े तीन प्रतिशत तक छूट अर्जित होती है । राज्य सरकार से 1977–78 तक प्राप्त 376.50 लाख रुपए के ऋण में से कम्पनी ने मूलधन के 105.28 लाख रुपए और ब्याज के 147.11 लाख रुपए की अदायगी की। किस्तों के विलम्बित भुगतान पर न मिलने वाली छूट नहीं आंकी गयी । प्रबंधकों ने बतलाया (अगस्त 1978) कि मूलधन और ब्याज की किस्तों में पुनर्सूचीकरण के लिये सरकार से अनुरोध किया गया था (जुलाई 1976), निर्णय की प्रतीक्षा थी (मार्च 1979)।

(iii) किराया खरीद योजना को सरकार द्वारा वित्तीय सुविधा बन्द किये जाने के बाद कम्पनी ने पुरानी किराया खरीद योजना की उन्हीं शर्तों पर दूरदर्शी उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के निमित्त स्टेट बैंक आफ इंडिया, एक दूसरे बैंक और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (यू पी एफ सी) के सहयोग से इस योजना को जारी रखने का निश्चय किया (मार्च 1974)। उद्यमियों को वित्तीय संस्थाओं से सीधे अनुबंध करना और उनको ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं को ऋण और ब्याज की सीधे अदायगी करना आवश्यक था। इस पर सरकार ने भी इस योजना को 1974–75 और उसके बाद वित्त प्रदान करने के लिये कम्पनी द्वारा बैंकों से उच्च दरों पर प्राप्त ऋण पर 3 प्रतिशत के बराबर ब्याज आर्थिक सहायता स्वीकृत करने की सहमति दी (मार्च 1974)।

कम्पनी के निदेशक मंडल ने यह अवलोकन किया (अगस्त 1977) कि किराया खरीद योजना संतोषजनक नहीं चल रही थी और इस योजना के कार्यकलाप की समीक्षा करने के लिए एक समिति नियुक्त की (अगस्त 1977)। समिति ने अल्प उत्तर (पुअर रिस्पान्स), निरन्तर घाटे, ऊंचे ब्याज की दरों और प्रक्रियात्मक कठिनाइयों के कारण इस योजना को बन्द करने की संस्तुति दी (मार्च 1978)। समिति का प्रतिवेदन 7 अप्रल 1978 को निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। किन्तु कम्पनी द्वारा समिति की संस्तुति से इस आधार पर असहमति प्रकट की गई कि निरन्तर हानियाँ इस योजना के कारण नहीं थी बल्कि (i) पुरानी योजना के अन्तर्गत सरकार को देय और किराया खरीददारों से प्राप्त ब्याजों में अन्तर, (ii) 1975–76 और 1976-77 में अल्प मात्रा में ऋणों का वितरण, (iii) पुरानी योजना के अन्तर्गत लगभग 1,300 मामलों में अधिष्ठान पर लागत वही रहना और (iv) सरकारी निदेश के अनुसार ऋणों को पुनर्सूचीकरण (रिशिड्यूलिंग) जिससे इन मामलों में दन्ड ब्याज की माफी हो गई, के कारण थीं।

(iv) स्थलों का निरीक्षण

कम्पनी द्वारा मार्च 1976 और अक्टूबर 1976 के दौरान उद्यमियों के स्थलों का निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि 12 पार्टियां, जिनको किराया खरीद पर मशीनें (मूल्य : 2.64 लाख रुपए) दी गई थीं और जिनसे देय किस्तें प्राप्त नहीं हो रही थीं, अस्तित्व में नहीं थीं और नौ पार्टियों ने कम्पनी की अनुमति लिये बिना या तो अपनी मशीनें (मूल्य : 1.26 लाख रुपए) बेच दी थीं या अन्य दूसरी कुछ पार्टियों को किराये पर दे दी थीं। कम्पनी द्वारा उनकी जमानतें (0.39 लाख रुपए) जब्त कर ली गईं (दिसम्बर 1976)। प्रबंधकों ने बतलाया (दिसम्बर 1978) कि इन पार्टियों के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करा दिए गये हैं।

(v) पुनः अधिकार में ली गई मशीनें

एक पार्टी द्वारा मूलधन और ब्याज (क्रमशः 0.18 लाख रुपए और 0.02 लाख रुपए) की किस्त की अदायगी न किये जाने के कारण 0.20 लाख रुपए मूल्य की एक मशीन को 1971–72 में पुनः अधिकार में ले लिया गया और दूसरी पार्टी को 0.08 लाख रुपए में बेच दिया गया (अर्थात 0.12 लाख रुपए की हानि पर)। 1975–76 के दौरान 2.83 लाख रुपए मूल्य की मशीनें चार दोषी किराया खरीददारों से पुनः अधिकार में ली गईं (मूलधन : 2.17 लाख रुपए और ब्याज 0.66 लाख रुपए) और उनको 2.02 लाख रुपए के घाटे पर बेच दिया गया (अगस्त 1976)। मशीनों के पुनर्विक्रय पर हुई हानियों के कारणों की जांच नहीं की गई है (दिसम्बर 1978)।

3.11. समूह सहायता योजना (पैकेज असिस्टेन्स स्कीम)

शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये, कम्पनी ने एक 'समूह सहायता योजना' तैयार की (1972–73)। इस योजना में कार्यात्मक आद्योगिक बस्ती (फन्क्शनल इंडस्ट्रियल इस्टेट) की स्थापना का प्राविधान था जिसके द्वारा कम्पनी उद्यमियों को, प्रारम्भिक विपणन पर्यवेक्षण, उत्पादन की पहचान करने, भूमि की अधिप्राप्ति और विकास, इमारतों, फैक्टरी शेडों और सड़कों के निर्माण, परियोजनाओं की रूपरेखा और विस्तृत परियोजनायें तैयार करने, मशीनों और संयंत्रों की खरीद, कार्यशील पूंजी उपलब्ध करने और ट्रेनिंग के साथ तकनीकी सलाह, और उद्यमियों द्वारा उत्पादित माल के विपणन में मदद करने में सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के अन्तर्गत उक्त सुविधाओं का अधिकार प्राप्त करने के लिये उद्यमियों को परियोजना की कुल लागत का पांच प्रतिशत कम्पनी में जमा करना आवश्यक है। कम्पनी, उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये परियोजना की लागत का 90 प्रतिशत वित्तीय संस्थाओं, अर्थात यू पी एफ सी और बैंकों से संयोजक ऋण (ब्रिजिंग लोन) के रूप में और परियोजना की लागत का पांच प्रतिशत सरकार से ऋण लेती है।

इस योजना के अन्तर्गत प्रबंधकों द्वारा क्रमशः रायबरेली और लखनऊ में स्थापित करने के लिये 15 और 30 उद्यमियों के लिये दो संकुल (काम्प्लेक्स) नामतः भवन सामग्री संकुल और स्कूटर एन्सीलरी स्टेट प्रस्तावित किये गये थे (अक्टूबर 1972)। प्रत्येक संकुल के लिये सरकार ने 35 लाख रुपये के ऋण प्रदान किये थे जो कि कम्पनी को क्रमशः जनवरी और मार्च 1973 में वितरित हुये थे। इन ऋणों का एक तिहाई (23.34 लाख रुपए) कम्पनी को अनुदान माना गया था (मार्च

1973)। इन संकुलों को क्रमशः जनवरी और अप्रैल 19 4 म पूर्ण होना नियत था परन्तु ये मार्च 1976 में पूर्ण हुई। देरी का कारण प्रबंन्धकों द्वारा विद्युत् की कमी बताया गया (नवम्बर 1978)। रायबरेली स्थित भवन सामग्री संकुल पर कुल किया गया व्यय 25.43 लाख रुपए होता था। लखनऊ में स्कूटर एन्सोलरी स्टेट के शैडों के निर्माण के लिये स्कूटर इंडिया लिमिटेड को उसके अनुरोध पर 50.80 लाख रुपए अग्रिम प्रदान हुआ था (मई 1973) जिसमें से उनके द्वारा मार्च 1977 तक 33.31 लाख रुपये का व्यय किया गया। ऋण/अनुदान की शर्तों के अनुसार शेष 17.49 लाख रुपए राज्य सरकार को वापस करने थे। बाद में, स्कूटर इंडिया लिमिटेड ने बिना कम्पनी की सहमति के कुछ अतिरिक्त शेडें निर्मित कर दीं और 12.07 लाख रुपए के व्यय को शेष वापस होने वाली राशि में से समायोजन करने का अनुरोध किया। कम्पनी ने इस प्रकार के समायोजन की सहमति नहीं दी (जुलाई 1978) और ब्याज के साथ शेष राशि वापस करने का अनुरोध किया। सितम्बर 1978 तक ब्याज को सम्मिलित करते हुए वसूली हेतु शेष देय राशि 23.24 लाख रुपए होती थी (दिसम्बर 1978)।

3.12. विपणन सहायता योजना

कम्पनी ने लघुस्तर इकाइयों को उनके उत्पादन की बिक्री में सहायता प्रदान करने के लिये एक 'विपणन सहायता योजना' प्रायोजित की (1971–72)। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार कम्पनी से पंजीकृत लघुस्तर औद्योगिक इकाइयों को उनके उत्पादन पर 15 प्रतिशत मूल्य वरीयता का अधिकार था। विभिन्न सरकारी विभागों और प्रतिष्ठानों द्वारा आमंत्रित निविदायें/पूछतांछ कम्पनी द्वारा उन इकाइयों को भेज दी जाती थी और उन इकाइयों द्वारा प्रस्तावित दरें कम्पनी द्वारा निविदाओं/पूछतांछ के उत्तर में भरी जाती थीं। पूर्ति आदेश भी, प्राप्त होने पर, सामानों की आपूर्ति हेतु उन इकाइयों को भेज दिये जाते थे। कम्पनी उत्पादनों के गुण और समय से सुपुर्दगी करने की गारन्टी देती थी।

इस योजना के अन्तर्गत, राज्य की वे ही लघुस्तर औद्योगिक इकाइयां, जिनका उपकरण एवं मशीनरी का विनियोग 10 लाख रुपए तक था और सहायक उद्योग की दशा में 15 लाख रुपये तक, यह सुविधा पाने की अधिकारी थीं। उन्हें अपने को कम्पनी में 15 अगस्त 1976 तक और उसके बाद उद्योग निदेशक के पास पंजीकृत करा लेना था। पंजीयन प्रमाण–पत्र केवल दो वर्ष, जिसके दौरान इकाइयां इस सुविधा को उपलब्ध कर सकती हैं, के लिये निर्गमित होता है। इस सहायता के लिये, उनके लिये प्राप्त किये आपूर्ति आदेशों के मूल्यों के आधार पर दो से चार प्रतिशत सेवा व्यय के रूप में लिया जाता है।

निम्न तालिका, 1971–72 से 1977–78 के दौरान इस योजना के क्रिया कलाप को इंगित करेगी :

	वर्ष के दौरान पंजीकृत इकाइयों की संख्या	वर्ष के दौरान सहायता प्रदान की गई इकाइयों की संख्या	प्राप्त हुए आदेशों का मूल्य	प्राप्त हुए सेवा व्यय	किया गया व्यय
				(लाख रुपयों में)	
1971–72	उपलब्ध नहीं	20	3.0	0.06	0.42
1972–73	43	24	3.2	0.06	0.42
1973–74	23	30	10.0	0.20	0.42
1974–75	16	19	3.9	0.08	1.75
1975–76	25	17	27.0	0.72	1.75
1976–77	89	30	75.0	0.49	0.84
1977–78	39	50	32.0	1.65	1.28
			योग	3.26	6.88

इस प्रकार इस योजना के परिचालन के परिणामस्वरूप 3.62 लाख रुपये की हानि हुई ।

प्रबन्धकों ने बताया (अगस्त 1978) कि योजना की जांच की जा रही थी और सरकार को इस योजना के असंतोषजनक कार्य कलाप से सूचित कर दिया गया था (नवम्बर 1977) । जांच के परिणाम और सरकार की टिप्पणी, यदि कोई, की प्रतीक्षा थी (मार्च 1979) ।

3.13. व्यापार केन्द्रों की स्थापना

अगस्त 1975 में, भारत सरकार ने प्रदर्शनी कक्ष, प्रदर्शन हाल, सभा कक्ष, पुस्तकालय और विभिन्न बाजार सम्बन्धी सूचनायें एकत्रित और प्रसारित करने की सुविधा देकर, लघुस्तर उद्योगों को संयुक्त विपणन सहायता प्रदान करने के लिये कई व्यापारिक केन्द्र स्थापित करने की एक योजना स्वीकृत की । व्यापारिक केन्द्रों की स्थापना पर व्यय भारत सरकार व राज्य सरकार को बराबर-बराबर भाग में वहन करना था । राज्य सरकार का भाग, केन्द्रीय सहायता के उपयोग हो जाने के बाद अवमुक्त होना था । निदेशक मण्डल ने राज्य में पांच व्यापारिक केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव किया (दिसम्बर 1975), एक 1976–77 के दौरान कानपुर में और अन्य आगामी दो वर्षों में । भारत सरकार ने कानपुर में व्यापारिक केन्द्र की स्थापना का अनुमोदन कर दिया (नवम्बर 1976) और इस उद्देश्य के लिये राज्य सरकार के माध्यम से मार्च 1977 में अनुदान के रूप में 1.20 लाख रुपये अवमुक्त किया । चूंकि राज्य सरकार से धन प्राप्त नहीं हुआ, इसलिये कानपुर के व्यापारिक केन्द्र को 1977–78 तक तथा अन्य केन्द्रों को 1979–80 तक के लिये स्थगित कर दिया गया (मार्च 1977) । कम्पनी ने जून 1977 में राज्य सरकार से योजना का अनुमोदन करने और धन अवमुक्त करने का अनुरोध किया । सरकार ने योजना अनुमोदित कर दी और मार्च 1978 में 1.50 लाख रुपये अवमुक्त कर दिया । भारत सरकार ने फरवरी 1978 में राज्य सरकार के माध्यम से 0.80 लाख रुपये और अवमुक्त किया जिसका उपयोग कम्पनी द्वारा नहीं किया गया है (मार्च 1979) । सितम्बर 1978 में कार्यालय सहित व्यापार केन्द्र के लिये 7,500 रुपये प्रति माह के किराए पर भवन लेने और केन्द्र पर कम्पनी के कुछ कर्मचारियों की तैनाती के अतिरिक्त योजना में और कोई प्रगति नहीं हुई है । अगस्त 1978 तक अधिष्ठान पर 0.67 लाख रुपये व्यय हो गया था । प्रबन्धकों ने बतलाया (दिसम्बर 1978) कि उचित स्थल की अनुपलब्धता और सरकार की स्वीकृति की प्राप्ति में विलम्ब के कारण व्यापार केन्द्र की स्थापना का कार्य समय से नहीं लिया जा सका ।

3.14. उपहार योजना

कम्पनी ने, निर्माताओं से प्रत्यक्ष अधिप्राप्ति और इसका उपभोक्ताओं में वितरण द्वारा, उपभोक्ता सामग्री के वितरण को सुचारु रूप से चलाने के लिये अगस्त 1976 में एक 'उपहार योजना' तैयार की । आरम्भ में बनी बनायी पोशाकों, हथकर्घा कपड़ों, जूतों, धुलाई के साबुन, डिटर्जेंट और स्टेशनरी में व्यापार करने का विचार किया गया । कमीशन के आधार पर नियुक्त किये जाने वाले सेल्समैनों द्वारा उपभोक्ताओं को बेचने के लिये सामानों का क्रय लघुस्तर औद्योगिक इकाइयों से होना था । पहले पांच वर्ष के लिये विक्रय और लाभ निम्न प्रकार से अनुमानित किये गये थे :

	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष
				(लाख रुपयों में)	
विक्रय	5.00	10.00	20.00	40.00	50.00
लाभ	0.25	0.50	1.00	2.00	2.25

इस योजना का अनुमोदन करने और धन प्रदान करने के लिये राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था (अगस्त 1976) । अनुमोदन और धन के अवमुक्त होने की प्रतीक्षा किये बिना कम्पनी ने 15 अगस्त 1976 से लखनऊ में स्वयं इस योजना को आरम्भ किया जिसका अन्य नगरों में भी विस्तार करना था (नामतः, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और आगरा) । यह आशा की गई थी कि उपयुक्त अवसर पर राज्य सरकार योजना पर अपना अनुमोदन देकर धन अवमुक्त कर देगी, लेकिन राज्य सरकार ने इसके लिये धन प्रदान करने से मना कर दिया (अक्तूबर 1976) ।

चूंकि भारी अधिष्ठान लागत और उपभोक्ताओं की उदासीनता से योजना लाभप्रद प्रमाणित नहीं हुई और सरकार ने भी इसके लिये धन देने से मना कर दिया इसलिये 30 अप्रैल 1977 से इस को त्याग दिया गया । इस योजना के अन्तर्गत 1.35 लाख रुपये की क्रय लागत और 0.26 लाख रुपये के अन्य खर्चों के विरुद्ध कुल 0.79 लाख रुपयों की बिक्री हुई । इस प्रकार इस योजना के क्रियान्वयन से कम्पनी को कुल 0.82 लाख रुपये की हानि हुई ।

3.15. वाणिज्यिक योजनायें

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के 1972–73 के प्रतिवेदन के अनुच्छेद 73 (घ) में वाणिज्यिक इकाइयों के प्रबन्ध एवं उनके द्वारा उठाई गई हानियों के बारे में उल्लेख किया गया था ।

प्रबन्धकों ने, अधिगृहीत की गयी विभिन्न इकाइयों के कार्य कलाप की समीक्षा करने और हानियों और उनके असंतोषजनक कार्यकलाप के कारणों पर प्रतिवेदन देने के लिये नवम्बर 1973 में एक उप समिति नियुक्त की । मार्च/अप्रैल 1974 में प्राप्त उप समिति के प्रतिवेदन के अनुसार, उन इकाइयों को कुशलतापूर्वक चलाने में लगी प्रबन्ध लागत, अधिक पूंजी निवेश और व्यापार की कमी की आन्तरिक खामियों के कारण परिणामों से मेल नहीं खाती थी । इसलिये कम्पनी ने, सुधारात्मक कदम, जिनमें, यदि आवश्यक हुआ तो इन इकाइयों का निस्तारण करना या उपयुक्त उद्यमियों को पट्टे पर देना सम्मिलित होगा, उठाने का निश्चय किया (जुलाई 1974) । इनमें से एक इकाई नामतः, फुटवेयर सेन्टर, आगरा को उत्तर प्रदेश राज्य चमड़ा विकास एवं विपणन विकास निगम लिमिटेड, आगरा को हस्तान्तरित कर दिया गया (अक्तूबर 1974) और स्पोर्ट्स गुड्स फैक्टरी, बरेली को वुड सीजनिंग प्लान्ट, बरेली के साथ मिला दिया गया (1974–75) । जैसा कि भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 1975–76 (वाणिज्यिक) के प्रतिवेदन के अनुच्छेद 3.03 में उल्लेख किया गया था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लान्ट, कानपुर को 1973–74 और 1974–75 में क्रमशः 0.93 लाख रुपये और 1.03 लाख रुपये की हानि उठाने के बाद जुलाई 1976 में एक निजी उद्यमी को 0.73 लाख रुपये में बेच दिया गया । वुड सीजनिंग प्लान्ट, बरेली को पहली अप्रैल 1977 से उत्तर प्रदेश वन निगम को हस्तान्तरित कर दिया गया ।

1973–74 से 1977–78 तक प्रत्येक इकाई के वर्षवार लाभ (+) / हानि (–) निम्न थे :

	1973–74	1974–75	1975–76	1976–77	1977–78
			(लाख रुपयों में)		
स्पोर्ट्स गुड्स फैक्टरी और वुड सीजनिंग प्लान्ट, बरेली	(–) 0.25	(–) 0.26	(–) 0.50	(+) 0.19	(–) 0.34
फुटवेयर सेन्टर, आगरा	(+) 0.02	(–) 0.01	..	..	.
इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लान्ट, कानपुर	(–) 0.93	(–) 1.03	(–) 0.56	..	..
वुड सीजनिंग प्लान्ट, इलाहाबाद	(+) 0.67	(+) 0.65	(+) 0.87	(+) 0.93	(+) 1.33
स्पोर्ट्स गुड्स फैक्टरी, देहरादून	(–) 0.11	(–) 0.18	(–) 0.57	(+) 0.39	(+) 0.02
चिनहट पाटरीज, लखनऊ	(–) 1.64	(–) 1.38	(–) 2.09	(–) 0.99	(–) 2.11
इन्ट्रायूटराइन कन्ट्रासेप्टिव डिवाइस प्लास्टिक फैक्टरी, कानपुर	(–) 2.81	(–) 0.54	(–) 0.59	(+) 0.41	(–) 1.19
वेब्रिज, खुरजा	(+) 0.01	(+) 0.04	(–) 0.03	(–) 0.01	(+) 0.14

चिनहट पाटरीज, लखनऊ के 31 मार्च 1978 को तैयार माल के स्टाक (4.00 लाख रुपए) में, 1.21 लाख रुपए का स्टाक (0.61 लाख रुपए मूल्य का सामान, जो अक्टूबर 1970 में इकाई का कम्पनी को हस्तान्तरण के समय ही था, को सम्मिलित करते हुए), जिसकी डिजाइन अप्रचलित हो गई थी और गुणों में ह्रास हो गया था, सम्मिलित था। प्रबंधकों ने आबकारी विभाग से चिनहट पोटरीज, लखनऊ के इन अप्रचलित सामानों के विक्रय हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त करली (अगस्त 1978) परन्तु निस्तारण नहीं किया गया है (दिसम्बर 1978)।

3.16. संयुक्त क्षेत्र परियोजनायें

उद्यमियों के बीच विश्वास उत्पन्न करने की दृष्टि से पूंजी भागीदारी द्वारा उद्योगों के वास्तविक चालन और वित्तीय उत्तरदायित्व संभालने के लिये राज्य के पिछड़े जिलों में संयुक्त क्षेत्र परियोजनायें स्थापित करने (कम्पनी की सहायक कम्पनी के रूप में) के लिय कम्पनी द्वारा एक योजना 1971 में प्रचलित की गयी। इस योजना के अन्तर्गत उद्यमियों द्वारा साम्य पूंजी में विनियोग 49 प्रतिशत और कम्पनी द्वारा 51 प्रतिशत होना था। चूंकि यह आशा की गयी थी कि इकाइयां उत्पादन प्रारम्भ कर देंगी और 4 वर्षों की अवधि के भीतर एक लाभप्रद (वायविल) स्थिति प्राप्त कर लेगीं, इसलिये प्रत्येक सहायक कम्पनी के आर्टिकिल्स आफ एशोसियेशन में यह प्राविधान कर दिया गया था कि कम्पनी 4 वर्ष की समाप्ति के बाद, (जिसको एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकता है) अपने अंश उद्यमियों को या, यदि उद्यमी खरीदने को मना करें तो किसी भी अन्य को बेच सकती हैं। चूंकि सहायक कम्पनियों ने लाभप्रद स्थिति प्राप्त नहीं की है और उत्पादन के कम या न होने और क्षमता के कम उपयोग के कारण इन अंशों के उचित मूल्य बहुत कम है इसलिए बिक्री प्रभावी नही हो सकी (जनवरी 1979)।

राज्य सरकार ने आगामी एक उप-अनुच्छेद में इंगित संयुक्त क्षेत्र उपक्रमों में पूंजी भागीदारी के लिये कम्पनी को फरवरी 1974 में 18.20 लाख रुपए का एक ऋण स्वीकृत किया, ऋण पर ब्याज की दर जुलाई 1974 तक 3.5 प्रतिशत प्रति वर्ष थी और उसके बाद 8 प्रतिशत (3.5 प्रतिशत छूट के साथ)। इस ऋण की अदायगी इसके आहरण की तिथि से तीन वर्ष पश्चात प्रारम्भ होकर कुल 7 वर्ष की अवधि में पूर्ण होनी थी। कम्पनी द्वारा ऋण की 7.15 लाख रुपए राशि की ब्याज सहित प्रथम दो किस्तों (किस्तें: 4.04 लाख रुपए और ब्याज: 3.11 लाख रुपए) की अदायगी फरवरी 1977 और फरवरी 1978 में की गयी।

संयुक्त क्षेत्र परियोजनायें, जहां इन धनराशियों का विनियोग किया गया था (जैसा कि आगामी उप-अनुच्छेदों में इंगित किया गया है) इस स्थिति में नहीं थीं कि लाभांश घोषित करने या कम्पनी के अंश खरीदने के लिये धन पैदा कर सकें। इन परियोजनाओं की आर्टिकिल्स आफ एशोसियेशन की शर्तों के अनुसार कम्पनी चार वर्षों तक अंशो को हस्तान्तरित करने को नहीं कह सकती हैं जबकि सरकार को ऋण की अदायगी तीन वर्ष बाद ही आरम्भ हो जानी है। कम्पनी ने ऋण की शर्तें संशोधित करने के लिये राज्य सरकार से अनुरोध किया (अप्रैल 1978); सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा थी (दिसम्बर 1978)।

निम्न तालिका, कम्पनी द्वारा स्थापित संयुक्त क्षेत्र परियोजनायें, उनके निगमन की तिथि, अधिकृत पूंजी, प्रदत्त पूंजी, और 31 मार्च 1978 को कम्पनी के विनियोग और उनके उत्पादनों को इंगित करती है :

संयुक्त क्षेत्र परियोजना का नाम	निगमन की तिथि	अधिकृत पूंजी	प्रदत्त पूंजी	कम्पनी का विनियोग	उत्पादन
			(लाख रुपयों में)		
उत्तर प्रदेश एब्सकाट प्राइवेट लिमिटेड, बिन्दकी (फतेहपुर)	28 जून 1972	4.00 (जून 1975 में 10 लाख तक बढ़ायी गयी)	3.47	2.58	सोखने वाली तथा शल्य चिकित्सा की रुई
उत्तर प्रदेश पाटरीज प्राइवेट लिमिटेड, बस्ती	28 जून 1972	10.00	6.89	3.51	क्राकरी के सामान
उत्तर प्रदेश प्लांट प्रोटेक्शन एप्लायन्सेज प्राइवेट लिमिटेड, गाजीपुर	28 जून 1972	4.00	3.28	1.63	पौधों के बचाव के औजार
उत्तर प्रदेश विल्डवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड, बलिया	28 जून 1972	4.00	0.10	0.05	भवन सामग्री
उत्तर प्रदेश प्रैस्ट्रैस्ड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मऊ (आजमगढ़)	30 सितम्बर 1972	4.00 (जून 1975 में 10.00 तक बढ़ाई गई)	2.17	1.11	एन पी के रासायनिक खाद (आरम्भ में प्रैस्ट्रैस्ड सीमेन्ट कंक्रीट के खंभे बनाने का विचार था)
उत्तर प्रदेश रूफिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, फैजाबाद	24 नवम्बर 1973	10.00	6.68	3.41	हल्का एस्फाल्टिक/हल्की छत की चादरें और मिल बोर्ड
कृष्णा फास्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड, कासगंज (एटा)	14 दिसम्बर 1973	8.00	5.38	1.56	नट व बोल्ट
फैजाबाद रूफिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, फैजाबाद	16 फरवरी 1974	10.00	2.09	0.83	कोरुगेटेड लाइट एसफाल्टिक/हल्की छत की चादरों की प्रक्रिया
बुन्देलखंड सीमेंट वर्क्स, कालपी (जालौन)	2 मार्च 1974	10.00	..	..	प्रैस्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट के खंभे (परियोजना जून 1975 में त्याग दी गयी)
	योग	76.00	30.06	14.68	

इस प्रकार सरकार से 18.20 लाख रुपए के कुल ऋण में से कम्पनी ने संयुक्त उपक्रम कम्पनियों में 14.68 लाख रुपए (दिसम्बर 1978 तक बढ़ा कर 18.17 लाख रुपए कर दिया गया) का विनियोग किया। कम्पनी ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की एक सहायक कम्पनी, उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कन्सल्टेन्ट्स लिमिटेड में 1976–77 के दौरान 0.15 लाख रुपए का विनियोग भी किया।

पूंजी भागीदारी के अलावा, कम्पनी ने इन इकाइयों को समय–समय पर उनकी कार्यशील पूंजी के लिये धन (उन पर बिना किसी ब्याज के) अग्रिम के रूप में दिया, जिसका अवशेष 1977–78 की समाप्ति पर 2.98 लाख रुपए था।

निम्न सारणी 1976–77 तक की कम्पनी की कुछ संयुक्त क्षेत्र परियोजनाओं के कार्य-

	पूर्व परिचालन व्यय	कार्यशील पूंजी के लिये नकद साख सीमा	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम और दूसरों से ऋण	प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता
उत्तर प्रदेश एक्स्काट प्राइवेट लिमिटेड, बिन्दकी (फतेहपुर)	..	4.75	11.89	300 मैट्रिक टन
उत्तर प्रदेश पाटरीज प्राइवेट लिमिटेड, बस्ती	1.70	20.00	13.39	630 मैट्रिक टन
उत्तर प्रदेश प्लान्ट प्रोटेक्शन अप्लायेन्सेज प्राइवेट लिमिटेड, गाजीपुर	1.94	1.75	4.37	4,000 मशीनें
उत्तर प्रदेश फ्रैस्ट्रेस्ड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मऊ (आजमगढ़)	..	8.75	11.25	6,000 मैट्रिक टन एन पी के रसायनिक खाद
उत्तर प्रदेश रुफिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, फैजाबाद	1.84	5.00	11.78	$4' \times 2\frac{1}{2}'$ साइज की बारह मिलियन कर्रुगेटेड एस्फाल्टिक रूफिंग सीट या प्रति वर्ष 1,200 मैट्रिक टन मिल बोर्ड (संयंत्र क्षमता 2,100 मैट्रिक टन प्रति वर्ष)

कलाप के 1976–77 तक के कुछ पहलुओं को इंगित करती है :

लाभ विन्दु (ब्रेक इविन प्वाइन्ट) (प्रतिशत)	क्षमता उपयोग (प्रतिशत)	विक्रय	एकत्रित हानियां	टिप्पणीं
		(लाख रुपयों में)		
65	15	8.58	6.15	उत्पादन फरवरी 1977 में आरम्भ हुआ ।
55	25	7.16	1.92	उत्पादन जनवरी 1974 में आरम्भ होना था परन्तु यह फरवरी 1976 में आरम्भ हुआ। आंकड़े फरवरी 1976 से मार्च 1977 की अवधि के हैं जिसे प्रथम वर्ष माना गया है ।
65	12	1.39	11.98	उत्पादन नवम्बर 1973 में आरम्भ हुआ ।
[illegible]	25	9.72	1.02	प्रैस्ट्रेस्ड सीमेन्ट कंक्रीट (पी सी सी) खम्भों का निर्माण नहीं हुआ यद्यपि फैक्टरी भवन, उपकरण और संयंत्र, तकनीकी जानकारी इत्यादि पर 2.84 लाख रुपये का व्यय हुआ। एक मिक्सर और दो वाइब्रेटर (0.17 लाख रुपये) निस्तारण की प्रतीक्षा में हैं (दिसम्बर 1978) हैं।
30	..	1.89	5.34	(i) परियोजना द्वारा मई 1974 में उत्पादन प्रारम्भ किया जाना था परन्तु उत्पादन मार्च 1976 में प्रारम्भ हुआ। सितम्बर 1976 से अप्रेल 1977 तक धन की कमी और बिना बिके स्टाक के इकट्ठा हो जाने के कारण आधार चटाइयों (बैस-मैट्स) का कुछ भी उत्पादन नहीं हुआ। आधार चटाइयों का रूफिंग सीट में प्रक्रियाकरण एक सहयोगी (सिस्टर) कम्पनी द्वारा किया गया। अगस्त 1976 तक उत्पादित 1,68,171 (मूल्य : 2.26 लाख रुपये) आधार चटाइयों में से 28,148 रूफिंग सीटों में प्रक्रियाकरण के दौरान खराब और बिक्री के अयोग्य होने के कारण अस्वीकृत कर दी गयीं। अस्वीकृत हो जाने से 0.99 लाख रुपये की हानि हुई ।

	पूर्व परिचालन व्यय	कार्यशील पूंजी के लिए नकद शाख सीमा	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम और दूसरों से ऋण	प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता
कृष्णा फास्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड, कासगंज (एटा)	0.96	5.00	7.63	320 मैट्रिक टन
फैजाबाद रूफिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, फैजाबाद	0.39	23.00	7.21	12 मिलियन सीट

लाभ विन्दु (ब्रैक इविन प्वाइन्ट) (प्रतिशत)	क्षमता उपयोग (प्रतिशत)	विक्रय	एकत्रित हानियां	टिप्पणी
		(लाख रुपयों में)		
				(ii) मिलबोर्ड का उत्पादन फरवरी 1977 में आरम्भ किया गया और जून 1977 तक 6.2 मैट्रिक टन का उत्पादन हुआ । 4 मैट्रिक टन की बिक्री 1,050 रुपये प्रति मैट्रिक टन लागत के विरुद्ध 810 रुपया प्रति मैट्रिक टन की दर पर हुई । शेष कम्पनी के पास बिना बिका पड़ा है (दिसम्बर 1978) ।
				(iii) बिना बिके भारी स्टाक के एकत्रित होने और श्रमिक अशांति के कारण अक्तूबर 1977 से फैक्टरी बन्द पड़ी है ।
50	22	2.10	1.96	उत्पादन सितम्बर 1974 से प्रारम्भ होना था परन्तु नवम्बर 1976 में आरम्भ हुआ
60	4	0.67	2.86	उत्पादन मई 1974 में प्रारम्भ होना था परन्तु मार्च 1976 में प्रारम्भ हुआ । फैक्टरी अक्तूबर 1977 से बन्द पड़ी है

प्रबन्धकों ने राज्य सरकार को सूचित किया (जुलाई 1978) कि क्षमता के कम उपयोग तथा वर्षानुवर्ष अनुवर्ती घाटे के कारण इन समस्त इकाइयों की पूंजी पूर्णत: समाप्त हो गई थी और यदि इन इकाइयों को पुनर्जीवित करने का निर्णय किया जाता है तो 79.80 लाख रुपये की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा थी (मार्च 1979) ।

निम्नलिखित और बातें भी पता चलीं :

(i) **भवन का निर्माण**

दो लाख रुपये की परियोजना लागत (संशोधित 3.40 लाख रुपये और फिर 4.60 लाख रुपये से) और 2.36 लाख रुपये की अनुमानित लागत के विरुद्ध उत्तर प्रदेश एक्सकाट प्राइवेट लिमिटेड, बिन्दकी फैक्ट्री इमारत के निर्माण के लिये सितम्बर 1972 में निविदायें आमंत्रित हुई थीं और दिसम्बर 1972 में 2.13 लाख रुपये के न्यूनतम दर पर एक फर्म को ठेका दिया गया था । कार्य 31 मार्च 1973 को पूर्ण होना था । किन्तु ठेकेदार को अभिन्यास रेखाचित्र 30 जून 1973 को दिया गया । ठेकेदार का कार्य त्रुटिपूर्ण और विशिष्टियों के अनुसार न होना पाया गया (मई 1973), त्रुटियों को ठीक करने के लिये कहने पर ठेकेदार ने दरों में वृद्धि की मांग की (जुलाई 1973) और अगस्त 1973 में कार्य बन्द कर दिया । फिर भी ठेकेदार को 0.65 लाख रुपये धनराशि की दरों में वृद्धि स्वीकार की गई (नवम्बर 1973) । ठेकेदार के साथ बढ़ी हुई लागत (2.78 लाख रुपये) पर एक संशोधित अनुबन्ध बनाया गया (दिसम्बर 1973) । चूंकि ठेकेदार 0.50 लाख रुपये का काम पहले ही कर चुका था, उसके छोड़े हुये कार्य का मूल्य बढ़ोत्तरी को सम्मिलित करते हुये 2.28 लाख रुपये हुआ । ठेकेदार ने संशोधित अनुबन्ध बन जाने पर भी कार्य आरम्भ नहीं किया । प्रबन्धकों ने इस कार्य को ठेकेदार के हिसाब में किसी और एजेन्सी से कराने और जब तक ठेकेदार काम हाथ में नहीं लेता उसको कोई भुगतान न करने का निश्चय किया (फरवरी 1974) जिसकी सूचना ठेकेदार को भी दी गई । ठेकेदार ने इस कार्य को अप्रैल 1974 में पुन: आरम्भ किया लेकिन अक्तूबर 1974 तक मात्र 1.06 लाख रुपये मूल्य का ही कार्य किया । 1.85 लाख रुपये मूल्य के शेष कार्य को 3.42 लाख रुपये की लागत पर विभागीय तौर पर कराया गया और दिसम्बर 1975 में पूर्ण किया गया । इस प्रकार इस भवन के निर्माण पर किये गये वास्तविक व्यय की राशि 4.98 लाख रुपये हुई । दोषी ठेकेदार से 1.57 लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय की वसूली नहीं हुई है (दिसम्बर 1978) । विभागीय तौर पर कराये गये कार्य की विस्तृत पैमाइश नही की गई है और कम्पनी के परियोजना सिविल अभियन्ता से प्रमाणित नहीं कराया गया ह ।

(ii) **मशीनों की आपूर्ति में बिलम्ब**

उत्तर प्रदेश रूफिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, फैजाबाद के लिये संयंत्र और मशीनों की आपूर्ति, उनके स्थापन और चालू करने का कार्य मद्रास की एक फर्म को 5.41 लाख रुपये की कुल लागत पर दिया गया (सितम्बर 1973) जिसे डिजाइन में परिवर्तन के कारण संशोधित कर (दिसम्बर 1973) 5.52 लाख रुपये कर दिया गया । अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार आपूर्तियां 30 जून 1974 तक पूर्ण हो जानी थी और संयंत्र 31 दिसम्बर 1974 तक चालू हो जाने थे । सिविल कार्य बिना निविदा या कोटेशन आमंत्रित किये 3.20 लाख रुपये पर एक दूसरी फर्म को दे दिया गया (जनवरी 1973) । सिविल कार्य 31 मई 1974 तक पूर्ण हो जाना था परन्तु मद्रास की फर्म द्वारा मशीनों की आपूर्ति में देरी के कारण स्थापन कार्य में विचारणीय बिलम्ब हुआ (जनवरी 1976) । आपूर्तिकर्त्ताओं के पक्ष में अटल शाखपत्र के खोलने में कठिनाइयों के कारण प्रबन्धकों के अनुसार (दिसम्बर 1978), मद्रास की फर्म पर आपूर्ति (नवम्बर/दिसम्बर 1974) और संयंत्रों को चालू करने (अगस्त 1975) में 31 दिसम्बर 1974 के आगे देरी किये जाने पर 2,500 रुपया प्रति सप्ताह का दण्ड नहीं लगाया गया ।

(iii) कम्पनी की एक सहायक कम्पनी उत्तर प्रदेश रूफिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के उत्पादनों की बिक्री के लिये कम्पनी ने मार्च 1975 में कानपुर में एक विपणन प्रखण्ड (मार्केटिंग डिवीजन) स्थापित किया । इस प्रखण्ड के द्वारा राज्य के शिक्षा व हरिजन विभाग, सहकारी समितियों और दुग्ध संघों को प्रतिवर्ष 10 से 15 लाख रुपये मूल्य के उत्पादनों को बेचने की प्रत्याशा की गई थी । चूंकि आपूर्ति आदेश न मिलने से इस प्रखण्ड के द्वारा कुछ भी बिक्री नहीं हुई और किराया, दूरभाष, विज्ञापन, वेतन एवं भत्ते आदि पर 1.25 लाख रुपये का व्यय पहले ही किया जा चुका था, इस प्रखण्ड को अगस्त 1977 में बन्द कर दिया गया ।

3.17. उत्तर प्रदेश स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन पाटरीज लिमिटेड

100 रुपये प्रति के 50,000 इक्विटी शेयरों में बंटी 50 लाख रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ 27 अप्रैल 1976 को "उत्तर प्रदेश स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन पाटरीज लिमिटेड, खुर्जा" के नाम से कम्पनी की एक सहायक कम्पनी निगमित की गई । इसको राजकीय पाटरीज विकास केन्द्र, खुरजा का अधिग्रहण करना था (जो राजाज्ञा दिनांक 26 मार्च 1976 के द्वारा उसमें उल्लिखित शर्तों पर पहली अप्रैल 1976 से कम्पनी को हस्तांतरित हुई) और सभी प्रकार के मिट्टी के बर्तन, पाटरीज एवं मिट्टी की वस्तुयें, कृत्रिम पत्थर, जिप्सम, ईंटें, स्लैब, टाइले, पाइप, प्रत्येक प्रकार के चीनी मिट्टी कार्य का निर्माण, विक्रय और व्यापार करना था ।

राजाज्ञा के अनुसार (मार्च 1976) केन्द्र की अचल परिसम्पत्तियों का दो तिहाई मूल्य सरकार का पूंजी अभिदान माना जाना था और एक तिहाई, बकाये न रहने की दशा में मूलधन और ब्याज के समय पर भुगतान करने पर साढ़े तीन प्रतिशत की छूट के साथ साढ़े ग्यारह प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर से, सरकार का कम्पनी पर सावधि ऋण माना जाना था। ऋण की अदायगी केन्द्र की परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण के पांच वर्ष के भीतर ब्याज सहित 10 बराबर छमाही किस्तों में होनी थी । सहायक कम्पनी द्वारा अधिगृहीत किये गये (अप्रैल 1976) राजकीय पाटरीज विकास केन्द्र, खुर्जा की परिसम्पत्तियों (अनन्तिम मूल्य 13.86 लाख रुपये) के मूल्यांकन का अन्तिम निपटारा नहीं हुआ है (दिसम्बर 1978) । एक संयुक्त समिति, जिसको केन्द्र की परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन को प्रमाणित करना था, जनवरी 1979 में गठित की गई है और संयुक्त मूल्यांकन प्रगति में है । राज्य सरकार और कम्पनी के बीच अनुबन्ध अभी तक नहीं बन पाया है (मार्च 1979) ।

राज्य सरकार के आदेश (मार्च 1976) में, यदि कोई बकाया न हो, तो मूलधन और ब्याज का समय से भुगतान करने पर साढ़े तीन प्रतिशत की छूट के साथ साढ़े बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर कम्पनी को उसकी कार्यशील पूंजी के लिये 12 लाख रुपये के सावधि ऋण का भी प्राविधान था । किन्तु कम्पनी को सहायक कम्पनी में राज्य सरकार के पूंजी अभिदान के लिये 31 मार्च 1978 को राज्य सरकार से 12 लाख रुपये प्राप्त हुआ, जो पूर्व वर्षों में दिये गये 3.28 लाख रुपये को समायोजित करने के बाद, अक्तूबर 1978 में सहायक कम्पनी को हस्तांतरित कर दिया गया ।

कम्पनी की उत्पादन क्षमता प्रतिमाह 120 मैट्रिक टन बाडियों (क्राकरी वेयर्स) और 10 मैट्रिक टन ग्लेज (डैकोरेशन वेयर्स) की थी । 16 जुलाई 1976 से 28 फरवरी 1977 की अवधि के पाक्षिक प्रतिवेदनों की एक समीक्षा करने से ज्ञात हुआ कि इस अवधि में औसत 13.5 भठ्ठे जलाये गये और बाडियों और ग्लेज का उत्पादन दर क्षमता का क्रमशः 12.5 प्रतिशत (14.94 मैट्रिक टन) और 47 प्रतिशत (4.70 मैट्रिक टन) रहा । कार्य प्रबन्धक ने अपने प्रतिवेदन (नवम्बर 1976) में संकेत दिया कि उच्च उत्पादन लागत और खुर्जा में क्राकरी बाजार में मंदी के कारण विक्रय संतोषजनक नहीं रहा । 1976–77 के दौरान, 1.48 लाख रुपये की आय के विरुद्ध व्यय 2.24 लाख रुपये था । ह्रास, ब्याज और अन्य प्राविधनों (2.34 लाख रुपये) के जोड़ने पर 1976–77 के दौरान 3 लाख रुपये से अधिक की हानि अनुमानित की गयी है । सहायक कम्पनी के वर्ष 1977–78 के लेखाओं को अन्तिम रूप नही दिया गया है (जनवरी 1979) । 1976–77 के लेखे सांविधिक संपरीक्षकों की जांच में हैं (जनवरी 1979) ।

3.18. भण्डार सूची नियंत्रण

निम्न तालिका 1977–78 तक चार वर्षों में से प्रत्येक की समाप्ति पर भण्डार सूची और इसके वितरण की तुलनात्मक स्थिति इंगित करती है :

	1974–75	1975–76	1976–77	1977–78
	(लाख रुपयों में)			
कच्चे माल	6.42	4.55	4.47	2.89
अर्द्ध–निर्मित माल	0.94	0.93	2.66	0.93

	1974–75	1975–76	1976–77	1977–78
		(लाख रुपयों में)		
निर्मित माल	270.44	168.73	121.70	157.25
भंडार और अतिरिक्त पुर्जे	1.37	1.79	1.21	0.61
मार्गस्थ माल	8.71	3.73	10.57	24.95
योग	287.88	179.73	140.61	186.63

31 मार्च 1978 को कच्चे माल, अतिरिक्त पुर्जे और निर्मित माल के अन्तिम रहतिये में क्रमशः 1.37 लाख रुपये, 0.47 लाख रुपये और 46.39 लाख रुपये मूल्य के ऐसे स्टाक, जो दो वर्ष से अधिक से बिना उपयोग किये / बिना बिके पड़े थे, सम्मिलित थे । स्टाक के अधिकतम और न्यूनतम स्तर निश्चित नहीं किये गये हैं । क्रय इकाइयों की आवश्यकता और उद्योग निदेशक की संस्तुति के आधार पर किये गये थे परन्तु पार्टियों द्वारा सामान न उठाने के कारण अति स्टाक हो गया । पार्टियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी क्योंकि अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार उनको सामान उठाने के लिये बाध्य नहीं किया जा सका ।

वर्ष के अन्त में खंडीय प्रमुखों (डिवीजनल हेड्स) द्वारा 1974–75 से 1977–78 के दौरान स्टाक के प्रमाणन के फलस्वरूप पाई गई लौह और इस्पात, अलौह धातु (रसायन को शामिल करके) और कोक/कोयला के मामलों में क्रमशः 5.85 लाख रुपये, 4.79 लाख रुपये तथा 2.16 लाख रुपय की कुल कमियां जांच में थीं (दिसम्बर 1978) । प्रबन्धकों ने बतलाया (दिसम्बर 1978) कि 63.54 मैट्रिक टन लौह और इस्पात (मूल्य : 1.09 लाख रुपये) के 15 मामले छानबीन में थे ।

कम्पनी के कच्चे माल प्रखंड के विभिन्न डिपो पर पड़े और लघु स्तरीय उद्योगों की तरफ से आयातित माल का भौतिक सत्यापन 1976–77 के दौरान नहीं हुआ । 31 मार्च 1978 को लौह और इस्पात के अन्तिम रहतिये (136.12 लाख रुपये मूल्य का 7,885 मैट्रिक टन) में वर्ष 1974 में खरीदा हुआ लगभग 1,000 मैट्रिक टन (मूल्य: 20 लाख रुपये) शामिल था जो मुख्यतः लघु स्तरीय इकाइयों द्वारा आबंटित स्टाक न उठाये जाने के कारण बिना बिका हुआ रहा (जनवरी 1979) ।

3.19. **विविध देनदार**

कम्पनी आयात सहायता योजना और किराया खरीद योजना के अन्तर्गत उद्यमियों को आयातित सामग्री / माल उधार बेचती है । इसके अतिरिक्त निर्माताओं को ऊनी गलीचों के धागे भी उधार पर आपूर्ति किये जाते हैं । चूंकि इन योजनाओं के अन्तर्गत समय से वसूलियां नहीं हो पाती हैं और कम्पनी द्वारा ऋणों की अदायगी का पुनर्सूचीकरण भी किया जाता है इसलिये ऋणों में विचारणीय वृद्धि हो गई है ।

निम्न तालिका 1977–78 तक की तीन वर्षों के देनदारों का मूल्य और बिक्री इंगित करती है:

31 मार्च को	कुल देनदार	वर्ष में विक्रय	विक्रय पर देनदारों का प्रतिशत
	(लाख रुपयों में)		
1976	485.84	587.22	82.7
1977	528.74	644.16	82.1
1978	504.26	751.46	67.1

देनदार 1975–76 में लगभग 9.9 महीने, 1976–77 में 9.8 महीने और 1977–78 में 8.1 महीने के विक्रय के बराबर प्रतिनिधित्व करते थे। 31 मार्च 1978 के बकाये देनदारों में से 416.22 लाख रुपये छः महीने से अधिक के थे।

(i) किराया खरीद योजना के बकाये

किराया खरीद योजना के अन्तर्गत देनदारों (287.03 लाख रुपये) में दो वर्ष से ऊपर 438 पार्टियों के विरुद्ध, उन 40 मामलों (मूल्य: 82.08 लाख रुपये) को जिनके विरुद्ध बकायों की धनराशि एक लाख रुपये से अधिक थी को शामिल करते हुए, बकायों की धनराशि 205.85 लाख रुपये थी।

(ii) वाणिज्यिक योजनाओं के बकाये

वाणिज्यिक योजनाओं से सम्बन्धित देनदारों का 31 मार्च 1978 को इकाई वार विवरण निम्न प्रकार से था :

	राशि (लाख रुपयों में)
इलैक्ट्रोप्लेटिंग प्लान्ट, कानपुर	1.03
वुड सौजनिंग प्लान्ट, इलाहाबाद	2.37
आई यू सी डी प्लास्टिक फैक्ट्री, कानपुर	5.58
स्पोर्ट्स गुड्स फैक्टरी, देहरादून	1.16
वुड सीजनिंग प्लान्ट, बरेली	4.12
चिनहट पाटरीज, लखनऊ	3.53
फुटवेयर फैक्टरी, आगरा	1.49
योग	19.28

इलैक्ट्रोप्लेटिंग प्लान्ट अप्रैल 1976 में एक निजी उद्यमी को बेच दिया गया था और फुटवेयर फैक्ट्री, आगरा और वुड सीजनिंग प्लान्ट, बरेली राज्य सरकार के अन्य उपक्रमों को बेच दिये गये थे, परन्तु इन इकाइयों के देनदार हस्तान्तरित नहीं किये गये। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी की 6.64 लाख रुपये तक की राशि फंस गई। इन सभी सात इकाइयों के देनदारों में दो वर्ष से ऊपर के 13.70 लाख रुपये के बकाये शामिल थे।

(iii) ऊनी धागा डिवो के बकाये

कम्पनी, की गई खरीदारियों के मूल्य पर एक से छः प्रतिशत की छूट पर विभिन्न मिलों से ऊनी धागों का क्रय करती है। निर्यात आधारित ऊनी गलीचों के लघुस्तर क्षेत्र के निर्माताओं को मिल दरों पर धागों की आपूर्ति की जाती है और यातायात और भण्डारण पर होने वाले व्यय कम्पनी द्वारा प्राप्त छूट से पूरे किये जाते हैं। ऊनी धागों का उधार पर विक्रय होता है जिसके लिये 90 दिन तक 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष और उसके बाद 18 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है।

1977–78 तक तीन वर्षों के दौरान योजना के अन्तर्गत ऊनी धागों की बिक्री और उधार बिक्री के कारण प्राप्य बकायों की स्थिति निम्न प्रकार रही :-

	1975–76	1976–77	1977–78
बेची गई मात्रा (मैट्रिक टनों में)	271	324	304
विक्रय मूल्य (लाख रुपयों में)	76.82	101.76	108.38
31 मार्च 1978 को देनदार (लाख रुपयों में)	85.92	106.61	111.16

31 मार्च 1978 को कुल बकाये की राशि (111.16 लाख रुपये) में 1977–78 तक 19.95 लाख रुपये का अर्जित ब्याज भी सम्मिलित था । दस पार्टियों से दो वर्ष के ऊपर के 3.17 लाख रुपये के बकायों की वसूली संदिग्ध थी क्योंकि पार्टियों के ठिकानों का पता नहीं था । 1975–76 और 1976–77 में क्रमशः 54.36 लाख रुपये और 17.82 लाख रुपये के लिये वसूली प्रमाण-पत्र निर्गमित किये गये थे जिसमें से केवल 42.11 लाख रुपये वसूल किये जा सके (जनवरी 1979) ।

3.20. आन्तरिक सम्परीक्षा और लागत लेखा

कम्पनी ने नवम्बर 1976 में एक आन्तरिक सम्परीक्षा अधिकारी और दो सम्परीक्षकों से युक्त एक आन्तरिक सम्परीक्षा कोष्ठ व्यवस्थित की । वरिष्ठ लेखाधिकारी (मुख्यालय) को वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं आन्तरिक सम्परीक्षा अधिकारी का पद दिया गया और दो लेखाकारों को लेखाकार एवं वरिष्ठ लेखा निरीक्षक का पद दिया गया । आन्तरिक सम्परीक्षा कोष्ठ ने दिसम्बर 1976 और मार्च 1977 के दौरान कम्पनी के कुछ कच्चे माल डिपों की स्थानीय सम्परीक्षा की और उसके बाद कोई भी सम्परीक्षा नहीं की है । नवम्बर 1978 में सम्परीक्षा कोष्ठ को प्रखंडीय प्रबन्धक (लेखा) के नियंत्रण में कर दिया गया है और लगभग दस डिपों की स्थानीय संपरीक्षा की गई है (दिसम्बर 1978) । आंतरिक सम्परीक्षा कोष्ठ द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन की परख जांच (दिसम्बर 1978) ने यह प्रकट किया कि उनमें कोई महत्वपूर्ण बातें नहीं थीं ।

कम्पनी की वाणिज्यिक इकाइयों के विषय में प्रबन्धकों ने उनकी सम्परीक्षा एक बाह्य एजेन्सी, अर्थात् 2000 रुपये प्रति इकाई के कुल पारिश्रमिक के हिसाब से चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों, से कराने का अनुमोदन किया (मई 1977) । उन्होंने केवल तीन इकाइयों की सम्परीक्षा की (मार्च 1979) ।

3.21. अन्य रोचक विषय

बोनस का अनियमित भुगतान

कर्मचारियों को बोनस का भुगतान बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के प्राविधानों से शासित होता है । "सेवायोजक" की परिभाषा के अन्दर आने वाला एक पब्लिक कम्पनी का प्रबन्ध निदेशक अधिनियम के अन्तर्गत बोनस पाने का अधिकारी नहीं है । किन्तु उसे 1970–71 से 1975–76 तक 1800 रुपये प्रतिवर्ष की दर से और 1976–77 के लिये 750 रुपये बोनस का भुगतान किया गया था ।

कम्पनी के कुछ अधिकारी भी, जिनका वेतन 1,600 रुपये प्रतिमास से अधिक था, किसी भी बोनस के अधिकारी नहीं थे लेकिन उनको 1972–73 से 1976–77 की वर्षों के दौरान 20 प्रतिशत की दर से 0.20 लाख रुपये बोनस का भुगतान किया गया था ।

मामला प्रबन्धकों/सरकार को अक्टूबर 1978 में सूचित किया गया ; उनके उत्तरों की प्रतीक्षा है (मार्च 1979) ।

3.22. निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड का निगमन 13 जून 1958 को, राज्य में लघु उद्योगों की उन्नति और विकास की गति को तीव्र करने के मुख्य उद्देश्य से, पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनी के रूप में हुआ था।

कम्पनी ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये अनेक योजनायें अपनाईं, मुख्य योजनाओं में से एक लघु स्तरीय इकाइयों की ओर से आयातित और देशी दोनों प्रकार के कच्चे माल की अधिप्राप्ति और वितरण की थी। अनुबन्ध में इस धारा की अनुपस्थिति में कि न उठाये गये सामान पर हानि दोषी पार्टियों से वसूल होगी, इन हानियों को कम्पनी को वहन करना पड़ा। इसके अतिरिक्त इन योजनाओं के परिचालन के दौरान लौह इस्पात में 585 लाख रुपये, अलौह सामानों (रसायन को सम्मिलित करते हुए) में 4.79 लाख रुपए और कोक / कोयले में 2.16 लाख रुपये की कुल कमियां (शार्टेजेज) थीं। कमियों की छानबीन नहीं की गई है (मार्च 1979)।

पाठ्य पुस्तक छपाई कागज की अधिप्राप्ति और वितरण की योजना में कम्पनी को 7.96 लाख रुपये की हानि हुई। एक दूसरे सिस्टर उपक्रम से लिये गये ऋण पर देय 17.38 लाख रुपये के ब्याज का भुगतान होना बाकी है।

अभिलेखों की परख जांच से ज्ञात हुआ कि 1971–72 से 1975–76 के दौरान आयातित और 28 पार्टियों द्वारा न उठाई गई सामग्री (मूल्य : 63.94 लाख रुपए) निस्तारण की प्रतीक्षा में थी।

कम्पनी ने लघु स्तरीय इकाइयों के लिये अपनी विपणन सहायता योजना के परिचालन में 3.62 लाख रुपये की हानि उठाई। अपनी सहायक कम्पनियों के उत्पादनों की बिक्री के लिये मार्च 1975 में स्थापित एक विपणन प्रखंड 1.25 लाख रुपये व्यय करने के उपरान्त अगस्त 1977 में बन्द कर दिया गया।

लघु स्तरीय उद्योगों को सहायता प्रदान करने के लिये कम्पनी की व्यापारिक केन्द्र स्थापित करने की योजना में कोई प्रगति नहीं हो सकी। अगस्त 1978 तक कोई भी केन्द्र स्थापित नहीं हो सका। "उपहार योजना" के नाम से जानी जाने वाली कम्पनी की एक दूसरी योजना अधिष्ठान की उच्च लागत और उपभोक्ताओं द्वारा अल्प खरीद के कारण 0.82 लाख रुपये की हानि उठाने के बाद बन्द कर देनी पड़ी।

1970–71 से 1971–72 के दौरान कम्पनी द्वारा अधिग्रहीत नौ बीमार फक्टरियों में कम्पनी के पास केवल पांच बची थीं। एक को छोड़ कर बाकी ये सभी इकाइयां निरन्तर घाटे पर चल रही हैं।

वित्तीय उत्तरदायित्व की भागीदारी के द्वारा उद्यमियों में विश्वास उत्पन्न करने के लिये पिछड़े जिलों में संयुक्त क्षेत्र परियोजनायें स्थापित करने की एक योजना कम्पनी ने बनाई। इकाइयों के उत्पादन में जाने और एक लाभप्रद स्थिति तक पहुचने के बाद उद्यमियों को कम्पनी के शेयर खरीदने का विकल्प था। इस प्रकार की आठ परियोजनायें स्थापित हुई थीं और 1976–77 तक ऐसी परियोजनाओं की एकत्रित हानियां 31.28 लाख रुपए थीं। इन इकाइयों में क्षमता का उपयोग 4 से 25 प्रतिशत के बीच रहा। किसी भी उद्यमी ने अब तक कम्पनी के शेयर नहीं खरीदे हैं (मार्च 1979)।

अनुभाग IV

दि इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड

4.01. प्रस्तावना

22 फरवरी 1924 को निजी क्षेत्र में निगमित की गई दि इण्डियन टर्पेन्टाइन एंड रोजिन कम्पनी लिमिटेड राज्य सरकार द्वारा 1947 में ले ली गई और तब से यह सरकारी कम्पनी के रूप में कार्य कर रही है।

कम्पनी का मुख्य उद्देश्य कच्चा लीसा, बिरोजा, तारपीन तथा अन्य संबंधित उत्पादनों का क्रय, उत्पादन, विक्रय तथा व्यापार करना है।

कम्पनी के मुख्य उत्पादन बिरोजा और तारपीन हैं। कम्पनी द्वारा रबर एमलसीफायर का उत्पादन मार्च 1974 से आरम्भ किया गया लेकिन इसकी बाजार में मांग कम होने के कारण उत्पादन प्रतिबन्धित रखा गया। कम्पनी प्रत्येक उत्पादन के लिये पृथक्-पृथक् निर्माण, लाभ तथा हानि लेखे नहीं रखती है। कम्पनी के कार्यों के परिणामों ने 1975-76 में 5 लाख रुपये का लाभ, 1976-77 में 8.81 लाख रुपये की हानि तथा 1977-78 में 11.61 लाख रुपये का लाभ दर्शाया।

कम्पनी के कार्य-कलापों के कुछ पहलुओं का उल्लेख भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन 1972-73 के अनुच्छेद 72 में किया गया था। इन पर उत्तर प्रदेश विधान सभा (सप्तम) की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति द्वारा विचार किया गया (अगस्त 1976)।

समिति ने संस्तुति की कि (i) वन विभाग द्वारा कच्चे लीसा की किस्म में सुधार किया जाय जिसके असफल होने पर वन विभाग और ठेकेदारों के बिलों से समुचित कटौतियां की जायं, (ii) कच्चे लीसा को तारपीन और बिरोजा में परिवर्तित करने की लागत का अलग-अलग निर्धारण करने के लिए मासिक लागत लेखा प्रणाली लागू की जाय, और (iii) एक मात्र थोक खरीददार से तारपीन का अधिक मूल्य प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाय।

4.02. संगठनात्मक व्यवस्था

कम्पनी का प्रबन्ध दस निदेशकों वाले एक निदेशक मण्डल में निहित है। मंडल में केवल प्रबन्ध निदेशक पूर्ण-कालिक निदेशक हैं जो कम्पनी के मुख्य अधिशासक के रूप में कार्य करता है। दस निदेशकों में से, अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए सात राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, दो आम अंशधारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और शेष एक निदेशक एक विदेशी सहयोगी का, जिसकी सहायता से रबर एमलसी फायर प्रोजेक्ट मार्च 1974 में चालू की गई, प्रतिनिधित्व करता है।

तकनीकी क्षेत्र में प्रबंध निदेशक की सहायता फैक्टरी प्रबन्धक, मुख्य अभियंता, रासायनक अभियन्ता, उत्पादन प्रभारी द्वारा की जाती है; विक्रय, लेखा तथा आन्तरिक सम्परीक्षा के क्षेत्र में उसकी सहायता क्रमशः सचिव तथा विक्री प्रबन्धक, लेखाधिकारी तथा आंतरिक सम्परीक्षा अधिकारी द्वारा की जाती है।

4.03. पूंजी ढांचा

31 मार्च 1978 को कम्पनी की प्रदत्त पूंजी 21,78,975 रुपये थी जो निम्न प्रकार से अभिदत्त की गयी थी :

	रुपये
राज्य सरकार	12,73,250
विदेशी सहयोगी	6,00,000
निजी पार्टियां	3,05,725
योग	21,78,975

4.04. वित्तीय स्थिति तथा कार्य-कलापों के परिणाम

(क) वित्तीय स्थिति

निम्न तालिका कम्पनी की 1977–78 तक की चार वर्षों की वित्तीय स्थिति को संक्षेप में दर्शाती है :

	1974–75	1975–76	1976–77	1977–78
		(लाख रुपयों में)		
दायित्व––				
प्रदत्त पूंजी	21.79	21.79	21.79	21.79
रिजर्व व आधिक्य	135.24	140.33	143.57	152.23
उधार	114.74	144.09	133.74	3.79
चालू दायित्व एवं प्राविधान	149.91	190.53	161.32	154.59
योग	421.68	496.74	460.42	332.40
परिसम्पत्तियां––				
सकल अचल सम्पत्तियां (ग्रास-ब्लाक)	117.73	120.39	121.66	123.76
घटाया-ह्रास	39.69	44.17	47.84	51.94
शुद्ध अचल परिसम्पत्तियां	78.04	76.22	73.82	71.82
विनियोग	9.23	9.23	6.41	6.41
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	334.41	411.29	380.08	254.01
प्रारम्भिक व्यय	..	..	0.11	0.16
योग	421.68	496.74	460.42	332.40
नियोजित पूंजी	273.73	296.49	292.47	171.02
शुद्ध मूल्य (नैट वर्थ)	157.03	162.12	165.36	174.02

नोट :–(1) नियोजित पूंजी शुद्ध अचल परिसम्पतियों तथा कार्यशील पूंजी के योग को प्रदर्शित करती है ।

(2) शुद्ध मूल्य प्रदत्त पूंजी तथा रिजर्व के योग में से अदृश्य परिसम्पत्तियों को घटाकर निकाला गया है ।

(ख) कार्य-कलापों के परिणाम

निम्न सारणी कम्पनी के 1977–78 तक की चार वर्षों के कार्य-कलापों के परिणामों को संक्षेप में दर्शाती है :

	1974–75	1975–76	1976–77	1977–78
		(लाख रुपयों में)		
आय--				
विक्रय	399.23	348.03	436.83	393.18
ब्याज से आय	5.14	2.49	3.69	7.62
विविध आय	6.38	1.02	0.60	0.78
निर्यात आर्थिक सहायता	..	0.64	8.31	5.16
कच्चे लीसा के लिये आर्थिक सहायता	..	..	..	10.06
रहतिये में वृद्धि/कमी	31.24	56.07	(–) 93.55	(–) 39.36
योग	441.99	408.25	355.88	377.44
व्यय—				
कर्मचारियों के लिये प्राविधान एवं उनको भुगतान	48.94	37.71	40.09	49.16
कच्चे माल का क्रय/उपभोग और उस पर खर्चे	339.00	294.85	256.13	260.31
उत्पादन व्यय, ईंधन एवं शक्ति	23.10	29.94	22.63	23.26
संयंत्र, मशीनों तथा भवन की मरम्मत	4.53	4.92	4.87	4.97
विविध व्यय	6.21	5.29	6.83	7.59
ब्याज	5.31	17.46	14.19	7.24
ह्रास	4.50	4.69	3.67	4.10
विक्रय एवं अन्य व्यय	9.86	8.39	16.28	9.20
योग	441.45	403.25	364.69	365.83
शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)	(+) 0.54	(+) 5.00	(–) 8.81	(+) 11.61

1976–77 के दौरान कम्पनी ने 8.81 लाख रुपये की हानि बताये गये निम्न कारणों से उठाई :

(i) वर्ष के अधिकांश भाग में मन्द व्यापारिक परिस्थितियां और बाजार में गिरावट, और

(ii) बिरोजा की बेहतर श्रेणियों के उत्पादन में गिरावट, आदि ।

4.05. उत्पादन निष्पादन

बिरोजा और तारपीन वे उत्पादन हैं जो कच्चे लीसे के शोधन से प्राप्त किये जाते हैं । इस प्रकार शोधित किये गये कच्चे लीसे से कम्पनी लगभग 77 प्रतिशत बिरोजा तथा 17 प्रतिशत तारपीन प्राप्त करती है ।

निम्न तालिका 1977–78 तक की चार वर्षों में शोधित किये गये कच्चे लीसे की शुद्ध मात्रा, उससे उत्पादित बिरोजा और तारपीन और शोधन में कच्चे लीसे की हानि दर्शाती है :

विवरण	1974–75	1975–76	1976–77	1977–78
			(मैट्रिक टनों में)	
शोधित किया गया शुद्ध कच्चा लीसा	16,723	16,266	14,790	12,434
उत्पादित किया गया बिरोजा	12,933	12,643	11,446	9,606
उत्पादित किया गया तारपीन	2,792	2,649	2,468	2,107
कच्चे लीसे की प्रक्रिया हानि	998	974	876	721
शोधित किये गये शुद्ध कच्चे लीसे की मात्रा पर प्रक्रिया हानि का प्रतिशत	5.97	5.99	5.92	5.80

प्रबन्धकों ने बताया (अक्तूबर 1978) कि हानि के लिये कोई मानक निर्धारित नहीं किये गये ।

निम्न तालिका 1977–78 तक की चार वर्षों में बिरोजा की विभिन्न श्रेणियों के उत्पादन का प्रतिशत दर्शाती है :

बिरोजा की श्रेणी		1974–75	1975–76	1976–77	1977–78
				(प्रतिशत)	
पीला (पेल)					
डब्ल्यू डब्ल्यू		0.10	0.05	..	0.07
डब्ल्यू जी		4.35	2.85	1.34	0.76
एन		25.39	32.70	29.46	21.34
	योग	29.84	35.60	30.80	22.17
मध्यम (मीडियम)					
एम		18.98	20.67	22.58	21.72
के		11.40	8.43	10.39	11.55
एच		5.67	3.47	7.49	8.21
	योग	36.05	32.57	40.46	41.48
काली (डार्क)					
डी		8.84	9.22	10.11	9.62
बी		25.27	22.61	18.63	26.73
	योग	34.11	31.83	28.74	36.35

पीली श्रेणी (एक उच्च किस्म) के बिरोजा का उत्पादन 1967–68 से 1970–71 के दौरान 45.27 तथा 48.74 प्रतिशत के बीच रहा, जो 1977–78 में 22.17 प्रतिशत तक गिर गया। प्रबन्धकों ने बताया (दिसम्बर 1977) कि बिरोजा का उत्पादन जितनी ही निम्न श्रेणियों का हुआ उतना ही लाभ तथा बाजार वसूली कम हुई। उन्होंने यह भी बताया कि बिरोजा की आठ श्रेणियों (तीन पीली श्रेणी में, तीन मध्यम श्रेणी में और दो काली श्रेणी में) में से अन्तिम चार श्रेणियों (के, एच, डी और बी) ने उत्पादन लागत पर हानि दी। 1967–68 वर्ष के बिरोजा की पीली श्रेणी के निम्नतम उत्पादन अर्थात् 45.27 प्रतिशत को आधार मानते हुए, 1974–75 और 1977–78 के बीच इसके उत्पादन में गिरावट के कारण 54.81 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

प्रबन्धकों ने बताया (सितम्बर 1978) कि वन विभाग से घटिया और काला कच्चा लीसा प्राप्त होने के कारण पीली श्रेणी के बिरोजा के उत्पादन में गिरावट हुई। यह और भी बताया गया (अक्तूबर 1978) कि बिरोजा की उच्च श्रेणियों के उत्पादन के लिये संयंत्र में सुधार करने की कार्यवाही की जा रही थी।

4.06. **विक्रय लागत**

(क) निम्न तालिका 1977–78 तक की चार वर्षों में बिरोजा और तारपीन की विक्रय लागत प्रति कुन्तल/किलो लीटर में दर्शाती है :

	1974–75	1975–76	1976–77	1977–78
			(प्रति कुन्तल रुपयों में)	
कच्चा माल	220.15	201.70	184.08	222.24
मजदूरी	14.16	14.17	15.41	23.30
शक्ति एवं ईंधन	7.53	7.70	7.05	8.34
उत्पादन व्यय	3.77	3.77	5.55	5.43
वेतन	16.08	9.75	12.78	17.74
मरम्मत	2.87	3.21	3.50	4.53
ह्रास	2.03	2.20	0.86	2.08
अन्य व्यय	5.95	11.06	12.89	9.00
विक्रय एवं वितरण व्यय	6.72	6.01	8.49	7.19
बिरोजा/तारपीन की कुल लागत (प्रति कुन्तल)	279.26	259.57	250.61	299.85
उत्पादन				
बिरोजा (लाख कुन्तलों में)	1.29	1.26	1.14	0.96
तारपीन (हजार किलो लीटरों में)	3.22	3.06	2.83	2.36

लागत में वृद्धि के निम्न कारण प्रबन्धकों द्वारा बताये गये (अक्तूबर 1978) :

(i) वेतन एवं मजदूरी तथा मरम्मत व्यय अपरिवर्तनशील प्रकृति के हैं। 1976–77 और 1977–78 के दौरान उत्पादन में गिरावट के कारण प्रति इकाई लागत बढ़ गई। 1977–78 के दौरान महंगाई भत्ते में वृद्धि के कारण भी प्रति इकाई लागत बढ़ गई।

(ii) पैकिंग-सामग्री में लकड़ी के स्थान पर जस्ती सादा चादर के प्रयोग के कारण 1976–77 और 1977–78 के दौरान उत्पादन व्यय बढ़ गये।

(iii) 1975–76 से 1977–78 के दौरान "अन्य व्ययों" में वृद्धि ब्याज प्रभार में वृद्धि के कारण थी।

(iv) 1976–77 और 1977–78 के दौरान विक्रय एवं वितरण व्ययों में वृद्धि निर्यात व्ययों में वृद्धि के कारण थी ।

(ख) निम्न तालिका 1977–78 तक के चार वर्षों के दौरान रबर एमलसीफायर की प्रति कुन्तल विक्रय लागत और उत्पादित मात्रा दर्शाती है:

	1974–75	1975–76	1976–77	1977–78
			(रुपयों में)	
कच्चा माल	311.89	249.26	232.46	283.96
मजदूरी	114.24	10.59	16.92	16.16
शक्ति एवं ईंधन	117.87	18.20	18.28	14.00
उत्पादन व्यय	128.75	136.14	120.59	130.22
वेतन	45.33	4.27	6.55	4.90
ह्रास	235.74	24.52	67.39	32.19
अधिकार शुल्क (रायल्टी)	21.74	24.70	34.38	23.83
ब्याज	320.96	108.10	129.06	46.73
योग	1,296.52	575.78	625.63	551.99
उत्पादन (कुन्तलों में)	551	5,384	3,665	5,157

प्रति कुन्तल विभिन्न व्यय मदों में वृद्धि के कारण, जैसा कि प्रबन्धकों ने बताये (अक्तूबर 1978), निम्नलिखित थे:–

(i) 1976–77 के दौरान मजदूरी और वेतन की इकाई लागत उत्पादन में गिरावट के कारण और 1977–78 में अंशत: उत्पादन में गिरावट के कारण और अंशत: मजदूरी में वृद्धि के कारण बढ़ गयी ।

(ii) भट्ठी तेल का उपभोग 1975–76 और 1976–77 के दौरान 1977–78 की अपेक्षा अधिक था, क्योंकि संयंत्र लगातार नहीं चला और केटलिस्ट (एक रसायन) की पुनर्प्राप्ति (रिकवरी) रबर एमलसीफायर के उत्पादन के साथ नहीं की गई । इस प्रकार इन दो वर्षों में 0.50 लाख रुपये मूल्य का 0.50 लाख लीटर भट्टी तेल का अधिक उपभोग हुआ ।

(iii) 1975–76 के दौरान उत्पादन व्ययों में वृद्धि और 1976–77 में कमी, सम्बन्धित वर्षों के लेखों में रसायन पर हुये व्यय के अधि प्रभार और न्यून प्रभार के कारण थी ।

(iv) 1975–76 और 1976–77 के दौरान ब्याज प्रभार का अधिक भार मुख्यत: बैंक ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज के अपेक्षाकृत भारी भुगतान के कारण था ।

(v) 1976–77 के दौरान ह्रास में असामान्य वृद्धि, अंशत: ह्रास का तीन पारियों के आधार पर प्राविधान करने के कारण और अंशत: उत्पादन में गिरावट के कारण थी ।

4.07. **समयोपरि/अच्छे कार्य के लिये बोनस**

निम्न तालिका 1977–78 तक की चार वर्षों में कम्पनी के कर्मियों को समयोपरि/अच्छे कार्य के लिये बोनस का भुगतान और उत्पादन की कुल मात्रा दर्शाती है:

	समयोपरि/अच्छे कार्य के लिये बोनस	उत्पादन
	(लाख रुपयों में)	(मट्रिक टनों में)
1974–75	1.35	15,967
1975–76	1.74	15,960
1976–77	1.00	14,287
1977–78	1.53	12,231

1976–77 में समयोपरि/अच्छे कार्य के लिये बोनस के भुगतान में कमी मुख्यत: जीवन यापन लागत सूचनांक (कास्ट आफ लिविंग इन्डैक्स) में गिरावट के कारण थी ।

प्रबन्धकों ने बताया (अक्तूबर 1978) कि अधिकतर मामलों में अच्छे कार्य के लिये बोनस का भुगतान कर्मियों द्वारा अधिक घण्टे कार्य करने के आधार पर किया गया था और यह कि अनुपस्थितों की संख्या में वृद्धि के कारण, 1975–76 से 1977–78 के दौरान अच्छे कार्य के लिये बोनस का भुगतान बढ़ गया । 1977–78 के दौरान मजदूरी में वृद्धि भी अच्छे कार्य के लिये बोनस के अधिक भुगतान के लिये उत्तरदायी थी ।

4.08. क्षमता उपयोग

कम्पनी के मुख्य उत्पादन बिरोजा और तारपीन हैं । अन्य उत्पादन ईस्टरगम, रबर इमलसीफायर (व्यापारिक नाम-रोन्डिस–आर) और एयर एन्ट्रेनमेंन्ट एजेन्ट (ए ई ए) हैं ।

(क) बिरोजा संयन्त्र

कम्पनी के पास कच्चा लीसा शोधन करने के दो संयन्त्र हैं। 1974–75 से 1977–78 के दौरान संयन्त्रों की कुल निर्धारित क्षमता, दोनों संयन्त्रों द्वारा वास्तव में शोधित किया गया कच्चा लीसा और क्षमता उपयोग का प्रतिशत निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

	1974–75	1975–76	1976–77	1977–78
		(मैट्रिक टनों में)		
कच्चे लीसे की शोधन क्षमता	22,400	22,400	22,400	22,400
वास्तव में शोधित किया गया कच्चा लीसा	17,125	16,719	15,107	12,659
क्षमता उपयोग का प्रतिशत	76.4	74.6	67.4	56.5

क्षमता उपयोग में उत्तरोत्तर गिरावट मुख्यत: कच्चे लीसे की कम आपूर्ति के कारण प्रबन्धकों द्वारा बताई गई (जून 1978) । यह भी बताया गया कि वन विभाग द्वारा कच्चे लीसे की अनियमित आपूर्ति के कारण कम्पनी को कच्चे लीसे की कुछ मात्रा संचित करनी पड़ी ।

(ख) रबर एमलसीफायर संयन्त्र

1969 के 26.40 लाख रुपये के मूल अनुमान के विरुद्ध 43.58 लाख रुपये की लागत से रबर एमलसीफायर प्लान्ट 1974 में लगाया गया । संयंत्र मार्च 1974 में व्यवसायिक उत्पादन के लिये चालू किया गया और 1973–74 के दौरान 173 कुन्तल रबर एमलसीफायर, व्यापारिक नाम रोडिन्स–आर, आजमाइशी चालन में उत्पादित किया गया। निम्न तालिका 1977–78 तक के चार वर्षों में संयंत्र की प्रतिष्ठापित क्षमता, वास्तविक उत्पादन और प्रतिष्ठापित क्षमता पर वास्तविक उत्पादन का प्रतिशत दर्शाती है:–

	1974–75	1975–76	1976–77	1977–78
		(मैट्रिक टनों में)		
प्रतिष्ठापित क्षमता	1,500	1,500	1,500	1,500
वास्तविक उत्पादन	55	538	366	516
प्रतिष्ठापित क्षमता पर वास्तविक उत्पादन का प्रतिशत	3.7	35.9	24.4	34.4

कम्पनी ने बाजार की खोज किये बिना संयंत्र की स्थापना कर दी । रबर एमलसीफायर बरेली की निजी क्षेत्र की एक ही फर्म को आपूर्त किया जाता है । 1974–75 से 1977–78 की वर्षों के दौरान संयंत्र क्रमश: 285, 162, 202 और 170 दिन नहीं चलाया गया । प्रबन्धकों ने इसका कारण मांग की कमी बताया (जून 1978) ।

कम्पनी के निदेशकों ने अंशधारियों को अपनी रिपोर्ट में बताया (अक्तूबर 1977) कि उपयोगकर्ता फर्म ने अपनी उत्पादन पद्धति में कुछ परिवर्तनों के कारण रोन्डिस-आर की अपनी खपत घटा दी और यह कि कम्पनी इसकी बिक्री के लिये अन्य बाजारों की खोज कर रही थी । यह भी बताया गया कि विदेशी बाजार में रोन्डिस-आर का मूल्य बहुत कम था । प्रबन्धकों ने आगे बताया (सितम्बर 1978) कि संयंत्र की प्रारम्भिक क्षमता बरेली की निजी क्षेत्र की एक ही फर्म की अनुमानित आवश्यकता पर निर्धारित की गई थी और यह कि वे अब इस उत्पादन के लिये कुछ अन्य ग्राहकों को पाने में समर्थ हुये हैं ।

(ग) ईस्टरगम

निम्न तालिका 1974–75 और 1975–76 की वर्षों के दौरान ईस्टरगम की उत्पादन लागत और प्रतिष्ठापित क्षमता के आमने-सामने उत्पादित की गई मात्रा दर्शाती है :

	प्रति कुन्तल उत्पादन लागत (रुपयों में)	प्रतिष्ठापित क्षमता (मैट्रिक टनों में)	उत्पादित की गई मात्रा	क्षमता उपयोग (प्रतिशत)
1974–75	568.29	255	182	71
1975–76	578.24	255	126	49

कम्पनी द्वारा नवम्बर 1975 में ईस्टरगम का उत्पादन रोक दिया गया क्योंकि यह अपनी उच्च उत्पादन लागत के कारण बाजार में प्रतियोगिता न कर सका ।

4.09. तारपीन की बिक्री

बरेली की एक फर्म के साथ 1969–70 से 1971–72 तक की तीन वर्षों के लिये, प्रतिवर्ष 18 लाख लीटर तारपीन की आपूर्ति के लिये एक अनुबन्ध किया गया (अप्रैल 1969) । अनुबन्ध में, अन्य बातों के साथ-साथ, तारपीन की अतिरिक्त मात्रा निजी क्षेत्र की फर्म को पारस्परिक तय की गई दर पर थोक में आपूर्ति करने का प्राविधान था । अक्टूबर 1971 में अनुबन्ध का नवीनीकरण 1972–73 से 1976–77 तक की पांच वर्ष की अवधि के लिये किया गया । 1972–73 के लिये 1.16 रुपये प्रतिलीटर, एक्स फैक्टरी, का मूल्य तय हुआ और अनुबन्ध की शेष अवधि के लिये तीन पैसे प्रति लीटर प्रति वर्ष मूल्य वृद्धि देना तय हुई। अतिरिक्त उपलब्ध मात्रा को पारस्परिक स्वीकार्य दरों पर आपूर्त करने की शर्त के साथ, 20 लाख लीटर की वार्षिक निकासी तय हुई । 1977–78 के दौरान आपूर्ति अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किये बिना ही जारी रही । 1977–78 से 1982–83 तक की वर्षों के लिये आपूर्ति की शर्तें और आदेय मूल्य मई 1978 में तय हुए; औपचारिक अनुबन्ध पर जनवरी 1979 में हस्ताक्षर हुए । अनुबन्ध प्रारूप के अनुसार फर्म 20 लाख लीटर तारपीन या कम्पनी के तारपीन के कुल उत्पादन का 85 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, प्रतिवर्ष उठायेगा । प्रारम्भ में, नवम्बर 1977 तक, तय की गई दरें कम्पनी की मूल्य सूची से 13 पैसे कम थीं । दिसम्बर 1977 से मार्च 1979 तक यह दर 2.15 रुपये प्रति लीटर है और उसके बाद प्रति वर्ष में पांच पैसे प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी ।

निम्न तालिका संविदागत दायित्व के अन्तर्गत आपूर्ति की गई तारपीन की मात्रा और अतिरिक्त मात्रा, तारपीन की उत्पादन लागत (जैसी प्रबन्धकों ने बतायी), फर्म से वसूल की गई दर, और तारपीन की बाजारू दरें जिस पर कि कम्पनी द्वारा यह अन्य पार्टियों को बेची गई, को दर्शाती है :

वर्ष	आपूर्त की गई मात्रा		उत्पादन लागत	वसूल की गई दर		अन्य पार्टियों के लिये विक्रय मूल्य
	अनुबन्ध के अन्तर्गत	अतिरिक्त		अनुबन्ध	अतिरिक्त	
	(लाख लीटरों में)			(रुपये प्रति लीटर)		
1968–69	18.00	5.00	0.95	0.88	0.92	1.05
		0.01			1.03	से 1.18
1969–70	18.00	2.46	1.05	1.03	1.24	1.25
1970–71	18.00	4.00	1.47	1.06	1.24	1.25
		1.80			1.26	
		0.46			1.45	
1971–72	18.00	3.42	1.84	1.09	1.26	1.48
1972–73	20.00	4.75	2.00	1.16	1.16	1.48

वर्ष	आपूर्त की गई मात्रा		उत्पादन लागत	वसूल की गई दर		अन्य पार्टियों के लिये विक्रय मूल्य
	अनुबन्ध के अन्तर्गत	अतिरिक्त		अनुबन्ध	अतिरिक्त	
	(लाख लीटरों में)			(रुपये प्रति लीटर)		
1973–74	20.00	7.13	2.00	1.19	1.19	1.48
1974–75	20.00	6.18	2.14	1.22	1.36	1.48 से 1.64
1975–76	20.00	7.61	1.99	1.25	1.36	1.64
1976–77	20.00	3.32	1.88	1.28	1.36	1.64 से 1.84
1977–78	12.85	0.86	2.23	1.67 से 2.15	2.15	1.80 से 2.55

(क) इन सभी वर्षों में निजी क्षेत्र की फर्म को तारपीन के विक्रय की संविदागत दरें उत्पादन लागत से कम थीं। इन दोनों में अन्तर 1969–70 में दो पैसे प्रतिलीटर से 1974–75 में 92 पैसे प्रति लीटर तक के बीच रहा।

(ख) कम्पनी द्वारा की गई अतिरिक्त आपूर्ति के लिये अनुबन्ध में पारस्परिक तय की गई दरों के लिये व्यवस्था थी लेकिन वसूल की गई दरें अधिकतर उत्पादन लागत और प्रचलित विक्रय मूल्य से कम रहीं।

प्रबन्धकों ने बताया (सितम्बर 1978) कि तारपीन का संविदागत मूल्य और अतिरिक्त आपूर्तियों का मूल्य उस समय प्रचलित बाजारू स्थिति के आधार पर निर्धारित किया गया था।

4.10. सीधी बिक्री

कम्पनी के उत्पादनों की सीधी बिक्री विभिन्न पार्टियों, जैसे कागज की मिलों, पेन्ट और वार्निश उद्योग, साबुन उद्योग और बिरोजा और तारपीन के अन्य उपयोग कर्त्ताओं, से प्राप्त पूछताछों के विरुद्ध की गई। बिलों पर छपी हुई शर्तों के प्राविधानों के अनुसार पार्टियों को 90 दिन की उधार सुविधा दी गई। इसके बाद 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष का ब्याज लगाया जाना था।

परख जांच में यह देखा गया कि 1976–77 के अंत में आठ पार्टियों के विरुद्ध भारी बकाया (35.98 लाख रुपये) थे। कोई ब्याज नहीं वसूला गया।

प्रबन्धकों द्वारा भारी बकायों के निम्न कारण बताये गये (जून 1978) :

(i) उद्योग में गम्भीर सुस्ती,

(ii) बाजार में गिरावट, और

(iii) फैक्टरी में अधिक माल एकत्र होना जिसने कम्पनी को तैयार माल को उधार बेचने के लिये बाध्य किया और अपने ग्राहकों से ब्याज न वसूल कर सकी।

प्रबन्धकों ने यह और बताया (सितम्बर 1978) कि उधार बिक्री अपरिहार्य परिस्थितियों में की गई।

कम्पनी ने अपनी विक्रय नीति में दिसम्बर 1977 में संशोधन किया जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, बाकीदार अभिकर्त्ताओं/पार्टियों को, जब तक कि वे अपने बकायों को साफ नहीं करते, आपूर्ति रोकने का प्राविधान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 1978 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान 35.48 लाख रुपये की कमी हुई।

4.11. विक्रय अभिकरण अनुबन्ध

तीन थोक विक्रय अभिकर्त्ताओं के विक्रय अभिकरण अनुबन्ध 28 फरवरी 1974 को समाप्त हो गये। ये अनुबन्ध, अन्य बातों के साथ-साथ, अभिकर्त्ताओं को कम्पनी के उत्पादनों के बलटरबकगंज तक निष्प्रभार शुद्ध मूल्य पर चार प्रतिशत कमीशन देने की व्यवस्था करते थे और 45 दिन की उधार सुविधायें प्रदान करते थे जिसके बाद 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगाया जाना था। कम्पनी के निदेशक मण्डल ने वर्तमान विक्रय अभिकर्त्ताओं को 1 मार्च 1974 से पांच वर्षों की अवधि के लिये पुनः नियुक्त किया (5 अक्टूबर 1974)। अभिकर्त्ताओं को 45 दिनों की उधार सुविधायें दी गई और उसके बाद 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर निर्धारित की गई। अभिकर्त्ताओं को इस

निर्णय की सूचना देते समय ब्याज की उच्च दर (11 प्रतिशत के स्थान पर 18 प्रतिशत) लगाने की तारीख 1 मार्च 1974 के स्थान पर 1 अगस्त 1974 सूचित कर दी गई (अक्टूबर 1974)। इसके परिणामस्वरूप एक लाख रुपये के ब्याज की हानि, जैसा कि प्रबन्धकों ने अनुमान लगाया, हुई।

ब्याज की उच्च दर लागू करने की पुनरीक्षित तारीख, अर्थात्, 1 अगस्त 1974 बाद में निदेशक मण्डल द्वारा दिसम्बर 1974 में अनुमोदित कर दी गई। त्रुटि के लिये कोई उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया है (दिसम्बर 1978)।

4.12. **विविध देनदार**

निम्न तालिका 1977–78 तक की चार वर्षों के दौरान विविध देनदारों से प्राप्य बकाया और तैयार माल की बिक्री पर देनदारों का प्रतिशत दर्शाती है :

वर्ष	वर्ष के अन्त में विविध देनदार	वर्ष के दौरान बिक्री	विक्रय पर विविध देनदारों का प्रतिशत
	(लाख रुपयों में)		
1974–75	108.25	399.23	27.1
1975–76	134.84	348.03	38.7
1976–77	191.38	436.83	43.8
1977–78	74.98	393.39	19.1

प्रबन्धकों ने बताया (सितम्बर 1978) कि पिछले वर्षों के दौरान विक्रय पर विविध देनदारों के बढ़े हुये प्रतिशत प्रतिकूल बाजारू स्थितियों के कारण थे।

4.13. **वित्त एवं लेखे**

(क) (i) कम्पनी द्वारा लेखा नियम पुस्तिका और क्रय क्रिया विधि संकलित नहीं की गई है।

प्रबन्धकों ने बताया (सितम्बर 1978) कि नियम-पुस्तिका तैयार करने की कार्यवाही वर्तमान वर्ष में की जायेगी और यह कि राज्य सरकार की वित्त हस्त पुस्तिका में निर्धारित क्रय क्रिया विधियां अपनाई गई थीं।

(ii) लागत नियंत्रण पद्धति लागू नहीं की गई है।

(ख) आंतरिक सम्परीक्षा का क्षेत्र और कार्य को निर्धारित करने वाली कोई नियम पुस्तिका नहीं है।

4.14. **भंडार सूची नियंत्रण**

निम्न तालिका 1977–78 तक के चार वर्षों में से प्रत्येक के अंत में निर्मित माल (निर्माणाधीन सामान को सम्मिलित करते हुये), कच्चा माल और सामान तथा अतिरिक्त कल पुर्जों की भण्डार सूची दर्शाती है:

विवरण	1974–75		1975–76		1976–77		1977–78	
	मूल्य	औसत मासिक विक्रय/ उपभोग के रूप में	मूल्य	औसत मासिक विक्रय/ उपभोग के रूप में	मूल्य	औसत मासिक विक्रय/ उपभोग के रूप में	मूल्य	औसत मासिक विक्रय/ उपभोग के रूप में
				(मूल्य लाख रुपयों में)				
निर्मित एवं अर्द्ध निर्मित माल								
बिरोजा	84.6	2.9	150.6	7.1	62.0	2.1	25.8	1.1
तारपीन	4.2	1.2	2.8	0.8	3.1	1.0	8.4	2.4
ईस्टरगम	8.2	10.8	12.4	37.5	9.1	31.3	1.9	2.9
रोज्डिस-आर	2.6	8.0	3.4	0.9	1.5	0.4	0.2	0.1

विवरण	1974-75		1975-76		1976-77		1977-78	
	मूल्य	औसत मासिक विक्रय/ उपभोग के रूप मे	मूल्य	औसत मासिक विक्रय/ उपभोग के रूप मे	मूल्य	औसत मासिक विक्रय/ उपभोग के रूप मे	मूल्य	औसत मासिक विक्रय/ उपभोग के रूप मे
				(मूल्य लाख रुपयों मे)				
कच्चा माल								
कच्चा लीसा	54.8	1.9	41.2	1.6	58.8	2.7	81.2	3.7
सामान तथा अतिरिक्त कल पुर्जे	48.7	21.3	41.6	16.0	31.9	12.5	30.5	15.7

1974-75 से 1977-78 तक के वर्षों के लिये किये गये भण्डार/रहतिये के प्रत्यक्ष सत्यापन ने नीचे दिखाई गयी कमियां दर्शायीं:

वर्ष	कमियां (लाख रुपयों में)
1974-75	0.37
1975-76	0.95
1976-77	0.52
1977-78	2.97
योग	4.81

कमियों की छान-बीन नहीं की गई है (दिसम्बर 1978)।

प्रबन्धकों ने बताया (सितम्बर/अक्तूबर 1978) कि भण्डार में कमियों के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिये कार्यवाही की जा रही थी।

4.15. **निष्कर्ष**

कम्पनी, जिसे राज्य सरकार ने 1947 में लिया, अपने को तारपीन के बाजार में सुस्थापित न कर सकी और यह उत्पादन को उत्पादन मूल्य से कम पर बेचने के लिये बाध्य हुई।

कम्पनी अपनी पुरानी मशीन और संयंत्र से काम कर रही है और नये पदार्थ, अर्थात् रोन्डिस-आर के उत्पादन के लिये 43.58 लाख रुपये की पूंजीगत लागत से 1974 में की गई वृद्धियां कम उपयोगी सिद्ध हुईं क्योंकि इसके विक्रय के लिये बाजार की समीक्षा किये बिना ही एक निजी क्षेत्र की फर्म की आवश्यकता को ही ध्यान में रखा गया था।

जबसे कम्पनी ने अपना उत्पादन प्रारम्भ किया तब से बहुत से वर्षों में प्राप्त किये गये अनुभव के बावजूद भी, इसके मुख्य उत्पादनों की किस्म में सामान्यतयः ह्रास हुआ और उत्पादन में गिरावट के कारण लागत बढ़ती रही। उत्पादनों में से एक अर्थात् ईस्टरगम को नवम्बर 1975 में बन्द करना पड़ा क्योंकि यह उच्च उत्पादन लागत के कारण बाजार में प्रतिस्पर्धा न कर सका।

1974-75 से 1977-78 के दौरान रहतिया और भण्डार के प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान 4.81 लाख रुपये मूल्य की कमियां पाई गईं। इन कमियों की अभी जांच पड़ताल करनी है।

अनुभाग V

अन्य सरकारी कम्पनियां

उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड

5.01. उत्पाद शुल्क/बिक्री कर न लगाना

साधारण 'पोर्टलैण्ड' ब्राण्ड सीमेन्ट पर सीमेन्ट फैक्टरियों द्वारा वसूल किये गये पैकिंग खर्चों पर पहली अक्तूबर 1975 से 35 प्रतिशत यथामूल्य मूल उत्पाद शुल्क 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क के साथ उगाहा जाना था। बाद में पैकिंग खर्चों पर शुल्क भारत सरकार द्वारा निजी स्टाकिस्टों के सम्बन्ध में 17 दिसम्बर 1975 से और डायरेक्टर जनरल, सप्लाइज एण्ड डिस्पोजल्स के साथ दर संविदा पर आपूर्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में 9 जनवरी 1976 से हटा दिया गया।

कम्पनी की डाला इकाई ने पहली अक्तूबर 1975 से आठ जनवरी 1976 की अवधि के दौरान डायरेक्टर जनरल, सप्लाइज एण्ड डिस्पोजल्स के साथ दर संविदा पर आपूर्तिकर्ताओं को की गई बिक्री और पहली अक्तूबर 1975 से 16 दिसम्बर 1975 की अवधि के दौरान निजी स्टाकिस्टों को की गई बिक्री पर भी पैकिंग खर्चों के ऊपर उत्पाद शुल्क नहीं लगाया और न ही वसूल किया, जिसका विवरण नीचे दिया है:

उपभोक्ताओं की श्रेणी	पैकिंग खर्चों की धनराशि	38.5 प्रतिशत उत्पाद शुल्क की धनराशि (35 प्रतिशत तथा 35 प्रतिशत पर 10 प्रतिशत) (लाख रुपयों में)
दर संविदा पर पार्टियां	8.75	3.37
निजी स्टाकिस्ट	23.67	9.11
		12.48

पैकिंग खर्चों के ऊपर उत्पाद शुल्क पर आठ प्रतिशत की दर से बिक्री कर (1.00 लाख रुपये) भी नहीं लगाया और वसूल भी नहीं किया जा सका। निजी पार्टियों से बिक्री कर की देय धनराशि 0.73 लाख रुपये निकलती थी।

इस प्रकार, आदेशों के लागू न करने के कारण कम्पनी अपने ग्राहकों से 13.48 लाख रुपये न वसूल कर सकी।

प्रबन्धकों/सरकार ने बताया (फरवरी/मार्च 1979) कि अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मिर्जापुर द्वारा मूल्य सूची अनुमोदित होने के कारण कम्पनी ने न तो ग्राहकों से पैकिंग खर्चों पर उत्पाद शुल्क वसूल किया था और न ही उसे आबकारी विभाग को भुगतान किया था। आगे यह बताया गया कि आबकारी विभाग ने बाद में (मार्च 1978) पैकिंग खर्चों पर उत्पाद शुल्क की मांग की थी जिसके विरुद्ध एक याचना वृत्ति कम्पनी द्वारा अपीलीय कलेक्टर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नई दिल्ली के समक्ष दर्ज करायी गयी, जो अनिर्णीत थी (मार्च 1979)।

5.02. दोषपूर्ण लिंकों का क्रय

कम्पनी की डाला इकाई ने मेसर्स विशेस्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड भद्रावती, कर्नाटक सरकार के एक उपक्रम, को 16" और 20" माप की 205 लिंकों (मूल्य 0.54 लाख रुपये) की आपूर्ति

के लिये एक आदेश दिया (मई 1974)। आदेश की शर्तों के अनुसार लिंकों का प्रेषण से पूर्व कम्पनी द्वारा निरीक्षण किया जाना था । आपूर्ति मई 1975 तक पूर्ण की जानी थी । 25 प्रतिशत भुगतान अग्रिम और शेष प्रेषण अभिलेखों के विरुद्ध किया जाना था । अगस्त 1974 में आपूर्तिकर्ता को 0.14 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान किया गया । जुलाई 1976 में आदेश की मात्रा 16" लिंकों की संख्या बढ़ाकर और 20" लिंकों की संख्या घटाकर परिवर्तित की गई जो आदेश के मूल्य में कुल 0.08 लाख रुपये की कमी में परिणीत हुई ।

अक्तूबर 1976 में आपूर्तिकर्ता ने सूचित किया कि 16" माप की 107 लिंकें प्रेषण हेतु तैयार थीं और प्रेषण-पूर्व निरीक्षण के लिये प्रार्थना की जिसको सामान्य प्रबंधक ने, इस आधार पर कि आपूर्तिकर्ता एक प्रतिष्ठित फर्म थी, छोड़ दिया (नवम्बर 1976)। आपूर्तिकर्ता द्वारा 16" माप की 124 लिंकों का प्रेषण जनवरी 1977 में किया गया और उसी माह रेलवे रसीद के विरुद्ध 0.22 लाख रुपये का भुगतान किया गया ।

फैक्टरी के उत्पादन अभियन्ता द्वारा अप्रैल 1977 में सामान के निरीक्षण पर तीन नग चटके हुये पाये गये और शेष निम्नलिखित दोषों के कारण प्रयोग के लिये ठीक नहीं पाये गये :

(i) खराब कारीगरी ।

(ii) मेल और फीमेल पुर्जों की परिसज्जा एवं फिटिंग स्तर की नहीं थी ।

(iii) ऊष्मा उपचार उचित प्रकार से नहीं किया गया था ।

मई 1977 में आपूर्तिकर्ता से शेष सामान की आपूर्ति रोक देने और पहले आपूर्त किये गये दोषपूर्ण सामान को बदलने के लिये प्रार्थना की गई । आपूर्तिकर्ता तीन चटके हुये नगों को छोड़कर अन्य सामान को बदलने के लिये सहमत नहीं हुआ (सितम्बर 1977) ; यहां तक कि ये भी बदले नहीं गये हैं और अनुपयुक्त पड़े हुये हैं (मार्च 1979) ।

प्रेषण के पूर्व सामान का निरीक्षण छोड़ देना 0.30 लाख रुपये मूल्य के दोष पूर्ण सामान की आपूर्ति में परिणत हुआ । 0.06 लाख रुपये का अग्रिम भी असमायोजित पड़ा हुआ था (मार्च 1979) ।

प्रेषण के पूर्व सामान का निरीक्षण छोड़ देने के प्रबन्धकों/सरकार द्वारा बताये गये (दिसम्बर 1978/जनवरी 1979) कारण निम्न प्रकार थे:–

(i) आपूर्तिकर्ता फर्म प्रतिष्ठा वाला एक राजकीय उपक्रम था, और

(ii) सामान के निरीक्षण के लिये प्रशिक्षित कार्मिक अलग से कर्नाटक भेजने में कठिनाई थी ।

प्रबन्धकों/सरकार द्वारा यह भी बताया गया कि धनराशि की वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही थी ।

उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड

बाराबंकी इकाई

5.03. (क) मिल की बन्दी

रुग्ण चीनी मिलों के अधिग्रहण के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के वर्ष 1975–76 के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) के अनुच्छेद 2.04 (क) में उल्लेख किया गया था । जुलाई 1971 में अधिगृहीत बाराबंकी मिल के यंत्र व संयंत्र पुराने ढंग के थे । संयंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग (60 टीथ गीयर और पिनियन) मिल के अधिगृहीत किये जाने की तिथि से संतोषजनक सेवा नहीं प्रदान कर रहा था । मिल के सामान्य प्रबन्धक ने कम्पनी के मुख्यालय को गीयर की बिगड़ी हुई दशा के बारे में सूचित किया लेकिन तथा कथित पुर्जे की समय समय पर मरम्मत करके काम चलाया जाता रहा । सामान्य प्रबन्धक ने अप्रैल 1976 में कम्पनी को सूचित किया कि पुर्जे की बृहत मरम्मत या प्रतिस्थापन की आवश्यकता थी । तथापि, पुर्जे की आपूर्ति के लिये आदेश मई 1977 में दिया गया और पुर्जा सितम्बर 1977 तक प्राप्त किया जाना था । आपूर्तिकर्ता द्वारा कुछ तकनीकी स्पष्टीकरण मांगे जाने व उनके कारखाने में बृहत तालाबन्दी के कारण पुर्जे की आपूर्ति समय से नहीं की गई और सम्पूर्ति

आदेश के मूल्य के अधिकतम 5 प्रतिशत के प्रतिबन्ध के साथ आधा प्रतिशत प्रति सप्ताह का दण्ड नहीं लगाया गया । संयंत्र पुराने पुर्जे से चलता रहा जो 18 अप्रैल 1978 को टूट गया और मिल इसीलिए बन्द करनी पड़ी । गन्ना आयुक्त के आदेशों के अन्तर्गत मिल में पेरने के लिये उद्दीष्ट गन्ना बाराबंकी मिल की लागत से बुढ़वल मिल तक ढोया गया । इस प्रकार, मिल के बन्द होने से 8 मई 1978 तक गन्ने की ढुलाई पर 2.50 लाख रुपये का परिहार्य व्यय (लदाई, उतराई, ढुलाई व्यय, आदि–1.05 लाख रुपये और बाराबंकी मिल में निष्क्रिय श्रमिकों की मजदूरी–1.45 लाख रुपया) किया गया । यदि कम्पनी द्वारा आदेश तभी दे दिया जाता जब कि सामान्य प्रबन्धक ने अप्रैल 1976 में पहली बार कमियां पाईं और कम्पनी को सूचित कीं, तो 2.50 लाख रुपये के व्यय को बचाया जा सकता था ।

प्रबन्धकों ने बताया (सितम्बर 1978) कि मिल मजबूरी की दशाओं में बन्द की गई थी और गन्ने के दिशा परिवर्तन के कारण मिल द्वारा उठाई गई हानियां अपरिहार्य थीं । बन्द होने की तिथि का विचार किये बिना मिल स्थायी आदेशों के अन्तर्गत 8 मई 1978 तक की अवधि के लिये सामयिक कर्मचारियों को मजदूरी भुगतान करने के लिये बाध्य थी ।

(ख) क्रय कर का भुगतान न करना

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) अधिनियम, 1961 की धारा 3 अ के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा, उपभोग या विक्रय हेतु मिल से चीनी उठने के पूर्व, सरकार को गन्ने पर क्रय कर का भुगतान किया जाना होता है जिसमें असफल होने पर दण्ड आरोप्य है ।

1973–74 से 1975–76 तक के वर्षों के लिये कम्पनी की बाराबंकी इकाई ने मिल से चीनी उठाने से पहले गन्ने पर देय 9.10 लाख रुपये के क्रय कर का भुगतान नहीं किया। इकाई के प्रतिवेदन, कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण समय से भुगतान नहीं किया जा सका, पर विचार करने के बाद जिलाधीश,बाराबंकी ने कर के भुगतान में विलम्ब के लिये 0.32 लाख रुपये (अप्रैल 1977: 0.14 लाख रुपये, मई 1977: 0.08 लाख रुपये और जनवरी 1978 : 0.10 लाख रुपये) का दण्ड लगाया ।

प्रबन्धकों ने बताया (अगस्त 1978) कि राहत प्रदान करने के लिये गन्ना आयुक्त के यहां एक अपील दर्ज कराई गई थी ।

मामला जुलाई 1978 में सरकार को सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1979) ।

किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड

5.04. विद्युत व्यय

'दीर्घ एवं भारी, शक्ति उपभोक्ताओं पर लागू राज्य विद्युत परिषद् की दर सूची के अनुसार, यदि मिल को दी गई शक्ति गैर-औद्योगिक उद्देश्य के लिये प्रयोग की जाती है, तो ऐसी लाइन उपभोक्ता द्वारा पृथक कर देनी चाहिये और पृथक मीटर लगाया जाना चाहिये । इस प्रकार पृथक अंकित उपभोग उचित दर सूची के अन्तर्गत चार्ज किया जाता है । यदि उपभोक्ता गैर-औद्योगिक उपभोग को पृथक अंकित करने में असफल रहता है तो सम्पूर्ण उपभोग मिश्रित भार पर लागू उच्चतर दर पर चार्ज किया जाना होता है ।

कम्पनी के पास 1,000 के वी ए का एक स्वीकृत भार था । तथापि, उसने मिल और आवासीय कालोनी की लाइनें जून 1977 तक पृथक नहीं कीं । परिषद् ने मिश्रित भार दर सूची के अन्तर्गत उच्चतर दर पर उपभोक्ता को मासिक बिल भेजे जिसके परिणामस्वरूप अक्तूबर 1975 से जून 1977 की अवधि के लिये परिषद् को 3.95 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ ।

मामला प्रबन्धकों को अक्तूबर 1977 में और सरकार को जुलाई 1978 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1979) ।

उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कार्पोरेशन लिमिटेड

5.05. 'हुक्कों' का निर्माण एवं विक्रय

पीतल के बर्तनों के उद्योग के विकास और पीतल तथा अन्य सम्बन्धित उद्योगों में लगे छोटे कारीगरों को सुरक्षित व उत्साहित करने हेतु एक करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ 12 फरवरी

1974 को कम्पनी का गठन किया गया । 31 मार्च 1977 को कम्पनी की प्रदत्त पूंजी 0.47 करोड़ रुपए थी ।

जून 1977 में कम्पनी ने 280 रुपये प्रति की दर से 2,400 पीतल के सफरी हुक्कों (लागत बीमा भाड़ा मूल्य : 6.72 लाख रुपये) की आपूर्ति के लिये एक विदेशी क्रेता से (उसके स्थानीय अभिकर्त्ता के माध्यम से) एक आदेश प्राप्त किया । आदेश के जहाज तक निःशुल्क मूल्य (257 रुपये प्रति) पर 10 प्रतिशत कमीशन (5 प्रतिशत परेषण के प्रेषण के तुरन्त बाद और शेष 5 प्रतिशत क्रेता से भुगतान की प्राप्ति पर) अभिकर्त्ता को देय था । जून 1977 से मार्च 1978 के दौरान, कम्पनी ने 1,339 हुक्कों (लागत : 2.56 लाख रुपये) का निर्माण किया जिसमें से 800 हुक्के (लागत बीमा भाड़ा मूल्य : 2.24 लाख रुपये) अक्तूबर 1977 से जनवरी 1978 तक विदेशी क्रेता को भेजे गये । एक विदेशी बैंक के माध्यम से भुगतान के लिये भेजे गये कागजात (दिसम्बर 1977 और जनवरी 1978) विदेशी क्रेता द्वारा नहीं छुड़ाये गये । जनवरी 1978 में क्रेता ने खराब कारीगरी और अनियमित तथा खिसकी हुई चूड़ियों के आधार पर सामान लेने से इंकार कर दिया और कम्पनी से बाद वाले प्रेषणों/पोत लदानों को रोक देने की प्रार्थना की क्योंकि वह कम्पनी से इस विषय पर भविष्य की किसी भी सूचना को ग्रहण नहीं करेगा या उत्तर नहीं देगा । तथापि, कम्पनी ने 200 हुक्कों का एक अन्य परेषण प्रेषित कर दिया (फरवरी 1978) जो कस्टम अधिकारियों द्वारा उसकी निकासी न करने के कारण जलपोत द्वारा नहीं भेजा जा सका । बम्बई के नौ परिवहन अभिकर्त्ताओं से परेषण वापिस मंगा लिया गया (जुलाई 1978) । इस परेषण पर ढुलाई, लदाई, उतराई, भण्डार किराया आदि पर कम्पनी ने 0.08 लाख रुपया व्यय किया ।

विदेश भेजे गये आठ सौ नग (मूल्य : 1.53 लाख रुपये) विदेशी समुद्र तट पर पड़े हुए थे और 539 नग (मूल्य : 1.03 लाख रुपये) कम्पनी के स्कन्ध में पड़े हुए थे (मई 1978) । कम्पनी ने स्थानीय अभिकर्ता को 0.10 लाख रुपये का अभिकर्ता कमीशन भी भुगतान किया था ।

प्रबन्धकों/सरकार ने बताया (अक्तूबर 1978 / जनवरी 1979) कि समस्या को व्यक्तिगत रूप से देखने हेतु कम्पनी के विपणन प्रबन्धक को सऊदी अरब भेजा जा रहा है । आगे यह बताया गया कि अभिकर्ता को भुगतान किया गया कमीशन लौटाने और अन्य कोई हानियां, जो कम्पनी को उठानी पड़े, वहन करने के लिये सूचना दी जा चुकी थी ।

उत्तर प्रदेश स्टेट ऐग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड

5.06. मटर का क्रय और प्रक्रियाकरण

फरवरी और मार्च 1977 में कम्पनी ने अपनी फल प्रक्रियाकरण मिल, कायमगंज (फर्रुखाबाद) में प्रक्रियाकरण और टिन के आधान पात्रों में पैकिंग करने हेतु 0.70 रुपया प्रति किलोग्राम की दर पर 1.48 लाख किलोग्राम हरी मटर क्रय की । फरवरी और मार्च 1977 के दौरान, 800 ग्राम प्रत्येक के 1.42 लाख आधानपात्रों में मटर का प्रक्रियाकरण और पैकिंग की गई । बिक्री प्रारम्भ होने से पहले ही आधानपात्रों में मटर फफूंद लगी हुई पायी गयी । कम्पनी द्वारा मई 1977 में नियुक्त एक समिति ने सूचित किया (मई 1977) कि आधानपात्रों में मटर फफूंद गयी थी, जंक लगी हुई थी और बिक्री योग्य नहीं थी । खाद्य पदार्थ के खराब होने के कारणों का पता लगाने के लिये सितम्बर 1977 में नियुक्त एक अन्य समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा (जनवरी 1978) कि (i) दैनिक क्रय आधिक्य में होने के कारण मटर का उसी दिन प्रक्रियाकरण नहीं किया जा सका जो उनके संदूषण में प्रतिफलित हुआ; (ii) सिलाई मशीन के चालन में त्रुटि, टिनों में मटर की फफूंदी में प्रतिफलित हुई ; (iii) टिनों का उचित ऊष्मा नियंत्रण परीक्षण नहीं किया गया था जो जंक लगने में प्रतिफलित हुआ ; (iv) मटर की ब्लीचिंग (विरंजन) नहीं की गई थी जिससे खाद्य पदार्थ मानव उपभोग के योग्य नहीं रहा ; और (v) कूलिंग टैंक में जल दूषित था ।

सम्पूर्ण स्कन्ध (1.42 लाख आधानपात्रों में मटर–मूल्य : 4.26 लाख रुपए) कम्पनी द्वारा मानव उपभोग के अयोग्य घोषित किया गया (फरवरी 1978) । कम्पनी ने लगभग 0.05 लाख विक्रय योग्य टिनों (मूल्य : 0.15 लाख रुपए) के निकल आने की प्रत्याशा की (फरवरी 1978) । इस प्रकार, मटर का क्रय आधिक्य और त्रुटिपूर्ण प्रक्रियाकरण कम्पनी को 4.11 लाख रुपए की हानि में प्रतिफलित हुआ ।

मामला प्रबंधकों को अप्रैल 1978 में और सरकार को जून 1978 में सूचित किया गया ; उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1979)।

उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड

5.07. स्टेनलेस स्टील शीटों की हानि

कम्पनी ने सितम्बर 1975 में, 15,000 किलोग्राम "जापान मेक" स्टेनलैस स्टील शीटों की आपूर्ति हेतु बम्बई की एक फर्म को एक आदेश दिया। आपूर्तिकर्ता ने दिसम्बर 1975 में 0.64 लाख रुपए मूल्य के सामान का प्रेषण किया और प्रेषण कागजात बैंक के माध्यम से भेजे जो 95 प्रतिशत अग्रिम भुगतान (0.61 लाख रुपए) करने के बाद छुड़ा लिये गए (दिसम्बर 1975)।

प्राप्त होने पर (जनवरी 1976) शीटें स्वदेशी होने के कारण अस्वीकृत कर दी गयीं। आपूर्तिकर्ता से या तो सामान बदल देने या भुगतान की गयी राशि लौटा देने के लिए कहा गया (फरवरी 1976)। जुलाई 1976 में आपूर्तिकर्ता सामान बदल देने के लिये सहमत हुआ और कम्पनी से सामान सड़क परिवहन के द्वारा उनको भेजने और कागजात बैंक के माध्यम से प्रेषित करने के लिए प्रार्थना की।

सामान, बिना मार्ग बीमा कराये, एक स्थानीय सड़क परिवहन एजेन्सी के माध्यम से 5 अगस्त 1976 को प्रेषित किया गया। सामान आपूर्तिकर्ता के पास नहीं पहुंचा और आपूर्तिकर्ता द्वारा मार्ग में खो गया बताया गया (मार्च 1977) क्योंकि यह सड़क परिवहन एजेन्सी के पास उपलब्ध नहीं था।

कम्पनी ने आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध एक दीवानी मुकद्दमा जनवरी 1978 में दायर किया जो न्यायालय में चल रहा है (मार्च 1979)।

मामला प्रबंधकों को अप्रैल 1978 में और सरकार को जून 1978 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1979)।

गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड

5.08. भण्डार में कमियां

राज्य सरकार के आदेशों के अन्तर्गत पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड, फैजाबाद की चार लघु चीनी इकाइयां अक्तूबर 1976 में कम्पनी को स्थानान्तरित की गईं। चार इकाइयों में से एक का प्रबंधक, जो भण्डार का कार्यभार लिये हुए था, बाद में (जनवरी 1977) पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड को वापिस स्थानान्तरित कर दिया गया लेकिन उसने भण्डार का कार्यभार नहीं सौंपा। 1976–77 के अन्त में भण्डार के भौतिक सत्यापन पर 1.18 लाख रुपए मूल्य की कमी (चीनी मिश्रित शीरा : 1.11 लाख रुपए, प्रेसमड : 0.04 लाख रुपए और कार्यालय उपस्कर : 0.03 लाख रुपए) पायी गई। प्रबंधक ने पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड में कार्यभार ग्रहण करने के स्थान पर अपनी पद अवनति के विरुद्ध उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण से एक स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया (अप्रैल 1977) और कम्पनी के मुख्यालय पर तैनात है।

प्रबंधकों ने बताया (नवम्बर 1978) कि प्रारम्भिक पूछताछ करने के बाद पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट 11 नवम्बर 1978 को दर्ज करायी गयी थी।

मामला सरकार को अगस्त 1978 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1979)।

अध्याय II

सांविधिक निगम

अनुभाग VI

6.01. **प्रस्तावना**

31 मार्च 1978 को राज्य में चार सांविधिक निगम थे, यथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ।

(क) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् की स्थापना विद्युत् (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अन्तर्गत पहली अप्रैल 1959 को हुई थी। 1977–78 के लेखे परिषद् ने नहीं अपनाये हैं (दिसम्बर 1978)। अस्थायी लेखे दर्शाते हैं कि परिषद् को पिछले वर्ष में 417.86 लाख रुपए की हानि के विरुद्ध वर्ष 1977–78 के दौरान 2,309.35 लाख रुपए की हानि हुई ।

(i) **ऋण पूंजी**

अनन्तिम लेखाओं के अनुसार 1977–78 के अन्त में परिषद् द्वारा प्राप्त सरकारी ऋणों, बाण्डों, ऋण–पत्रों और निक्षेपों सहित दीर्घावधि ऋणों का योग 1,722.32 करोड़ रुपए था और गत वर्ष के अन्त में 1,508.01 करोड़ रुपये के कुल दीर्घावधि ऋणों के ऊपर 214.31 करोड़ रुपए की वृद्धि प्रतिदर्शित करता था ।

(ii) **गारंटियां**

मार्च 1978 के अन्त में ऋणों और बाण्डों के चुकाने और उन पर ब्याज के भुगतान, प्रोमिसरी नोटों की अदायगी, रोकड़ की उधार सुविधाओं के लिए परिषद् की ओर से सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का योग 262.62 करोड़ रुपए था जिसके विरुद्ध 31 मार्च 1978 को 178.87 करोड़ रुपया बकाया था, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

स्रोत	सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की उच्चतम धनराशि	गारन्टी दी गई और 31 मार्च 1978 को बकाया धनराशि
		(करोड़ रुपयों में)
बाण्डों का सार्वजनिक निर्गमन	86.97	86.97
वित्तीय संस्थाएं (बैंकों सहित)	175.65	91.90
योग	262.62	178.87

सरकार ने असीमित दायित्व के साथ डायरेक्टर जनरल, सप्लाईज एण्ड डिस्पोजल्स के माध्यम से क्रय किये गए भण्डारों की कीमत के भुगतान और भाड़ा और अन्य देयों की रेलवे बोर्ड को भुगतान की भी गारन्टी दी है ।

(iii) वर्ष 1977–78 के लिए अनन्तिम लेखाओं के अनुसार परिषद् के क्रिया–कलापों के सारांशित आर्थिक परिणाम दर्शाते हुए एक सारस्प विवरण परिशिष्ट II में दिया गया है ।

(ख) अन्य सांविधिक निगम

(I) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना पहली जून 1972 को हुई थी। वर्ष 1976–77 एवं 1977–78 के लेखे पूरे नहीं किए गए हैं (मार्च 1979)। गत वर्ष में 251.82 लाख रुपए की हानि के विरुद्ध वर्ष 1975–76 के अनन्तिम लेखाओं ने 176.86 लाख रुपए का लाभ दर्शाया।

गारंटियां

सरकार ने 31 मार्च 1978 तक निगम द्वारा लिए गए ऋणों के चुकाने और उन पर ब्याज के भुगतान की गारन्टी दी है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :–

स्रोत	सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की उच्चतम धनराशि*	गारन्टी दी गई और 31 मार्च 1978 को बकाया धनराशि*
	(लाख रुपयों में)	
इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक आफ इंडिया एवं एक वाणिज्यिक बैंक	2,625.00	1,369.00

(II) उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम

वर्ष 1977–78 के लेखे पूरे नहीं किये गए हैं (दिसम्बर 1978)। गत वर्ष में 53.37 लाख रुपए के शुद्ध लाभ के विरुद्ध 1976–77 के दौरान निगम ने 165.29 लाख रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया।

गारंटियां

सरकार ने 31 मार्च 1978 तक निगम द्वारा लिए गए ऋणों के चुकाने और उन पर ब्याज के भुगतान की गारन्टी दी है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :–

स्रोत	सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों की उच्चतम धनराशि*	गारन्टी दी गई और 31 मार्च 1978 को बकाया धनराशि*
	(लाख रुपयों में)	
स्टेट बैंक आफ इण्डिया	350.00	350.00

(III) उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

(i) पूंजी

31 मार्च 1978 को पूंजी 495 लाख रुपये थी जो गत वर्ष के अन्त में 375 लाख रुपये की पूंजी के ऊपर 120 लाख रुपये की वृद्धि प्रदर्शित करती है।

(ii) दीर्घावधि ऋण

31 मार्च 1978 को निगम द्वारा प्राप्त दीर्घावधि ऋणों का शेष 3,365.43 लाख रुपए था। आर्थिक स्रोतों के अनुसार शेष का ब्यौरा नीचे दिये गए अनुसार था :–

स्रोत	धनराशि (लाख रुपयों में)
राज्य सरकार	38.03
बाण्डों का सार्वजनिक निर्गमन	1,974.88
रिजर्व बैंक आफ इण्डिया एवं इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक आफ इंडिया	1,352.52
योग	3,365.43

*आंकड़े वर्ष 1977–78 के वित्त लेखाओं के अनुसार

(iii) **गारंटियां**

राज्य सरकार ने अंशपूंजी को चुकाने और उस पर वार्षिक लाभांश के भुगतान, बाण्डों को चुकाने और उन पर ब्याज के भुगतान की गारन्टी दी है जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है :–

सूक्ष्म विवरण	गारन्टी की गई उच्चतम धनराशि*	गारण्टी दी गई और 31 मार्च 1978 को बकाया धनराशि*
		(लाख रुपयों में)
अंश पूंजी (3 ½ प्रतिशत लाभांश की भी गारन्टी)	420.00	420.00
बाण्ड्स (उन पर ब्याज की भी गारन्टी)	1,600.00	1,600.00

(iv) **लाभ**

पिछले वर्ष के दौरान 93.24 लाख रुपये के लाभ, जो 375 लाख रुपये की प्रदत्त पूंजी का 24.9 प्रतिशत प्रदर्शित करता है, के विरुद्ध 1977–78 के दौरान निगम ने 105.49 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया जो 495 लाख रुपये की प्रदत्त पूंजी का 21.3 प्रतिशत प्रदर्शित करता है।

6.02. आधुनिकतम उपलब्ध लेखाओं के आधार पर तीन निगमों, यथा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के क्रिया–कलापों के सारांशित आर्थिक परिणाम दर्शाते हुए एक साररूप विवरण परिशिष्ट II में दिया गया है।

---

*आंकड़े वर्ष 1977–78 के वित्त लेखाओं के अनुसार

अनुभाग VII

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्

हर्दुआगंज तापीय शक्ति केन्द्र

7.01. प्रस्तावना

निम्न तालिका, 1977–78 तक के तीन वर्षों के लिये परिषद् की स्थापित क्षमता, विद्युत् उत्पादन एवं विक्रय का विवरण इंगित करती है :

विवरण	1975–76	1976–77	1977–78*
उत्पादन संयंत्रों की स्थापित क्षमता (एम डब्लू में)	2,078.3	2,490.3	2,747.3
कुल विद्युत् उत्पादन (एम के डब्लू एच में)	8,012.5	9,629.9	9,289.3
उत्पादन केन्द्र सहायिकाओं के लिये प्रयुक्त विद्युत् (एम के डब्लू एच में)	543.0	607.3	678.0
परिषद् के उत्पादन से विक्रय हेतु उपलब्ध विद्युत् (एम के डब्लू एच में)	7,469.5	9,022.6	8,611.3
क्रय की गयी विद्युत् (एम के डब्लू एच में)	465.7	725.3	118.1
विक्रय हेतु कुल उपलब्ध विद्युत् (एम के डब्लू एच में)	7,935.2	9,747.9	8,729.4
विद्युत् की बिक्री (एम के डब्लू एच में)	6,246.1	7,432.4	6,937.3
पारेषण एवं वितरण में हानि (एम के डब्लू एच में)	1,689.1	2,315.5	1,792.1
सामान्य अधिकतम मांग (एम डब्लू में)	2,157.0	2,345.0	2,730.0
संबंधित (कनेक्टेड) भार (एम डब्लू में)	3,991.5	4,203.9	4,310.2
भार तत्व (लोड फैक्टर) (प्रतिशत)	33.1	36.2	39.4
स्थापित क्षमता पर उत्पादित विद्युत् का प्रतिशत	43.9	44.1	38.6

* अनन्तिम

विवरण	1975–76	1976–77	1977–78
उत्पादित विद्युत् पर सहायिका खपत का प्रतिशत	6.8	6.3	7.3
विक्रय हेतु उपलब्ध विद्युत् पर पारेषण एवं वितरण हानि का प्रतिशत	21.3	23.8	20.5

7.02. **उत्पादन क्षमता एवं उपयोग**

(क) 1977–78 तक के तीन वर्षों की समाप्ति पर परिषद् के पास हर्दुआगंज को सम्मिलित करते हुए विभिन्न स्रोतों से कुल उपलब्ध उत्पादन क्षमता निम्न प्रकार थी :

	31 मार्च को		
	1976	1977	1978 (अनन्तिम)
	(क्षमता एम डब्लू में)		
क—वाष्प			
ओबरा	550.0	550.0	750.0
पनकी	64.0	284.0	284.0
हर्दुआगंज			
"ए" शक्ति गृह	90.0	90.0	90.0
"बी" शक्ति गृह	210.0	210.0	210.0
"सी" शक्ति गृह	..	60.0	120.0*
नदी तट शक्ति गृह, कानपुर विद्युत् आपूर्ति प्रशासन	75.0	75.0	75.0
अन्य लघु तापीय शक्ति केन्द्र	137.5	137.5	137.5
योग	1,126.5	1,406.5	1,666.5
ख—जल विद्युत्			
रिहन्द	300.0	300.0	300.0
ओबरा जल विद्युत्	99.0	99.0	99.0
खटीमा	41.4	41.4	41.4
यमुना प्रथम चरण	84.7	84.7	84.7
यमुना द्वितीय चरण	240.0	240.0	240.0
कुल्हाल	30.0	30.0	30.0
रामगंगा	66.0	198.0	198.0
माताटीला	30.0	30.0	30.0
गंगा नहर पर अन्य लघु शक्ति केन्द्र	45.2	45.2	45.2
योग	936.3	1,068.3	1,068.3

* "सी" शक्ति-गृह, जो 31 मार्च 1978 को चालू किया गया लेकिन वाणिज्यिक उत्पादन न प्रारम्भ कर सका, के पंचम चरण के 110 मेगावट के अतिरिक्त ।

	31 मार्च को		
	1976	1977	1978 (अनन्तिम)
		(क्षमता एम डब्लू में)	
ग—आन्तरिक ज्वलन	15.5	15.5	12.5
घ—परिषद की अपनी कुल क्षमता	2,078.3	2,490.3	2,747.3
परिषद की अपनी कुल क्षमता पर हर्दुआगंज की क्षमता का प्रतिशत	14.4	14.5	15.3

(ख) 1977–78 तक के तीन वर्षों के दौरान विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध बिजली का विवरण नीचे दिया जाता है :–

	1975–76	1976–77	1977–78 (अनन्तिम)
		(मिलियन यूनिट में)	
क—वाष्प			
ओबरा	2,429.8	2,780.1	2,744.3
पनकी	358.3	340.5	1,052.4
हरदुआगंज			
"ए" शक्ति गृह	379.0	421.4	365.9
"बी" शक्ति गृह	1,299.0	1,310.1	871.4
"सी" शक्ति गृह	..	..	252.8
नदी तट शक्ति गृह, कानपुर विद्युत् आपूर्ति प्रशासन	405.4	445.7	375.3
अन्य लघु तापीय शक्ति गृह	484.2	498.5	449.7
योग	5,355.7	5,796.3	6,111.8
ख—जल विद्युत्			
रिहन्द	492.4	1240.7	826.0
ओबरा जल विद्युत्	181.9	447.5	313.1
खटीमा	230.7	176.5	126.8
यमुना प्रथम चरण	489.1	410.5	355.2
यमुना द्वितीय चरण	730.9	856.3	813.8
कुल्हाल	89.5	157.5	145.0
रामगंगा	94.6	208.4	252.1
माताटीला	141.7	119.2	136.3
गंगा नहर पर अन्य लघु शक्ति गृह	204.6	215.4	206.7
योग	2,655.4	3,832.0	3,175.0
ग—आन्तरिक ज्वलन	1.4	1.6	2.5
घ—परिषद् के अपने केन्द्रों से कुल उत्पादन	8,012.5	9,629.9	9,289.3
ङ—अन्यों से क्रय की गयी विद्युत्	465.7	725.3	118.1
च—कुल उपलब्ध विद्युत्	8,478.2	10,355.2	9,407.4
छ—हर्दुआगंज केन्द्र में उत्पादित विद्युत का प्रतिशत			
(i) परिषद के कुल उत्पादन पर	20.9	18.0	15.9
(ii) उपलब्ध विद्युत् का योग	19.8	16.7	15.7

(ग) निम्न कंडिकाओं में हर्दुआगंज तापीय शक्ति गृह के कार्य-कलाप के कुछ पहलुओं की विवेचना की गयी है :

7.03. शक्ति गृह की स्थापना 1945 में 20 मेगावाट की उत्पादन क्षमता के साथ की गयी थी । प्रदेश के पश्चिमी भाग में तीव्र औद्योगीकरण के साथ राज्य सरकार द्वारा 1960 में विस्तार हेतु इस शक्ति गृह को चुना गया । तत्पश्चात् विस्तार योजनायें कार्यान्वित की गयीं और वर्तमान उत्पादन क्षमता 420* मेगावाट है । 1942 में स्थापित 20 मेगावाट के पुराने संयंत्र (1×10 मेगावाट और 2×5 मेगावाट) बन्द थे (एक इकाई 1967 में और दो इकाइयां 1970 में) ।

निम्न तालिका विभिन्न इकाइयों के चालू किये जाने के वर्ष, कुल उत्पादन क्षमता तथा शक्ति गृह की पूंजीगत लागत इंगित करती है :

इकाई	चालू किये जाने का प्रस्तावित वर्ष तथा माह	चालू किये जाने का वास्तविक वर्ष व माह	परियोजना प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	मार्च 1978 तक किया गया व्यय (अनन्तिम)
			(लाख रुपयों में)		
ए शक्ति गृह 90 मेगावाट					
प्रथम चरण (2×30) I	सितम्बर 1962	अप्रैल 1962			
II	सितम्बर 1962	जुलाई 1962	559.31	549.00 (संशोधन का वर्ष उपलब्ध नहीं)	549.00
द्वितीय चरण (1×30) III	मार्च 1964	मार्च 1964	259.20	330.72 (संशोधन का वर्ष उपलब्ध नहीं)	446.56
बी शक्ति गृह 210 मेगावाट					
तृतीय चरण (2×50) I	मार्च 1968	मार्च 1968			
II	सितम्बर 1968	जनवरी 1969	1,044.49	1,999.53 (1965 में संशोधित)	1,964.56
चतुर्थ चरण (2×55) III	सितम्बर 1969	जनवरी 1972	1,094.44	2,156.12 (1967 में संशोधित)	2,619.73
IV	मार्च 1970	सितम्बर 1972			
सी शक्ति गृह 230 मेगावाट**					
पंचम चरण (1×110) VII	दिसम्बर 1977	वाणिज्यिक भार पर चालू नहीं (दिसम्बर 1978)	1,918.15	8,246.00 (1976 में संशोधित)	8,212.36
षष्ठम चरण (2×60) V	दिसम्बर 1976	मई 1977	2,260.49		
VI	जून 1977	अक्तूबर 1977			

*टिप्पणी—पैरा 7.02 (क) के नीचे की टिप्पणी देखें ।

** इस समीक्षा में सी शक्ति गृह के कार्य-कलाप की विवेचना नहीं की गई है क्योंकि शक्ति गृह का कार्य-कलाप कम अवधि का है ।

प्रबन्धकों द्वारा, तृतीय चरण से षष्टम चरण तक की इकाइयों के चालू किये जाने में विलम्ब का कारण, प्रतिस्थापन के लिये प्रबन्ध में विलम्ब (तृतीय चरण की द्वितीय इकाई), निर्माताओं से संयंत्र एवं उपकरण की प्राप्ति में विलम्ब (चतुर्थ चरण की इकाइयां), स्टील ढांचों के पूर्ण होने और भारी किस्म के इस्पात के आयात में विलम्ब (षष्टम चरण की प्रथम एवं द्वितीय इकाइयां) बताया गया (मार्च 1978) ।

मूल प्राक्कलनों और संशोधित प्राक्कलनों में अन्तर होने के प्रबन्धकों ने निम्न कारण बताये (मार्च 1978) :

द्वितीय चरण—(क) संशोधित प्राक्कलन वास्तविक निविदा दरों पर आधारित थे, और ख रेलवे द्वारा 90 मैट्रिक टन के बाक्स टाइप माल डिब्बों के चलन की शुरुआत किये जाने के कारण गन ट्रिपलर तथा कोल हैन्डलिंग संयंत्र व उपस्कर का प्राविधान करना पड़ा ।

तृतीय चरण—मूल प्राक्कलन (456.23 लाख रुपये) में मदों का प्राविधान न करना या कम प्राविधान और सीमा शुल्क में वृद्धि, भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन तथा मजदूरी दरों में वृद्धि (436.60 लाख रुपये) ।

चतुर्थ चरण—मूल परियोजना प्राक्कलन आयातित संयंत्रों पर आधारित था जब कि देशी संयंत्रों का प्राविधान किया गया था जिससे लागत में 985.64 लाख रुपये की वृद्धि हो गई ।

पंचम एवं षष्टम चरण—(क) मदों का प्राविधान न किया जाना या कम प्राविधान (2,341.95 लाख रुपये); (ख) उपस्कर एवं सामग्री की लागत में वृद्धि (735.72 लाख रुपये); और (ग) प्रत्यक्ष एवं परोक्ष व्यय एवं मजदूरी व्यय में अनुपातिक वृद्धि (987.59 लाख रुपये) ।

7.04. संगठनात्मक व्यवस्था

शक्ति गृह का प्रबन्ध दो अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं द्वारा किया जाता है, एक परिचालन एवं अनुरक्षण के लिये और दूसरा नई परियोजनाओं के निर्माण के लिये । उनकी मदद के लिये क्रमशः पांच और चार अधीक्षण अभियन्ता हैं । परिचालन एवं अनुरक्षण सम्बन्धी लेखे के लिये एक वरिष्ठ लेखाधिकारी उत्तरदायी है और निर्माण कार्य सम्बन्धी लेखे के लिये एक लेखाधिकारी है । अगस्त 1978 में कार्यस्थल पर इन दोनों के मध्य सामंजस्य प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये एक महा-प्रबन्धक की नियुक्ति की गई ।

7.05. संयंत्र परिचालन एवं बन्दियां

मार्च 1972 में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक विद्युत् तकनीकी समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ अपने प्रतिवेदन (दिसम्बर 1972) में संस्तुति दी कि परिषद् के तापीय शक्ति केन्द्रों को थोड़े ही समय में संयंत्र उपलब्धि 80 प्रतिशत तथा आगामी दो या तीन वर्षों में 85 प्रतिशत प्राप्त कर लेने का उद्देश्य रखना चाहिये । परन्तु शक्ति केन्द्र की अधिकांश इकाइयां वर्ष 1978 तक के तीन वर्ष की अवधि के दौरान 85 प्रतिशत संयंत्र उपलब्धि नहीं प्राप्त कर पायीं । तीन वर्षों में प्रत्येक इकाई को उपलब्ध घंटे, वास्तविक परिचालन में घंटे तथा संयंत्र उपलब्धि के प्रतिशत निम्न प्रकार थे :

1975-76

इकाई	उपलब्ध घंटे	वास्तविक परिचालित घंटे	उपलब्धता प्रतिशत	उपलब्ध घंटे
ए शक्ति गृह				
1 30 मेगावाट सैट	8,784	6,305	71.8	8,760
1×30 मेगावाट सैट	8,784	7,007	79.8	8,760
1×30 मेगावाट सैट	8,784	5,909	67.3	8,760
तीनों इकाइयों का सामूहिक सम्पादन	26,352	19,221	72.9	26,280
बी शुक्ति गृह				
1×50 मेगावाट सैट	8,784	6,817	77.6	8,760
1×50 मेगावाट सैट	8,784	7,269	82.8	8,760
1×55 मेगावाट सैट	8,784	7,466	85.0	8,760
1×55 मेगावाट सैट	8,784	6,685	76.1	8,760
चारों इकाइयों का सामूहिक सम्पादन	35,136	28,237	80.3	35,040
केन्द्र का सामूहिक सम्पादन			77.0	

टिप्पणी--ये आंकड़े शक्ति केन्द्र के कुशलता खण्ड द्वारा रखे गये

1976–77		1977–78		
वास्तविक परिचालित घंटे	उपलब्धता प्रतिशत	उपलब्ध घंटे	वास्तविक परिचालित घंटे	उपलब्धता प्रतिशत
7,806	89.1	8,760	6,106	69.7
6,665	76.1	8,760	6,345	72.4
7,224	82.5	8,760	7,182	82.0
21,695	82.5	26,280	19,633	74.7
6,912	78.9	8,760	4,608	52.6
6,624	75.6	8,760	2,622	29 9
6,563	75.0	8,760	7,258	82.8
6,393	73.0	8,760	3,571	40.8
26,492	75.6	35,040	18,059	51.5
	[78.5			61.5

संयन्त्र अभिलेखों पर आधारित हैं।

1977–78 तक के तीन वर्षों के दौरान "ए" और "बी" शक्ति गृह के उत्पादक सैटों संबंधी बन्दी के विवरण निम्न थे:

कारण	बंदियां (घंटों में)					
	ए शक्ति गृह 3 × 30 मेगावाट सैट			बी शक्ति गृह 2 × 50 और 2 × 55 मेगावाट सैट		
	1975–76	1976 77	1977–78	1975–76	1976 77	1977–78
(i) वाह्य						-
(क) ग्रिड में मांग की कमी	..	..	..	..	144	..
(ख) ग्रिड में गड़बड़ी	13	69	47	80	42	7
(ग) कोयले/भट्टी तेल की अनुपलब्धता	..	..	90	2	4	..
योग	13	69	137	82	190	7
(ii) आन्तरिक						
(क) वृहत् ओवरहालिंग	2,937	..	5,048	1,200	1,358	5,265
(ख) वार्षिक अनुरक्षण	210	2,376	..	479	1,652	5,123
(ग) दोष उत्पन्न होने/ठप्प हो जाने से						
बायलर में	1,666	614	339	1,326	1,270	2,109
जनरेटर में	357	48	58	68	138	2,962
टर्बाइन में	1,554	1,053	918	982	446	1,126
सुपरहीटर में	..	..	..	2,040	3,070	40
(घ) अन्य]	418	425	147	722	424	349
योग	7,118	4,516	6,510	6,817	8,358	16,974
योग (i) और (ii)	7,131	4,585	6,647	6,899	8,548	16,981

टिप्पणी :––ये आंकड़े शक्ति केन्द्र के कुशलता खण्ड द्वारा रखे गये अभिलेखों पर आधारित हैं।

7.06. वृहत् ओवरहालिंग तथा वार्षिक अनुरक्षण

राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विद्युत् तकनीकी समिति ने दिसम्बर 1972 के अपने प्रतिवेदन में बताया कि विद्युत् अनुरक्षण तथा परिचालन अनुसूची व्यवस्थित करने और तकनीकी और परिचालन कर्मचारियों की लामबन्दी द्वारा परिषद् के लिये वृहत् ओवरहालिंग और वार्षिक अनुरक्षण की अवधि घटाकर क्रमशः आठ और चार सप्ताह तक अर्थात् 1,344 और 672 घंटे करना सम्भव है ।

प्रत्येक तीन वर्षों में एक बार वृहत् ओवरहालिंग किया जाना आवश्यक है। शक्ति केन्द्र द्वारा कुछ इकाइयों की वृहत् ओवरहालिंग के लिये लगाया गया समय निम्न अनुसार था:

इकाई		क्षमता (मेगावाट में)	अवधि	लिये गये घंटे
ए शक्ति गृह	I	30	जून से अगस्त 1975 तक	1,705
	I	30	अगस्त से नवम्बर 1977 तक	2,312
बी शक्ति गृह	I	50	मई से अक्टूबर 1977 तक	3,777
	IV	55	नवम्बर 1977 से जनवरी 1978 तक	1,488

बी शक्ति गृह की इकाई II- 50 मेगावाट और इकाई III- 55 मेगावाट की वृहत् ओवरहालिंग 1974-75 के बाद नहीं हुई थी और ए शक्ति गृह की इकाई II- 30 मेगावाट की 1974- 75 से 1976-77 के दौरान नहीं की गई थी ।

इसी प्रकार, शक्ति केन्द्र की कुछ टर्बो-जनरेटिंग सैटों के वार्षिक अनुरक्षण के लिये लिया गया समय विद्युत् तकनीकी समिति द्वारा संस्तुत समय (672 घंटे) से अधिक था, जैसा कि नीचे इंगित है :--

वर्ष	इकाई			लिये गये वास्तविक घंटे
1976-77	ए-शक्ति गृह	II	30 मेगावाट	1,196
		III	30 मेगावाट	1,023
	बी-शक्ति गृह	I	50 मेगावाट	798
1977-78	ए-शक्ति गृह	I	30 मेगावाट	2,312
(जनवरी 1978)		II	30 मेगावाट	1,137
		III	30 मेगावाट	1,269
	बी-शक्ति ग्रह	II	50 मेगावाट	4,143
		IV	55 मेगावाट	980

भारत सरकार द्वारा नियुक्त तकनीकी सलाहकार समिति (बड़े तापीय शक्ति केन्द्रों में अनुरक्षण प्रक्रिया के आधुनिकीकरण के लिये) ने अपने प्रतिवेदन (जून 1972) में राय व्यक्त की कि बायलरों को बिना ओवरहालिंग के लम्बी अवधि तक परिचालन में नहीं रखना चाहिये क्योंकि इससे अनार्थिक और अकुशल उत्पादन, आवश्यक अनुरक्षण के लिये बढ़ी हुई तथा अनियोजित बंदी और किंचित क्षतियां होती हैं जिससे कीमती प्रतिस्थापन जरूरी हो जाता है। तथापि, इकाई III (55 मेगावाट) का वार्षिक अनुरक्षण वर्ष 1975-76 से 1977-78 तक नहीं किया गया था ।

7.07. (क) टर्बाइन को क्षति

षष्टम चरण की छठी इकाई (60 मेगावाट) नवम्बर 1977 में 568 घंटे चलने के बाद अचानक ट्रिप हो गई और मरम्मत के बाहर पूर्ण रूपेण ध्वस्त हो गई । यूनिट से स्वयं अलग होने के बाद एक पहिया, दूसरी यूनिट V, जो कि 12.50 लाख रुपये की लागत से मरम्मत की जानी थी और मार्च 1978 में चालू होनी थी, के लुब्रिकेटिंग आयल की टंकी पर पहुंच गया । यूनिट VI के सिविल कार्यों को क्षति की सीमा का अनुमान लगभग 2 लाख रुपये लगाया गया। यूनिट VI की

क्षतिग्रस्त टर्बाइन और जनरेटर की प्रारम्भिक लागत 250 लाख रुपये थी । टर्बाइन और जनरेटर परियोजना प्राधिकारियों के विचार में मरम्मत के बाहर थे ।

(ख) बाल मिल में विस्फोट

बी शक्ति गृह में स्थापित इकाई I की एक बाल मिल में तीन विस्फोट हुए (एक अगस्त 1974 में और दो अप्रैल 1975 में) जिसके फलस्वरूप 326 घंटों की बंदी हुई । शक्ति केन्द्र के एक अधिशासी अभियन्ता (कुशलता खण्ड) द्वारा संयंत्र उपलब्धता में सुधार के निमित्त किये गये एक विषयक अध्ययन (मई से जुलाई 1975 तक) में विस्फोट के कारण, अल्प वायु संचार, उच्च कठोर ग्रोव इन्डैक्स कोयले का प्रयोग और वायु में आक्सीजन की उपस्थिति बताये गये (जुलाई 1975) । शक्ति गृह प्राधिकारियों द्वारा यह बतलाया गया कि बाल मिल के माध्यम से वायु के नियत बहाव को सुनिश्चित करने की सावधानी बरती गई है ।

7.08. क्षमता का कम उपयोग

निम्न तालिका स्थापित उत्पादन क्षमता और उसके सामने वास्तविक उत्पादन दर्शाती है:-

शक्ति गृह का नाम	वर्ष	स्थापित उत्पादन क्षमता (एम के डब्लू एच में)	वास्तविक उत्पादन (एम के डब्लू एच में)	स्थापित क्षमता पर उत्पादन का प्रतिशत
ए	1975–76	790.5	379.0	47.9
	1976–77	788.4	421.4	53.4
	1977–78	788.4	365.9	46.4
बी	1975–76	1,844.6	1,299.0	70.4
	1976–77	1,839.6	1,310.1	71.2
	1977–78	1,839.6	871.4	47.4

परिषद् द्वारा ए और बी शक्ति गृहों के सम्बन्ध में इष्टतम उत्पादन क्रमशः 420 मिलियन यूनिट और 1,260 मिलियन यूनिट निश्चित किया गया था ।

7.09. तापीय कुशलता

संयंत्र निर्माताओं द्वारा गारन्टी की गई और 1977–78 तक के तीन वर्षों के दौरान ए और बी शक्ति गृहों के विभिन्न सैटों द्वारा प्राप्त तापीय कुशलता का विवरण (उत्पादन में प्रयुक्त ईंधन में निवेशित ताप शक्ति के प्रतिशत के रूप में इंगित विद्युत् शक्ति का उत्पादन) नीचे इंगित हैं :

विवरण	गारन्टी की गई तापीय कुशलता	वास्तविक कुशलता 1975–76	1976–77	1977–78
		(प्रतिशत)		
ए शक्ति गृह				
प्रथम चरण–2×30 मैगावाट	35.0	16.2	14.8	14.8
द्वितीय चरण––1×30 मैगावाट	35.3	22.7	23.1	24.4
बी शक्ति गृह				
तृतीय चरण––2×50 मैगावाट	29.9	29.2	29.9	27.8

30 मैगावाट सैटों के विषय में कम तापीय कुशलता का कारण, परियोजना प्राधिकारियों द्वारा ब्वायलरों की अन्तर्वर्ती डिजाइन त्रुटियों को बताया गया (मार्च 1978)। यद्यपि आपूर्तिकर्ताओं ने सुधार किये थे, वे संतोषजनक स्वीकृत परीक्षण करने के योग्य नहीं रहे। मामले को पंचनिर्णय के लिये 1970 में सौंपा गया है। मामले में अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1978)।

7.10. कोयले का उपभोग

परियोजना प्राक्कलन के अनुसार विभिन्न सैटों के सम्बन्ध में उत्पादित प्रति यूनिट शक्ति में कोयले का उपभोग और उसके विरुद्ध वास्तविक उपभोग निम्न प्रकार था :

	1975–76	1976–77	1977–78
	(मात्रा ग्रामों में)		
ए शक्तिगृह			
3×30 मैगावाट सैट			
परियोजना प्राक्कलन के अनुसार	630	630	630
वास्तविक उपभोग	741	757	778
बी शक्तिगृह			
2×50 मेगावाट सैट			
2×55 मेगावाट सैट			
परियोजना प्राक्कलन के अनुसार	520	520	520
वास्तविक उपभोग	654	600	640

ए शक्ति गृह के दो सैटों में कोयले का उपभोग ऊंचा था। प्रबंधकों द्वारा मार्च 1978 में बताये गये इसके कारण ब्वायलरों में निहित डिजाइन त्रुटियां थीं। ब्वायलरों के सुधार के बाद भी निर्माता संतोषप्रद स्वीकृत परीक्षण नहीं कर सके।

बी शक्तिगृह में अधिक कोयले के उपभोग का कारण मशीन को चालू करते और बन्द करते समय वाष्प रिसना और विभिन्न कैलोरी मूल्य के कोयले की प्राप्ति होना बताया गया।

7.11. सहायक उपभोग

1977–78 तक के तीन वर्षों के दौरान ए और बी शक्ति गृहों में सहायक उपभोग का विवरण नीचे दिया गया है :

वर्ष	ए शक्तिगृह			बी शक्तिगृह		
	शक्ति उत्पादन	सहायिकाओं में उपभोग	उपभोग का प्रतिशत	शक्ति उत्पादन	सहायिकाओं में उपभोग	उपभोग का प्रतिशत
	(एम के डब्ल्यू एच में)			(एम के डब्ल्यू एच में)		
1975–76	379.0	36.5	9.6	1,299.0	129.7	10.0
1976–77	421.4	41.1	9.8	1,310.0	132.0	10.1
1977–78	365.9	40.4	11.0	871.4	93.6	**10.7**

दोनों शक्तिगृहों के परियोजना प्राक्कलनों (1965 और 1967 में संशोधित) में ए और बी शक्ति गृहों में सहायिकाओं में विद्युत् का उपभोग क्रमशः 8 और 7½ प्रतिशत प्राविधानित था। परियोजना प्रतिवेदन में निर्धारित उपभोग का स्तर लेने पर 1977–78 (जनवरी 1978) तक के तीन वर्षों के दौरान सहायिकाओं में अधिक उपयुक्त विद्युत् के सम्भावित विक्रय पर राजस्व निम्न प्रकार था :

	1975–76	1976–77	1977–78
सहायिकाओं में अधिक उपभोग (मिलियन यूनिट में)	38.5	41.1	39.3
पद्धति हानियों को छोड़ देने के बाद शक्ति जो बिक्री के लिये उपलब्ध होती (मिलियन यूनिट में)	30.8	32.0	32.0
परिषद् के औसत विक्रय वसूलियों के दर से विद्युत् की बिक्री पर उपार्जन योग्य राजस्व (लाख रुपयों में)	76.72	77.69	86.66

शक्ति गृह प्राधिकारियों ने बतलाया (अक्टूबर 1978) कि सहायक उपभोग निर्माण मानचित्र (लेआउट) के अनुसार बदलता रहता है ।

7.12. ईंधन

विभिन्न शक्ति गृहों को कोयले का आबंटन, भारत सरकार की एक सम्पर्क समिति (लिंकेज कमेटी), कोल इंडिया लिमिटेड के साथ हुई दर संविदाओं के विरुद्ध करती है। ये शक्ति गृह पूर्वी और केन्द्रीय कोयला क्षेत्रों की विभिन्न कोयला खानों से कोयला प्राप्त करते हैं। दोनों शक्तिगृहों को कोयले की आपूर्ति की व्यवस्था के लिये दो अलग खंड हैं। इसके अतिरिक्त, दोनों शक्ति गृहों के ईंधन उपभोग का अभिलेख रखने के लिये एक कुशलता खंड है।

प्राप्ति छोर पर कोयले को तौलने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है और मार्ग हानियां, यदि कोई हों, तो परिषद् को वहन करनी होती हैं। अप्रैल 1975 से फरवरी 1978 के दौरान बी शक्ति गृह में कोयले की मार्ग हानियां 7 से लेकर 10 प्रतिशत तक थीं। पांच प्रतिशत की स्वीकृत सीमा, परिषद् द्वारा अपनायी गयी राज्य सरकार की वित्तीय हस्तपुस्तिका में निर्धारित है, से इस अवधि में अधिक गायब हुए कोयले का मूल्य 128.64 लाख रुपए आता है।

ए शक्ति गृह में अप्रैल 1974 से दिसम्बर 1977 के दौरान मार्ग हानियां 2.54 और 4.93 प्रतिशत की सीमाओं में रहीं। दोनों शक्ति गृहों की मार्ग हानियों की मात्रा में अंतर का कारण, परियोजना प्राधिकारियों ने निम्न बताया (मार्च 1978) :

(i) ए शक्ति गृह में प्राप्त किये कोयले का आकार एक इंच से कम था और बिरले ही मामलों में यह दो से पांच इंच तक रहा जबकि बी शक्ति गृह में प्राप्त कोयले 24 इंच तक के रहे जिनकी रास्ते में चोरी की अधिक सम्भावना होती है।

(ii) दोनों शक्ति गृहों के लिये कोयला खानें भिन्न थीं।

(iii) ए शक्ति गृह की अपेक्षा बी शक्ति गृह के लिये रोक स्थल अधिक थे, परिणामतः मार्ग में चोरियां अधिक थीं।

(iv) चढ़ान बिन्दुओं पर चढ़ाने की त्रुटि पूर्ण पद्धति।

परिषद् ने बताया (फरवरी 1979) कि कोल इंडिया लिमिटेड के साथ कोई अनुबंध नहीं था जिसके अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड पर कोयले की नाप छोटी करने के लिए दबाव डाला जा सके ।

ईंधन तेल का उपभोग

विद्युत् उत्पादन के लिये हल्के डीजल/भट्टी तेल की प्राप्ति, भंडारण और निर्गमन से सम्बन्धित अभिलेख कोल हैन्डलिंग खंडों द्वारा रखे जाते हैं जबकि उपभोग अभिलेख कुशलता खंड में रखे जाते हैं। उपभोग दोनों छोरों पर अभिलिखित किया जाता है। बी शक्ति गृह में कोल हैन्डलिंग खंड द्वारा और कुशलता खंड द्वारा अभिलिखित दोनों के उपभोग के आंकड़ों में अंतर था जिसका ब्योरा निम्न है :

वर्ष	हल्का डीजल तेल		भट्टी तेल	
	कोल हैन्डलिंग खंड के अभिलेखों के अनुसार	कुशलता खंड के अभिलेखों के अनुसार	कोल हैन्डलिंग खंड के अभिलेखों के अनुसार	कुशलता खंड के अभिलेखों के अनुसार
	(किलो लीटर में)			
1973–74	9,621	10,363	800	..
1974–75	8,737	11,094	5,980	3,169
1975–76	9,851	9,855	10,283	10,807
1976–77	15,689	15,604	1,272	1,250
1977–78	14,260	13,990	2,369	2,366

अन्तर के कारणों की जांच पड़ताल नहीं हुई थी (फरवरी 1979)।

7.13. अधिक जनशक्ति

निम्न तालिका शक्ति केन्द्र के परिचालन और अनुरक्षण हेतु कर्मचारियों की आवश्यकता और उसके विरुद्ध वास्तविक उपयोग इंगित करती है :

	1975–76	1976–77	1977–78
ए शक्ति गृह			
परियोजना प्राक्कलन के अनुसार प्रति मेगावाट कार्मिक तत्व	5.47	5.47	5.47
वास्तविक	13.87	14.40	12.83
बी शक्ति गृह			
परियोजना प्राक्कलन के अनुसार प्रति मेगावाट कार्मिक तत्व	4.47	4.47	4.47
वास्तविक	8.07	9.65	7.49

विद्युत् तकनीकी समिति ने अपने प्रतिवेदन (दिसम्बर 1972) में मत व्यक्त किया कि हुँआगंज शक्ति केन्द्र पर जनशक्ति प्रति मेगावाट 7.5 तक होनी चाहिये। जनशक्ति के अधिक उपयोग के कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया है (फरवरी 1979)।

7.14. भण्डार नियंत्रण

(क) शक्ति केन्द्र द्वारा अपनाये गये भण्डार नियंत्रण के तरीके नीचे दर्शाई गई सीमा तक अपर्याप्त थे :

(i) क्रय हेतु वार्षिक प्राक्कलन नहीं बनाये गये यद्यपि क्रय पर व्यय 1975–76 में 1,470.50 लाख रुपये से बढ़कर 1977–78 में 2,107.62 लाख रुपये हो गया । भण्डार और अतिरिक्त पुर्जों, इत्यादि के जमा में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

	1975–76	1976–77	1977–78
		(लाख रुपयों में)	
प्रारम्भिक रहतिया	221.00	372.85	461.12
वर्ष के दौरान क्रय	1,470.50	1,606.22	2,107.62
उपभोग हेतु उपलब्ध भण्डार	1,691.35	1,979.07	2,568.74
उपभुक्त भण्डार	1,318.50	1,517.95	2,071.77
अंतिम रहतिया	372.85	461.12	496.97
उपभोग का उपलब्ध भण्डार पर प्रतिशत	78.0	76.7	80.7

(ii) अत्यधिक उपभोगों का पता लगाने के लिये मदवार उपभोग के मानक निश्चित नहीं किये गये (फरवरी 1979) ।

(iii) सामानों को क्रिटिकल, नान क्रिटिकल, त्वरित और विलम्ब से खपत होने वाली मदों में वर्गीकृत नहीं किया गया था ।

(ख) फालतू/अप्रचलित भण्डार और अतिरिक्त पुर्जे

नवम्बर 1975 में 27.27 लाख रुपये मूल्य के भण्डार और अतिरिक्त पुर्जे फालतू घोषित हुये थे जिनमें से 23.53 लाख रुपये मूल्य के भण्डार और अतिरिक्त पुर्जे (जनरेटिंग सेटों के लिये अतिरिक्त पुर्जे: 2.95 लाख रुपये, बिजली और रासायनिक सामान: 4.16 लाख रुपये, फारगो ट्रक के अतिरिक्त पुर्जे: 6 लाख रुपये, इस्पात एवं धातु: 5.71 लाख रुपये और प्रकीर्ण मदें: 4.71 लाख रुपये) निस्तारण की प्रतीक्षा में थे (फरवरी 1979) ।

(ग) भण्डार लेखे में त्रुटि

भण्डार के रख-रखाव और लेखा प्रणाली की परख जांच ने निम्न स्थिति दर्शायी :—

(i) स्टाक रजिस्टर और उपकरण एवं संयंत्र रजिस्टर की सामयिक, यथा अर्द्धवार्षिक और वार्षिक बन्दी की जानी होती है । शक्ति गृहों द्वारा स्टाक रजिस्टर और उपकरण और संयंत्र रजिस्टर नहीं रखे गये थे जैसा कि नीचे दर्शित है:

	शक्ति गृह	
	ए	बी
	कब से नहीं रखे गये	
स्टाक रजिस्टर	सितम्बर 1971	मार्च 1972
उपकरण और संयंत्र रजिस्टर	सितम्बर 1972	सितम्बर 1973

(ii) शक्ति केन्द्र के अन्दर कुल 10.48 लाख रुपये के अन्तर खण्डीय डेबिट स्वीकृति की प्रतीक्षा में थे (मार्च 1978) जबकि 2.55 लाख रुपये मूल्य के डेबिट की वाह्य खण्डों से स्वीकृति अपेक्षित थी । स्वीकृति की अनुपस्थिति से भण्डार में गड़बड़ी की सम्भावना रहती है ।

(iii) भण्डार और अतिरिक्त पुर्जों और अन्य मदों का भौतिक सत्यापन वर्ष 1973–74 से 1975–76 तक नहीं किया गया था और 1976–77 के दौरान आंशिक रूप से हुआ था ।

7.15. लागत नियंत्रण

शक्ति केन्द्र एक लागत लेखा प्रणाली का पालन करता है जिसके अन्तर्गत प्रति यूनिट उत्पादन लागत माहवार निकाली जाती है। लागत पत्र मासिक लेखाओं के आधार पर तैयार किये गय जिनमें ईंधन और भण्डार के उपभोग पर व्यय के आंकड़े उसी माह में लेखाबद्ध नहीं किये गये जिससे लागत परिणाम बिगड़ गये ।

निम्न सारणी संशोधित परियोजना प्राक्कलन के अनुसार उत्पादन लागत और इनके विरुद्ध वास्तविक उत्पादन लागत ओबरा शक्ति गृह की स्थिति के साथ इंगित करती है :

	परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार उत्पादन लागत	प्रति यूनिट वास्तविक उत्पादन लागत					
		1975–76		1976–77		1977–78	
		ओबरा	हर्दुआगंज	ओबरा	हर्दुआगंज	ओबरा	हर्दुआगंज
							(पैसों में)
ए शक्ति गृह							
प्रथम चरण	5.5	14.1	17.83	14.1	17.66	14.1	20.00
द्वितीय चरण	4.93						
बी शक्ति गृह							
तृतीय चरण	7.75	14.1	15.89	14.1	16.46	14.1	22.82
चतुर्थ चरण	7.79						

सम्परीक्षा में यह भी पाया गया कि प्रबन्धकों द्वारा हर्दुआगंज शक्ति गृह की उत्पादन लागत का ओबरा तापीय शक्ति गृह की उत्पादन लागत के साथ तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया गया है (मार्च 1979) ।

7.16. अन्य रोचक विषय

एक टंकी का क्षय

परिषद् ने एक हाइड्रोक्लोरिक तेजाब (एच सी एल) की भण्डारण टंकी की आपूर्ति के लिये फरीदाबाद की एक फर्म से 0.42 लाख रुपये का एक अनुबन्ध किया (फरवरी 1971) । गारण्टी की अवधि चालू किये जाने की तिथि से 3 वर्ष की थी। फर्म को रेलवे रसीदों के विरुद्ध 90 प्रतिशत भुगतान (0.40 लाख रुपये) 15 जनवरी 1972 को किया गया था और टंकी उसी माह में प्राप्त हुई । इसके चालू होने (10 अप्रैल 1973) के एक दिन बाद टंकी में दो छेद दृष्टिगोचर हुए और तेजाब की रिसन इतनी तीव्र थी कि लगभग आठ मैट्रिक टन तेजाब (मूल्य 2,800 रुपये) बह गया। आपूर्तिकर्ताओं द्वारा टैंक का प्रतिस्थापन या मरम्मत नहीं हुआ है यद्यपि रिसन गारन्टी अवधि के भीतर ही दृष्टिगत हो गई थी । टंकी बिना मरम्मत हुई पड़ी थी (फरवरी 1979) । इस मामले को परिषद् द्वारा सतर्कता विभाग को सौंप दिया गया है ।

मामला सरकार को सितम्बर 1978 में सूचित किया गया; उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1979)।

अनुभाग VIII

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्

ट्रांसफार्मरों की अधिप्राप्ति, निष्पादन एवं मरम्मत

8.01. प्रस्तावना

पारेषण तन्त्र में पारेषित करने के लिये विद्युत् उत्पादन स्टेशनों पर विद्युत् प्रायः 11 किलो वोल्ट पर उत्पादित करके "स्टेप-अप" पावर ट्रांसफार्मरों द्वारा 33 के वी से 400 के वी की उच्च वोल्टेज में बढ़ाया जाता है । पारेषण लाइनों में चल रही उच्च वोल्टेज की विद्युत् शक्ति सब-स्टेशनों पर स्थापित "स्टेप डाउन" ट्रांसफार्मरों द्वारा वोल्टेज कम कर के उपभोक्ताओं को प्रदान की जाती है ।

"पारेषण तंत्र" में उत्पादन स्टेशनों एवं उच्च वोल्टेज को घटाने वाले सब-स्टेशनों पर प्रयुक्त ट्रांसफार्मरों को 'शक्ति ट्रांसफार्मर' व 'वितरण तंत्र' में कम वोल्टेज के प्रयुक्त ट्रांसफार्मरों को 'वितरण ट्रांसफार्मर' कहा जाता है ।

8.02. क्रय प्रक्रिया

सब-स्टेशनों के लिये 33 के वी तक के ट्रांसफार्मर विद्युत् भण्डार अधिप्राप्ति मण्डल प्रथम लखनऊ एवं 33 के बी के ऊपर के ट्रांसफार्मर विद्युत उप-केन्द्र डिजाइन मण्डल, लखनऊ द्वारा खरीदे जाते हैं । परिषद् ने सन् 1976–77 में 100 के बी ए के वितरण ट्रांसफार्मरों की खरीद का काम नव सृजित विद्युत् भण्डार अधिप्राप्ति मण्डल द्वितीय, लखनऊ के सुपुर्द कर दिया था । पनकी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, कानपुर को भी अपने पावर स्टेशन के लिये ट्रांसफार्मर खरीदने की अनुमति प्रदान की गई थी ।

एकल निविदाओं के विरुद्ध 50 लाख रुपये तक के क्रय पर निर्णय केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति (के भ क्र स) द्वारा लिये जाते थे । 50 लाख रूपये के ऊपर के क्रय के लिये पूरे बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता थी। जुलाई 1977 में परिषद् ने केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति को 50 लाख रुपये से ऊपर के मामलों में निर्णय देने का भी अधिकार दे दिया और जहां निर्णय सर्वसम्मत न हो, उन्हीं मामलों में बोर्ड के निर्देश की आवश्यकता थी । 50 लाख रुपये तक की खरीद के सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिये एक अन्य समिति का भी गठन (जुलाई 1977) किया गया जिसमें परिषद् के दो पूर्ण कालिक सदस्य (एक क्रय से सम्बन्धित), सम्बन्धित प्रोजेक्ट के मुख्य अभियन्ता, परिषद् के लेखा विभाग का एक प्रतिनिधि एवं राज्य सरकार के वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव का एक प्रतिनिधि होगा ।

जहां तक ट्रान्सफार्मर की डिजाइन का सम्बन्ध है, आपूर्तिकर्त्ता किसी भी डिजाइन का प्रयोग करने में स्वतन्त्र है जो कच्चे माल के उपयोग के हिसाब से उन्हें सस्ता पड़े । परिषद् प्रत्येक निविदा विशिष्टि में कम से कम तकनीकी आवश्यकताओं का समावेश करती थी । भारी संख्या में क्रय के बावजूद भी, 100 के वी ए के वितरण ट्रान्सफार्मरों की निर्माण डिजाइन का भी परिषद् ने मानकीकरण नहीं किया है ।

8.03. क्रय एवं उपयोग

(अ) परिषद् ने राज्य सरकार के विद्युत् उपक्रमों व भूतपूर्व अनुज्ञाधारियों के हस्तांतरण से प्राप्त, समय-समय पर स्वयं खरीदे गए तथा प्रयोग में लाये जा रहे ट्रांसफार्मरों का कोई संघटित संख्या-सूचक लेखा जोखा नहीं रखा है । विद्युत् भण्डार अधिप्राप्ति मण्डल I व II, विद्युत् उपकेन्द्र डिजाइन मण्डल एवं पनकी पावर स्टेशन द्वारा मई 1962 से मार्च 1978 के दौरान प्रदत्त क्रयादेशों के अनुसार 1.5 एम वी ए से 240 एम वी ए तक के 1,999 शक्ति ट्रांसफार्मर

मूल्य : 54.91 करोड़ रुपये) एवं 5 के वी ए से 1000 के वी ए तक के 1,78,780 वितरण ट्रान्सफार्मर (मूल्य : 80.22 करोड़ रुपए) 1962–63 से 1977–78 तक खरीदे गये जिनका विघटन (ब्रेक अप) नीचे दिया गया है :

वर्ष	शक्ति ट्रांसफार्मर (1.5 एम वी ए से 240 एम वी ए तक)		वितरण ट्रान्सफार्मर (5 के वी ए से 1000 के वी ए तक)	
	संख्या	मूल्य (करोड़ रुपयों में)	संख्या	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1972–73 तक	1,298	13.36	1,13,593	89.85
1973–74	303	12.20	23,635	10.57
1974–75	51	7.71	2,295	1.28
1975–76	109	9.89	16,022	11.60
1976–77	116	6.42	12,485	10.82
1977–78	122	5.33	10,750	6.10
योग	1,999	54.91	1,78,780	80.22

गत पांच वर्षों में भारी संख्या में खरीद के बावजूद भी ट्रान्सफार्मरों की प्रतिस्थापित क्षमता में अपेक्षाकृत कम परिवर्धन हुआ है जैसा कि निम्न तालिका में प्रदर्शित है

प्रयोग में लाये जा रहे ट्रान्सफार्मरों की वर्ग-वार कुल क्षमता :

	शक्ति ट्रांसफार्मर (स्टेप-अप)		शक्ति ट्रांसफार्मर (स्टेप-डाउन)		वितरण ट्रांसफार्मर	
	संख्या	एम वी ए	संख्या	एम वी ए	संख्या	एम वी ए
31 मार्च 1973 को निम्न वर्षों में शुद्ध परिवर्धन	133	1,660	1,044	5,735	77,196	2,967
1973–74	2	115	69	711	2,783	301
1974–75	(–) 19*	58	119	650	2,850	207
1975–76	4	398	135	1,389	(–) 375*	282
31 मार्च 1976 को कुल योग	120	2,231	1,367	8,485	82,454	3,757

* उच्च-क्षमता के ट्रांसफार्मरों के उपयोग के परिणामस्वरूप 31 मार्च 1975 और 1976 को ट्रांसफार्मरों की संख्या कम हो गई, यद्यपि प्रतिष्ठापित क्षमता में वृद्धि हुई थी।

इन आंकड़ों से निम्नलिखित स्थिति उभरती है :-

(क) 31 मार्च 1973 की प्रतिष्ठापित क्षमता की तुलना में 31 मार्च 1976 को "स्टेप-अप" ट्रान्सफार्मर की क्षमता में 38.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई लेकिन "स्टेप-डाउन" ट्रान्सफार्मर की क्षमता में 73.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई । परन्तु संपरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि "स्टेप-डाउन" ट्रान्सफार्मर की क्षमता में अत्यधिक वृद्धि (73.7 प्रतिशत) के फलस्वरूप 132 के वी "स्टेप-डाउन" सब-स्टेशनों पर प्रतिष्ठापित "स्टेप-डाउन" ट्रान्सफार्मरों का आंशिक उपयोग हुआ क्योंकि इन ट्रान्सफार्मरों पर शक्ति का भार कम था। कुछ "स्टेप-डाउन" सब-स्टेशनों पर अभिलेखित 20 एम वी ए के ट्रान्सफार्मरों पर, जो 132 के वी पर 88 एम्पियर का भार लेने के लिये डिजाइन किये जाते हैं, अधिकतम भार निम्नलिखित था :

सब-स्टेशन का स्थान	132 के वी पर 20 एम वी ए के प्रयुक्त ट्रान्सफार्मरों की संख्या	1975-76 से 1977-78 के दौरान अधिकतम भार
कलिया (देवरिया)	एक	1975-76 में 51 एम्पियर की तुलना में घट कर 1976-77 में 48 एम्पियर व 1977-78 में 38 एम्पियर हो गया।
देवरिया	एक	1975-76 में 70 एम्पियर से 1976-77 में 77 व 1977-78 में 78 एम्पियर तक बदला।
गाजियाबाद (औद्योगिक क्षेत्र)	दो	प्रत्येक ट्रान्सफार्मर पर 26 एम्पियर।
गाजियाबाद (बुलन्दशहर रोड)	तीन	एक पर 9 एम्पियर व दो में से प्रत्येक पर 18 एम्पियर।
गाजियाबाद (मोहन नगर)	पांच	दो में से प्रत्येक पर 75 एम्पियर, एक पर 43 एम्पियर, एक पर 22 एम्पियर और एक पर 31 एम्पियर।
साहिबाबाद (गाजियाबाद)	तीन	एक पर 53 एम्पियर और अन्य दोनों में से किसी एक पर 22 एम्पियर (मार्च 1976 में चालू किया गया)।
कौड़ीराम (गोरखपुर)	एक	1976-77 में 26 एम्पियर व 1977-78 में 28 एम्पियर।

वर्तमान 20 एम वी ए ट्रान्सफार्मरों पर न्यून भार के बावजूद इन स्थानों के और/अथवा इनके द्वारा सेवित क्षेत्रों में "स्टेप-डाउन" सब-स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि इन तरीकों से की जाती रही :

(i) देवरिया में 132 के वी के एक 20 एम वी ए ट्रान्सफार्मर की वृद्धि (जून 1978 में चालू किया गया), (ii) 1976-77 में नवीन ओखला औद्योगिक भू-क्षेत्र (गाजियाबाद)

में एवं 1977–78 में महाराजगंज (गोरखपुर) में नये 132 के वी सब-स्टेशन का निर्माण और (iii) साहिबाबाद (गाजियाबाद), देवरिया, कसिया (देवरिया) एवं कौड़ीराम (गोरखपुर) के सब-स्टेशनों में से प्रत्येक पर एक अतिरिक्त 20 एम वी ए ट्रान्सफार्मर की प्रतिष्ठापना। साहिबाबाद (गाजियाबाद), कसिया (देवरिया) और कौड़ीराम (गोरखपुर) में इन अतिरिक्त ट्रान्सफार्मरों की प्रतिष्ठापना प्रगति में है (मार्च 1979)।

इनके अलावा, 132 के वी के 20 एम वी ए "स्टेप-डाउन" ट्रान्सफार्मर के सहित 132 के वी के अतिरिक्त सब-स्टेशनों का निर्माण गोरखपुर जिले के आनन्दनगर, सरदार नगर व कैप्टेनगंज और देवरिया जिले के पडरौना में प्रगति पर हैं (मार्च 1979)।

(ख) 1973–74 से 1975–76 के दौरान क्रय किये गये 41,952 वितरण ट्रान्सफार्मरों (मूल्य : 43.45 करोड़ रुपये) में से केवल 5,258 ट्रान्सफार्मरों का उपयोग ऐसे ट्रान्सफार्मरों की प्रतिष्ठापित क्षमता की वृद्धि में किया गया और शेष का उपयोग क्षतिग्रस्त/चोरी गये ट्रान्सफार्मरों की जगह किया गया।

(ब) परिषद् के अभिलेखों के अनुसार मुख्यतया निर्माण की खराबियों, चोरी एवं दोषपूर्ण परिचालन व रख-रखाव के कारण वितरण ट्रान्सफार्मरों की वृहत् पैमाने पर क्षति हुई। इसकी वजह से परिषद् द्वारा क्रय किये गये ट्रान्सफार्मरों की तुलना में उपयोग में लाये गये ट्रान्सफार्मरों की संख्या में भारी कमी आ गयी जैसा कि निम्नांकित सारणी से स्पष्ट है :

क्षमता-वार ट्रान्सफार्मर (के वी ए)	1962–63 से 1975–76 तक की गई खरीद		प्रयोग में ट्रान्सफार्मरों की संख्या 31 मार्च	
	संख्या	मूल्य	1976 को	1977 को
		(करोड़ रुपयों में)		
15	45,886	10.76	24,055	13,749
25	59,960	19.44	31,896	22,714
50	6,213	2.33	3,701	1,738
63	28,308	18.36	14,187	12,767
100	6,540	3.73	3,394	2,509
योग	1,46,907	54.62	77,233	53,477

टिप्पणी—इन आंकड़ों में अन्य क्षमताओं के वितरण ट्रान्सफार्मर शामिल नहीं है (5 के वी ए से 1000 के वी ए के बीच के)।

निम्नलिखित अनुच्छेदों में इन क्रयों की परख लेखापरीक्षा के दौरान पायी गयी महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया गया है :

3.04. आदेश वरीयता

(क) नैनी (इलाहाबाद) स्थित कारखाने से कलकत्ता की फर्म "क" से आपूर्ति

राज्य सरकार अप्रैल 1956 में कलकत्ता की फर्म "क" को नैनी (इलाहाबाद) में अपना ट्रान्सफार्मर कारखाना लगाने के लिए इसको 50 लाख रुपये के ऋण की व्यवस्था एवं कारखाने के लिए भूमि की अभ्याप्ति द्वारा प्रोत्साहन देने को सहमत हुई। ट्रान्सफार्मरों की सरकारी खरीददारियों में

फर्म पर सहानुभूतिपूर्ण विचार भी करना था बशर्ते कि इसके उत्पादनों के "गुण व मूल्य दोनों" समान प्रतिष्ठा वाली अन्य फर्मों द्वारा बनाये गये वैसे ही ट्रान्सफार्मरों से अनुकूलतापूर्ण तुलनीय हो। विद्युत भण्डार अधिप्राप्ति मण्डल के सृजन के बाद परिषद् ने उद्योग निदेशक के दर संविदा दिनांक 12 जून 1961 के विरुद्ध फर्म को 15 के वी ए के 750 ट्रान्सफार्मरों (मूल्य 0.14 करोड़ रुपये) का एक आर्डर दिया (मई 1962)। परिषद् की प्रथम निविदा पूछ ताछ (जून 1961) के आधार पर फर्म को दूसरा आर्डर 15 के वी ए के 15,235 ट्रान्सफार्मरों (मूल्य: 4.20 करोड़ रुपये) के लिये दिया गया (अनुबन्ध जुलाई 1963 में किया गया)। तब से लेकर 1977–78 तक इस फर्म को 65,034 शक्ति व वितरण ट्रान्सफार्मरों (मूल्य 37.71 करोड़ रुपये) के आर्डर दिये गये। इस फर्म को अक्तूबर 1971 से जुलाई 1977 तक दिये गये आर्डरों की परख लेखा–परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि इस फर्म द्वारा उद्धृत दरों की तुलनात्मक स्थिति न्यूनतांक्रम में तीसरी से लेकर सैंतालिसवीं तक थी। इस फर्म को दी गई वरीयता के कुछ अन्य मामले निम्नलिखित हैं :–

(i) यद्यपि फर्म 2,000 ट्रान्सफार्मरों की फरवरी 1970 तक आपूर्ति करने के लिए मई 1969 में दिये गये आर्डर के विरुद्ध 15 के वी ए के 1,000 ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति उस समय तक करने में असफल रही फिर भी उसे विभिन्न क्षमताओं (25 के वी ए, 63 के वी ए व 100 के वी ए) के 5,500 वितरण ट्रान्सफार्मर (मूल्य: 321.22 लाख रुपये) के आर्डर अक्तूबर 1971 में, 2,980 ट्रान्सफार्मरों (25 के वी ए व 63 के वी ए) के आर्डर (मूल्य: 139.58 लाख रुपये) मार्च 1972 में एवं 1,400 ट्रान्सफार्मरों (25 के वी ए व 63 के वी ए) के आर्डर (मूल्य: 53.60 लाख रुपये) दिसम्बर 1972 में दिये गये। आर्डर के अनिस्पादित हिस्से को अन्ततोगत्वा मार्च 1974 में रद्द कर दिया गया।

(ii) दिसम्बर 1972 में 1,400 ट्रान्सफार्मरों (मूल्य: 53.60 लाख रुपये) के लिए दिये गये एक आर्डर के विरुद्ध सुपुर्दगी मार्च 1973 तक गारन्टीकृत थी और समय वृद्धि किसी स्थिति में नहीं देनी थी। फर्म 1,000 ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति अनुबन्धित सुपुर्दगी अवधि के अन्तर्गत करने में असफल रही। सुपुर्दगी की अवधि, कच्चा माल न उपलब्ध होने, नवम्बर 1972 और जून 1973 के दौरान कारखाने में श्रमिकों की हड़ताल, विद्युत कटौती (अवधि उल्लेखित नहीं) और पिछली आपूर्तियों के भुगतान में देरी के कारण, 30 सितम्बर 1973 तक बढ़ा दी गई। इससे फर्म 3 लाख रुपये की दण्ड की राशि के लगाये जाने से बच गई। एक अन्य फर्म (फर्म "ग") को छोड़ कर दो अन्य फर्मों को, जिन्हें दिसम्बर 1972 में आर्डर दिये गये थे, उनके द्वारा इन्हीं आधारों पर मांगी गई (मई 1973) सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि अस्वीकृत कर दी गई।

पूर्व आर्डरों के विरुद्ध फर्म द्वारा ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति न कर पाने पर भी इसको वृहत् संख्या में ट्रान्सफार्मरों के लिये बार-बार आर्डर दिये गये जब कि इन्हीं आधारों पर आपूर्ति पूरी न कर पाने के कारण अन्य फर्मों को परिषद् द्वारा आर्डर नहीं दिये गये।

(ख) लखनऊ की फर्म "ग"

(i) परिषद् की सितम्बर 1970 की 19,650 ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति करने के लिए की गई निविदा पूछताछ के जवाब में, जिसकी नियत तिथि 30 नवम्बर 1970 से बढ़ाकर 22 दिसम्बर 1970 कर दी गई थी, फर्म ने 25 के वी ए और 63 के वी ए के वितरण ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति के लिए पहली निविदा 21 दिसम्बर 1970 को प्रस्तुत की। निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (प्रशासन) द्वारा फर्म को दिये गये निर्देशानुसार फर्म ने लखनऊ के एक खण्डीय अधिकारी से अमौसी (लखनऊ) औद्योगिक क्षेत्र में स्थित अपने नव स्थापित कार्यशाला से 25 के वी ए के दो ट्रान्सफार्मरों की सुपुर्दगी लेने का आग्रह किया (अक्तूबर 1970)। खण्डीय अधिकारी ने फर्म को दो ट्रान्सफार्मर अपने भण्डारी को सुपुर्द करने के लिए 23 अक्तूबर 1970 को सुझाव दिया।

अभी दो ट्रान्सफार्मरों की सुपुर्दगी प्रतीक्षित थी तभी अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (प्रशासन) ने मेरठ के अधीक्षण अभियन्ता के साथ फर्म की कार्यशाला जाकर देखी (30 दिसम्बर 1970) और 25 के वी ए के 100 ट्रान्सफार्मर मेरठ मण्डल के ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड, बुलन्दशहर व हापुड़ को

ूर्ण करने के लिये इससे मौखिक रूप से कहा । एक जनवरी 1971 को विद्युत् भण्डार अधिप्राप्ति ण्डल I ने अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (प्रशासन) के मौखिक आदेश की पुष्टि उन नियमों, शर्तों न्यों के अधीन कर दी जिसे परिषद् अन्तिम रूपदे (दिसम्बर 1970 में प्राप्त निविदा के विरुद्ध) । द्युत् भण्डार अधिप्राप्ति मण्डल I के एक अधिशासी अभियन्ता ने 5 जनवरी 1971 को फर्म की शाला का निरीक्षण किया और उसके प्रतिवेदन के आधार पर मण्डल के अधीक्षण अभियन्ता ने को सूचित किया (8 जनवरी 1971) कि उसकी कार्यशाला ट्रान्सफार्मरों के निर्माण के लिये करणों से सुसज्जित नहीं थी । साथ ही साथ उन्होंने फर्म को आपूर्ति प्रारम्भ करने के पहले अपनी शाला में परीक्षण सुविधाओं का प्रबन्ध करने और निर्माण तकनीक तथा ट्रांसफार्मरों के निर्माण उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री की किस्म में सुधार करने केलिये सुझाव दिया । की निर्माण तकनीक का पुनः सत्यापन कराने का परिषद् ने प्रबन्ध नहीं किया ।

जब मार्च 1971 तक 102 ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति फर्म ने सम्पूर्ण कर दी उसके बाद, इसका पचारिक क्रयादेश उसे मई 1971 में तकनीकी विशिष्टियों, लौह एवं तांबे की गारन्टीकृत हानि को ड़कर, दर्शाये बिना ही 4,149 रुपया प्रति ट्रान्सफार्मर, कर अतिरिक्त, की दर से दिया गया । प्रकार परिषद् की विशिष्टियों के परिपालन को सुनिश्चित किये बिना ही ट्रान्सफार्मर स्वीकृत कर ये गये । जब कि न्यूनतम निविदा इस आधार पर अस्वीकृत कर दी गई कि निविदादाता परिषद् लिये नया था, फर्म "ग" को 4,149 रुपये की दर दे दी गई जो कि द्वितीय न्यूनतम निविदा के परि-गत मूल्य (अर्थात् उद्धृत मूल्य, लौह एवं तांबे की हानियों का पूंजीकृत मूल्य एवं मूल्य परिवर्तन, सा, आदि के भार का योग) से निकाली गई थी ।

सौ ट्रान्सफार्मरों के औपचारिक आर्डर देने के पूर्व ही, फर्म ने परिषद् से 400 से 450 ट्रान्स-र्मरों का अतिरिक्त आर्डर देने के लिये निवेदन किया (मार्च 1971), जबकि अभी निविदा को न्तिम रूप देना था । सितम्बर 1970 की निविदा पूछ-ताछ (मूल्य : 39.10 लाख रुपये) जवाब में फर्म से प्राप्त (मार्च 1971) संशोधित प्रस्ताव के आधार पर उसे अक्तूबर 1971 में के वी ए के 1,000 व 63 के वी ए के 10 ट्रान्सफर्मरों का एक अन्य आर्डर भी क्रमशः 3,840 ये एवं 6,064 रुपये प्रति ट्रान्सफार्मर की संयुक्त दर पर 75 व 25 के अनुपात में पूर्ण तांबा की इंडिंग व पूर्ण जस्ता की वाइंडिंग के ट्रान्सफार्मर की आपूर्ति के लिए दिया गया । आर्डर में इन 010 ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति की अनुबन्धित अवधि फरवरी 1972 थी परन्तु फर्म ने आपूर्तियां ाई 1972 तक की बढ़ी हुई सुपुर्दगी की अवधि में पूरी की । फर्म को मार्च 1972 और जून 977 के बीच दिसम्बर 1970 में प्राप्त निविदा के विरुद्ध 11 और आर्डर 8,155 ट्रान्सफार्मरों खरीद (मूल्य : 4.38 करोड़ रुपये) के लिये इस तथ्य के बावजूद भी दिये गये कि इसकी उद्धृत कभी भी प्रतिस्पर्धात्मक नहीं रहीं और न्यूनताकन में छठवीं से पचपनवीं के बीच रहीं ।

(ii) फर्म के ट्रान्सफार्मरों की निर्माण की डिजाइन का पता नहीं था । दिसम्बर 970 के निविदा के समर्थन में फर्म ने अपने निर्माण रेखाचित्र 20 जुलाई 1971 को 102 ट्रान्स-र्मरों की आपूर्ति समाप्त कर लेने के बाद प्रस्तुत किये । रेखाचित्र में केवल सामान्य व्यवस्था ाई गई थी । फर्म ने कोई विस्तृत रेखाचित्र प्रस्तुत नहीं किया । मार्च 1973 में परिषद् एक निरीक्षण अधिकारी ने विद्युत् भण्डार अधिप्राप्ति मण्डल I को सूचित किया कि फर्म के पास ा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था जिससे यह पता चल सके कि क्या फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये ान्सफार्मरों का कभी दस्तूरी परीक्षण भी किया गया और क्या ट्रान्सफार्मरों के परीक्षण के लिये इसके ारा नियोजित व्यक्ति भारतीय मानक विशिष्टियों के प्राविधानों एवं परीक्षण उपकरणों से भली-ति अवगत थे । फर्म के पास ट्रान्सफर्मरों का विद्युत् दाब व ध्रुवता जांच करने के लिये न तो ियो मीटर ही था और न ही लो वोल्टेज वृशिंग का प्रतिरोध जांचने का प्रबन्ध ही इसके द्वारा किया ा । तांबे व जस्ते में हानियों को नापने के यंत्र दो सालों (1971 और 1972) से अनुसंशोधित हीं किये गये थे । निरीक्षण अधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला कि फर्म किस्म के बनाये रखने के प्रति सजग नहीं थी । परिषद् ने फिर भी, फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये ट्रान्सफार्मरों के निष्पादन ा कोई सूचना नहीं एकत्रित की ।

1.05. मूल्य वरीयता

राज्य सरकार ने अपनी भण्डार क्रय योजना में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन ने और ऐसे उद्योगों को मजबूत बनाने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार के उद्देश्य से, समय समय पर, मूल्य

वरीयता की योजना शुरू की । फरवरी 1969 में मूल्य वरीयता की योजना का विस्तार स्थानीय औद्योगिक इकाइयों में निम्न प्रकार किया गया :

(i) राज्य में स्थित लघु एवं कुटीर उद्योगों को राज्य के बाहर स्थित ऐसे उद्योगों की तुलना में और राज्य में स्थित मध्यम एवं बृहत् पैमाने की इकाइयों को राज्य के बाहर स्थित लघु, मध्यम एवं बृहत् पैमाने की इकाइयों की तुलना में 5 प्रतिशत से अनधिक की मूल्य में वरीयता ।

(ii) राज्य में स्थित लघु एवं कुटीर उद्योगों को राज्य के बाहर स्थित मध्यम एवं बृहत् उद्योगों की तुलना में 15 प्रतिशत से अनधिक की मूल्य में वरीयता ।

(iii) मूल्य वरीयता जगली निम्न आयोग्य इकाई के मूल्य के ऊपर परिगणित की जायेगी ।

जनवरी 1973 में परिषद् ने मूल्य वरीयता के प्रश्न का अध्ययन किया और यह निश्चय किया कि यदि मूल्य वरीयता दी जानी है तो यह आवश्यक होगा कि राज्य सरकार से परिषद् को इस प्रकार आर्थिक बोझ की क्षतिपूर्ति के लिये उसी के बराबर आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव किया जाय । राज्य के उद्योगों को उचित अवसर देने के लिये उत्तर प्रदेश कंडक्टर निर्माता संघ, गाजियाबाद द्वारा राज्य सरकार को दिये गये एक ज्ञापन (20 अप्रैल 1973) पर परिषद् ने 21 अप्रैल 1973 की अपनी आपातकालीन बैठक में राज्य में स्थित औद्योगिक इकाइयों को 1972 के पांच निविदा पूछतांछों के मामले में ट्रांसफार्मर, ए सी एस आर कण्डक्टर व ऊर्जा मीटर खरीदने के लिए 57.29 लाख रुपये मूल्य की पांच प्रतिशत मूल्य वरीयता स्वीकृत की । इसमें से 35.22 लाख रुपये 1972 की तीन निविदा पूछतांछों के विरुद्ध ट्रांसफार्मरों के क्रय से सम्बन्धित था । परिषद् ने इस अतिरिक्त आर्थिक बोझ की प्रतिपूर्ति करने के लिये सरकार से अगस्त 1973 और पुनः दिसम्बर 1973 में पंहुच की । कोई उत्तरप्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1978) । मई/जून 1977 में निर्णीत दो निविदा पूछताछों के विरुद्ध ट्रांसफार्मर की खरीददारियों में भी 42.84 लाख रुपये की मूल्य वरीयता स्वीकृत की गयी ।

ट्रांसफार्मर निर्माताओं को इस प्रकार दिये गये आर्थिक लाभ का अधिकांश भाग निम्नलिखित बृहत् एवं मध्यम श्रेणी की फर्मों को चला गया यद्यपि मूल्य वरीयता नीति का मूल उद्देश्य लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने का था:

फर्म का नाम	घनराशि (लाख रुपयों में)
कलकत्ता की फर्म 'क' जिसका वर्कशाप नैनी (इलाहाबाद) में था	32.36
लखनऊ की फर्म 'ख'	7.45
लखनऊ की फर्म "ग"	7.99
मेरठ की फर्म "घ"	15.57
	63.37

लघु पैमाने के उद्योगों को अनेक अन्य मदों की खरीद के लिये दिये गये आर्डरों के मामलों में मूल्य वरीयता स्वीकृत नहीं की गयी ।

अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत भण्डार अधिप्राप्ति मण्डल I ने बताया (सितम्बर 1977) कि मूल्य वरीयता विशेष मामलों में राज्य सरकार के निर्देशानुसार दी गई थी ।

8.06.100 के वी ए तक के वितरण ट्रांसफार्मरों की खरीद पर अतिरिक्त व्यय

(क) उच्च दरों पर बातचीत के आधार पर क्रय

"सील्ड" टाइप ट्रांसफार्मरों में विशेष बुशिंग, अधिमान्यता एपाक्सी कम्पाउन्ड की बनी हुई की व्यवस्था के साथ 'कन्वेन्शनल' और 'सील्ड' टाइप ट्रांसफार्मरों के लिये पृथक-पृथक दरें मांगते हुये

25 के वी ए (3,000), 163 के बी ए (2,500) व 100 के वी ए (500) के 6,000 कन्वेन्शनल" / "सील्ड" टाइप (विशेष बुशिंग्स सहित) वितरण ट्रांसफार्मर का 1975–76 के दौरान क्रय करने के लिए एक निविदा निकाली गयी (मार्च 1975)। प्राप्त हुये 53 निविदाओं में से 36 प्रस्ताव "सील्ड" टाइप ट्रांसफार्मरों के लिये थे। केन्द्रीय क्रय समिति ने 25 व 63 के वी ए के 7,650 "सील्ड" टाइप ट्रांसफार्मरों और 63 के बी ए के 500 "कन्वेन्शनल" टाइप ट्रांसफार्मरों को खरीदने के लिए निम्न प्रकार से निर्णय दिया (17 मई 1975) :

फर्म का नाम	ट्रांसफार्मरों की संख्या जिस के लिए आर्डर दिया जाना था			दरें (रुपयों में)	सारी निविदाओं में स्वीकृत दर की स्थिति
	25 के बी ए	63 के वी ए	100 के बी ए		
मेरठ की फर्म "घ" की सहयोगी	250	..	..	4,500 (स्थिर)	न्यूनतम
मेरठ की फर्म "घ" की सहयोगी	..	250	..	8,100 (स्थिर)	न्यूनतम
'झ' गाजियाबाद कारखाने से	400	..	..	5,100 (स्थिर)	द्वितीय न्यूनतम
'झ' गाजियाबाद कारखाने से	..	300	..	9,050 (स्थिर)	तृतीय न्यूनतम
'झ' गाजियाबाद कारखाने से	..	..	500	10,200 (स्थिर)	बड़ौदा की फर्म "ड" द्वारा उद्धृत द्वितीय न्यूनतम दर
सात अन्य फर्में	4,000	..	..	5,100 (10 प्रतिशत की सीमा तक परिवर्तनीय)	स्थिर मूल्य के आधार पर फर्म 'झ' द्वारा उद्धृत
सात अन्य फर्में	..	2,450	..	8,800 (10 प्रतिशत की सीमा तक परिवर्तनीय)	कलकत्ता, भरतपुर व मेरठ की तीन फर्मों द्वारा उद्धृत
योग	4,650	3,000	500		

फिर भी 15,027 कन्वेन्शनल बुशिंग वाले ट्रांसफार्मरों की खरीद के लिये निम्न प्रकार से आर्डर दिये गये (9,920 ट्रांसफार्मरों के लिए जुलाई 1975 में और 5,107 ट्रांसफार्मरों के लिए सितम्बर 1975 में) :

फर्म का नाम	25 के वी ए ("सील्ड" टाइप)		63 के वी ए ("सील्ड" टाइप)		100 के वी ए ("कन्वेन्शनल" टाइप)	
	संख्या	दर (रुपयों में)	संख्या	दर (रुपयों में)	संख्या	दर (रुपयों में)
फर्म "घ" की सहयोगी	310	4,500	250	8,100	..	..
"झ"	400	5,100	300	9,050	..	..
"च"	400	5,100 (परिवर्तनीय)	1,150	8,800 (परिवर्तनीय)	150	10,200

फर्म का नाम	25 के वी ए ("सील्ड" टाइप)		63 के वी ए ("सील्ड" टाइप)		100 के वी ("कन्वेन्शनल" टाइप)	
	संख्या	दर (रुपयों में)	संख्या	दर (रुपयों में)	संख्या	दर (रुपयों में)
फर्म "क"	2,600	5,100 (परिवर्तनीय)	2,450	8,800 (परिवर्तनीय)	..	..
दस अन्य फर्में	3,222	5,100 (परिवर्तनीय)	3,135	8,800 (परिवर्तनीय)	500	10,200
नौ फर्मों को परीक्षा आर्डर	85	5,100	75	8,800	..	..
योग	7,017		7,360		650	

यद्यपि पहले भी "घ" फर्म सहित कुछ फर्मों से परीक्षण के आधार पर "सील्ड" टाइप ट्रांसफार्मर खरीदे गये थे, एपाक्सी कम्पाउन्ड से निर्मित विशिष्ट बुशिंग सहित "सील्ड" टाइप ट्रांसफार्मरों के लिये फर्म "घ" के सहयोगी की निम्नतम दरें अन्य फर्मों को प्रस्ताव देने के लिये इस आधार पर विचार में नहीं ली गयीं कि इस सहयोगी फर्म को "सील्ड" टाइप ट्रांसफार्मर के निर्माण का अनुभव नहीं था। यह उल्लेखनीय है कि दोनों फर्मों का प्रबन्ध एक ही समुदाय के व्यक्तियों द्वारा होता था इसलिये "सील्ड" टाइप ट्रांसफार्मरों के निर्माण में अनुभव का प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं था, खासकर जबकि आगरा की फर्म "ण" को, इलाहाबाद की फर्म "च" को, कानपुर की फर्म "चच" को एवं लखनऊ की फर्म "नन" को इसी पूछतांछ के विरुद्ध जुलाई/सितम्बर 1975 में आर्डर दिये गये जबकि इसमें से किसी को ट्रान्सफार्मरों के निर्माण का पूर्व अनुभव नहीं था।

25 के वी ए के 6,707 ट्रान्सफार्मरों एवं 63 के वी ए के 7,110 ट्रान्सफार्मरों (मूल्य: 10.03 करोड़ रुपये) को तकनीकी दृष्टि से स्वीकार्य 4,500 रुपये व 8,100 रुपये की न्यूनतम दरों (फर्म "घ" की सहयोगी मेरठ की फर्म द्वारा प्रस्तावित) के बजाय क्रमशः 5,100 रुपये और 8,800 रुपये की उच्च दरों पर खरीदने के कारण 90.76 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

जयपुर की फर्म "घ" एवं सोनपत की फर्म "झ" (अपने गाजियाबाद कारखाना से आपूर्ति के लिये) द्वारा दी गई 25 के वी ए की 4,500 रुपये और 5,100 रुपए एवं 63 के वी ए के ट्रान्सफार्मर की 8,100 रुपये से 9,050 रुपये तक की अनुमोदित दरों में निविदा प्रलेख की शर्तों के अनुसार, विशेष बुशिंग लगाने का अतिरिक्त व्यय शामिल था। परिषद् के तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष ने विद्युत् भण्डार अधिप्राप्ति मण्डल को दिनांक 23 मई 1975 के अपने निर्देशों में कहा कि "विशेष किस्म की बुशिंग पर लगभग 300 रुपये प्रति ट्रान्सफार्मर की दर से अधिक लगाना अनावश्यक है क्योंकि मार्ग में या स्थापना के बाद बुशिंग टूटने की घटनायें अपेक्षाकृत कम हैं"। इसी कारण विशेष प्रकार की बुशिंग, अधिमान्यता "एपाक्सी" कम्पाउन्ड की बनी हुई, की व्यवस्था करने की शर्त विभिन्न फर्मों को दिये गये आर्डरों में सम्मिलित नहीं की गयी। फिर भी, ट्रान्सफार्मर की विशिष्टियों में इस प्रकार के परिवर्तन के लिये आर्डर देते समय मूल्य में कोई कमी नहीं की गयी। इससे आपूर्तिकर्ताओं को लगभग 43.13 लाख रुपये का अधिक भुगतान हो गया।

फर्म "क" को दिए गए 25 के वी ए के 2,600 ट्रान्सफार्मरों और 63 के वी ए के 2,450 ट्रान्सफार्मरों के आर्डरों के विरुद्ध इसने 25 के वी ए के 2,354 और 63 के वी ए के 1,689 ट्रान्सफार्मरों को देय तिथि (मार्च 1976) तक आपूर्त किया। इस मामले में सुपुर्दगी की अवधि 31 मई 1976 तक बढ़ा दी गई (6 मई 1976) और पुनः कार्योत्तर 30 जून 1976 तक बढ़ा दी गई (8 अगस्त 1976) यद्यपि इन दो क्षमताओं वाले ट्रान्सफार्मरों के लिए 4,800 रुपए और 8,700 रुपए की न्यूनतम दरें इसके बाद अप्रैल 1976 में खोली गई निविदाओं में प्राप्त हुई थीं। इस प्रकार फर्म से बढ़ी हुई सुपुर्दगी की अवधि में उन दरों, जो सितम्बर 1976 में दिये गये आर्डरों (अप्रैल 1976 में खोली गई निविदाओं के विरुद्ध) की तुलना में 25 के वी ए और 63 के वी ए के लिए 300 रुपए

और 100 रुपये प्रति ट्रान्सफार्मर अधिक थीं, पर आपूर्तियां स्वीकार करने के कारण परिषद् ने 25 के वी ए के 246 और 63 के वी ए के 761 ट्रान्सफार्मरों पर 1.50 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय किया। अनुबंधित सुपुर्दगी अवधि के बाद आपूर्तियों को स्वीकार करने के कारण, जबकि निम्नतर दरें उपलब्ध थीं, अभिलेखों में नहीं थे ।

(ख) निम्न प्रस्ताव का स्वीकृत न किया जाना

परिषद् ने 1973–74 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम की आवश्यकताओं के लिए और क्षतिग्रस्त/चोरी हुए ट्रान्सफार्मरों के प्रतिस्थापन के लिए 14,800 ट्रान्सफार्मरों (25 के वी ए के 8,000, 63 के वी ए के 6,000 और 100 के वी ए के 800) को क्रय करने के लिए एक निविदा पूछताछ निकाली (सितम्बर 1972)। इस पूछताछ के प्रत्युत्तर में 59 प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनमें से 31 फर्मों के प्रस्ताव (राज्य में स्थित 17 और राज्य के बाहर स्थित 14) तकनीकी रूप से स्वीकार्य पाए गये। किन्तु फर्मों द्वारा दी गई दरों में बहुत अन्तर था। 25 के वी ए (3,050 रुपए) और 63 के वी ए (5,175 रुपये) के ट्रान्सफार्मरों के लिए निम्नतम प्रस्ताव मेरठ की फर्म "भ भ" (राज्य में स्थित) द्वारा और 100 के वी ए (6,660 रुपए) के लिए बम्बई की फर्म "म" द्वारा दिये गये थे। जैसा कि केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति ने निर्णय लिया, सभी 31 फर्मों मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण विद्युतीकरण) द्वारा बातचीत के लिए बुलाई गईं। इस प्रकार की पद्धति क्यों अपनाई गई इसके कोई कारण अभिलेखों में नहीं हैं। मार्च से मई 1973 तक किए गये वार्तालाप के परिणाम-स्वरूप और आगे की मांग को ध्यान में रखते हुए, जो कि इस बीच में निकल आई थी, उपर्युक्त 31 फर्मों में से 25 से 25 के वी ए के 13,400, 63 के वी ए के 8,275 और 100 के वी ए के 850 ट्रान्सफार्मरों को क्रमशः 3,150 रुपये, 5,250 रुपए और 6,800 रुपये की दरों या उनकी उद्धृत दरों, जो भी कम हों, पर आपूर्ति करने की प्रार्थना की गई। वार्तालाप में प्रस्तावित दरें राज्य में स्थित छः फर्मों (क, ख, ग, घ, ङ एवं च) और राज्य के बाहर स्थित एक फर्म को स्वीकार्य नहीं थी। 25 फर्मों को आर्डर देते समय (जून 1973) इन सात फर्मों को 25 के वी ए के 10,900 ट्रान्सफार्मरों के लिए 3,270 रुपये और 3,307 रुपए, 63 के वी ए के 7,100 ट्रान्सफार्मरों के लिए 5,354 रुपए से 5,511 रुपये तक और 100 के वी ए के 200 ट्रान्सफार्मरों के लिए 7,140 रुपए की उच्च दरें दी गईं। राज्य में स्थित छः फर्मों को इस प्रकार दी गई उच्च दरें, राज्य में स्थित फर्मों द्वारा उद्धृत तकनीकी रूप से स्वीकार्य निम्नतम दरों के ऊपर पांच प्रतिशत मूल्य वरीयता (29.56 लाख रुपये) स्वीकृत करने के कारण थीं।

ग्यारह फर्मों द्वारा 7,675 ट्रान्सफार्मरों (25 के वी ए के 4,500, 63 के वी ए के 2,975 व 100 के वी ए के 200) को, उनके द्वारा मूल रूप से प्रस्तावित ट्रान्सफार्मरों की संख्या के ऊपर, निम्न दरों पर आपूर्ति करने के लिए वार्तालाप के दौरान दिए गए प्रस्ताव उपेक्षित कर दिए गये। इस प्रकार की कार्यवाही के लिए कोई कारण अभिलेखित नहीं किए गए। इन 7,675 ट्रान्सफार्मरों को उच्च दरों पर क्रय करने के परिणामस्वरूप 17.59 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

लेखा सम्परीक्षा में निम्नलिखित और भी मामले देखे गये :

(i) उन्नीस फर्मों ("क", "ख", "ग", "घ", "ङ" व "च" और 13 अन्य), 25 के वी ए के 4,289, 63 के वी ए के 2,186 और 100 के वी ए के 45 ट्रान्सफार्मरों की निर्धारित तिथि (मार्च 1974) तक आपूर्ति करने में असफल रहीं। उनके द्वारा आपूर्तियां अप्रैल 1974 और जुलाई 1975 के बीच बढ़ी हुई सुपुर्दगी की अवधि में पूरी की गईं। आपूर्ति में विलम्ब के बावजूद भी उनको बढ़ायी गयी सुपुर्दगी की अवधि के दौरान ट्रान्सफार्मर तेल के मूल्य में वृद्धि के बिनाह पर कुल 44.26 लाख रुपए की मूल्य वृद्धि दी गयी (मार्च 1975) यद्यपि उनको क्रय आदेश स्थिर मूल्य के आधार पर दिये गये थे। विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को दी गई मूल्य वृद्धि (मार्च 1975) तेल के मूल्य में हुई वृद्धि या ट्रान्सफार्मर की कुल निर्माण लागत में हुई कुल वृद्धि (तेल को शामिल करते हुए) का आधा, जो भी कम हो, तक सीमित थी केवल फर्म "क" को छोड़ कर जिसे पहले ही ट्रान्सफार्मर के तेल में हुई पूरी वृद्धि दे दी गई थी (दिसम्बर 1974) और 2,667 ट्रान्सफार्मरों की खरीद में (मूल्यः 39.51 लाख रुपये) जिसके कारण 18.08 लाख रुपए का भुगतान किया गया। इसने अप्रैल 1974 से आपूर्ति बन्द कर दी थी और दिसम्बर 1974 में उसे तब पुनः शुरू की जब उपर्युक्त मूल्य वृद्धि इसे स्वीकृत कर दी गई। फर्म द्वारा 2,667 ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति बढ़ी हुई सुपुर्दगी की अवधि

के दौरान मार्च 1975 तक पूरी की गई । परिषद् का विभिन्न फर्मों की सुपुर्दगी अवधि बढ़ाने का अनुमोदन अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।

(ii) फर्म "घ" को भी ट्रान्सफार्मर तेल में हुई पूरी मूल्य वृद्धि स्वीकृत की गई (जनवरी 1975)। परिषद् द्वारा मार्च 1975 में अनुमोदित सीमित मूल्य वृद्धि के आधार पर 25 के वी ए के 309 ट्रान्सफार्मरों और 63 के वी ए के 624 ट्रान्सफार्मरों के सम्बन्ध में 4.15 लाख रुपये की वसूली फर्म से प्राप्य हो गई। माल पाने वालों से फर्म से वसूली कर लेने को कहा गया । किन्तु वसूली इसलिए नहीं की जा सकी कि फर्म द्वारा आपूर्त किए गए ट्रान्सफार्मरों का पूरा भुगतान पहले ही किया जा चुका था। जनवरी 1976 में विद्युत् भण्डार अधिप्राप्ति मण्डल I ने माल प्राप्तकर्ताओं को सलाह दी कि अधिक भुगतान की वसूली पर तब तक जोर न दें जब तक कि फर्म की याचना (दिसम्बर 1975) पर निर्णय न ले लिया जाय। फर्म की याचना पर विचार करने के बाद मण्डल ने फर्म को अधिक भुगतान वापस करने को कहा (दिसम्बर 1976) लेकिन फर्म ने धनराशि वापस नहीं की है (मार्च 1979) ।

(iii) आपूर्ति पूरी हो जाने के बाद (मार्च 1975) फर्म "क" ने 25 के वी ए और 63 के वी ए के ट्रान्सफार्मरों के अपने संशोधित रेखाचित्र प्रस्तुत किये (मार्च 1975) जिसमें मूल रेखाचित्र में प्राविधानित ट्रांसफार्मर तेल के प्रयोग से अधिक का प्रयोग दिखाया गया था और इस आधार पर इसने 830 ट्रांसफार्मरों पर 1.32 लाख रुपये का अधिक भुगतान ले लिया ।

(iv) विभिन्न फर्मों को दिये गये आर्डरों में "कन्वेन्शनल" टाइप ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति की शर्त थी । ट्रांसफार्मर की डिजाइन "कन्वेन्शनल" टाइप से "सील्ड" टाइप में बदलने के कारण फर्म "क" से परिषद् द्वारा 25 के वी ए (500) और 63 के वी ए (100) के 600 "सील्ड" टाइप ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति दिसम्बर 1974 से मार्च 1975 की बढ़ायी हुयी सुपुर्दगी अवधि में 2.25 लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय पर (350 रुपये और 500 रुपये प्रति ट्रांसफार्मर क्रमशः 25 के वी ए और 63 के वी ए के लिये) ली गयी । लेकिन दो लघु पैमाने की औद्योगिक इकाइयों से, जिनमें से प्रत्येक के पास 25 के वी ए के 100 ट्रांसफार्मरों का आर्डर था, परिषद् ने 137 "सील्ड" टाइप ट्रांसफार्मरों की, ट्रांसफार्मरों की डिजाइन में उपर्युक्त परिवर्तनों के लिये बिना किसी अतिरिक्त मूल्य पर, आपूर्त करने के लिये कहा (नवम्बर/दिसम्बर 1976), जिनकी आपूर्ति दो फर्मों द्वारा मई 1978 तक की बढ़ी हुई अवधि में कर दी गई ।

(ग) निविदाओं पर निर्णय लेने में विलम्ब

ग्रामीण विद्युतीकरण डिजाइन व योजना मण्डल द्वारा बतायी गयी जरूरत के आधार पर 25 के वी ए, 63 के वी ए व 100 के वी ए के 11,200 वितरण ट्रांसफार्मरों की खरीद के नवम्बर 1971 की निविदा पूछ-तांछ में यह शर्त थी कि निविदा खुलने की तिथि (14 दिसम्बर 1971) से तीन माह तक वैध रहेगी । प्राप्त हुये 52 प्रस्तावों में से केवल 14 निविदायें तकनीकी दृष्टि से मान्य समझी गयीं । मेरठ की फर्म "ट" द्वारा 25 के वी ए और 63 के वी ए ट्रांसफार्मरों के लिये दी गई क्रमशः 3,000 रुपये और 5,300 रुपये की तकनीकी दृष्टि से स्वीकार्य न्यूनतम दरें इस आधार पर रद्द कर दी गयीं कि फर्म नई थी । द्वितीय न्यूनतम निविदादाता, अर्थात् सोनपत की फर्म "झ" (जिसका कारखाना गाजियाबाद में भी था) ने अपने सोनपत व गाजियाबाद कारखाने से ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति के लिये दरों के दो सेट दिये, जिनमें एक दो माह के लिये वैध था व दूसरा तीन महीने के लिये वैध था, जैसा कि नीचे दिया है :

ट्रांसफार्मर की क्षमता (के वी ए में)	सोनपत कारखाने से		गाजियाबाद कारखाने से	
	दो माह की वैधता	तीन माह की वैधता	दो माह की वैधता	तीन माह की वैधता
	(दरें प्रति ट्रांसफार्मर रुपयों में)			
25	3,300	3,420	3,320	3,440
63	5,625	5,850	5,655	5,880
100	7,200	7,350	7,240	7,390

नीची दरें 14 फरवरी 1972 तक वैध थीं । लेकिन निविदायें नीची दरों की वैधता अवधि के अन्दर तय नहीं की गयीं। के भ क स की संस्तुति (4 मार्च 1972) के अनुसार परिषद् ने 25 के वी ए के 5,180, 63 के वी ए के 4,050 और 100 के वी ए के 990 ट्रांसफार्मर खरीदने के लिये उन छः फर्मों को, जिनके कारखाने राज्य में स्थित हों (गाजियाबाद की फर्म "झ" को सम्मिलित करते हुये), उनके द्वारा दी गई दरों या अपने सोनपत कारखाने से आपूर्ति के लिये फर्म "झ" की दरों के दो सेटों में से उच्चतर सेट (अर्थात्, 3,420 रुपये, 5,850 रुपये और 7,350 रुपये), जो भी कम हो, पर आर्डर देने का निश्चय 9 मार्च 1972 को किया। मुख्य अभियन्ता (अनुरक्षण एवं वाणिज्यिक) को भी इन छः फर्मों की क्षमता को आंकना था और यदि वे फर्में मार्च 1973 तक सभी ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति न कर सकें तो उसको अध्यक्ष की अनुमति से उन फर्मों की क्षमता से अधिक की मात्रा को दूसरी फर्मों में बांट देने का अधिकार दिया गया था ।

तदनुसार, इन छः फर्मों की क्षमता मुख्य अभियन्ता (अनुरक्षण एवं वाणिज्यिक) द्वारा आंकी गयी और 10,220 ट्रांसफार्मरों के लिये बारह फर्मों को फर्म "झ" की उच्चतम दरों पर व कलकत्ता की फर्म "त" को उसके द्वारा 63 के वी ए और 100 के वी ए के ट्रांसफार्मरों के लिये दी गई क्रमशः 5,695 रुपये और 7,250 रुपये (एक प्रतिशत छूट सहित) प्रति ट्रांसफार्मर की दर पर क्रय आदेश (मूल्य : 8.58 करोड़ रुपये) दिये (मार्च 1972) । निविदाओं पर अन्तिम निर्णय लेने में 14 फरवरी 1972 के बाद 23 दिन की देरी के कारण विभिन्न फर्मों को फर्म "झ" की उच्चतर दर पर आर्डर दिये गये (न्यून दर की वैधता अवधि पहले ही बीत चुकी थी) । परिणामस्वरूप परिषद् को 10,220 ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति में 16.42 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय पड़ा ।

विभिन्न फर्मों को दिये गये आर्डरों में निहित शर्तों के अनुसार, ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति अक्तूबर 1972 से मार्च 1973 तक पूरी हो जानी थी । लेकिन छः फर्मों ने 25 के वी ए के 62 ट्रांसफार्मर व 63 के वी ए के 593 ट्रांसफार्मर सुपुर्दगी अवधि की समाप्ति के बाद (जुलाई 1973) दिये। विद्युत भण्डार अधिप्राप्ति मण्डल के निर्देशों (नवम्बर 1972) के अनुसार बारह फर्मों में से एक फर्म से 25 के वी ए के 200 और 63 के वी ए के 75 ट्रांसफार्मरों की अतिरिक्त आपूर्ति भी दिसम्बर 1972 और अप्रैल 1973 के बीच ली गई । इस बीच सितम्बर 1972 में परिषद् को अगस्त 1972 में निकाली गई एक अन्य निविदा पूंछ-तांछ के विरुद्ध 25 के वी ए और 63 के वी ए के ट्रांसफार्मरों के लिये क्रमशः 3,200 रुपये और 5,400 रुपये की न्यूनतम दरें उपलब्ध थीं । इन कम दरों पर आर्डर दिसम्बर 1972 में दिये गये । यदि परिषद् ने मार्च 1972 के आर्डर का अनिष्पादित भाग सुपुर्दगी अवधि में आपूर्त न किये गये ट्रांसफार्मरों के लिये (25 के वी ए के 62 ट्रांसफार्मर व 63 के वी ए के 593 ट्रांसफार्मर) रद्द कर दिया होता तो यह 25 के वी ए के 200 ट्रांसफार्मरों व 63 के वी ए के 75 ट्रांसफार्मरों की अतिरिक्त मांग सहित ये ट्रांसफार्मर सितम्बर 1972 में उपलब्ध न्यून दरों पर खरीद सकती थी और 3.58 लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय को बचा सकती थी । अनुबन्धित सुपुर्दगी अवधि के बाद आपूर्तियों को स्वीकार करने के कारण, जब कि निम्न दरें उपलब्ध थीं, अभिलेखों में नहीं थे ।

(घ) दूसरी निविदा के परिगणित मूल्य से निकाली गई दरों पर खरीद

ग्रामीण विद्युतीकरण डिजाइन व नियोजन मण्डल द्वारा 1971–72 में 50,000 नलकूपों के उर्जाकरण के लिये सूचित की गयी आवश्यकता के आधार पर अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत भण्डार अधिप्राप्ति मण्डल I ने 15 के वी ए (2,000) 25 के वी ए (6,000), 63 के वी ए (8,000) और 100 के वी ए (3,000) के 19,000 वितरण ट्रांसफार्मर खरीदने के लिये निविदायें आमंत्रित कीं (सितम्बर 1970) । निविदा आमंत्रित करने के पहले अधीक्षण अभियन्ता ने मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) को थोक में खरीदे जाने वाले वितरण ट्रांसफार्मरों (100 के वी ए तक के) के मामले में उद्वृत दरों की तुलना करने के लिये लोह व तांबे की हानियों को पूंजीकृत करने की प्रचलित कार्यप्रणाली को समाप्त करने की वांछनीयता पर विचार करने का प्रस्ताव दिया (अगस्त 1970) । यह प्रस्ताव इसलिये दिया गया था कि वास्तविक हानियों की या तो निर्माता के कार्य पर या इन ट्रांसफार्मरों के वास्तविक प्रयोग में जांच करना व्यवहार्य नहीं था । इस प्रस्ताव पर कोई निर्णय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था । हालांकि यह कार्य प्रणाली बाद की नवम्बर 1971 की निविदा पूछताछ में समाप्त कर दी गई ।

इसी बीच 33 फर्मों से प्राप्त (मार्च 1971) सीमित कोटेशन के आधार पर, जिन्होंने सितम्बर 1970 की निविदा पूछताछ के जवाब में अपने प्रस्ताव दिये थे (दिसम्बर 1970), परिषद् ने फर्म "झ" की परिगणित मूल्यों (अर्थात् 25 के वी ए के लिये 7,285 रुपये, 63 के वी ए के लिये 13,280 रुपये और 100 के वी ए के लिये 17, 822 रुपये प्रति ट्रांसफार्मर) से निकाली गई निम्नलिखित दरों पर 9,520 ट्रांसफार्मर फर्म "क', "ख", "ग", "घ", व "ङ" से खरीदने का निर्णय किया (अक्तूबर 1971) :

फर्म	25 के वी ए		63 के वी ए		100 के वी ए	
	संख्या	दर	संख्या	दर	संख्या	दर
					(दर रुपयों में)	
"क"	2,000	3,848	3,000	6,700	500	8,652
"ख"	1,000	3,876	10	7,067	..	..
"ग"	1,000	3,840	10	7,019	..	..
"घ"	500	3,435	500	5,720	..	..
"ङ"	500	3,890	500	6,910	..	..
योग	5,000		4,020		500	

15 के वी ए के ट्रांसफार्मरों का कोई आर्डर नहीं दिया गया क्योंकि इन ट्रांसफार्मरों का प्रयोग अमितव्ययी पाया गया ।

तदनुसार, इन पांच फर्मों को अक्तूबर 1971 में 9, 520 ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति के लिये आर्डर दिये गये । इस प्रकार 8, 520 ट्रांसफार्मरों की खरीद के लिये चार फर्मों को दी गई कीमत (फर्म "घ" को छोड़कर) फर्म "झ" द्वारा उद्धृत दरों (25 के वी ए के ट्रांसफार्मरों के लिये 3,750 रुपये, 63 के वी ए के लिये 6,350 रुपये व 100 के वी ए के लिये 7,900 रुपये) से अधिक थी । लौह व तांबे में हानियों का इस प्रकार पूंजीकरण करने से 8,520 ट्रांसफार्मरों की खरीद (मूल्य : 4. 54 करोड़ रुपये) में फर्म "झ" द्वारा दी गई दरों की तुलना में 22. 02 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

तांबे व लोहे की हानियों के पूंजीकृत मूल्य के आधार पर भी तकनीकी दृष्टि से स्वीकार्य कलकत्ता की फर्म "प" के परिगणित मूल्य (63 के वी ए के ट्रान्सफार्मरों का 12,784 रुपया व 100 के वी ए के ट्रान्सफार्मरों का 16,829 रुपया) और 25 के वी ए के ट्रान्सफार्मरों के लिये फर्म "झ" का परिगणित मूल्य (7,285 रुपया) न्यूनतम थे । फर्म "प" के उद्धृत मूल्य 63 के वी ए और 100 के वी ए ट्रान्सफार्मरों के लिये क्रमश: 6,204 रुपये और 7,694 रुपये थे । इस तथ्य के बावजूद भी कि अन्य निविदादाताओं की तरह, फर्म "प" ने भी अपनी निविदा में यह संकेत दिया था कि इसकी दरें बिक्री कर व अन्य सांविधिक वसूलियों में वृद्धि को छोड़ कर हैं, फर्म की उद्धृत दरें सांविधिक परिवर्तनों के लिये तुलना के उद्देश्य से पांच प्रतिशत से बढ़ा दी गयीं जिसके कारण उसके परिगणित मूल्य उच्च हो गये (63 के वी ए और 100 के वी ए ट्रान्सफार्मरों के लिये क्रमश: 13,103 रुपये और 17,225 रुपये) । फर्म "प" का प्रस्ताव इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि यह एक लघु पैमाने का उद्योग था और इसे एल्यूमिनियम बाउन्ड ट्रान्सफार्मरों के बनाने का कोई अनुभव नहीं था । यद्यपि फर्म ने अपनी निविदा में विभिन्न राज्य विद्युत् परिषदों (मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और 1967–68 व 1969–70 में उत्तर प्रदेश) व अन्य उपक्रमों/परियोजनाओं में ट्रान्सफार्मरों की आपूर्तियों (2,500 के वी ए तक के) की एक लम्बी सूची दी थी । 63 के वी ए के 4,040 और 100 के वी ए के 500 ट्रान्सफार्मरों की फर्म "झ" के उच्च परिगणित मूल्यों (13,280 रुपया व 17,822 रुपया प्रति ट्रान्सफार्मर क्रमश: 63 के वी ए व 100 के वी ए के लिये) से निकाली गई दरों पर खरीद के कारण फर्म "प" की परिगणित दरों (63 के वी ए के लिये 12,784 रुपया और 100 के वी ए के लिये 16,829 रुपया) के आधार पर देय दरों की तुलना में 24. 90 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

अक्तूबर 1971 के क्रय आदेश में आपूर्ति मार्च 1972 तक पूरा कर देने की शर्त थी । यद्यपि, 25 के वी ए के 1,531,63 के वी ए के 1,290 और 100 के वी ए के 128 ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति अप्रैल 1972 से अप्रैल 1973 के बीच हुई, इसी बीच इसी तरह के ट्रान्सफार्मर उसी फर्म से 3,420 रुपये, 5,850 रुपये और 7,350 रुपये की न्यून दरों पर नवम्बर 1971 में आमंत्रित एक निविदा के आधार पर खरीदे गये । परिषद् को इस अवधि के दौरान उपलब्ध इन न्यून दरों की तुलना में अनुबन्धित सुपुर्दगी अवधि के समाप्त होने के बाद आपूर्तियों को उच्च दरों पर स्वीकार करने के कारण 18.66 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा । अनुबन्धित सुपुर्दगी अवधि बीत जाने के बाद आपूर्तियों को स्वीकार करने के कारण, जब कि निम्न दरें उपलब्ध थीं, अभिलेखों में नहीं थे ।

8.07. **उच्च परिगणित मूल्य के आधार पर वितरण ट्रान्सफार्मरों (100 के बी ए से ऊपर) की खरीद**

(क) सितम्बर 1972 में विद्युत् भण्डार अधिप्राप्ति मण्डल I द्वारा 1972–73 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों में प्रयोग के लिये 160 से 1,000 के वी ए के 490 वितरण ट्रान्सफार्मरों की खरीद के लिये निविदा आमंत्रित की गई । निविदा की वैधता 30 अप्रैल 1973 तक दो बार बढ़वाई गई । के भ क स ने इन निविदाओं के आधार पर 400 के वी ए से 1,000 के वी ए तक के 140 ट्रान्सफार्मरों को खरीदने और निविदादाताओं से 160 के वी ए (200) व 250 के वी ए (150) के एल्यूमिनियम वाइन्ड ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति के लिये सीमित कुटेशन आमंत्रित करने का 26 अप्रैल 1973 को निर्णय दिया क्योंकि 12 फरवरी 1972 के भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार मार्च 1973 के बाद दिये गये आर्डरों के विरुद्ध 300 के वी ए तक के कापर वाइन्ड ट्रान्सफार्मरों का क्रय अनुज्ञेय नहीं था । तद्नुसार, 160 और 250 के वी ए के 350 अल्यूमिनियम वाइन्ड ट्रान्सफार्मर खरीदने के लिये मई 1973 में सीमित कुटेशन आमंत्रित किये गये और 4 जून 1973 को खोले गये । उत्तर में 28 प्रस्ताव प्राप्त हुये जो 5 सितम्बर 1973 तक वैध थे लेकिन उस तिथि तक कोई निर्णय नहीं लिया गया यद्यपि सीमित कुटेशनों पर अन्तिम निर्णय लेने के लिये तीन महीने का समय उपलब्ध था । निविदादाताओं से अपने प्रस्तावों की वैधता 4 नवम्बर 1973 तक बढ़ाने के लिये 3 सितम्बर 1973 को कहा गया जो बम्बई की एक फर्म को छोड़ कर सबने स्वीकार कर लिया । कलकत्ता की फर्म "प" और धनबाद की फर्म "भ" द्वारा दी गई क्रमशः 160 के वी ए ट्रान्सफार्मरों के लिये 10,200 रुपये (परिगणित मूल्य : 24,277 रुपये) की और 250 के वी ए ट्रान्सफार्मरों के लिये 14,800 रुपये (परिगणित मूल्य : 33,234 रुपये) की न्यूनतम उद्धृत दरें इस आधार पर रद्द कर दी गईं (अक्तूबर 1973) कि धनबाद की फर्म "भ" ने जून 1973 के एक पहले के आर्डर के विरुद्ध ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति प्रारम्भ नहीं की थी और कलकत्ता की फर्म "प" ने जून 1973 में इसको दिये गये आर्डर की सुपुर्दगी अवधि का पालन नहीं किया । यह उल्लेखनीय है कि मूल्य वृद्धि के कारण जून 1973 में दिये गये आर्डरों के विरुद्ध अन्य फर्मों द्वारा भी इसी तरह की त्रुटियां की गई थीं और उनके द्वारा 1975 में आपूर्तियां तब पुनः शुरु की गईं जब परिषद् ने दिसम्बर 1974 में मूल्य वृद्धि देना स्वीकार कर लिया । किन्तु उनकी निविदायें इस आधार पर रद्द नहीं की गईं । के भ क स द्वारा 31 अक्तूबर 1973 को मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत्) को यह अधिकार दिया गया कि वे सात फर्मों से अपने मूल्य बड़ौदा की फर्म "ड" (परिगणित मूल्य : 25,276 रुपये) और लखनऊ की फर्म "ख" (परिगणित मूल्य : 36,135 रुपये) के क्रमशः 160 के वी ए व 250 के वी ए के ट्रान्सफार्मरों के लिये द्वितीय निम्नतम प्रस्तावों के मूल्य तक कम करने के लिये समझौता वार्ता करें और आर्डर को उन फर्मों में बांट दें जो इन मूल्यों के लिये राजी हों ।

मुख्य अभियन्ता द्वारा 3 नवम्बर 1973 को की गयी एक समझौता वार्ता में अन्य फर्मों को प्रस्तावित की गई फर्म "ड" की दर उनके द्वारा स्वीकार नहीं की गई । पांच फर्मों, अर्थात् "ख", "घ", "ङ", "झ" और बंगलौर की गवर्नमेन्ट इलेक्ट्रिक फैक्टरी (जी ई एफ) ने उच्च दरों की मांग की जो 160 के वी ए ट्रान्सफार्मरों के लिये 26,084 रुपये से 28,900 रुपये के बीच परिवर्तनीय परिगणित मूल्यों के आधार पर निकाली जानी थीं । भिर्जापुर की फर्म "ङ" और बंगलौर की जी ई एफ ने उन दरों की मांग की जो 250 के वी ए के ट्रान्सफार्मरों के लिय क्रमशः 37,710 रुपये और 38,120 रुपये के उनके उच्च परिगणित मूल्यों से निकाली जानी थी, लेकिन फर्म "झ" ने समझौता वार्ता में प्रस्तावित मूल्य स्वीकार कर लिये । फिर भी मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया । पांच फर्मों से अपने निविदाओं की वैधता अवधि को 22 दिसम्बर 1973 तक बढ़ाने के

लिये 7 दिसम्बर 1973 को फिर से कहा गया । अपने प्रस्ताव की वैधता अवधि बढ़ाते समय लखनऊ की फर्म "ख" ने अपनी उद्धृत दरें 160 के वी ए के ट्रान्सफार्मरों के लिये 11,150 रुपये से बढ़ा कर 12,700 रुपये और 250 के वी ए ट्रान्सफार्मरों के लिये 15,350 रुपये से बढ़ा कर 17,200 रुपये कर दीं । "घ" व "ङ" फर्मों ने अपने प्रस्तावों की वैधता अवधि नहीं बढ़ाई । शेष दो फर्मों ("झ" एवं जी ई एफ) ने अवधि बढ़ाना स्वीकार कर लिया । के भ क स द्वारा 160 के वी ए के 170 ट्रान्सफार्मर फर्म "ख" से 12,148 रुपये की उच्च दरों पर (फर्म "घ" की 27,711 रुपये के परिगणित मूल्य से निकाली गई) और फर्म "घ" और "झ" से उनके द्वारा क्रमशः 11,950 रुपये और 11,500 रुपये की उद्धृत दरों पर खरीदने के लिये निर्णय दिया गया (दिसम्बर 1973) । यह भी तय किया गया कि 250 के वी ए के 70 ट्रान्सफार्मर बंगलौर की जी ई एफ से 15,900 रुपये की उसकी उद्धृत दर पर खरीदे जायें । तदनुसार विभिन्न फर्मों को दिसम्बर 1973 और अगस्त 1974 के बीच "स्थिर" मूल्य के आधार पर आर्डर दिये गये, फर्म "घ" को छोड़ कर जिसे परिवर्तित मूल्य दिये गये । सोनपत की फर्म "झ" को कोई आर्डर नहीं दिया गया और इसका कारण अभिलेखों में नहीं था ।

इस प्रकार अनुच्छेद में पूर्व वर्णित परिस्थितियों के अन्तर्गत निविदाओं पर निर्णय लेने में अधिक समय लिये जाने से व न्यूनतम दरों को रद्द कर दिये जाने से 8.33 लाख रुपये (फर्म "भ" और "प" द्वारा दी गई दरों को रद्द करने से 3.98 लाख रुपये व निविदाओं पर निर्णय लेने में विलम्ब के कारण 4.35 लाख रुपये) का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

(ख) सितम्बर 1975 में, भण्डार नियंत्रक व आगरा विद्युत् प्रदेय उपक्रम से 250 के वी ए से 1,000 के वी ए तक के 415 वितरण ट्रान्सफार्मरों की शीघ्र खरीद के मांग पत्र प्राप्त हुये । सितम्बर 1975 में 300 ट्रान्सफार्मरों की, आर्डर की तिथि से छः महीने के अन्दर, आपूर्ति के लिये निविदा आमंत्रित की गई । राज्य की फर्मों से, जिन्होंने निविदायें प्रस्तुत की थीं, समझौता वार्ता करने के बाद जुलाई व दिसम्बर 1976 में 610 ट्रान्सफार्मरों की खरीद के आर्डर (मूल्य : 2.24 करोड़ रुपये) दिये गये ।

(i) तकनीकी दृष्टि से स्वीकार्य न्यूनतम दरें निम्नलिखित थीं :

निविदादाता	ट्रान्सफार्मर की क्षमता (के वी ए में)	दरें उद्धृत (रुपयों में)	दरें परिगणित (रुपयों में)
मथुरा की "द"	250	21,000	43,200
मथुरा की "द"	400	30,500	60,340
मथुरा की "द"	630	44,000	86,720
कलकत्ता की "जज"	1,000	70,680	1,34,570

न्यूनतम प्रस्तावों को इस आधार पर छोड़ दिया गया कि इन फर्मों ने अतीत में इन क्षमताओं के ट्रान्सफार्मरों का निर्माण व आपूर्ति नहीं की थी । फर्म "क", "घ" और "छ" के प्रतिनिधियों को 5 मार्च 1976 को के भ क स से इस आधार पर समझौता वार्ता के लिये बुलाया गया कि ये अनुभवी थीं यद्यपि इनके परिगणित मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक नहीं थे, जैसा कि नीचे दिखाया गया है :

ट्रान्सफार्मर क्षमता (के वी ए में)	फर्म के परिगणित मूल्यों की तुलनात्मक स्थिति "क"	"घ"	"छ"
250	28 वीं	25 वीं	27 वीं
400	16 वीं	23 वीं	30 वीं
630	22 वीं	17 वीं	26 वीं
1,000	22 वीं	15 वीं	28 वीं

समझौता वार्ता के दौरान इन फर्मों से कटक की फर्म "फ" द्वारा दिये गये क्रमशः 44,038 रुपये (उद्धृत मूल्यः 22,000 रुपये) और 63,820 रुपये (उद्धृत मूल्यः 36,000 रुपये) के द्वितीय न्यूनतम परिगणित मूल्यों से निकाले गये मूल्यों पर 250 के वी ए और 400 के वी ए ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति करने के लिये कहा गया । फर्म "क" ने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जब कि फर्म "घ" व "छ" ने केवल 250 के वी ए के ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति करना इस दशा में स्वीकार किया कि उसे कटक की फर्म "फ" द्वारा दिये गये 22,000 रुपये के मूल मूल्य पर पांच प्रतिशत की मूल्य वरीयता दी जाय । 400 के वी ए के ट्रान्सफार्मरों के मामले में तीनों फर्मों ने कहा कि कटक की फर्म द्वारा उद्धृत 600 एवं 4,200 वाट की लोहे व तांबे की हानियां बहुत कम एवं अव्यवहार्य थीं । इसलिये 400 के वी ए के ट्रान्सफार्मरों के लिये उनको देय परिगणित मूल्य का संशोधन किया गया । संशोधित मूल्य 68,887 रुपये निकाला गया जो कटक की फर्म "फ" द्वारा उद्धृत मूल्य (36,000 रुपये) और पांच प्रतिशत मूल्य वरीयता (1,800 रुपये) और मेरठ की फर्म "घ" द्वारा उद्धृत क्रमशः 635 व 5,200 वाट की लोहे व तांबे की उच्च हानियों के मूल्य (31,087 रुपये) के योग से निकाला गया था । इस आधार पर फर्म "छ" और "घ" को 250 के वी ए के लिये देय मूल्य 22,148 रुपया और 22,038 रुपया निकला जबकि वह 400 के वी ए ट्रान्सफार्मरों के लिये फर्म "छ", "घ" व "क" फर्मों के लिये क्रमशः 38,813 रुपये, 37,800 रुपये और 38,250 रुपये निकला ।

तदनुसार, समझौता वार्ता में निकली उच्च दरों पर 250 के वी ए के 225 ट्रान्सफार्मरों और 400 के वी ए क 255 ट्रान्सफार्मरों की खरीद के आर्डर नौ फर्मों (उपर्युक्त वर्णित तीन फर्मों सहित) को जुलाई 1976 एवं दिसम्बर 1976 में दिये गये । फर्म "क" से 38,250 रुपये की दर पर 400 के वी ए के सर्वाधिक संख्या में (170) ट्रान्सफार्मर खरीदे गये । इसी क्षमता के 35 ट्रान्सफार्मरों का एक आर्डर लखनऊ की फर्म "ग" को भी 37,923 रुपये की दर पर दिया गया यद्यपि, जैसा कि निविदा टिप्पणी में दर्शाया गया था, फर्म ने तब तक 100 के वी ए से ऊपर के ट्रान्सफार्मरों का निर्माण नहीं किया था ।

के भ क स ने फर्म "घ" और "छ" से 630 के वी ए के ट्रान्सफार्मरों को क्रमशः 51,810 रुपये व 52,080 रुपये की दर पर खरीदने के लिये पुनः समझौता वार्ता करने का निश्चय किया । दरें बम्बई की फर्म "ब" द्वारा दिये गये 97,161 रुपये के तृतीय निम्नतम परिगणित मूल्य से निकाली गई थीं। इसी तरह, 1,000 के वी ए के ट्रान्सफार्मरों को बम्बई की फर्म "ब" द्वारा दिये गये 1,42,784 रुपये के परिगणित मूल्य से निकाली गई 75,690 रुपये व 73,836 रुपये की दरों पर क्रमशः फर्म "घ" व "छ" से खरीदने का निश्चय किया गया । इस आधार पर 630 के वी ए के 80 व 1,000 के वी ए के 30 ट्रान्सफार्मरों की खरीद के लिये इन दो फर्मों को इन दरों पर आर्डर दिये गये । लखनऊ की फर्म "ख" को 630 और 1,000 के वी ए के पांच पांच ट्रान्सफार्मरों को क्रमशः 50,723 रुपये और 72,104 रुपये की दरों पर और मिर्जापुर की फर्म "ङ" को 630 और 1,000 के वी ए के पांच पांच ट्रान्सफार्मरों की क्रमशः 52,799 रुपये और 78,970 रुपये की दरों पर, जो इसी आधार पर निकाली गई थीं, आपूर्त करने के लिये भी आर्डर दिये गये । ये ट्रान्सफार्मर परिषद् द्वारा नवम्बर 1976 से जुलाई 1977 के दौरान प्राप्त किये गये । तकनीकी दृष्टि से स्वीकार्य न्यूनतम प्रस्तावों की तुलना में परिषद् को 610 ट्रान्सफार्मरों की खरीद (मूल्य 2.24 करोड़ रुपये) में 38.27 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

(ii) इसके अतिरिक्त, आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा अपनी निविदाओं में दर्शायी गई निर्माण की डिजाइन बाद में, जब उन्होंने आर्डर प्राप्त होने के बाद अपनी ड्राइंग्स प्रस्तुत कीं, उनके द्वारा बदल दी गई । इन सबने ट्रान्सफार्मर के तेल की मात्रा घटा दी और इस प्रकार 2.11 लाख रुपये की बचत कर ली । फर्म "क" ने टैंक व फिटिंग का भार 305 किलोग्राम से घटा दिया और इस प्रकार 170 ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति में लगभग 1.56 लाख रुपये की बचत कर ली । लखनऊ की फर्म "ग" ने लेग क्वायल का भार 45 किलोग्राम व टैंक व फिटिंग का भार 35 किलोग्राम प्रति ट्रान्सफार्मर घटा दिया । निविदाओं, फर्म की ड्राइंग और क्रय आदेश में दिये गये विवरणों के अनुसार, फर्म ने इस मद में जो बचत की वह 35 ट्रान्सफार्मरों पर 0.97 लाख रुपये की होती है । विद्युत भण्डार अधिप्राप्त मण्डल I अनुमोदन के लिये पुनरीक्षित ड्राइंग की जांच करते समय इन परिवर्तनों से अवगत हो गया था । किसी तरह की मूल्य कटौती इस आधार पर नहीं की गयी कि ट्रान्सफार्मर की निर्माण की डिजाइन पर निर्णय लेना निर्माण-कर्त्ताओं पर छोड़ दिया गया था ।

8.08. शक्ति ट्रान्सफार्मरों की खरीद पर अतिरिक्त व्यय

(क) न्यूनतम परिगणित दरों का अनुचित भारित किया जाना

रबी फसल 1975-76 में सिंचाई सुविधाओं की वृद्धि करने के उद्देश्य से पहले से बने सब-स्टेशनों एवं नये सब-स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि के लिये 3 एम वी ए के बारह और 5 एम वी ए के आठ ट्रान्सफार्मरों की खरीद के लिए निविदायें अप्रैल 1975 में आमंत्रित की गईं। पूछ ताछ के जवाब में प्राप्त हुई निविदाओं के आधार पर 3 एम वी ए के 15 ट्रान्सफार्मरों (मूल्य: 33.21 लाख रुपये) की खरीद के लिये फर्म "क" और "घ" को अगस्त 1975 में एवं 5 एम वी ए के 10 ट्रान्सफार्मरों (मूल्य: 37.62 लाख रुपये) के लिये फर्म "क" को अक्तूबर 1975 में आर्डर दिये गये। क्रय आदेशों मे 3 एम वी ए के ट्रान्सफार्मरों की दिसम्बर 1975 तक और 5 एम वी ए के ट्रान्सफार्मरों की मार्च 1976 तक सुपुर्द करने की शर्त थी। फर्म "क" ने 3 एम वी ए के 12 ट्रान्सफार्मर 30 सितम्बर और 31 दिसम्बर 1975 के बीच आपूर्त किये। 5 एम वी ए के सभी ट्रान्सफार्मर और 3 एम वी ए के तीन ट्रान्सफार्मर दोनों फर्मों द्वारा 31 मार्च 1976 और 21 जून 1976 के बीच आपूर्त किये गये, इस प्रकार ये 1975-76 की रबी फसल के लिये उपलब्ध नहीं हो सके। सुपुर्दगी अवधि की कार्योत्तर वृद्धि फर्म "क" को 30 जून 1976 तक दी गई (मार्च 1978) और फर्म "घ" को 21 अप्रैल 1976 तक दी गई (अप्रैल 1978)।

अगस्त व अक्टूबर 1975 में दिये गये आर्डरों में फर्म "क" को देय मूल्य 3 एम वी ए के लिये 2,23,300 रुपया प्रति ट्रान्सफार्मर व 5 एम वी ए के लिये 3,76,200 रुपया प्रति ट्रान्सफार्मर था जबकि मेरठ की फर्म "घ" को 3 एम वी ए के तीन ट्रान्सफार्मरों के लिये 2,13,789 रुपया प्रति ट्रान्सफार्मर स्वीकृत किया गया। दोनों ही मामलों में दरें स्थिर मूल्य पर गन्तव्य स्थान तक निष्प्रभार थीं जो दोनों फर्मों द्वारा उद्धृत तांबे व लोहे की हानियों पर आधारित थीं। चार न्यूनतम उद्धृत दरें, बिना इस तथ्य को ध्यान में रखे कि इन्डियन इलैक्ट्रिकल मैन्यूफैक्चरर्स एसोसियेशन (आई ई एम ए) द्वारा निकाली गई कच्चे माल के मूल्यों की मासिक सूची के अनुसार ट्रान्सफार्मर के निर्माण में प्रयोग किये गये माल के मूल्यों में सामान्यतः गिरावट का रुख था, काल्पनिक मूल्य व सांविधिक परिवर्तनों के लिये अनावश्यक रूप से भारित करके (न्यूनतम निविदा के मामले में क्रमशः 25 व 10 प्रतिशत और अन्य तीन मामलों में 25 प्रतिशत मूल्य परिवर्तन के लिये) उपेक्षित कर दी गईं (जून 1975)। किन्तु बाद में अगस्त व सितम्बर 1975 की निविदा पूछ ताछ के मामले में इस तरह का भारण क्रमशः 10 और 5 प्रतिशत के हिसाब से ही किया गया। आई ई एम ए की समय-समय पर जारी की गयी अनुज्ञप्तियों के अनुसार इलैक्ट्रोलाइटिक कापर बार व स्ट्रिप्स के मूल्यों में सितम्बर 1974 से आगे गिरावट आयी और जो कलैण्डर वर्ष 1975 में ज्यों की त्यों रहे और उसके बाद मार्च 1976 तक बराबर गिरते रहे। माल के मूल्य में 25 प्रतिशत और सांविधिक परिवर्तनों के लिये 10 प्रतिशत की वृद्धि भी अधिक थी क्योंकि आई ई एम ए के वर्तमान सूत्र के अनुसार माल में मूल्य वृद्धि की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत थी। इसके अतिरिक्त सांविधिक परिवर्तनों (तैयार माल पर) के प्रश्न पर भी सभी मामलों में समान रूप से विचार करना था क्योंकि सभी फर्मों द्वारा दी गई दरें कर व शुल्क रहित थीं। इस प्रकार, न्यूनतम दरों को भारित कर देने से ये फर्म "क" की सातवीं न्यूनतम स्थिर दर, जो 3 एम वी ए ट्रान्सफार्मरों के लिये आर्डर देने का आधार बनी, से अधिक दिखने लगी। इस कारण 3 एम वी ए के 15 ट्रान्सफार्मरों की खरीद में बम्बई की फर्म द्वारा दी गई 1.85 लाख रुपये प्रति ट्रान्सफार्मर की निम्नतम उद्धृत दर की तुलना में 5.46 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

निविदा विशिष्टियों में ट्रान्सफार्मरों की ड्राइंग निविदा के साथ प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी। फर्म "क" ने 3 एम वी ए ट्रान्सफार्मरों के लिये अपनी निविदा के साथ कोई ड्राइंग नहीं प्रस्तुत की। मण्डल कार्यालय में प्राप्त (आर्डर देने के बाद) 5 एम वी ए की इसकी ड्राइंग में प्रत्येक ट्रान्सफार्मर को 4,700 लीटर ट्रान्सफार्मर तेल के साथ निर्माण करने का प्राविधान था जबकि उसकी निविदा के साथ प्रस्तुत तकनीकी विवरण में यह 4,900 लीटर था। फर्म द्वारा 5 एम वी ए के 10 ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति में इस प्रकार बचाये गये 2,000 लीटर ट्रान्सफार्मर तेल (मूल्य 0.20 लाख रुपया) के लिये मूल्य में कोई कटौती नहीं की गई।

फर्म "क" व "घ" के कारखाने पर ट्रान्सफार्मरों के निरीक्षण के बाद परिषद के निरीक्षण अधिकारियों ने इसके कारखाने में और परिषद के लिये बनाये गय ट्रान्सफार्मरों में त्रुटियों के बारे में सूचित किया । निरोक्षण अधिकारियों की सूचनायें व उस सम्बन्ध में अन्य मामले जो प्रकाश में आये उनका विवरण नीचे दिया गया है :

(i) फर्म "घ" (जनवरी व फरवरी 1976 में निरीक्षित) के पास अधिक तनाव प्रतिरोधक को अंकित करने का कोई प्रबन्ध नहीं था। ट्रान्सफार्मरों में प्रयुक्त तेल, बुशिंग रिले व रेडियेटर के सम्बन्ध में परीक्षण प्रमाण–पत्र इसके पास उपलब्ध नहीं थे, रेडियेटर फिन्स की वेल्डिंग में सुधार की आवश्यकता थी, ट्रान्सफामर टैंकों की रंगाई सम नहीं थी और ताप परीक्षण (हीट–रन टेस्ट) में तेल के तापक्रम की वृद्धि अनुबन्ध के अन्तर्गत अनुमत तापक्रम से अधिक थी । तीनों ट्रान्सफार्मरों का 11/13 अप्रैल 1976 को पुनः निरीक्षण किया गया और यह पाया गया कि रेडियेटर की वेल्डिंग अब भी असंतोषजनक थी । फिर भी फर्म को ट्रान्सफार्मरों के प्रेषण के लिये अनुमति दे दी गई ।

मुरादाबाद जिले में फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये ट्रान्सफार्मरों में से एक को 19 जनवरी 1977 को प्रतिष्ठापित किया गया । यह 4 मई 1977 को क्षतिग्रस्त हो गया । मई 1976 के दौरान बुलन्दशहर में आपूर्ति किये गये एक अन्य ट्रान्सफार्मर की आफ लोड टैप चेंजर स्विच में जून 1976 में त्रुटि आ गई ।

(ii) फर्म "क" को 3 एम बी ए के 12 ट्रान्सफार्मरों (मूल्य 26.80 लाख रुपये) और 5 एम बी ए के 10 ट्रान्सफार्मरों (मूल्य 37.62 लाख रुपये) के लिये अगस्त व अक्तूबर 1975 में दिये गये आर्डरों के विरुद्ध फर्म ने 3 एम बी ए के एक ट्रान्सफार्मर को 15/17 दिसम्बर 1975 में निरीक्षण के लिये प्रस्तावित किया । परिषद् के निरीक्षण अधिकारी ने केवल सामान्य व ताप परीक्षण ही किये और फर्म को उसे भेजने की अनुमति दे दी । शेष 3 एम बी ए के 11 ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति फर्म द्वारा दिसम्बर 1975 तक पूरी कर दी गई जिनमें से केवल तीन ट्रान्स–फार्मरों का ही निरीक्षण किया गया और आठ ट्रान्सफार्मरों का न तो निरीक्षण किया गया और न ही परिषद् द्वारा उनके निरीक्षण की छूट दी गई ।

(iii) फर्म "क" द्वारा 5 एम बी ए का एक ट्रान्सफार्मर 23 मई 1976 को निरीक्षण के लिये प्रस्तावित किया गया । निरीक्षण के दौरान ट्रान्सफार्मर में प्रयोग किये गये पुर्जों में अनेक त्रुटियां पायी गईं लेकिन परिषद् द्वारा इंगित अत्यधिक आवश्यकता के आधार पर फर्म ने यह एवं पांच अन्य (5 एम बी ए) ट्रान्सफार्मर भेज दिये और इनके निरीक्षण की सदस्य (वाणिज्यिक) द्वारा छूट दे दी गई ।

(iv) फर्म "क" द्वारा आपूर्ति किये गये दोनों ही क्षमताओं के किसी भी ट्रान्सफार्मर के आवेग परीक्षण नहीं किये गये यद्यपि परिषद् ने इसके लिये छूट नहीं दी ।

दो माल प्राप्तकर्त्ताओं की सूचना के अनुसार जो विद्युत् भन्डार अधिप्राप्त मन्डल I में सितम्बर 1976 और मई 1977 के बीच प्राप्त हुई, फर्म "क" द्वारा आपूर्ति किये गये 3 एम बी ए के एक ट्रान्सफार्मर और 5 एम बी ए के तीन ट्रान्सफार्मरों में प्रतिष्ठापना/चालू होने के समय तेल की रिसन, तेल व वाइन्डिग के तापक्रम में वृद्धि, कन्जरवेटर टैंक में दरारें, आदि जैसी अनेक त्रुटियां पाई गईं । इस फर्म द्वारा इस आर्डर के अन्तर्गत आपूर्ति किये गये अन्य ट्रान्सफार्मरों के निष्पादन के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं थी । अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत भन्डार अधि–प्राप्ति मन्डल I ने बताया (सितम्बर 1977) कि फर्म को कुछ ट्रान्सफार्मरों में पाई गई त्रुटियों को दूर करने के लिये कहा गया था । अगस्त 1977 में परिषद द्वारा संकलित की गई सूचना के अनु–सार विभिन्न क्षमताओं के 322 क्षतिग्रस्त शक्ति ट्रान्सफार्मर थे, जिनमें विभिन्न आर्डरों के विरुद्ध फर्म "क" द्वारा आपूर्ति किये गये 87 शक्ति ट्रान्सफार्मर शामिल थे ।

(ख) तकनीकी दृष्टि से स्वीकार्य न्यूनतम निविदा को रद्द करना

अगस्त 1975 में आमंत्रित किये गये निविदा के आधार पर फर्म "क" को 5 एम बी ए 33/11 के वी के दो ट्रान्सफार्मरों और 5 एम बी ए 33/66 के वी के दो ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति

इसके द्वारा उद्धृत क्रमशः 3,58,734 रुपये व 3,95,697 रुपये की दर पर करने के लिये एक आर्डर (कुल मूल्य : 15.09 लाख रुपये) दिया गया (जुलाई 1976)। बड़ौदा की फर्म 'ड' का दोनों ही क्षमताओं का 2,95,000 रुपया प्रति ट्रान्सफार्मर का न्यूनतम प्रस्ताव इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि इसने 160 के वी ए के 30 ट्रान्सफार्मरों के लिये दिसम्बर 1973 में इसको दिये गये एक आर्डर का निष्पादन नहीं किया। यद्यपि लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि फर्म ने 160 के वी ए के ट्रान्सफारमरों का आर्डर स्वीकार ही नहीं किया था क्योंकि भुगतान और सुपुर्दगी की शर्तें तय नहीं की गई थीं। वास्तव में बहुत सी अन्य फर्मों ने भी जून/दिसम्बर 1973 में उनको दिये गये आर्डरों के विरुद्ध कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि के कारण ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति नहीं की थी। तकनीकी दृष्टि से स्वीकार्य न्यूनतम प्रस्ताव को उपेक्षित कर देने से परिषद् ने चार ट्रान्सफार्मरों की खरीद (मूल्य : 15.09 लाख रुपये) में 3.29 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया।

अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार फर्म "क" को हर क्षमता के एक ट्रान्सफार्मर का आवेग व ताप परीक्षण करना था, जिसके लिये 0.20 लाख रुपये मूल्य में सम्मिलित थे। ऐसे कोई परीक्षण नहीं किये गये और इसके लिये फर्म को भुगतान किये गये 0.40 लाख रुपये वसूल नहीं किये गये हैं (मार्च 1979)। परिषद् द्वारा इन ट्रान्सफार्मरों का निष्पादन भी नहीं देखा गया था।

(ग) आर्डर की मात्रा में सशर्त वृद्धि

वर्तमान 33 के वी सब–स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि करने, क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों को बदलने और और नए सब–स्टेशनों के सम्भरण के लिये 3 एम बी ए के 40 ट्रान्सफार्मरों व 5 एम बी ए के 22 ट्रान्सफार्मरों को खरीदने के लिये सितम्बर 1975 में निविदायें आमंत्रित की गईं। किन्तु के भ क स ने 3 एम बी ए के 20 ट्रान्स्फार्मरों और 5 एम बी ए के 40 ट्रान्सफार्मरों की खरीद करने का इस आधार पर निर्णय दिया (5 मार्च 1976) कि 3 एम बी ए ट्रान्सफार्मरों वाली अधिकतर सब-स्टेशनें अतिभारित हो रहीं थीं। यद्यपि, फर्म "क" द्वारा दी गई दरें न्यूनताक्रम में नवीं थीं तो भी, आवश्यकता के अधिकांश भाग के लिये इसको आर्डर देने का विद्युत् भन्डार अधिप्राप्ति मन्डल I का प्रस्ताव, के भ क स द्वारा इस आधार पर स्वीकार कर लिया गया कि यह फर्म पहले परिषद् को अधिक संख्या में ट्रान्सफार्मर आपूर्ति कर चुकी थी। यह उल्लेखनीय है कि कुछ फर्में, जिन्होंने नीची दरें दी थीं, अच्छी तरह स्थापित थीं व पहले परिषद् को ट्रान्सफार्मरों की भी आपूर्ति कर चुकी थीं।

तदनुसार, मार्च 1976 में फर्म "क" को 3 एम बी ए के 15 ट्रान्सफार्मरों और 5 एम बी ए के 22 ट्रान्सफार्मरों को क्रमशः 2,12,220 रुपये 3, 42, 682 रुपये प्रति ट्रान्सफार्मर की दर से स्थिर मूल्य के आधार पर क्रय करने के लिये एक आर्डर दिया गया (मूल्य : 1.07 करोड़ रुपया)। जून 1976 में, फर्म तत्कालीन सदस्य (वाणिज्य) के पास इस निवेदन के साथ पहुंची कि इसे 3 एम बी ए के 15 ट्रान्सफार्मरों और 5 एम बी ए के 22 ट्रान्सफार्मरों के लिये एक अतिरिक्त आर्डर दें दिया जाय। नये सब–स्टेशनों के निर्माण और वर्तमान सब–स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए सदस्य (वाणिज्यिक) ने परिषद के अध्यक्ष को यह प्रस्ताव किया (11 जून 1976) कि 3 एम बी ए के 15 और 5 एम बी ए के 22 अतिरिक्त ट्रान्सफार्मर (मूल्य: 1.07 करोड़ रुपया) फर्म 'क' से खरीदें जायें। परिषद् ने यह प्रस्ताव इस शर्त के साथ स्वीकार किया (24 जून 1976) कि फर्म को सुपुर्द किये गये क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों की मरम्मत के काम में अतिरिक्त आपूर्तियों का आर्डर बाधक न हों और यह कि इस बात का स्पष्ट अनुबन्ध कर लिया जाय कि अतिरिक्त आर्डर के अन्तर्गत आपूर्ति किये गये प्रत्येक ट्रान्सफार्मर के लिये फर्म एक क्षतिग्रस्त ट्रान्फार्मर की मरम्मत करके देगा जिसमें असफल होने पर अतिरिक्त आर्डर अवैध हो जायेगा। अतिरिक्त आपूर्ति का आर्डर उपर्युक्त शर्त के साथ जुलाई 1976 में फर्म को दिया गया जिसके अनुसार फर्म द्वारा जुलाई 1977 तक 37 शक्ति ट्रान्सफार्मरों की मरम्मत करनी थी। फर्म ने मूल तथा अतिरिक्त आर्डरों के अन्दर जुलाई 1977 तक सभी ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति पूरी कर दी परन्तु इसने उस समय तक केवल पांच शक्ति ट्रान्सफार्मरों की ही मरम्मत की थी। इसके द्वारा समान संख्या में ट्रान्सफार्मरों की मरम्मत न करने के कारण परिषद् ने इसके कारखाने में एक अधिशासी अभियन्ता को ट्रान्सफार्मरों की मरम्मत के प्रबन्ध में सम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये अगस्त 1977 से तैनात कर दिया। किन्तु

फर्म ने अनुबन्ध के अन्तर्गत फरवरी 1979 तक कुल 21 शक्ति ट्रान्सफार्मरों की मरम्मत की। शेष 16 ट्रान्सफार्मरों की न तो मरम्मत करवायी गई है और न ही फर्म से क्षतियों की वसूली की गई है।

निम्नलिखित बातें भी प्रकाश में आयीं :

(i) जब फर्म "क" का न्यूनताक्रम में नवां प्रस्ताव आर्डर देने के लिये स्वीकृत किया गया, तब बड़ौदा की फर्म "ड" का 'स्थिर' मूल्य के आधार पर 3 एम वी ए और 5 एम वी ए के लिये क्रमश: 1.88 लाख और 2.88 लाख रुपये प्रति ट्रांसफार्मर का तृतीय न्यूनतम (लेकिन तकनीकी दृष्टि से स्वीकार्य न्यूनतम) प्रस्ताव (निविदा शर्तों के अनुसार चार महीने तक वैध) इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि फर्म दिसम्बर 1973 में इसको दिए गए एक आर्डर के विरुद्ध 160 के वी ए के 30 ट्रान्स-फार्मरों की आपूर्ति करने में असफल रही। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, फर्म "ड" ने आर्डर स्वीकार नहीं किया था क्योंकि भुगतान और सुपुर्दगी की शर्तें तय नहीं की गई थीं। जहां तक फर्म "ड" की शक्ति ट्रान्सफार्मरों के निर्माण और आपूर्ति की क्षमता का प्रश्न है, अधिशासी अभियन्ता, जिसने नवम्बर 1973 में इसके बड़ौदा कारखाने का निरीक्षण किया था, की सूचना से यह विदित था कि फर्म के पास ट्रान्सफार्मरों के निर्माण के लिये उच्च तकनीकी योग्यताप्राप्त कर्मचारियों से पूरित एक बृहत् औद्योगिक स्थापना थी और यह कि इसने विदेशों को भी शक्ति ट्रान्सफार्मरों का निर्यात किया था। इसने परिषद् को मई 1975 में विद्युत् उपग्रह डिजाइन मन्डल द्वारा दिये गये एक आर्डर के विरुद्ध 5 एम वी ए के 10 ट्रान्सफार्मरों की भी आपूर्ति की थी। तकनीकी दृष्टि से स्वीकार्य इस फर्म के न्यूनतम प्रस्ताव को रद्द कर देने से फर्म "क" से 74 शक्ति ट्रान्सफार्मरों की खरीद (मूल्य: 2.14 करोड़ रुपये) में 31.33 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(ii) फर्म 'क' पर आर्डर देने के बाद, जिसमें फर्म द्वारा नवम्बर 1975 में दिये गये डिजाइन के विवरण का समावेश था, इसने जून 1976 में अनुमोदन के लिये दी गई अंतिम डिजाइन में निम्नलिखित तकनीकी विवरण बदल दिए :

मद	नवम्बर 1975 की मूल डिजाइन		मई 1976 की संशोधित डिजाइन	
	3 एम वी ए	5 एम वी ए	3 एम वी ए	5 एम वी ए
ट्रान्सफार्मर तेल (किलोग्राम में)	1,900 (2,200 लीटर)	3,900 (4,500 लीटर)	1,697 (1,950 लीटर)	2,915 (3,350 लीटर)
टैंक व फिटिंग्स (किलोग्राम में)	3,100	4,400	2,153	4,385
कोर्स एन्ड वाईंडिंग (किलोग्राम में)	5,000	6,700	5,000	6,700
कुलभार (किलोग्राम में)	10,000	15,000	8,850	14,000

संशोधित डिजाइन पर परिषद् द्वारा उठाई गई एक आपत्ति के उत्तर में (जून 1976), फर्म ने बताया कि "स्थिर" मूल्य आधार पर आर्डर स्वीकार करते समय इसने ट्रान्सफार्मर की डिजाइन में परिवर्तन कर दिये थे जिसके कारण तेल की मात्रा, ट्रान्सफार्मरों के भार व परिमाप में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया। यद्यपि ऐसा कोई संशोधन के भ क्र स की उस बैठक के ब्योरे में, जिसमें इस खरीद पर निर्णय लिया गया था और फर्म द्वारा दरें स्वीकार की गई थीं, अभिलेखित नहीं था। फर्म द्वारा 3 एम वी ए के 30 और 5 एम वी ए के 44 ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति में ट्रान्सफार्मर तेल, टैंक एवं फिटिंग्स की मात्रा में कमी करने के कारण की गई लगभग 5.96 लाख रुपये की बचत के लिये मूल्य में कोई कटौती किये बिना ही संशोधित डिजाइन के ट्रान्सफार्मर परिषद् द्वारा अगस्त 1976 और जुलाई 1977 के बीच स्वीकार कर लिये गये।

(घ) सीमित वार्ता के आधार पर खरीद

दिसम्बर 1976 में 1977–78 के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य के लिये 3 एम वी ए के 100 ट्रान्सफार्मरों की खरीद के लिये निविदायें आमंत्रित की गईं । के भ क्र स ने केवल 50 ट्रान्सफार्मर खरीदने का निर्णय दिया (मई 1977) जिसके लिये जून 1977 में आर्डर दिये गये । कलकत्ता की फर्म "छ" की गन्तव्य स्थान तक निष्प्रभार "स्थिर" मूल्य के आधार पर 3,76,222 रुपये की परिगणित मूल्य की निम्नतम दर (उद्धृत मूल्य : 1,95,000 रुपये) इस आधार पर उपेक्षित कर दी गई कि फर्म को ट्रान्सफार्मर के निर्माण का अनुभव नहीं था और उसने परिषद् को शक्ति ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति नहीं की थी । यद्यपि, फर्म की निविदा में यह इंगित था कि इसने 1976–77 में पश्चिमी बंगाल व बिहार राज्य विद्युत् परिषदों को 3 एम वी ए के ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति की थी और यह शक्ति ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति के लिये डी जी एस एण्ड डी से पंजीकृत भी थी ।

राज्य में स्थित निर्माणकर्ताओं से सीमित वार्ता करके, के भ क्र स ने फर्म "क" को (न्यूनताक्रम में पन्द्रहवीं) 30 ट्रान्सफार्मर व फर्म "घ" को (न्यूनताक्रम में अट्ठारहवीं) 20 ट्रान्सफार्मरों के लिये बड़ौदा की फर्म "ण" द्वारा दिये गये 3,86,438 रुपये के द्वितीय निम्नतम परिगणित मूल्य पर (उद्धृत मूल्य : 2,11,500 रुपया) पांच प्रतिशत मूल्य वरीयता जोड़ कर आर्डर देने के लिये निश्चय किया । यह निर्णय के भ क्र स द्वारा इस आधार पर लिया गया कि फर्म "क" के शक्ति ट्रान्सफार्मर का निष्पादन "सामान्यतया सन्तोषजनक" पाया गया और फर्म "घ" ने ट्रान्सफार्मर की किस्म में सुधार कर लिया था ।

फर्म "क" एवं "घ" के प्रस्तावों के परिगणित मूल्य उनको प्रस्तावित 3,97,000 रुपये (उद्धृत मूल्य: 2,11,500 रुपये) के विरुद्ध क्रमशः 4,28,116 रुपये व 4,40,916 रुपये (उद्धृत मूल्य: 2,35,100 रुपये और 2,15,000 रुपये) थे । सदस्य (वाणिज्यिक) के साथ की गई पुनः वार्ता में फर्म "क" ने कम तांबा व लोहा हानि के ट्रान्सफार्मरों का प्रस्ताव दिया । तांबे व लोहे की हानियों में कटौती का पूंजीकृत मूल्य 3,333 रुपया हुआ और इस आधार पर फर्म "क" द्वारा 2,09,097 रुपये का मूल्य स्वीकार किया गया । इसी तरह फर्म "घ" को देय मूल्य तांबे व लोहे, इत्यादि की हानियों के काल्पनिक मूल्य को घटा कर 1,94,364 रुपये प्रति ट्रान्सफार्मर निकला । फर्म "छ" के न्यूनतम परिगणित मूल्य (3,76,222 रुपये) के आधार पर, फर्म "क" व "घ" को 1,98,075 रुपये व 1,83,336 रुपये की दरें (पांच प्रतिशत मूल्य वरीयता सहित) देनी चाहिये थीं । इस प्रकार, फर्म "छ" के न्यूनतम परिगणित मूल्य की उपेक्षा करने के कारण परिषद् ने फर्म "क" व "घ" से 50 ट्रान्सफार्मरों की खरीद पर 5.51 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया, साथ ही साथ उनको मूल्य वरीयता में 0.41 लाख रुपये का अतिरिक्त लाभ भी दिया गया ।

8.09. क्रय मूल्य का अधिक मूल्यांकन

विद्युत् उपग्रह डिजाइन मण्डल द्वारा जून 1976 में चार ट्रान्सफार्मर, प्रत्येक 20 एम वी ए का, खरीदने के लिये निविदायें आमंत्रित की गईं । लखनऊ की फर्म "य" द्वारा दिया गया सहायक वस्तुओं, अतिरिक्त कल पुर्जों के दो सेट, 10 प्रतिशत आरक्षित तेल, प्रतिष्ठापन तथा चालू करने के व्ययों सहित चार ट्रान्सफार्मरों के लिये न्यूनतम परिगणित मूल्य 95.21 लाख रुपये था । लेकिन परिगणित मूल्य 96.16 लाख रुपये था जो मण्डल कार्यालय में अतिरिक्त ट्रान्सफार्मर तेल के लिये 0.91 लाख रुपये जोड़ कर निकाला गया था, जिसको पहले ही उद्धृत मूल्य में शामिल किया जा चुका था; इसके अतिरिक्त फर्म द्वारा प्रस्तावित विद्युत् हानियों का गारन्टीकृत सहन शक्ति का मूल्य 10 प्रतिशत के स्थान पर 15 प्रतिशत जोड़ा गया जिसके परिणामस्वरूप फर्म का परिगणित मूल्य 0.04 लाख रुपये से और अधिक मूल्यांकित हो गया ।

के भ क्र स ने फर्म "क" से ट्रान्सफार्मर खरीदने का निश्चय किया (31 जनवरी 1977) यदि यह 103.99 लाख रुपये का अपना परिगणित मूल्य घटा कर फर्म "य" के परिगणित मूल्य (96.16 लाख रुपये) के बराबर करने के लिये सहमत हो जाय । इस आधार पर फर्म अतिरिक्त तेल, अतिरिक्त कल पुर्जों के दो सेट्स और सहायक पुर्जों के मूल्य सहित चार ट्रान्सफार्मरों के लिये 57.82 लाख रुपये के कुल मूल्य की हकदार हो गई । के भ क्र स का प्रस्ताव स्वीकार करते समय

फर्म "क" ने अपनी गारंटीकृत तांबे और लोहे की हानियों को 18.5 के डब्ल्यू और 104 के डब्ल्यू से घटा कर क्रमशः 17.5 के डब्ल्यू और 98 के डब्ल्यू कर दिया । गारंटी शुदा लोहे व तांबे की हानियों में कमी के पूंजीकृत मूल्य के परिणामस्वरूप फर्म को 2.06 लाख रुपये का आर्थिक लाभ हुआ क्योंकि 96.16 लाख रुपये से निकाला गया क्रय मूल्य 57.82 लाख रुपये से बढ़कर 59.88 लाख रुपये हो गया । तद्नुसार, फर्म "क" को मार्च 1977 में चार ट्रान्सफार्मरों के लिये 59.88 लाख रुपये का क्रय आर्डर दिया गया । इस प्रकार फर्म को कुल 3.01 लाख रुपये का अतिरिक्त लाभ मिल गया ।

8.10. तकनीकी परिवर्तनों के कारण अधिक भुगतान

विद्युत् भण्डार अधिप्राप्ति मण्डल I द्वारा नवम्बर 1971 और सितम्बर 1972 में 25 के वी ए, 63 के वी ए और 100 के वी ए के ट्रान्सफार्मरों की खरीद के लिये आमंत्रित की गई निविदा पूछ-ताछ की तकनीकी विशिष्टियों में लो टैन्सन केबिल बाक्स एवं ट्रान्सफार्मर की पूरी भारित अवस्था में बाइंडिंग में 50° सेन्टीग्रेड और तेल में 40° सेन्टीग्रेड का अधिकतम तापमान वृद्धि का प्राविधान था । इन पूछ-ताछों के आधार पर विभिन्न फर्मों को सोनपत की फर्म "झ" के उद्धृत मूल्य पर दिये गये आर्डरों में इन विशिष्टियों के ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति करने की शर्त थी, सिर्फ मिर्जापुर की फर्म "ङ" को दिये गये आर्डर के मामले में ट्रान्सफार्मर की आपूर्ति निम्नांकित शर्त के अनुसार होनी थी :

क्रय आदेश का महीना	आर्डर किये हुये ट्रान्सफार्मर क्षमता (के वी ए में)	संख्या	ताप क्रम वृद्धि (सेन्टीग्रेड में)	दर (रुपयों में)
मार्च 1972	25	250	$55^0/45^0$	3,420 (केबिल बाक्स रहित)
(नवम्बर 1971	63	250	$55^0/45^0$	5,850 (केबिल बाक्स रहित)
की पूछ-ताछ के विरुद्ध)	100	50	$55^0/45^0$	7,350 (केबिल बाक्स रहित)
जून 1973	25	1,000	$50^0/40^0$	3,270 (केबिल बाक्स सहित)
(सितम्बर 1972	63	1,000	$50^0/40^0$	5,400 (केबिल बाक्स सहित)
की पूछ-ताछ के विरुद्ध)				
		2,550		

जून 1973 के आर्डर के विरुद्ध भी फर्म ने बिना केबिल बाक्स के $55°/45°$ सेन्टीग्रेड ताप-क्रम वृद्धि के 2,000 ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति की । इन्हीं विशिष्टियों के ट्रान्सफार्मरों की एक्स स्टाक आपूर्ति के लिये सितम्बर 1972 की एक अन्य निविदा पूछ-ताछ के विरुद्ध बम्बई की फर्म "न" और कलकत्ता की फर्म "प" को दिये गये (दिसम्बर 1972) आर्डरों के इसी तरह के मामले में परिषद् द्वारा दोनों फर्मों की स्वीकृत दरें केबिल बाक्स का प्राविधान न होने के कारण 150 रुपये प्रति ट्रान्सफार्मर और $55^0/45^0$ सेन्टीग्रेड तक के उच्च तापक्रम वृद्धि के ट्रान्सफार्मरों के लिये 150 रुपये प्रति ट्रान्सफार्मर से कम कर दी गईं । यद्यपि इस तरह की कोई कटौती मिर्जापुर की फर्म "ङ" से दोनों आर्डरों पर आपूर्ति लेते समय नहीं की गयी । इसके परिणामस्वरूप फर्म "ङ" को अधिक तापक्रम चढ़ाव के और केबिल बाक्स रहित 2,550 ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति म 7.65 लाख रुपये का आर्थिक लाभ दे दिया गया ।

8.11. एल्यूमिनियम बाउन्ड ट्रान्सफार्मरों का अधिक भुगतान

सेन्ट्रल वाटर एण्ड पावर कमीशन (सी डब्ल्यू पी सी) ने फरवरी 1971 में राज्य विद्युत् परिषदों को यह सुझाव दिया कि पहली अप्रैल 1971 से 100 के वी ए से ऊपर व 300 के वी ए तक के कापर बाउन्ड ट्रान्सफार्मरों की खरीद करने के लिये कोई आर्डर न दिये जायं । 100 के वी ए तक के ट्रान्सफार्मरों के मामले में सी डब्ल्यू पी सी ने परिषदों को निविदा आमंत्रित करने के लिये और मार्च 1972 तक 75 : 25 के अनुपात में और 1972–73 के दौरान 40:60 के अनुपात में कापर बाउन्ड और एल्यूमिनियम बाउन्ड ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति के लिये सम्मिलित दरों पर आर्डर देने के लिये भी सुझाव दिया। केवल एल्यूमिनियम बाउन्ड ट्रान्सफार्मर ही पहली अप्रैल 1973 के बाद से खरीदे जाने थे ।

1973-74 में 40 : 60 के अनुपात में कापर बाउण्ड ट्रान्सफार्मरों और एल्यूमिनियम बाउण्ड ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति लेने के लिये सितम्बर 1972 में निविदा आमंत्रित की गई जब कि सी डब्ल्यू पी सी के सुझावानुसार केवल एल्यूमिनियम बाउन्ड ट्रान्सफार्मर ही खरीदे जाने थे। कापर बाउन्ड ट्रान्सफार्मर और एल्यूमिनियम बाउन्ड ट्रान्सफार्मरों की 40 : 60 के अनुपात में आपूर्ति की शर्त के साथ 25 के वी ए के 11,200, 63 के वी ए के 7,475 व 100 के वी ए के 700 ट्रान्सफार्मरों को खरीदने के लिये आर्डर दिये गये (मार्च/जून 1973) । किन्तु मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत्) के निर्देशानुसार फर्मों को जनवरी 1974 और मार्च 1975 के बीच कापर बाउन्ड की जगह 25 के बी ए के 683, 63 के बी ए के 596 और 100 के वी ए के 135 एल्यूमिनियम बाउन्ड ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति करने की अनुमति दी गई । इन ट्रान्सफार्मरों की निर्माण की डिजाइन में इस भारी परिवर्तन के लिये मूल्य में कोई कटौती नहीं की गई ।

इस निविदा पूछताछ के तहत कलकत्ता, फरीदाबाद और गाजियाबाद की तीन फर्मों ने 40 : 60 के अनुपात में कापर बाउन्ड ट्रान्सफार्मरों और एल्यूमिनियम बाउन्ड ट्रान्सफार्मरों के लिये सम्मिलित दरें और सिर्फ एल्यूमिनियम बाउन्ड ट्रान्सफार्मरों के लिये दरें निम्न प्रकार से उद्धृत की थी :

ट्रान्सफार्मर की क्षमता (के वी ए में)	सम्मिलित दरें	एल्यूमिनियम बाउन्ड के ट्रान्सफार्मर के लिये दरें
	(रुपयों में)	
25	3,150	3,050
63	5,250	5,150
100	6,800	6,700

इन फर्मों द्वारा उद्धृत सम्मिलित दरें उन विभिन्न फर्मों के लिये स्वीकृत की गई थीं जिनको इस पूछताछ के आधार पर आर्डर दिये गये थे । 40 : 60 के अनुपात में ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति के लिये सम्मिलित दरों में और एल्यूमिनियम बाउन्ड ट्रान्सफार्मरों की दरों में केवल 100 रुपये का अन्तर था । इस आधार पर कापर बाउन्ड और एल्यूमिनियम बाउन्ड के मूल्यों में 250 रुपये का अन्तर निकलता है । इस प्रकार सन्दर्भित विभिन्न आर्डरों के विरुद्ध कापर बाउन्ड ट्रान्सफार्मरों की जगह 1,414 एल्यूमिनियम बाउन्ड ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति में विभिन्न फर्मों द्वारा उठाया गया वित्तीय लाभ 3.54 लाख रुपये निकलता है । एल्यूमिनियम बाउन्ड ट्रान्सफार्मरों के लिये सम्मिलित दर स्वीकृत करने के लिये कोई भी अभिलेखित कारण नहीं हैं ।

8.12. **निरीक्षण व परीक्षण**

(क) निविदा विशिष्टियों और क्रय आदेश में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्न प्रकार ट्रान्सफार्मरों के निरीक्षण व परीक्षण का प्राविधान था :

(i) परिषद् के निरीक्षण अधिकारियों को ट्रान्सफार्मरों के निर्माण में प्रयुक्त माल और ट्रान्सफार्मरों की कर्म कुशलता की जांच व निरीक्षण करने का अधिकार दिया गया था, जिसके लिये आपूर्तिकर्त्ताओं को विद्युत् भण्डार निरीक्षण मण्डल को प्रेषण के लिये तैयार ट्रान्सफार्मरों की प्रत्येक समूह (लाट) के बारे में 15 दिन की नोटिस देनी थी ।

(ii) ट्रान्सफार्मर, अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित परीक्षणों के अधीन थे :

वाइन्डिग की प्रतिरोधक क्षमता, अवबाधिता बोल्टता, अनुपाती ध्रुवता, प्रावस्था (फेज) सम्बन्ध और लौह व तांबे की हानियों के सम्बन्ध में सभी ट्रान्सफार्मरों का सामान्य परीक्षण ।

विशेष किस्म, डिजाइन और क्षमता के ट्रान्सफार्मरों का आवेग बोल्टता विरोध परीक्षण (इम्पल्स वोल्टेज विदस्टैन्ड टेस्ट) ।

निरीक्षण के लिये प्रस्तुत ट्रान्सफार्मर के प्रति बैच में से विशेष किस्म, डिजाइन और क्षमता के एक ट्रान्सफार्मर का तापक्रम चढ़ाव परीक्षण ।

(iii) आपूर्तिकर्त्ताओं को ट्रान्सफार्मर में प्रयुक्त माल का बीजक, परीक्षण प्रमाण–पत्र, आदि प्रस्तुत करना था ।

(ख) परख लेखा परीक्षा के दौरान इस सम्बन्ध में निम्न बातें प्रकाश में आयीं :

(i) ट्रान्सफार्मरों का निरीक्षण और सामान्य परीक्षण आपूर्तियों के बहुत ही छोटे हिस्से तक सीमित था जैसा कि निम्न उदाहरणों से स्पष्ट है :

क्षमता (के वी ए में)	अक्टूबर 1971		मार्च 1972		मार्च/जून 1973	
	संख्या जो खरीदी गयी	संख्या जिसका निरीक्षण हुआ	संख्या जो खरीदी गयी	संख्या जिसका निरीक्षण हुआ	संख्या जो खरीदी गयी	संख्या जिसका निरीक्षण हुआ
25	5,000	24	5,580	220	13,400	1,569
63	4,020	98	4,125	600	8,275	1,105
100	500	..	990	400	975	151

(ii) निम्नांकित आपूर्तियों में बिना किसी लिखित कारणों के निरीक्षण और परीक्षण से छूट दे दी गयी :

छूट देने वाला प्राधिकारी	आर्डर का महीना	आपूर्तिकर्त्ता	ट्रान्सफार्मरों की संख्या	क्षमता (केवीए में)
विद्युत् भण्डार निरीक्षण मण्डल	अक्टूबर 1971	फर्म "ङ"	195	63
विद्युत् भण्डार निरीक्षण मण्डल	जून 1973	13 फर्में	4,132	25
और विद्युत् भण्डार अधिप्राप्ति			2,353	63
मण्डल			142	100
सदस्य (वाणिज्यिक)	जनवरी 1974	फर्म "घ"	7	3,000
			1	5,000
सदस्य (वाणिज्यिक)	जुलाई 1975	फर्म "क"	600	25 और 63

(iii) निम्नांकित फर्मों ने ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति विद्युत् भण्डार निरीक्षण मण्डल को उनका निरीक्षण और परीक्षण की कोई सूचना दिये बिना ही कर दी :

आपूर्तिकर्त्ता	क्षमता (के वी ए में)	संख्या	आपूर्ति की अवधि
फर्म "ग"	25	1,043	1972–73
	63	222	1972–73
फर्म "क"	25 और 63	1,800	1973–74
फर्म "झ"	25 और 63	250	1972–73

(iv) मार्च/जून 1973 में दिये गये आर्डरों के विरुद्ध 16 फर्मों द्वारा जुलाई 1975 तक की गई 25 के वी ए, 63 के वी ए और 100 के वी ए के 22,525 ट्रान्सफार्मरों की आपूर्तियां किसी भी ट्रान्सफार्मर का आवेग और तापक्रम चढ़ाव परीक्षण किये बिना ही इस आधार पर स्वीकार कर ली गईं कि इनके कारखानों में बिजली की आपूर्ति में या तो कटौती की गई थी या किसी तरह का व्यवधान था ।

(v) बड़ौदा की फर्म "ण" द्वारा नवम्बर 1972 में प्रस्तावित 63 के वी ए के 30 ट्रान्सफार्मरों के समूह (लाट) में से प्रत्येक का एक ट्रान्सफार्मर और लखनऊ की फर्म "ग" द्वारा अप्रैल 1973 में प्रस्तावित 25 के वी ए के तीन व 63 के वी ए के 16 ट्रान्सफार्मरों के प्रत्येक के दो लाटों का परीक्षण करने पर, परिषद् के निरीक्षण अधिकारी ने सूचित किया कि परीक्षण किये गये ट्रान्सफार्मरों में तापक्रम का चढ़ाव क्रय आदेशों में निर्धारित वाइन्डिंग में 50° सेंटीग्रेड और तेल में 40° सेंटीग्रेड की अधिकतम सीमा से अधिक था । लेकिन केवल परीक्षण किये गये ट्रान्सफार्मर ही रद्द किये गये और अन्य ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति किसी भी ट्रान्सफार्मर का तापक्रम चढ़ाव परीक्षण किये बिना ही स्वीकार कर ली गई ।

(vi) प्रयुक्त माल के सम्बन्ध में आपूर्तिकर्त्ताओं के बीजक और निर्माणकर्त्ताओं के परीक्षण प्रमाणपत्र सभी मामलों में अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे । नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक के 1976–77 के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) के अनुच्छेद 8.06 में वितरण ट्रान्सफार्मरों की वृहत संख्या में क्षति का उल्लेख किया गया था ।

8.13. केन्द्रीय ठेकों के विरुद्ध शक्ति ट्रान्सफार्मरों की मरम्मत

शक्ति ट्रान्सफार्मरों (1.5एम वी ए के 115, 3एम वी ए के 55 और 5एम वी ए के 32) की मरम्मत के लिये जुलाई 1975 में प्राप्त निविदाओं के आधार पर केन्द्रीय क्रय संगठन ने फर्म "क" द्वारा उद्धृत क्रमशः 9,000 रुपये, 17,250 रुपये और 24,000 रुपये प्रति ट्रान्सफार्मर की दर से पारिश्रमिक व्ययों का अनुमोदन किया (मई 1976) । मरम्मतकर्त्ता द्वारा आपूर्त्त किये जाने वाले नये लेग क्वायल और रोके रखने वाले पुराने लेग क्वायल के सम्बन्ध में क्रमशः 75 रुपये व 21 रुपये प्रति किलोग्राम की दरें तय की गईं । 1.5एम वी ए के ट्रान्सफार्मरों के लिये 3,500 रुपये, 3एम वी ए के लिये 4,000 रुपये और 5 एम वी ए के लिये 5,000 रुपये और नये लेग क्वायल के लिये 60 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से पारिश्रमिक व्ययों के लिये बड़ौदा की एक फर्म "ड" द्वारा दी गई तकनीकी दृष्टि से स्वीकार्य निम्नतम दरें इस आधार पर स्वीकृत नहीं की गईं कि बड़ौदा की फर्म ने बयाने की धनराशि की जगह डायरेक्टर जनरल, सप्लाइज एण्ड डिस्पोजल (डी जी एस एण्ड डी) से पंजीकरण का प्रमाण-पत्र ही प्रस्तुत किया था । इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि परिषद् द्वारा अन्य

मामलों में डी जी एस एण्ड डी का पंजीकरण प्रमाण–पत्र भी बयाने की धनराशि की जगह पर स्वीकृत किया गया था और परिषद् द्वारा फर्म को जुलाई 1975 में 5 एम वी ए के 10 ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति के लिये आर्डर एक निविदा पूछताछ के विरुद्ध बयाने की धनराशि के लिये जोर दिये बिना ही दिये जा चुके थे ।

विद्युत् भण्डार अधिप्राप्ति मण्डल I में किये गये और के भ क स को अक्टूबर 1975 में प्रस्तुत किये गये एक विश्लेषण में नये लेग क्वायल का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम निकला जो वही था जो कि बड़ौदा की फर्म ने दिया था। यह दर जनवरी 1976 में बढ़ा कर 75 रुपये कर दी गई क्योंकि फर्म "क" ने यह तर्क दिया था कि लेग क्वायल बनाने में श्रमिक व्यय उनकी कुल लागत का 50 प्रतिशत पड़ता था । इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि मण्डल द्वारा कापर बाउण्ड वितरण ट्रांसफार्मर की मरम्मत के लिये एक निविदा पछतांछ के मामले में अपनाये गये (अक्तूबर 1974) आई ई एम ए के लागत विश्लेषण के अनुसार श्रमिक लागत लेग क्वायल में प्रयुक्त तांबे के तार के मूल्य का 10 प्रतिशत अपनाई गई थी ।

के भ क स द्वारा अनुमोदित दरों पर फर्म "क" और "घ" को क्रमशः 50 और 35 शक्ति ट्रांस–फार्मरों की मरम्मत के लिये ठेके दिये गये (मई 1976) । ठेकों में दी गई दरों पर लेग क्वायल, तेल और श्रम के मूल्य को सम्मिलित करते हुये मरम्मत लागत, स्टैम्पिंग की लागत (मेरठ की फर्म "घ" द्वारा दी गई 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर) सहित, 1.5 एम वी ए, 3 एम वी ए और 5 एम वी ए के लिये क्रमशः 1.45 लाख रुपये, 2.29 लाख रुपये और 3.29 लाख रुपये निकली । इनके विरुद्ध 1.5 एम वी ए के नये ट्रांसफार्मर का मूल्य 1.30 लाख रुपये (विद्युत भण्डार अधिप्राप्ति मण्डल I द्वारा मार्च 1977 में अनुमानित) था और 3 एम वी ए एवं 5 एम वी ए के ट्रांसफार्मरों का मूल्य, जिनपर परिषद द्वारा इन फर्मों से 1976–77 व 1977–78 के दौरान खरीददारियां की गईं, क्रमशः 1.94 लाख रुपये और 3.23 लाख रुपये था ।

तकनीकी दृष्टि से स्वीकार्य बड़ौदा की फर्म का न्यूनतम प्रस्ताव पूर्व वर्णित परिस्थितियों के अन्तर्गत स्वीकार न करने के कारण लेग क्वायल व श्रमिक व्ययों पर 1.5 एम वी ए, 3 एम वी ए और 5 एम वी ए के प्रति ट्रांसफार्मर में क्रमशः 0.21 लाख रुपये, 0.35 लाख रुपये और 0.50 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

इन ठेकों के विरुद्ध सितम्बर 1978 तक फर्म "क" ने केवल 16 ट्रांसफार्मरों की मरम्मत की (1.5 एम वी ए –10, 3 एम वी ए–2 और 5 एम वी ए–4) और फर्म "घ" ने 1.5 एम वी ए के 12, 3 एम वी ए के 31 और 5 एम वी ए के चार ट्रांसफार्मरों की मरम्मत की । इन 63 ट्रांसफार्मरों की मरम्मत पर 20.17 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

8.14 क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा मरम्मत के ठेके

अपने अधीक्षण अभियन्ता के निर्देशों (अप्रैल 1975) के अन्तर्गत विद्युत् अनुरक्षण खण्ड इलाहाबाद के अधिशासी अभियन्ता ने फर्म "क" के नैनी स्थित कारखाने पर एक वितरण व चार शक्ति ट्रांसफार्मरों का, उनकी मरम्मत के लिये, परीक्षण का प्रबन्ध किया (मई 1975) । परिणामतः फर्म ने इन क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों की मरम्मत का व्यय 5.04 लाख रुपया अनुमानित किया (जुलाई 1975) जो परिषद द्वारा आपूर्त्त किये जाने वाले कल पुर्जों के मूल्य के कारण 0.22 लाख रुपये से कम कर दिया गया (दिसम्बर 1975) । मरम्मत व्ययों के अनुमान में 1.13 लाख रुपये मूल्य के कबाड़ माल के लिये (फर्म द्वारा रोक लिये जाने वाले 4,380 किलोग्राम क्षति ग्रस्त तांबे के लेग क्वायल और 4,200 लीटर प्रयुक्त ट्रांसफार्मर तेल सहित) कोई क्रेडिट नहीं दी गई । सदस्य (वाणिज्यिक) द्वारा फर्म के अनुमान फरवरी 1976 में अनुमोदित कर दिये गये यद्यपि शक्ति व वितरण ट्रांसफार्मरों की कम खर्च पर मरम्मत करने के लिये निविदायें पहले ही क्रमशः जुलाई 1975 और फरवरी 1976 में खोली जा चुकी थीं। फर्म को स्वीकृत मरम्मत व्ययों और शक्ति ट्रांसफार्मरों (मई 1976) और 100 के वी ए के ऊपर के वितरण ट्रांसफार्मरों (जून 1976) की मरम्मत

के लिये केन्द्रीय रूप से निष्पादित ठेकों के अन्तर्गत दी गई दरों पर निकाली गई मरम्मत लागत का ट्रांसफार्मर-वार विवरण नीचे दिये गया है ।

ट्रांसफार्मर की क्षमता (एम वी एमें)	मरम्मत किये गये ट्रांसफार्मरों की संख्या	भुगतान किये गये कुल मरम्मत व्यय	केन्द्रीय रूप से निष्पादित ठेकों की दरों पर मरम्मत की लागत
		(लाख रुपयों में)	
5	1	2.00	1.51
1.5	1	1.10	0.84
1.5	1	0.99	0.83
1.5	1	0.51	0.34
0.25	1	0.22	0.10
योग	5	4.82	3.62

पांच ट्रांसफार्मरों की मरम्मत के लिये 1976–77 में अधिशासी अभियन्ता द्वारा 5.11 लाख रुपये का (0.29 लाख रुपये उत्पाद शुल्क और बिक्री कर सहित) भुगतान किया गया ।

इसी प्रकार, 1.5 एम वी ए का एक शक्ति ट्रांसफार्मर (मूल्य: लगभग 1 लाख रुपये) विद्युत् वितरण खण्डI, वाराणसी से मार्च 1975 में फर्म "क" को मरम्मत के लिये दिया गया । फर्म ने 0.90 लाख रुपये का प्रभार लगाया और लगभग 0.17 लाख रुपये का कबाड़ माल, मरम्मत व्ययों में बिना किसी समायोजन के, अपने पास रख लिया ।

लगभग इन सारे ही मामलों में मरम्मत व्यय परिषद् द्वारा केन्द्रीय रूप से निष्पादित अनुबन्धों के अन्तर्गत मरम्मत कार्यों के लिये निर्धारित (मार्च 1977) आर्थिक सीमा से (250 के वी ए के ट्रांसफार्मरों के लिये 0.13 लाख रुपये, 1.5 एम वी ए के लिये 0.60 लाख रुपये और 5 एम वी ए के लिये 1.65 लाख रुपये) अधिक थे ।

8.01 से 8.14 तक के अनुच्छेदों में दर्शाया गया मामला परिषद् व सरकार को सितम्बर 1978 में सूचित किया गया; उत्तरों की प्रतीक्षा है (फरवरी 1979) ।

8.15. **निष्कर्ष**

(क) कुछ मामलों में अवधि बढ़ाने की मांग के बावजूद भी निविदाओं पर निर्णय लेने में देर हुई । तकनीकी दृष्टि से स्वीकार्य न्यूनतम निविदाओं की वैधता अवधि को, तकनीकी दृष्टि से स्वीकार्य न्यूनतम दरों का लाभ उठाने के लिये, निविदाओं पर समय से निर्णय लेने में ध्यान में नहीं रक्खा गया ।

(ख) अनेक मामलों में तकनीकी दृष्टि से स्वीकार्य निम्न निविदाय रद्द कर दी गईं और उन फर्मों को आर्डर दिये गये जिनके निविदा उच्च थे ।

(ग) कुछ मामलों में निर्धारित सुपुर्दगी अवधि के बाद भी आपूर्तियां स्वीकार की गईं और सुपुर्दगी अवधि में कार्योत्तर वृद्धियां स्वीकृति की गईं यद्यपि परिषद् के पास इस प्रकार बढ़ाई हुई अवधि के दौरान कम दरों पर ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति के प्रस्ताव आ चुके थे ।

(घ) मध्य व वृहत् उद्योगों को मूल्य वरीयता दी गई जो राज्य सरकार की मूल्य वरीयता नीति के अनुरूप नहीं थी ।

(ङ) विभिन्न फर्मों द्वारा आपूर्ति किये गये ट्रांसफार्मरों की सेवा योग्यता के बारे में क्षेत्रीय इकाइयों से निष्पादन सूचना प्राप्त करने के लिये परिषद् द्वारा कोई तरीका निर्धारित नहीं किया गया ।

(च) ट्रांसफार्मरों की प्रतिष्ठापना के बाद विद्युत् की वास्तविक लोहे व तांबे की हानियों पर दृष्टि नही रखी गयी । इस प्रकार क्रय मूल्य तय करने के लिये निविदा दरों की तुलनार्थ इन हानियों का पूंजीकरण करना शैक्षिक ही रह गया ।

(छ) कुछ मामलों में ट्रांसफार्मरों की आपूर्तियां सामान्य परीक्षण (लौह एवं तांबा हानियों की जांच सहित) के बिना ही स्वीकार की गईं जबकि कुछ मामलों में विभिन्न फर्मों द्वारा आपूर्ति किये गये ट्रांसफार्मरों के निरीक्षण व परीक्षण में इस आधार पर छूट दे दी गई कि परिषद् के निरीक्षण कक्ष में पर्याप्त अधिकारियों का अभाव था ।

(ज) जब कि कुछ उन फर्मों, जिन्होंने पहले ट्रांसफार्मरों का निर्माण नहीं किया था और मरम्मत भी नहीं की थी, को आर्डर दिये गये थ (लखनऊ की फर्म "ख" और "ग" व इलाहाबाद की फर्म "च"), कुछ अन्य फर्मों (मेरठ की "ट" वाराणसी की "ठ", व मथुरा की "द" फर्मों) की निम्न निवदायें, जिन्हें परिषद् के विभिन्न किस्म, निर्माण डिजाइन और क्षमता वाले क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों की मरम्मत का अनुभव था, इस आधार पर रद्द कर दी गईं कि उन्होंने परिषद् को पहले ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति नहीं की थी ।

अनुभाग IX

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्

राजस्व की हानि

9.01. लाइन का पृथक न किया जाना

वृहत एवं भारी शक्ति उपभोक्ताओं पर लागू दर सूची के अनुसार, अगर मिल में उपभोग करने के लिए आपूर्त की गई विद्युत शक्ति घरेलू उद्देश्य के लिए भी प्रयुक्त की जाती है तो इस प्रकार का उपभोग अलग कर दिया जाना चाहिए और पृथक मीटर लगाना चाहिए। इस प्रकार पृथक अंकित उपभोग उचित दर सूची के अन्तर्गत प्रभारित होना चाहिए। यदि पृथक मीटर लगाने का प्रबन्ध नहीं किया जाता है तो सम्पूर्ण उपभोग मिश्रित भार पर लागू उच्च दरों पर प्रभारित होना चाहिए।

सात खण्डों के अभिलेखों की परख जांच में यह पाया गया कि विद्युत शक्ति का उपयोग जिस उद्देश्य के लिए स्वीकृत किया गया था उसके अतिरिक्त विद्युत शक्ति का उपयोग करने के कारण सात उपभोक्ताओं (छः भारी और एक वृहत शक्ति) को उच्च दर सूची पर बिल नहीं भेजे गये। न्यून-प्रभार की धनराशि 29.24 लाख रुपये हुई, जैसा कि नीचे वर्णित है :

खण्ड का नाम	उपभोक्ताओं की संख्या	न्यून प्रभार की अवधि	न्यून प्रभार की धनराशि (लाख रुपयों में)
विद्युत वाणिज्यिक खण्ड, फैजाबाद	1	12 अक्तूबर 1974 से जनवरी 1978 तक	21.04
विद्युत वाणिज्यिक खण्ड, रुड़की	1	दिसम्बर 1974 से मार्च 1978 तक	2.61
विद्युत वाणिज्यिक खण्ड, बुलन्दशहर	1	मार्च 1976 से मार्च 1977 तक	2.10
विद्युत वितरण खण्ड, बाराबंकी	1	26 दिसम्बर 1976 से 29 सितम्बर 1977 तक	1.88
वाराणसी विद्युत प्रदेय उपक्रम, वाराणसी	1	जुलाई 1977 से अप्रैल 1978 तक	1.02
विद्युत वितरण खण्ड, रामपुर	1	मार्च से सितम्बर 1977 तक	0.30
विद्युत वाणिज्यिक खण्ड, गाजियाबाद	1	दिसम्बर 1976 से अक्तूबर 1977	0.29
			29.24

परिषद्/सरकार ने बताया (जनवरी/फरवरी 1979) कि विद्युत वाणिज्यिक खण्ड, फैजाबाद के संबंध में बिजली व पंखा उपभोग के लिए औसत उपभोग के आधार पर बिल भेजे जा रहे थे जो मार्च से सितम्बर 1969 के दौरान सिंचाई विभाग के मीटरों द्वारा 214 यूनिट अंकित किया गया। विद्युत वितरण खण्ड, बाराबंकी के सम्बन्ध में बाद में यह बताया गया (फरवरी 1979) कि उपभोक्ता का बिजली का बिल दिसम्बर 1976 से सितम्बर 1977 तक की अवधि के लिये कालोनी के औसत मासिक उपभोग को 0.39 लाख यूनिट मान कर संशोधित किया गया था और यह कि इस मामले में लाइनों को पृथक न करने के लिए दोष परिषद् के अधिकारियों का था जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी प्रस्तावित थी।

9.02. **अतिरिक्त प्रभार का न लगाया जाना**

लाइसैन्सदारों और भारी, वृहत तथा मिश्रित भार (100 के डब्लू से ऊपर) उपभोक्ताओं पर लागू दर सूची के अनुसार, यदि मासिक बिल का भुगतान उसमें निर्दिष्ट देय तिथि तक नहीं किया जाता है तो उपभोक्ता बिल की अदत्त राशि पर सात पैसे प्रति 100 रुपये या उसके भाग पर, बिलम्ब के प्रति दिन के लिए, अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

परख सम्परीक्षा में यह पाया गया कि निम्नलिखित खण्डों ने इस प्रकार के बिलम्बित भुगतानों पर अतिरिक्त प्रभार नहीं लगाया, जिसका योग 11.01 लाख रुपये हुआ, जैसा कि नीचे वर्णित है :

खण्ड का नाम	उपभोक्ताओं की संख्या	अवधि	धनराशि (लाख रुपयों में)
विद्युत वितरण खण्ड, मऊ (अजमगढ़)	2	अक्तूबर 1974 से अगस्त 1977 तक	4.52
विद्युत वाणिज्यिक खण्ड, धामपुर (बिजनौर)	1	सितम्बर 1974 से मार्च 1978 तक	2.90
विद्युत वतरण खण्ड, रामपुर	14	मार्च 1974 से मार्च 1978 तक	0.98
विद्युत् वाणिज्यिक खण्ड I, मुरादाबाद	2	फरवरी 1975 से मार्च 1978 तक	0.76
विद्युत् वितरण खण्ड, बाराबंकी	3	मई 1975 से फरवरी 1978 तक	0.74
विद्युत् वाणिज्यिक खण्ड, बिजनौर	3	नवम्बर 1975 से मार्च 1978 तक	0.64
विद्युत् परीक्षण एवं वाणिज्यिक खण्ड, रायबरेली	6	अक्तूबर 1977 से फरवरी 1978 तक	0.47
			11.01

बिलम्बित भुगतानों के लिए अधिभार का न लगाया जाना, जैसा कि आडिट द्वारा बताया गया, को स्वीकृत करते हुए परिषद् ने बताया (सितम्बर 1978 / फरवरी 1979) कि उपभोक्ताओं पर निर्धारण किया जा चुका था और 5.10 लाख रुपये की धनराशि वसूल की जा चुकी थी। विद्युत् वितरण खण्ड, बाराबंकी के सम्बन्ध में यह भी बताया गया कि बिलों को जारी किये जाने में विलम्ब के लिए उत्तरदायी अधिकारी / कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी प्रस्तावित थी।

सरकार ने परिषद् के मत को पृष्ठांकित किया (मार्च 1979)।

9.03. **अधिभार का न लगाया जाना**

लघु और मध्यम शक्ति उपभोक्ताओं पर 12 अक्तूबर 1974 से और निजी नलकूपों पर 1 नवम्बर 1974 से लागू दर सूची के अनुसार, यदि मासिक बिलों का भुगतान उनमें निर्दिष्ट देय तिथि तक नहीं किया जाता है तो उपभोक्ता बिल की धनराशि पर, बकायों, अगर कोई हों, को छोड़कर, 12 प्रतिशत का एक अधिभार भुगतान करने का उत्तरदायी है। यदि भुगतान की देय तिथि से आगामी माह के प्रथम दिन से गणना करने पर भुगतान में छः माह से अधिक का विलम्ब होता हो, तो उपभोक्ता इस प्रकार विलम्बित अवधि के लिए प्रति माह या उसके भाग पर दो प्रतिशत का एक दूसरा अधिभार भुगतान करने का भी उत्तरदायी है। 1977–78 के दौरान परख सम्परीक्षा में यह देखा गया कि परिषद् के निम्नलिखित ग्यारह खण्डों

ने विलम्बित भुगतानों के लिए अधिभार नहीं लगाया, परिणामस्वरूप कुल 2.96 लाख रुपए की राजस्व में कमी हुई :

खण्ड का नाम	उपभोक्ताओं की संख्या	अवधि	कम लगाई गई धनराशि (लाख रुपयों में)
विद्युत् वितरण खण्ड II, बलिया	36	नवम्बर 1974 से फरवरी 1978 तक	0.44
विद्युत् वाणिज्यिक खण्ड, बिजनौर	29	नवम्बर 1974 से जनवरी 1978 तक	0.56
विद्युत् वितरण खण्ड, रामपुर	50	अक्तूबर 1974 से अगस्त 1977 तक	0.44
विद्युत् वाणिज्यिक खण्ड, धामपुर (बिजनौर)	43	नवम्बर 1974 से जुलाई 1977 तक	0.28
विद्युत् वाणिज्यिक खण्ड, बुलन्दशहर	130	नवम्बर 1974 से मार्च 1978 तक	0.51
विद्युत् वाणिज्यिक खण्ड I, मुरादाबाद	5	अक्तूबर 1974 से अक्तूबर 1977 तक	0.24
विद्युत् वाणिज्यिक खण्ड II, मुरादाबाद	16	नवम्बर 1974 से सितम्बर 1977 तक	0.15
विद्युत् वितरण खण्ड, सुल्तानपुर	15	नवम्बर 1974 से नवम्बर 1976 तक	0.11
विद्युत् वितरण खण्ड I, आजमगढ़	25	अक्तूबर 1974 से जून 1977 तक	0.09
विद्युत् परीक्षण एवं वाणिज्यिक खण्ड, रायबरेली	20	सितम्बर 1975 से मई 1977 तक	0.08
विद्युत् वितरण खण्ड, मऊ (आजमगढ़)	37	मार्च 1976 से जनवरी 1977 तक	0.06
			2.96

जैसा कि आडिट ने इंगित किया, विलम्बित भुगतानों के लिये अधिभार के न लगाये जाने का तथ्य स्वीकार करते हुए परिषद् ने बताया (फरवरी 1979) कि सभी क्षेत्रीय अधिकारियों पर भविष्य में दर-सूची के प्राविधानों के अनुसार अधिभार लगाने के लिये पुनः जोर डाला गया था और यह कि 2.69 लाख रुपए का निर्धारण किया जा चुका था जिसमें से 0.08 लाख रुपया वसूल किया जा चुका था।

मामला सरकार को अगस्त 1978 में सूचित किया गया ; उत्तर की प्रतीक्षा है (फरवरी 1979)।

9.04. **दण्ड का लगाना**

उत्तर प्रदेश विद्युत् (सम्भरण, वितरण, उपभोग और उपयोग का विनियमन) आदेश, 1977 के अन्तर्गत सरकार ने विद्युत् ऊर्जा के सम्भरण, वितरण, उपभोग और उपयोग को विनियमित करने के लिए 1977–78 के दौरान "विद्युत् की कटौती" लगाई। आदेश में, अन्य बातों के साथ-साथ, वृहत्, भारी, मध्यम और अविरल प्रक्रिया वाले उद्योगों के संबंध में कलेन्डर वर्ष 1976 के दौरान तीन लगातार महीनों के उच्चतम औसत उपभोग पर आधारित भिन्न-भिन्न प्रतिशत के हिसाब से विद्युत् की कटौती का प्राविधान था और साप्ताहिक बन्दी निर्धारित थी। उपभोक्ताओं द्वारा इस सीमा से अधिक सृजित प्रत्येक अतिरिक्त मांग पर नियन्त्रित दर के अतिरिक्त 50 रुपए प्रति के वी ए की दर से दण्ड लगाया जाना था।

परख जांच के दौरान यह देखा गया कि 11 उपभोक्ताओं द्वारा अधिक उपभोग पर निम्नलिखित खण्डों में अप्रैल 1977 से मार्च 1978 के दौरान 6.13 लाख रुपयों का कुल दण्ड नहीं लगाया गया :

खण्ड का नाम	उपभोक्ताओं की संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)
विद्युत् वितरण खण्ड, रामपुर	1	3.18
विद्युत् वाणिज्यिक खण्ड I, मुरादाबाद	2	1.35
विद्युत् वाणिज्यिक खण्ड, बदायूं	4	1.10
विद्युत् वाणिज्यिक खण्ड, बिजनौर	4	0.50
		6.13

परिषद् ने बताया (फरवरी 1979) कि 6.13 लाख रुपयों में से पांच उपभोक्ताओं से 3.61 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी थी और दूसरों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही थी ।

मामला सरकार को सितम्बर 1978 में सूचित किया गया; उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1979) ।

9.05. **न वसूले गये देय**

उपभोक्ता द्वारा विद्युत व्ययों का भुगतान बिल में निर्दिष्ट देय तिथि तक करना होता है । अगर उपभोक्ता देय तिथि तक विद्युत देयों का भुगतान करने में असफल रहता है तो उसकी आपूर्ति उसको सात दिन का नोटिस देकर काट दी जा सकती है । उसको बिल में निर्दिष्ट भुगतान करने की देय तिथि से 30 दिन की समाप्ति के बाद मांग की नोटिस दी जा सकती है । अगर उपभोक्ता मांग नोटिस की तामील होने के 30 दिन के अन्दर बिल का भुगतान करने में असफल होता है तो विद्युत देयों की वसूली भूराजस्व के बकायों की तरह की जानी होती है और देयों की वसूली के लिये वसूली प्रमाण पत्र कलेक्टर को भेजे जाते हैं ।

निम्नलिखित मामलों में अधिशासी अभियन्ता ने वसूली प्रमाण पत्र भुगतान की देय तिथि से दो से पांच वर्ष बाद निर्गमित किये । इन मामलों में कलेक्टरों ने धनराशि वसूल करने में अपनी अक्षमता प्रकट की क्योंकि या तो उपभोक्ताओं का पता नहीं था या उनके नाम कोई सम्पत्ति नहीं थी :

नाम	उपभोक्ताओं की संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)
विद्युत वितरण खण्ड, सीतापुर	6	0.31
विद्युत वितरण खण्ड III, गोरखपुर	345	1.19
विद्युत वितरण खण्ड, पीलीभीत	1	0.33
विद्युत वितरण खण्ड, शामली	118	1.69
विद्युत वितरण खण्ड, हरदोई	23	0.77
	493	4.29

परिषद् ने बताया (फरवरी 1979) कि क्षेत्रीय इकाइयों ने पुनः 491 वसूली प्रमाण पत्र 4.23 लाख रुपये की वसूली करने के लिये कलेक्टरों को भेजे थे, जिसकी प्रगति प्रतीक्षित थी ।

मामला सरकार को जुलाई 1978 में सूचित किया गया; उत्तर की प्रतीक्षा है (फरवरी 1979) ।

9.06. **अधिक भार**

परिषद् के प्रत्यक्ष सत्यापन दस्ते ने निजी नलकूपों/पम्पिंग सैटों के स्थलों का सत्यापन किया (जनवरी से जून 1976) और पाया कि विद्युत वाणिज्यिक खण्ड, बिजनौर के 288 उपभोक्ता और विद्युत वितरण खण्ड, एटा के 27 उपभोक्ता उनको स्वीकृत भार से अधिक भार (बी एच पी) के मोटर प्रयोग में ला रहे थे । तथापि, इन खण्डों ने उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष सत्यापन में पाये गये भार के स्थान पर उनके स्वीकृत भार के आधार पर बिल भेजना जारी रखा । इसके परिणामस्वरूप 2.69 लाख रुपये की सीमा तक कम राजस्व लगाया गया (2.43 लाख रुपये बिजनौर खण्ड के मामले में और 0.26 लाख रुपये एटा खण्ड के मामले में) ।

आडिट द्वारा बताये जाने पर, परिषद् ने बतलाया (अक्तूबर 1978/जनवरी 1979) कि अधिक भार के लिये 2.69 लाख रुपये का निर्धारण किया जा चुका था। वसूली प्रतीक्षा में है (जनवरी 1979)।

9.07. खराब मीटर

(क) विद्युत वितरण खण्ड I, आजमगढ़ के अभिलेखों के अनुसार गवर्नमेन्ट पालीटेक्निक, आजमगढ़ को बिजली की आपूर्ति 24 सितम्बर 1967 से दी गई (स्वीकृत भार के बारे में सूचना और अनुबन्ध उपलब्ध नहीं थे)। उपभोक्ता के साथ 10 फरवरी 1977 को 100 के डब्ल्यू के लिये एक अनुबन्ध किया गया। मीटर खराब होने के कारण उपभोक्ता से मार्च 1975 तक केवल मोटर किराया और अप्रैल 1975 से नवम्बर 1977 तक निम्नतम व्यय (मिनिमम चार्जेज) ही लिये गये। 24 सितम्बर 1967 से नवम्बर 1977 तक की अवधि के दौरान वास्तव में उपभोग की गई बिजली ज्ञात नहीं की जा सकती क्योंकि इस अवधि के दौरान मीटर खराब रहा। सितम्बर 1967 से नवम्बर 1977 तक की अवधि के दौरान लगाने योग्य निम्नतम व्यय कुल 1.29 लाख रुपये के होते थे जिसके विरुद्ध खण्ड द्वारा 0.19 लाख रुपये के बिल भेजे गये, परिणामस्वरूप 1.10 लाख रुपये का कम निर्धारण हुआ।

(ख) उसी प्रकार सेकेन्डरी टेक्नीकल स्कूल, आजमगढ़ को विद्युत वितरण खण्ड I, आजमगढ़ द्वारा अप्रैल 1970 से नवम्बर 1977 की अवधि के दौरान दर सूची में दिये गये निम्नतम प्रभारों के बजाय खराब मीटर की रीडिंग के आधार पर बिल निर्गमित होते रहे। इस अवधि के दौरान कुल 0.24 लाख रुपये का कम प्रभार हुआ।

खण्डीय अधिकारी ने बताया (अप्रैल 1978) कि इन मामलों में 1.10 लाख रुपये और 0.24 लाख रुपये के कम निर्धारण के लिये बिल निर्गमित किये जा चुके थे। परिषद्/सरकार ने बताया (अक्तूबर/दिसम्बर 1978) कि इन दोनों संस्थाओं के प्रधानाचार्य अपने उच्च अधिकारियों से इन बिलों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि देने के लिये निवेदन कर चुके थे; वसूली होना प्रतीक्षित थी (फरवरी 1979)।

(ग) 122 के डब्ल्यू के अनुबन्धित भार पर विद्युत का प्रयोग करने वाले एक वृहत शक्ति उपभोक्ता की परिसर में लगाया गया (25 फरवरी 1974) मीटर विद्युत वितरण खण्ड I, मुरादाबाद के उप-खण्डीय अधिकारी द्वारा खराब बताया गया (27 अप्रैल 1976) और इसका निस्पादन सन्देहजनक पाया गया। उपभोक्ता की परिसर में एक जांच मीटर लगाने पर (28 मई 1976), सहायक अभियन्ता (मीटर्स) द्वारा यह सूचित किया गया (2 जून 1976) कि स्थायी मीटर 77.9 प्रतिशत धीमा चल रहा था। विद्युत वाणिज्यिक खण्ड I, मुरादाबाद द्वारा छः माह की अवधि के लिये (28 अक्तूबर 1975 से), जैसा कि इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, 1910 की धारा 24 (6) के अन्तर्गत जरूरी था, मीटर धीमा चलने के लिये उपभोक्ता को आंका नहीं गया। आडिट द्वारा बताये जाने पर (नवम्बर 1977) खण्ड ने कम निर्धारण (0.51 लाख रुपय) के लिये बिल निर्गमित कर दिया (नवम्बर 1977); वसूली की प्रतीक्षा थी (मार्च 1979)।

मामला परिषद् को फरवरी 1978 में और सरकार को अगस्त 1978 में सूचित किया गया; उत्तरों की प्रतीक्षा है (मार्च 1979)।

9.08. देयों की न वसूली :

(क) दर सूची के अनुसार, यदि वास्तविक उपभोग के लिये भुगतान की जाने वाली धनराशि निम्नतम उपभोग प्रतिभूति (गारन्टी) से कम है, तो उपभोक्ता को एक निश्चित धनराशि निम्नतम उपभोग प्रतिभूति के रूप में भुगतान करनी होती है। गाजियाबाद के दो उपभोक्ताओं ने, जिनको क्रमशः मार्च 1974 से फरवरी 1975 और जनवरी 1975 से दिसम्बर 1975 की अवधि के लिये निम्नतम उपभोग प्रतिभूति के लिये 0.40 लाख और 0.31 लाख रुपये के बिल दिये गये थे, निम्नतम उपभोग प्रतिभूति के लगाये जाने के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमे दायर किये (जनवरी 1976)।

जुलाई और अगस्त 1976 में न्यायालय ने परिषद् के विरुद्ध एक पक्षीय निर्णय दिये क्योंकि ये मामले परिषद् द्वारा अनुसरण नहीं किये गये। परिषद् द्वारा उच्च न्यायालय में दिये गये पुनर्विचार के प्रार्थना पत्र मई 1977 में खारिज कर दिये गये।

मामला परिषद् को मार्च 1978 में और सरकार को जुलाई 1978 में सूचित किया गया; उत्तरों की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1978)।

(ख) सहायक अधिशासी अभियन्ता (छापे) द्वारा 25 अक्तूबर 1975 को किये गये एक अचानक छापे में, इलाहाबाद विद्युत प्रदेय उपक्रम (एसू) के 1,000 के वी ए के अनुबन्धित भार वाले एक भारी शक्ति उपभोक्ता फर्म को शक्ति भार से अपनी आवासीय कालोनी के लिये विद्युत का उपभोग करते हुये पाया गया। वृहत एवं भारी शक्ति उपभोक्ताओं को लागू दर सूची के अनुसार, यदि फैक्टरी को दी गई विद्युतीय ऊर्जा अनौद्योगिक उद्देश्य के लिये उपयोग में लाई जाती है, तो इस तरह की लाइन को उपभोक्ता द्वारा पृथक करना चाहिये और माप अलग से होनी चाहिये। इस प्रकार से अलग से अभिलेखित किया गया उपभोग उचित दर सूची के अन्तर्गत प्रभारित करना होता है। यदि उपभोक्ता अनौद्योगिक उपभोग को अलग से अभिलेखित करने में असफल होता है, तो सारे उपभोग को मिश्रित भार पर लागू उच्च दर सूची के हिसाब से प्रभारित करना होता है। तदनुसार एसू ने अप्रैल 1975 से सितम्बर 1975 की अवधि के लिये 1.40 लाख रुपये का एक अनुपूरक बिल निर्गमित किया (नवम्बर 1975)। इस पर उपभोक्ता इस निर्धारण के विरुद्ध परिषद् के पास पंहुचा (नवम्बर 1975) और अध्यक्ष द्वारा आगे के अनुदेशों तक उपभोक्ता की आपूर्ति को न काटने के लिये और उसे भारी शक्ति दर सूची के हिसाब से कम दर पर बिल जारी रखने के लिये अनुदेश निर्गमित किये गये (नवम्बर 1975)।

दिसम्बर 1976 में (अर्थात् 13 माह बाद), अध्यक्ष ने इलाहाबाद में अपने निरीक्षण के दौरान उपभोक्ता के परिसर की फिर से जांच की और देखा कि उपभोक्ता आवासीय कालोनी की आवश्यकता को पूरा करने के लिये अपना खुद का डीजल जनरेटिंग सैट्स उपयोग कर रहा था। जनवरी 1977 में, उपभोक्ता ने सूचित किया कि कालोनी का उपभोग हमेशा डीजल जनरेटिंग सेट्स से खुद के उत्पादन से पूरा किया गया। इस सम्बन्ध में यह देखा गया कि उपभोक्ता को अप्रैल 1973 में, केवल आपातकालीन स्थिति में जब कि परिषद् की आपूर्ति न हो, शक्ति का उत्पादन करने के लिये अपने डीजल जनरेटिंग सेट्स का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी, न कि सामान्य दशा में आवासीय कालोनी के लिये। एसू ने फरवरी 1977 में परिषद् के पास अंतिम आदेशों को निर्गमित करने के लिये फिर पंहुच की, जिनकी प्रतीक्षा थी (मार्च 1979)।

यहां यह और उल्लेखनीय है कि उपभोक्ता ने अपनी कालोनी के उपभोग की पूर्ति करने के लिये फरवरी 1977 में 25 के डब्लू का अतिरिक्त भार लिया था। उपभोक्ता से अप्रैल 1975 से फरवरी 1977 तक की अवधि के लिये लेने योग्य धनराशि (अर्थात्, मिश्रित भार दर सूची के अन्तर्गत और भारी शक्ति उपभोक्ताओं को लागू दर सूची के अन्तर्गत देय धनराशि का अन्तर) 3.85 लाख रुपये की निकलती है।

मामला परिषद् को मार्च 1978 में और सरकार को जुलाई 1978 में सूचित किया गया; उत्तरों की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1978)।

(ग) जनवरी–फरवरी 1977 में इलाहाबाद में लगे कुम्भ मेला में एक प्रदर्शनी का आयोजन करने के लिये 200 के डब्लू का एक अस्थायी संयोजन (कनेक्शन) एक उपभोक्ता को दिसम्बर 1976 में इलाहाबाद विद्युत प्रदेय उपक्रम द्वारा स्वीकृत किया गया। उपभोक्ता को ऊर्जा दिसम्बर 1976 में जमानत (0.40 लाख रुपये) और संयोजन व्यय (0.34 लाख रुपये), जैसा कि शक्ति की अस्थायी आपूर्ति के लिये लागू दर सूची में प्राविधान था, लिये बिना ही निर्मुक्त कर दी गई। मार्च 1977 में, उपभोक्ता ने 0.51 लाख रुपये के ऊर्जा एवं संयोजन व्ययों का भुगतान किये बिना ही प्रदर्शनी बन्द कर दी। धनराशि की वसूली नहीं हुई है (दिसम्बर 1978)।

मामला परिषद् को मार्च 1978 में और सरकार को जुलाई 1978 में सूचित किया गया; उत्तरों की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1978)।

(घ) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 1973–74 की वर्ष के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) के अनुच्छेद 10(4)(क)(ii) में यह बताया गया था कि जुलाई 1974 में परिषद् ने लखनऊ की एक फर्म को, जिसे वर्तमान स्थल पर सैट्स चलाने की अनुमति दी गई थी, चन्दौसी विद्युत गृह के टर्बो जनरेटिंग सैट्स और ब्वायलर्स (मूल्य: 105.06 लाख रुपये) बेचने के आदेश निर्गत किये थे। फर्म

ने 26 अगस्त 1974 से बिजली का उत्पादन प्रारम्भ किया। उत्पादित यूनिटों में से विद्युत गृह की सहायिकाओं में किये गये उपभोग और लाइन हानियों को कम करके निकाले गये तथा चन्दौसी की ग्रिड को संभरित यूनिटों की सीमा तक, लखनऊ की अपनी चाप भट्ठियों और पुनर्वलन मिलों में बिजली का मुफ्त उपभोग करने के लिये, परिषद् ने फर्म को सितम्बर 1974 में अनुमति दी।

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत अनुरक्षण खण्ड, बदायूं ने अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ विद्युत प्रदेय उपक्रम (लेसू) को सूचित किया (सितम्बर 1974) कि फर्म ने संयंत्र की पूरी धनराशि भुगतान नहीं की थी और पश्चादोक्त से यह निवेदन किया कि फर्म को, चन्दौसी विद्युत् गृह में उत्पादन के कारण, और आगे विद्युत की आपूर्ति न की जाये, जब तक कि फर्म द्वारा पूरी धनराशि जमा नहीं कर दी जाती। आवासीय अभियन्ता, लेसू द्वारा फर्म से पूरी धनराशि जमा करने के लिये अनुरोध किया गया (अक्तूबर 1974), लेकिन फर्म ने न केवल भुगतान ही नहीं किया बल्कि अपने विद्युत गृह में 17 दिसम्बर 1974 से उत्पादन भी बन्द कर दिया।

किन्तु फर्म लेसू से बिना कोई भुगतान किये हुये जुलाई 1974 से अप्रैल 1975 तक, जबकि आपूर्ति काट दी गई, विद्युत की आपूर्ति लेती रही। अगस्त 1975 में विद्युत आपूर्ति, बकाया बिजली व्ययों (12.86 लाख रुपये) को प्राप्त किये बिना, पुनः दे दी गयी। जैसा कि बोर्ड द्वारा तय किया गया, एक मध्यस्थ संयंत्र का मूल्य और विद्युत व्ययों, आदि के भुगतान करने के झगड़ों का निर्णय करने के लिये नियुक्त किया गया (सितम्बर 1975)। इस मध्यस्थ ने तब से कोई प्रगति नहीं की। फरवरी 1978 में राज्य सरकार ने निर्णय दिया कि चन्दौसी विद्युत गृह फर्म द्वारा परिषद् को वापस करना था। इस प्रयोजन के लिये एक अनुबन्ध दोनों पक्षों के बीच फरवरी 1978 में हस्ताक्षरित हुआ।

इन प्रगतियों के परिणामस्वरूप अधीक्षण अभियन्ता, लेसू ने फर्म के बकाया मासिक निर्धारण बिल, फर्म द्वारा चन्दौसी में उत्पादित की गई विद्युत का समायोजन करने के बाद और 29 अप्रैल 1978 भुगतान करने की नियत तिथि के साथ, संशोधित करके 3.31 लाख रुपये के कर दिये (अप्रैल 1978); भुगतान की अब भी प्रतीक्षा है (मार्च 1979)।

मामला परिषद् को फरवरी 1978 में और सरकार को जुलाई 1978 में सूचित किया गया; उत्तरों की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1978)।

9.09. रोकड़ को लेखाओं में न लिया जाना

मंसूरी-देहरा विद्युत प्रदेय उपक्रम, देहरादून परिषद् द्वारा जनवरी 1976 में अधिगृहीत किया गया। उपक्रम ने मार्च 1977 तक रसीद बहियों का उचित लेखा नहीं रक्खा। उपक्रम के अधिशासी अभियन्ता ने अप्रैल 1977 में पता लगाया कि एक खजान्ची को दी गई (दिसम्बर 1976 से जनवरी 1977 तक) चार रसीद बहियों के सम्बन्ध में, इन बहियों से निर्गमित की गई रसीदों के विरुद्ध उसके द्वारा उपभोक्ताओं से वसूल की गई 0.17 लाख रुपये की कुल धनराशियां उपक्रम की नगदी रखने की तिजोरी में जमा नहीं की गई। अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अक्तूबर 1976 से मार्च 1977 तक यह भी पता लगाया गया कि तीन खजान्चियों द्वारा जनवरी 1976 से मई 1976 के बीच उपभोक्ताओं से वसूल किये गये और बिलों के प्रतिपर्ण पर उपभोक्ताओं को दी गई पावती द्वारा स्वीकृत (भूतपूर्व लाइसेंसदार की प्रचलित पद्धति के अनुसार, जो मई 1976 तक जारी रही) 0.63 लाख रुपये भी परिषद् के लेखाओं में नहीं लिये गये।

परिषद् द्वारा यह बताया गया (दिसम्बर 1978) कि परिषद् द्वारा अक्तूबर 1977 से मार्च 1978 के दौरान की गई विशेष सम्परीक्षा के परिणामस्वरूप, पांच खजान्चियों के विरुद्ध 1.08 लाख रुपये का संशयास्पद गबन पकड़ा गया, जिसमें से 0.58 लाख रुपये पूर्व अधिगृहण की अवधि से सम्बन्धित थे। तीन खजान्चियों द्वारा 0.14 लाख रुपये जमा कर दिये गये थे। सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध सन्देहजनक दुरुपयोग (सस्पैक्टिड मिसएप्रोप्रियेशन) के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखा दी गई (अक्तूबर 1976–2; अप्रैल 1977–1; दिसम्बर 1977–1 और जनवरी 1978–1) और उनको निलम्बित कर दिया गया (अगस्त 1976–2; अप्रैल 1977–2 और जनवरी 1978–1)। इन कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियां अग्रिम अवस्था में थीं (जनवरी 1979)।

अनुभाग X

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्

अन्य रोचक विषय

10.01. अतिरिक्त व्यय

अप्रैल 1959 से मार्च 1970 की अवधि के दौरान परिषद् के कार्यालयों में प्रयोग हेतु कागज की वार्षिक आवश्यकता, अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद के मांग पत्र में सम्मिलित की जाती थी । वह परिषद् के लिये कागज के लिये प्रबन्ध या तो डायरेक्टर जनरल आफ सप्लाइज एण्ड डिस्पोजल्स की दर संविदा के माध्यम से या सीधे मिलों से किया करता था । परिषद् की वर्ष 1970-71 की आवश्यकता का प्रबन्ध अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री द्वारा नहीं किया जा सका क्योंकि डायरेक्टर जनरल आफ सप्लाइज एण्ड डिस्पोजल्स ने जुलाई 1971 से मार्च 1972 की अवधि के लिये अपनी दर संविदा से इस मद को पृथक कर दिया था । तत्पश्चात्, सितम्बर 1978 तक परिषद् ने कागज के क्रय हेतु अपना स्वयं का प्रबन्ध किया ।

12 मार्च 1974 की एक निविदा सूचना के उत्तर में लखनऊ की एक फर्म, जिसने बिक्री कर अधिकारियों के साथ कागज के एक डीलर के रूप में 15 अप्रैल 1974 को अपना पंजीकरण कराया था, का प्रस्ताव (21 अप्रैल 1974) स्वीकार किया गया और 21.61 लाख रुपये के मूल्य के विभिन्न प्रकार के कागज के 91,000 रिम्स की आपूर्ति हेतु चार सम्पूर्ति आदेश प्रदान किये गये (मई 1974) ।

दरें, जिन पर लखनऊ की फर्म को विभिन्न प्रकार के कागज हेतु आदेश दिये गये थे, डायरेक्टर जनरल आफ सप्लाइज एण्ड डिस्पोजल्स की 1974–75 में बैध दर संविदा मूल्य की तुलना में, 5.48 रुपये से 34.90 रुपये प्रति रिम अधिक थीं और इस प्रकार के क्रय के परिणामस्वरूप 12.50 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

परिषद् की क्रय समिति ने फर्म की प्रतिभूति आदेश के मूल्य के 10 प्रतिशत (2.16 लाख रुपये) से घटाकर 1 प्रतिशत (0.22 लाख रुपये) कर दी (मई 1974) और सामान की सुपुर्दगी में विलम्ब के लिये फर्म पर पहले लगाया गया 0.14 लाख रुपये का दण्ड भी छोड़ दिया (अप्रैल 1976) । परिषद् ने न तो डायरेक्टर जनरल आफ सप्लाइज एण्ड डिस्पोजल्स से सम्पर्क स्थापित किया और न ही मिलों से कागज के लिये प्रबन्ध हेतु अपने स्वयं के स्तर पर या अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री के माध्यम से कोई प्रयास किया ।

परिषद् ने बताया (सितम्बर 1977) कि उपरोक्त फर्म को दिये गये आदेशों से सम्बन्धित अभिलेख जांच पड़ताल हेतु सतर्कता विभाग को सौंपे जा चुके थे (2 अगस्त 1977) ।

मामला सरकार को जुलाई 1978 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1978) ।

10.02. जनरेटिंग सैटों का विक्रय

अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत् भण्डार निरीक्षण मण्डल, लखनऊ ने परिषद् के विभिन्न खण्डों में पड़े हुए 'रिटायर्ड' डीजल जनरेटिंग सैटों की बिक्री के लिये मार्च 1973 में निविदाएं आमंत्रित कीं । उत्तर प्रदेश स्टेट टैक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड (राज्य सरकार का एक प्रतिष्ठान) के साथ 300 के डब्ल्यू क्षमता के दो सैटों की बिक्री को अप्रैल 1973 में अन्तिम रूप दिया गया । कम्पनी ने दो जनरेटिंग सैटों (मूल्य : 6.42 लाख रुपये) की सुपुर्दगी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् अनुरक्षण खण्ड, मेरठ से जुलाई 1973 में ली लेकिन कोई भुगतान नहीं किया । नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का एक प्रतिष्ठान) द्वारा अप्रैल 1974 में कम्पनी की रुग्ण टेक्सटाइल मिलों का अधिग्रहण किये जाने के बाद, खण्ड ने बाद वाली कम्पनी से सैटों के मूल्य का भुगतान करने के लिये प्रार्थना की (मई 1976) । नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड ने परिषद् को सूचित

किया (मई 1976) कि "सिक टेक्सटाइल अन्डरटेकिंग्स (नेशनेलाइजेशन) ऐक्ट, 1974" के प्राविधानों के अन्तर्गत कम्पनी इन सेटों के लिये भुगतान करने के लिये उत्तरदायी नहीं थी और यह कि क्लेम कमिश्नर के यहां दावा निर्धारित समय के अन्दर दर्ज करा दिया जाना चाहिये था ।

मामला परिषद् को मार्च 1978 में और सरकार को जुलाई 1978 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1978) ।

10.03. **किस्तों की वसूली न किया जाना**

परिषद् ने जुलाई 1972 में निजी नलकूपों और पम्पिंग सेटों को वरीयता के आधार पर बिजली देने की एक योजना, प्रत्येक वर्ष अप्रैल में देय दस वार्षिक किस्तों में वरीयता चार्जेज (जो वापिस नहीं किये जाने थे) के रूप में 700 रुपये (जहां परिषद् द्वारा किया जाने वाला व्यय 4,000 रुपये तक था) और 1,050 रुपये (जहां परिषद् द्वारा किया जाने वाला व्यय 4,000 रुपये से ऊपर था लेकिन 6,000 रुपये से अधिक नहीं था) की वसूली की शर्त के अधीन, चालू की । प्रथम किस्त की वसूली पम्पिंग सेटों को बिजली दिये जाने के पहले करनी थी । तथापि, विद्युत् वितरण खण्ड, एटा और चन्दौसी ने क्रमशः 1,103 और 136 उपभोक्ताओं, जिन्हें 1972–73, 1973–74 और 1974–75 के दौरान वरीयता योजना के अन्तर्गत बिजली दी गई थी, से अप्रैल 1973 से अप्रैल 1977 के दौरान देय द्वितीय और उसके बाद की किस्तों की वसूली नहीं की । उपभोक्ताओं से अप्रैल 1978 तक किस्तों की वसूल न की गई धनराशि 5.69 लाख रुपये (एटा –5.29 लाख रुपये और चन्दौसी – 0.40 लाख रुपये) थी ।

परिषद् ने बताया (फरवरी 1979) कि एटा खण्ड के सम्बन्ध में 1.79 लाख रुपये वसूल किये जा चुके थे । चन्दौसी खण्ड के सम्बन्ध में यह सूचित किया गया कि 124 उपभोक्ताओं पर 0.37 लाख रुपये का निर्धारण किया जा चुका था जिसमें से 0.06 लाख रुपया वसूल हो चुका था और शेष 12 उपभोक्ताओं के ठिकाने खोजे जा रहे थे ।

मामला सरकार को जुलाई 1978 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 1979) ।

10.04. **लागत व्यय का वसूल न किया जाना**

मई 1975 में परिषद् ने लखनऊ विद्युत् प्रदेय उपक्रम, परिषद् की एक इकाई, को सड़कों के किनारे, जो लखनऊ शहर के सुन्दरीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत चौड़ी की जा रही थीं, वितरण लाइनों को स्थान बदल कर लगाने का कार्य हाथ में लेने के आदेश दिये । कार्य की अनुमानित लागत का अग्रिम जमा नगर महापालिका, लखनऊ से नहीं प्राप्त किया गया । 1976–77 और 1977–78 के दौरान लखनऊ विद्युत् प्रदेय उपक्रम द्वारा 6.14 लाख रुपये का व्यय किया गया । नवम्बर 1977 में, अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ विद्युत् प्रदेय उपक्रम ने नगर महापालिका, लखनऊ से 6.14 लाख रुपये जमा करने के लिये प्रार्थना की ताकि वह आगे का कार्य हाथ में ले सकें ।

परिषद्/सरकार ने बताया (दिसम्बर 1978/जनवरी 1979) कि वितरण लाइन के स्थान परिवर्तन का कार्य परिषद् पर थोपा गया था और यह कि यह केवल विद्यमान खम्भों और लाइनों को हटाने की लागत वहन करने के लिये अनिच्छा से सहमत हुआ था । नई लाइनों, भूमिगत केबिल डालने और खम्भों के निर्माण की लागत नगर महापालिका द्वारा वहन की जानी थी । तथापि 6.14 लाख रुपये की पूरी धनराशि परिषद् के खाते में नामे में डाल दी गयी और उपर्युक्त परियोजना पर आगे के कार्य के लिये 1.56 लाख रुपये के लिये एक प्राक्कलन नगर महापालिका को जुलाई 1978 में भेजा गया । जिन कारणों से 6.14 लाख रुपये का व्यय परिषद् द्वारा वहन किया गया, वे अभिलेखों पर नहीं थे ।

10.05. **निष्फल व्यय**

विद्युत् पारेषण खण्ड द्वितीय, गोरखपुर ने वाराणसी की एक फर्म के साथ 132 के वी मऊ-गोरखपुर लाइन के पुनः मार्ग रेखा निर्धारण के लिये जरूरी छः मीनारों के स्टब्स लगाने और नींव डालने के लिये एक अनुबन्ध प्रतिपादित किया (मार्च 1977) । अनुबन्ध के अन्तर्गत फर्म खण्ड द्वारा प्रदान की गई ड्राइंग और विनिर्देश के अनुसार स्टब्स लगाने के लिये उत्तरदायी थी । 0.91 लाख रुपये का पूरा भुगतान (विभाग द्वारा आपूर्त सीमेन्ट का मूल्य घटाने के बाद) फर्म को तीन किस्तों में मार्च, जून और दिसम्बर 1977 में किया गया ।

जनवरी 1978 में मीनारों को लगाते समय यह पाया गया कि स्थलों में से एक के मामले में स्टब लगाने के कार्य में विकर्णों में 10 इंच का अन्तर था और इसके कारण स्टब लगाने का कार्य मीनारों को लगाने के लिये अनुपयुक्त था । इस स्थल को एक अन्य ठेकेदार के माध्यम से पुनः बनवाने की लागत 0.33 लाख रुपये आयी जिसके विरुद्ध खण्ड ने ठेकेदार की 0.16 लाख रुपये की जमानत की धनराशि समायोजित की थी ।

परिषद् ने बताया (जनवरी 1979) कि 0.17 लाख रुपये की वसूली करने के लिये सहयोगी खण्डों/मण्डलों से निवेदन किया जा चुका था । परिषद् द्वारा आगे यह बताया गया कि ठेकेदार ने अपनी जमानत जमा की वापिसी की मांग करते हुए एक दीवानी मुकदमा दायर कर दिया था ।

सरकार ने परिषद् के मत को पृष्ठांकित किया (मार्च 1979) ।

10.06. **प्राप्य लेखे, कमियां, इत्यादि**

(क) भण्डार में कमियां, जब पकड़ी जायें, भण्डार के अनधिकृत/अधिक निर्गमन, अस्वीकार्य व्यय, इत्यादि प्रत्यक्षतः उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध "प्राप्य लेखों" के अन्तर्गत लेखाओं में लिये जाते हैं जिससे भण्डार या अस्वीकार्य व्यय लेखे साफ हो सकें । जांच पड़ताल और उत्तरदायित्व निर्धारण और/या वसूली करने की आगे की अनुवर्ती कार्यवाही सक्षम अधिकारी के आदेशों के अन्तर्गत की जानी होती है । तथापि, परख सम्प्रेक्षण के दौरान यह देखा गया कि लेख के इस शीर्षक के अन्तर्गत डाली गई धनराशियां लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी समाप्त नहीं हो पायी हैं । बहुत से मामलों में संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध धनराशि डालने के बाद उत्तरदायित्व निर्धारण करने और धनराशि की वसूली/अपलेखित करने के लिए कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई है । कुछ उदाहरण निम्न प्रकार हैं :

इकाई का नाम	कर्मचारियों की संख्या	लेखे का माह/वर्ष	कुल धनराशि (लाख रुपयों में)
विद्युत् वितरण खण्ड, बदायूं	7	मार्च 1968 से जून 1978	3.87
विद्युत् वितरण खण्ड प्रथम, आजमगढ़	23	मार्च 1960 से मार्च 1976	1.80
विद्युत् वितरण खण्ड, सुल्तानपुर	23	1966-67 से 1975-76	1.77
विद्युत् वितरण खण्ड प्रथम, मुरादाबाद	18	मार्च 1958 से अगस्त 1976	0.97
विद्युत् वितरण खण्ड, बाराबंकी	7	अप्रैल 1967 से अगस्त 1976	0.84
विद्युत् वितरण खण्ड, गोंडा	19	1958-59 से 1975-76	0.78
विद्युत् वितरण खण्ड, मऊ (आजमगढ़)	10	जून 1974 से सितम्बर 1976	0.71
विद्युत् पारेषण खण्ड, फैजाबाद	3	अगस्त 1972 से दिसम्बर 1976	0.37
ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड, गोंडा (विद्युत् वितरण खण्ड, गोंडा में विलयित)	21	1973-74 और 1974-75	0.25

विद्युत् वितरण खण्ड, बदायूं के दो कर्मचारी जिनके विरुद्ध 0.18 लाख रुपए और 0.59 लाख रुपये बकाया के रूप में प्रदर्शित थे क्रमशः अक्तूबर 1970 और दिसम्बर 1976 में सेवा से निवृत्त हो चुके थे । 0.18 लाख रुपए की कमी के मामले में, कर्मचारी को देय 1,514 रुपए का उपदान प्रबन्धकों द्वारा रोक लिया गया था ।

(ख) पुलिस के एक प्रतिवेदन के आधार पर अप्रैल 1975 में निलम्बित विद्युत् वितरण खण्ड प्रथम, मुरादाबाद के एक सहायक भण्डारी ने भण्डार का कार्य भार नहीं सौंपा यद्यपि उससे ऐसा करने के लिए खण्डीय अधिकारी द्वारा विशेष रूप से कहा गया था (मई 1975)। जुलाई 1975 में, जब भण्डार को उसका ताला तोड़कर खोला गया, 1.53 लाख रुपए मूल्य के भण्डार और औजार और मशीनों की कमियां पायी गयीं। पुलिस से अन्तिम प्रतिवेदन की प्राप्ति पर कर्मचारी मई 1976 में बहाल किया गया। न तो कमियों की धनराशि "प्राप्य लेखे" के नाम डाली गयी है जैसा कि परिषद् के नियमों के अन्तर्गत जरूरी है और नहीं कोई वसूली की गई थी (जनवरी 1979)। खण्डीय अधिकारी द्वारा बताया गया (जून 1978) कि कर्मचारी को कमियों के लिए आरोप-पत्र दिया जा चुका था (जनवरी 1977)। अग्रिम प्रगतियां प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 1978)।

(ग) विद्युत् वितरण खण्ड प्रथम, मुरादाबाद का एक सहायक भण्डारी भण्डार की कमियों (1.56 लाख रुपये) और अभिलेखों में हेराफेरी (0.09 लाख रुपए) के कारण नवम्बर 1970 में निलम्बित किया गया। मई 1978 में अन्तिम जांच पड़ताल के बाद कर्मचारी को 0.64 लाख रुपए मूल्य की भण्डार की कमियों और 0.09 लाख रुपए के भण्डार के अधिक निर्गमनों के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। इस प्रकार कुल कमियां 0.73 लाख रुपये की निकली। कमियों के लिये वसूली 154 रुपए प्रति माह की दर से उसके जुलाई 1978 के वेतन से प्रारम्भ कर दी गयी थी।

(घ) विद्युत् वितरण खण्ड द्वितीय, मुरादाबाद में एक भण्डारी के विरुद्ध भण्डार की कमियां दिसम्बर 1959 से मार्च 1975 के दौरान "प्राप्य लेखे" के अन्तर्गत लेखाओं में ली गईं। सितम्बर 1975 के अन्त में कुल कमियां 0.73 लाख रुपए की थीं। भण्डारी को 13 मार्च 1975 को निलम्बित किया गया और कमियों, भण्डार लेखाओं के खराब रख-रखाव, इत्यादि के लिए आरोप-पत्र दिया गया (जुलाई 1975)। जांच अधिकारी, जिसे भण्डारी के विरुद्ध आरोपों की जांच करनी थी, ने अपने 19 नवम्बर 1976 के प्रतिवेदन में भण्डारी को कर्त्तव्य विमुखता और उपेक्षा के लिए दोषी पाया और 0.30 लाख रुपए मूल्य के भण्डार का गबन स्थापित किया। भण्डारी 31 अगस्त 1978 को सेवा से निवृत्त हो गया। 0.28 लाख रुपय की एक धनराशि उसके विरुद्ध बकाया थी (जनवरी 1979)।

उपरोक्त (क), (ख), (ग) व (घ) के सम्बन्ध में मामला परिषद् को मई से अगस्त 1978 में और सरकार को सितम्बर 1978 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 1978)।

10.07. **ब्याज का परिहार्य भुगतान**

संशोधित उत्तर प्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, 1952 के अनुसार विद्युत् शुल्क आपूर्ति कर्ता द्वारा मीटर रीडिंग लिये जाने के माह की समाप्ति के दो माह के अन्दर परिषद् द्वारा कोषागार में भुगतान किया जाना होता है। यदि विद्युत् शुल्क की धनराशि निर्धारित समय के अन्दर नहीं भुगतान की जाती है तो भुगतान न किये गए विद्युत् शुल्क पर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगान की व्यवस्था है।

परिषद् की अनेक इकाइयां या तो शुल्क की धनराशि जमा कराने में असफल रहीं या जमा कराने और मुख्य विद्युत् निरीक्षक को चालान प्रस्तुत करने में विलम्ब था। बकाया शुल्क, उस पर ब्याज और अन्य भुगतान किये गये/देय दण्डों के विवरण निम्न प्रकार थे :-

विवरण	अवधि		योग
	31 मार्च 1976 तक	अप्रैल 1976 से मार्च 1977 तक	
		(लाख रुपयों में)	
विद्युत् शुल्क			
परिषद् के निर्धारण के अनुसार	797.11	522.68	1,319.79
मुख्य विद्युत् निरीक्षक द्वारा की गई अतिरिक्त मांग	45.98	..	45.98

विवरण	अवधि		
	31 मार्च 1976 तक	अप्रैल 1976 से मार्च 1977 तक (लाख रुपयों में)	योग
कुल शुल्क	843.09	522.68	1,365.77
बकाया शुल्क पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज	212.57	43.44	256.01
चालानों के विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के लिए दण्ड	0.68	--	0.68
कुल देय	1,056.34	566.12	1,622.46
घटाया-भुगतान	900.00	468.00	1,368.00
बकाया शेष	156.34	98.12	254.46

मार्च 1977 में, 31 मार्च 1976 तक बकाया 184.48 लाख रुपये की एक राशि (156.34 लाख रुपये में भुगतान की तिथि तक 28.14 लाख रुपए के बाद के ब्याज को जोड़कर) परिषद् को स्वीकृत ऋणों के विरुद्ध सरकार द्वारा समायोजित की गयी।

विद्युत् शुल्क समय से जमा कराकर भुगतान किय गये (241.39 लाख रुपये) और अभी भी देय (43.44 लाख रुपए) ब्याज और दण्ड से बचा जा सकता था।

मामला सरकार/परिषद् को जुलाई 1978 में सूचित किया; उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1978)।

10.08. कर्मचारियों की भविष्य निधि योजना

कर्मचारी भावष्य निधि अधिनियम, 1952 के प्राविधानों के अन्तर्गत भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि में कर्मचारी का अंशदान, नियोक्ता का अंशदान तथा प्रशासकीय व्ययों को मिलाकर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के यहां संबंधित महीनों के अगले माह की 15 तारीख तक जमा किया जाना होता है, जिसमें असफल होने पर हर्जाना लगाया जाता है। तथापि, परिषद् के निम्न खण्डों ने अंशदान (प्रशासकीय व्ययों को सम्मिलित करते हुए) निर्धारित समय के अन्दर जमा नहीं किय और क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने 3.61 लाख रुपये का हर्जाना लगाया जसा कि नीचे दर्शित है :

नाम	अंशदानों की अवधि	लगाये गये हर्जाने की धनराशि (लाख रुपयों में)
विद्युत् वितरण खण्ड प्रथम, मुरादाबाद	मार्च 1967 से दिसम्बर 1969	0.92
विद्युत् वितरण खण्ड द्वितीय, मुरादाबाद	मार्च से सितम्बर 1968 और मार्च से दिसम्बर 1969	0.83
विद्युत् वितरण खण्ड, गोंडा	मार्च 1965 से जनवरी 1974	1.47
विद्युत् वितरण खण्ड, बहराइच	सितम्बर 1961 से फरवरी 1969	0.39
	योग	3.61

हर्जाने की धनराशियां अभी तक भुगतान नहीं की गई हैं और हर्जाने को छोड़ देने के लिए मामले क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर के साथ पत्र व्यवहार में है (फरवरी 1979)।

परिषद् ने बताया (मार्च 1979) कि योजना की प्रयोज्यता के क्षेत्र और कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों की पात्रता के लिए शर्तों के सम्बन्ध में आदेशों के निर्गमन में विलम्ब के कारण अंशदानों के जमा करने में बिलम्ब था। आगे यह बताया गया कि धनराशियों के जमा करने में बिलम्ब के लिए महत्वपूर्ण तत्वों में से एक यह था कि खण्ड को निधि की उपलब्धता के साथ सामंजस्य रखना था और यह कि राज्य सरकार से परिषद् के अधिष्ठापन को हर्जाना लगाये जाने से मुक्त करने के लिए लिखा जा चुका था।

मामला सरकार को अगस्त 1978 में सूचित किया गया : उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 1979)।

अनुभाग XI

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

भण्डार नियन्त्रण और क्रय

11.01. प्रस्तावना

निगम पहली जून 1972 को स्थापित किया गया। भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की वर्ष 1974–75 के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) के अनुभाग VI में निगम की कार्यप्रणाली के बारे में चर्चा की गई थी।

उसकी स्थापना पर निगम ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज से विभिन्न क्षेत्रीय स्तरों पर 270.38 लाख रुपए और कानपुर स्थित दो केन्द्रीय भण्डारों से 224.99 लाख रुपये मूल्य का भण्डार अधिगृहीत किया। एक केन्द्रीय भण्डार उप महाप्रबन्धक केन्द्रीय कार्यशाला के अधीन केन्द्रीय कार्यशाला, रावतपुर में व दूसरा उप महाप्रबन्धक, मैटीरियल मैनेजमेंट के अधीन, एलेन फारेस्ट प्रांगण में स्थित है। पहला भण्डार मुख्य रूप से केन्द्रीय कार्यशाला के प्रयोग में आने वाली मांगों का प्रबन्ध करता है और बाद का विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं का प्रबन्ध करने के लिए है। प्रत्येक क्षेत्र में सेवा प्रबन्धक के अधीन एक क्षेत्रीय भण्डार है। डिपो तथा रास्तों पर पड़ने वाले स्टेशनों की दैनिक आवश्यकता पूर्ति हेतु डिपो भण्डार हैं।

1977–78 तक के चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अन्त में निगम का कुल भण्डार निम्न प्रकार था :

वर्ष	क्षेत्रीय भण्डार	केन्द्रीय भण्डार	योग (लाख रुपयों में)
1974–75*	894.50	189.30	1,083.80
1975–76*	1,061.35	184.28	1,245.63
1976–77*	524.04	160.05	684.09
1977–78*	329.97	228.93	558.90

11.02. सलाहकार सेवा और भण्डार नियंत्रण योजना

मई 1975 में, बम्बई की एक फर्म को सामग्री व्यवस्था व भण्डार नियंत्रण के लिए निगम द्वारा 1,500 रुपए प्रति माह की एक रिटेनर फीस व निगम के कार्यों से संबंधित सम्पादित यात्राओं के लिए वातानुकूलित कक्ष/हवाई यात्रा व्ययों और 150 रुपया प्रतिदिन के दैनिक भत्ते पर एक वर्ष के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। सलाहकारों को सर्वेक्षण करना था व भण्डार नियंत्रण की साधक पद्धति व कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना था और भण्डार विभाग की अन्य सम्बन्धित समस्याओं को हल करना था। निर्धारित समय में कार्य पूरा न हो पाने के कारण यह अवधि सितम्बर 1977 तक बढ़ा दी गयी। मई 1975 से सितम्बर 1977 तक के समय के लिए रिटेनर फीस और यात्रा व्ययों के रूप में उन्हें 0.53 लाख रुपए भुगतान किया गया। सलाहकारों ने विभिन्न क्षेत्रों और केन्द्रीय भण्डार के चुने हुए कर्मचारियों को लखनऊ में प्रशिक्षण भी प्रदान किया।

---

*लेखाओं के निर्णित होने तक आंकड़े अस्थाई हैं।

सलाहकारों द्वारा पूरे किए गए कार्य के परिमाण के सम्बन्ध में सम्परीक्षा पूछ–ताछ के उत्तर में व्यवस्थापकों ने कहा (मई 1978) कि भण्डार की 4,500 मदों में से केवल 2,149 मदें भण्डार नियत्रण के आधीन लाई गई हैं। निगम के मुख्य लेखा अधिकारी ने भी निष्कर्ष दिया (मार्च 1977) कि सलाहकारों के कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं थी क्योंकि उस दिन तक केवल कुछ ही मद भण्डार नियंत्रण के आधीन लाए गए थे।

(क) बिना किसी रुकावट और भण्डार पर निम्नतम् विनियोग से गाड़ियों के लिए अतिरिक्त पुर्जों और साज सज्जा की दिन प्रति दिन की आवश्यकता की पूर्ति के दृष्टिकोण से सितम्बर 1975 में एक भण्डार नियंत्रण योजना आरम्भ की गई। इस योजना की मुख्य बातें निम्न प्रकार थीं :

(i) सामग्री स्थिति, असम्पन्न निर्गमित क्रय आदेशों और मासिक उपभोग अनुमानों को दर्शाते हुए सामग्री नियंत्रण कार्डों को आरम्भ करना।

(ii) भण्डार की पूर्ति में लिए गए समय की निगरानी रखना।

(iii) सामग्री समालोचना सूचियां तैयार करना और मासिक उपभोग अनुमानों के आधार पर सामग्री स्तर पर निगाह रखना।

(iv) भण्डार मदों का उचित वर्गीकरण, बचत क्षेत्रों पर पुनर्वन्टन आदेश निगमन, बिन कार्डों का उचित और अद्यतन रख-रखाव, कार्यवाही आख्याओं की प्रगति पर निगाह रखना और निर्गमन दरों का तय करना।

(v) विभिन्न भण्डार मदों का निम्नतम, उच्चतम और पुनरादेश स्तर तय करना।

(ख) सलाहकारों ने आल इण्डिया स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अन्डरटेकिंग्स एसोसियेशन की दर सम्विदा वाले निर्माताओं व फर्मों से भण्डार मदों के क्रय के लिए मार्ग-दर्शक सिद्धान्त तैयार किए। उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त भण्डार लेखाओं और अभिलेखों के रख-रखाव के लिए अनुदेश निर्गमित किए। उन्होंने भण्डार नियंत्रण योजना को विभिन्न क्षेत्रों के डिपों में लागू किए जाने की संस्तुति भी की।

(ग) परख सम्परीक्षा (मार्च 1978) के दौरान भण्डार नियंत्रण योजना लागू किए जाने में देखी गई त्रुटियां निम्न प्रकार थीं :—

(i) आपूर्तिकर्ताओं द्वारा विभिन्न मदों की आपूर्ति पूरी करने के लिए लिया गया समय दर्शाने वाले अभिलेख नहीं रखे गए। इस तरह विभिन्न मदों के लिए निम्नतम, उच्चतम और पुनर्आदेश स्तर आपूर्ति में लिए गए वास्तविक समय से संबंधित न थे बल्कि तदर्थ आधार पर नियत थे।

(ii) विभिन्न क्षेत्रों के डिपों में योजना के लागू किए जाने के लिए सलाहकारों द्वारा अक्तूबर 1975 में दी गई संस्तुति कार्यान्वित नहीं की गई (मार्च 1979)।

(iii) भण्डारियों द्वारा अप्राप्य प्रमाण-पत्र, पहले से ही आ गए किन्तु बिन कार्डों में पोस्ट न किए गए माल की प्राप्ति का मिलान किये बिना, निर्गमित किए गए, उदाहरणार्थ, (क) एक सौ डबुल गियर्स (मूल्य : 0.36 लाख रुपए) का अप्राप्य प्रमाण-पत्र चार मार्च 1978 को निर्गमित किया गया यद्यपि केन्द्रीय कार्यशाला भण्डार के स्कन्ध में 50 अदद उपलब्ध थीं, (ख) मांगे गए 100 मेन शैफ्ट्स की सम्पूर्ण मात्रा (मूल्य : 0.19 लाख रुपए) के लिए 24 जनवरी 1978 को अप्राप्य प्रमाण-पत्र निर्गमित किया गया यद्यपि उस दिनांक को 17 शैफ्ट्स का शेष था, (ग) क्लच फेसिंग विद रिवेट्स के 500 सैटों (मूल्य : 0.12 लाख रुपये) का अप्राप्य प्रमाण-पत्र 31 मार्च 1978 को निर्गमित किया गया यद्यपि 100 सेट 13 मार्च 1978 को पहले ही प्राप्त किये जा चुके थे और बिन कार्ड में 31 मार्च 1978 को पोस्ट किए गए।

(iv) सामान निर्गमित करने के लिए फर्स्ट-इन फर्स्ट-आउट पद्धति सभी मदों के लिए समान रूप से नहीं अपनाई गई और बिन कार्डों में साथ ही साथ पोस्टिंग नहीं पूरी की गई ।

(v) केन्द्रीय कार्यशाला और केन्द्रीय भण्डार, कानपुर में, निगम द्वारा अपनाई गई राज्य सरकार की वित्त हस्त पुस्तिका भाग VI के विधानों के अनुपालन किए बिना निर्गमन दरें तदर्थ आधार पर नियत की गईं । ये दरें जैसा कि वित्त हस्त पुस्तिका में प्राविधान है बाजार दरों के संदर्भ में अर्द्ध वार्षिक अवधि में पुनरीक्षित नहीं की गईं ।

(vi) केन्द्रीय भण्डार, कानपुर में भण्डार उच्चतम स्तर से अधिक क्रय किया गया ।

(vii) भण्डार की उन मदों के सम्बन्ध में जो सप्ताह के दौरान पुनरादेश स्तर पर पहुंच जाती हैं, सामग्री नियंत्रण अनुभाग द्वारा क्रय अनुभाग को प्रति सप्ताह नवीन क्रय के लिए कार्यवाही हेतु कार्यवाही प्रतिवेदन भेजना आवश्यक होता है ।

कानपुर के भण्डार नियंत्रण सैल द्वारा सितम्बर 1975 से सितम्बर 1977 के दौरान लखनऊ के क्रय अनुभाग को, 3281 मदें सम्मिलित करते हुए भेजे गए 110 कार्यवाही प्रतिवेदनों में से 1448 मदों पर क्रय की कार्यवाही की गई ।

(viii) क्रय अनुभाग द्वारा 1976–77 और 1977–78 के दौरान इस्पात की सामयिक आवश्यकता का विस्तृत अनुमान नहीं तैयार किया गया ।

11.03. क्रय विधि

(क) निगम की क्रय विधि का उल्लेख भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की वर्ष 1974–75 की रिपोर्ट (वाणिज्यिक) के अनुच्छेद 72 में किया गया था ।

पिछले चार वर्षों के दौरान किये गये क्रयों की परख जांच में निम्नलिखित कमियां प्रकाश में आईं :

(i) निगम के क्रय नियमों में डायरेक्टर जनरल आफ सप्लाईज एण्ड डिस्पोजल्स (डी जी एस डी) के दर सम्विदा के विरुद्ध क्रय करने का प्राविधान है । लेकिन क्रय दर सम्विदा के विरुद्ध नहीं किये गये । निगम को डी जी एस डी की दर सम्विदा के विरुद्ध सीधे मांग अधिकारी की उद्घोषणा करने वाला शासनादेश नहीं प्राप्त किया जा सका क्योंकि निगम डी जी एस डी को 10 लाख रुपये के एकमुस्त आवर्तक अग्रिम के भुगतान से सहमत न था ।

(ii) विभिन्न भण्डारों के लिये अनुमोदित निर्माताओं और प्रतिष्ठित व्यापारियों, लघु उद्योग निर्माताओं और उनके अधिकृत वितरकों की सूची उचित प्रकार से नहीं रखी गई और नए/पुराने नामों के प्रवेश/निकास के लिये आदेश नहीं प्राप्त किये गये ।

(iii) क्रय आदेश रजिस्टर में आदेश के विरुद्ध प्राप्त वास्तविक आपूर्ति का विस्तृत विवरण तथा अधूरी व खराब आपूर्तियों इत्यादि में की गई कार्यवाहियां दर्शित नहीं थी ।

(ख) अकेली निविदा के आधार पर क्रय

(i) एलेन फारेस्ट कार्यशाला (31 दिसम्बर 1975 को स्थापित) के लिये आवश्यक चार ब्लैकस्मिथ हर्थ्स के लिये आमन्त्रित निविदाओं के विरुद्ध कानपुर की एक स्थानीय फर्म की एक अकेली निविदा 3,000 रुपये प्रति (वार्डसन मेक के लिये) की दर से प्राप्त की गई । कोई निर्णय लेने से पूर्व सभी क्षेत्रों की ब्लैकस्मिथ हर्थ्स की आवश्यकता का आंकलन एक तकनीकी समिति द्वारा किया गया जिसने 36 ब्लैकस्मिथ हर्थ्स क्रय करने की संस्तुति की (मार्च 1976) ।

नई निविदायें आमंत्रित किये बिना या वार्डसन हर्थ्स निर्माताओं को संदर्भ किये बिना कानपुर की फर्म, जिसने दो प्रतिशत मात्रा छूट प्रस्तावित की (अप्रैल 1976), से मामले पर समझौता वार्ता की गई । तद्नुसार, 36 हर्थ्स की आपूर्ति के लिये आदेश (मूल्य : 1.06 लाख रुपये) 28 मई

1976 को इस फर्म को प्रदान किया गया । तदनन्तर, उन्हीं दरों पर उसी फर्म को तीन हर्थ् स (मूल्य: 0.09 लाख रुपये) का एक अन्य आदेश 29 जून 1976 को प्रदान किया गया ।

नई निविदा न आमंत्रित करने के कारण अभिलेखों पर नहीं थे ।

(ii) जुलाई 1976 और जुलाई 1977 के बीच पिस्टन असैम्बली व रिंग्स की आपूर्ति के लिये कानपुर की एक फर्म को 2.75 लाख रुपये मूल्य के खण्डों में बारह आदेश बिना कोटेशन/निविदा आमंत्रित किये हुए प्रदान किये गये। फर्म जो केवल एक बाजारू आढ़तिया थी, आदेश देते समय निगम के अभिलेखों में निर्माता प्रदर्शित की गई थी । केन्द्रीय कार्यशाला में प्रयोग के समय यह पाया गया कि पिस्टन व गजियन पिन होल और आयल ग्रेन होल्स की फिनिशिंग खुरदरी थी। सुराखों में उभाड़ भी देखे गए । केन्द्रीय कार्यशाला में प्राप्त माल का पचास प्रतिशत केन्द्रीय कार्यशाला में रिकन्डीशन किये गये 70 इन्जनों में फिट किया गया और शेष क्षेत्रों को आपूर्त कर दिया गया । उपर्युक्त माल से रिकन्डीशन किये गये 15 इन्जनों के सम्बन्ध में क्षेत्रों से प्राप्त सम्पादन प्रतिवेदन सन्तोषजनक न थे । 80,000 से 90,000 किलो मीटर के सामान्य औसत जीवन के विरुद्ध तीन इन्जन 12,000 किलो मीटर से कम सेवा देने से पूर्व असफल हो गए और 12 इन्जन 12,000 किलो मीटर से 82,000 किलो मीटर तक प्रयोग किये जा सके । शेष 55 इन्जनों और क्षेत्रों को निर्गमित सामान के लिये सम्पादन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं किये गये। आपूर्तिकर्त्ता को बाजारू आढ़तिया के स्थान पर निर्माता माने जाने का कारण सूचित नहीं किया गया और फाइलें सतर्कता विभाग के पास होनी बताई गईं ।

(ग) अप्राप्त सामान के लिये भुगतान

भोपाल की एक फर्म को टर्फण्ड ग्लास की आपूर्ति के लिये एक आदेश दिया गया था (अक्तूबर 1974) । बैंक को 0.35 लाख रुपये का भुगतान करके कागजात छुड़ाये गए (नवम्बर 1974) और गुड्स रसीद दिनांक 24 अक्तूबर 1974 प्राप्त कर ली गई लेकिन परिवहनकर्त्ता का स्थानीय परिसर कानपुर में उपलब्ध न था । निगम द्वारा न तो सामान प्राप्त किया गया न ही रकम वापस पाई जा सकी । पुलिस में प्रथम सूचना प्रतिवेदन 20 फरवरी 1976 को लिखाई गई । मामला राज्य सतर्कता विभाग द्वारा अनुसंधान के आधीन होना बताया गया है (मार्च 1979) ।

(घ) अतिरिक्त व्यय

उद्योग निदेशक द्वारा निगम के वास्ते 27 मार्च 1974 को 3.15 रुपये प्रति मीटर की दर से 0.80 लाख मीटर खाकी जालीदार कपड़े की आपूर्ति के लिये निविदा एक स्थानीय फर्म के पक्ष में निर्णित की गई । आदेश देने की वैधता अवधि 27 अप्रैल 1974 तक थी । निगम द्वारा उद्योग निदेशक से इसकी सूचना 2 अप्रैल 1974 को प्राप्त हुई थी। निगम द्वारा आपूर्ति आदेश 22 मई 1974 को प्रदान किया गया लेकिन फर्म ने मूल दरों पर माल की आपूर्ति करने से मना कर दिया क्योंकि वैधता अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी ।

अगस्त 1974 में निगम ने उद्योग निदेशक द्वारा 17 अगस्त 1974 को निर्णित एक अन्य निविदा के आधार पर 4.26 रुपये प्रति मीटर की दर से उन्हीं विशिष्टियों के एक लाख मीटर कपड़े के लिये एक अन्य आपूर्ति आदेश निर्गमित किया जो 0.89 लाख रुपये (0.80 लाख मीटर के क्रय पर) के अतिरिक्त व्यय में परिणत हुआ।

(ङ) अतिरिक्त भुगतान

(i) कानपुर की एक स्थानीय फर्म को अक्तूबर 1976 में 400 मैट्रिक टन माइल्ड स्टील एंगल्स और 75 मैट्रिक टन माइल्ड स्टील फ्लैट्स की आपूर्ति के लिये 1,848 रुपये प्रति मैट्रिक टन की समान दर (गन्तव्य स्थान तक निष्प्रभार) पर एक आदेश दिया गया ।

फर्म को कानपुर में फर्म के परिसर से केन्द्रीय कार्यशाला कानपुर लगभग (6 किलोमीटर) तक 22 रुपये प्रति टन की दर से 475 मैट्रिक टन सामान के परिवहन के लिये ढुलाई भाड़ा भुगतान किया गया (10,450 रुपये) यद्यपि क्रय आदेश में इसका प्राविधान नहीं था ।

प्रबन्धकों ने बताया (मार्च 1978) कि पूर्ति आदेश में इंगित गन्तव्य स्थान तक निष्प्रभार का तात्पर्य आपूर्तिकर्त्ता के परिसर पर सुपुर्दगी प्राप्त करना था, क्रेता के परिसर पर नहीं । यह दृष्टिकोण स्वीकृत वाणिज्यिक व्यवहार के अनुरूप नहीं है ।

(ii) जून 1974 में दिये गये एक आदेश के विरुद्ध 50 टी एम बी चैसिस की आपूर्ति के लिये अनुमानित लागत के 98 प्रतिशत के रूप में लखनऊ की एक फर्म को 13 अगस्त 1974 को निगम द्वारा 41.87 लाख रुपये का भुगतान किया गया ।

यद्यपि 30 चैसिस 2 अक्तूबर 1974 से पूर्व आपूर्त की गयी थीं, जिस दिनांक से कीमतें 85,455 रुपये से बढ़कर 95,660 रुपये प्रति चैसिस होनी थीं, लेकिन फर्म ने पुरानी दरों पर 19 चैसिस का भुगतान स्वीकृत किया और शेष ग्यारह चैसिस का बढ़ी दरों पर भुगतान किया गया जो 1.12 लाख रुपये के अतिरिक्त भुगतान में परिणत हुआ । मई 1978 में आपूर्तिकर्त्ताओं ने बताया कि ये चैसिस 2 अक्तूबर 1974 के बाद सुपुर्द की गई थीं यद्यपि उनकी सितम्बर 1974 की पूर्व सूचना में उनके द्वारा गलती से कहा गया था कि उस दिनांक से पूर्व 30 चैसिस पहले ही आपूर्ति की जा चुकी थीं। मई 1978 में आडिट द्वारा आपत्ति उठाये जाने पर मामला अपराध अनुसंधान विभाग को छानबीन के लिये रिपोर्ट किया गया था (सितम्बर 1978) ।

11.04. **भण्डार लेखा**

(क) निगम द्वारा कोई भण्डार लेखा नियम पुस्तक संकलित नहीं की गई । लेखा परीक्षा में भण्डार लेखा में देखी गई अनियमिततायें निम्न प्रकार थीं :

(i) अप्रचलित और अनुपयोगी भण्डार के उचित और सामयिक निस्तारण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं विद्यमान है, परिणामस्वरूप 28.64 लाख रुपये मूल्य का अप्रचलित भण्डार और 20.92 लाख रुपये का अनुपयोगी भण्डार जनवरी 1978 में निस्तारण की प्रतीक्षा में था ।

प्रबन्धकों ने बताया (जनवरी 1979) कि सात क्षेत्रों, यथा कुमायूं, आगरा, इलाहाबाद, अलीगढ़, देहरादून, टनकपुर और वाराणसी और केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर में पड़े हुए अप्रचलित अतिरिक्त पुर्जे और भण्डार, जो निस्तारण की प्रतीक्षा में था, का मूल्य 11.84 लाख रुपये था (दिसम्बर 1978) । अन्य क्षेत्रों और एलेन फारेस्ट कार्यशाला, कानपुर के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे ।

(ii) पुराने पुर्जे वापस हुए बिना कीमती पुर्जे निर्गमित किये गये । रोडवेज केन्द्रीय कार्यशाला में 26 सितम्बर 1977 से 26 फरवरी 1978 तक 259 पुराने व अस्वीकृत क्रैंक-शैफ्ट की वापसी के विरुद्ध 301 क्रैंकशैफ्ट (मूल्यः 3,600 रुपये प्रति) निर्गमित किये गये ।

(iii) मरम्मत के लिये प्राप्त गाड़ियों से पुनर्प्राप्त पुराने माल का विवरण जाब कार्डों में अंकित नहीं किया गया ।

(iv) क्षेत्रों में भण्डार अनुभाग और लेखा अनुभाग के भण्डार खातों का सामयिक और नियमित मिलान किया गया, ऐसा कोई संकेत अभिलेखों में न था ।

इसी भांति, केन्द्रीय भण्डार और केन्द्रीय कार्यशाला में लेखा अनुभाग के भण्डार खातों का भण्डार अनुभाग के बिन कार्डों से मिलान नहीं किया गया ।

(v) भण्डार में अनुपलब्ध और अन्य अनुपयोगी इंजनों/असेम्बलियों से निकाले गये सामान के बाद में समायोजन के लिये बहुत से मामलों में कार्य पूर्ण हो जाने के बाद चार से छः माह तक जाब कार्ड बन्द नहीं किये गये । 624 जाब कार्ड एक वर्ष से अधिक समय से बिना बन्द किये पड़े थे (पांच वर्ष से अधिक के 63 जाब कार्डों सहित) ।

(ख) सामग्री का अनियमित निर्गमन

रोडवेज केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर में खराब इंजन केन्द्रित रूप से मरम्मत किये जाते हैं । मरम्मत के लिये प्राप्त प्रत्येक इंजन के लिये अलग कार्यादेश खोले जाते हैं और उन पर आवश्यक अतिरिक्त पुर्जे और भण्डार का विवरण मांग पत्र के अनुसार अभिलेखित किया जाता है, वास्तविक उपभोग के अनुसार नहीं ।

अप्रैल 1976 से दिसम्बर 1976 तक के समय के लिये 54 कार्यादेशों की परख जांच ने दर्शाया कि मरम्मत किये गये इंजनों के कार्यशाला से स्थानान्तरण के दिनांक के बाद 4.94 लाख रुपये मूल्य के अतिरिक्त पुर्जे इन कार्यादेशों के विरुद्ध निर्गमित हुए दिखाये गये थे ।

कार्यशाला प्रबन्धकों ने बताया (मई 1978) कि उस समय भण्डार में इन इंजनों की मरम्मत के लिये आवश्यक पुर्जोंकी अनुपलब्धता के कारण ऐसे पुर्जे मरम्मत के लिये पड़े हुए अकर्मण्य इंजनों से निकाल लिये गये थे और जब वे पुर्जे उपलब्ध हुए, उन्हें उन इंजनों में, जिनसे इन पुर्जों को पहले निकाला गया था, उपयोग किया गया ।

(ग) बकाया अग्रिम

31 दिसम्बर 1977 को आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम के रूप में भुगतान किये गये 546.58 लाख रुपये की पांच वर्षों से अधिक समय से समायोजन/वसूली शेष थी । इन बकायों का वर्षवार विवरण उपलब्ध नहीं था ।

(घ) भण्डार का भौतिक सत्यापन

केन्द्रीय भण्डार, केन्द्रीय कार्यशाला और क्षेत्रों में भौतिक सत्यापन की सतत माल सूची प्रणाली है । 1973–74 से 1977–78 तक की अवधि के दौरान निम्न विवरण के अनुसार, 29.50 लाख रुपये की कमियां और 12.73 लाख रुपये की अधिकताएं देखी गईं :

वर्ष	मूल्य	
	कमियां	अधिकताएं
	(लाख रुपयों में)	
1973–74	1.34	2.29
1974–75	1.92	1.90
1975–76	19.13	4.87
1976–77	7.05	3.60
1977–78	0.06	0.07
	29.50	12.73

टिप्पणी : बरेली, गोरखपुर, कुमायूं, मेरठ क्षेत्रों और एलेन फारेस्ट कार्यशाला, कानपुर के आंकड़े नहीं प्राप्त कराये गये ।

कमियां और अधिकताएं जांच पड़ताल के अन्तर्गत थीं (दिसम्बर 1978) । इनमें से किसी मामले में कोई वसूली नहीं हुई है ।

(ङ) सेवा निवृत्त कर्मचारियों के विरुद्ध कमियों के मामले

रोडवेज केन्द्रीय कार्यशाला के दो कर्मचारी जिनके विरुद्ध भण्डार की कमियों और अन्य हानियों के 0.37 लाख रुपये (0.31 लाख रुपये और 0.06 लाख रुपये) के मामले शेष थे क्रमशः जुलाई 1966 और मार्च 1976 में सेवा निवृत्त हो चुके थे । ये मामले अन्तिम आदेशों के लिये निगम के प्रधान कार्यालय में अनिर्णित थे (दिसम्बर 1978) ।

(च) चोरियों/क्षतियों के कारण हानि

निगम के विभिन्न क्षेत्रों में 1977–78 तक के पांच वर्षों के दौरान चोरियों और क्षतियों के कारण हानियां निम्न प्रकार थीं :

वर्ष	मामलों की कुल संख्या		हानि की धनराशि	
	चोरियां	क्षतियां	चोरियां	क्षतियां
			(लाख रुपयों में)	
1973–74	508	138	2.67	0.09
1974–75	504	187	1.78	0.22
1975–76	616	169	1.78	0.17
1976–77	537	233	1.18	0.80
1977–78	602	200	1.91	0.84
योग	2,767	927	9.32	2.12

टिप्पणी : कानपुर क्षेत्र और एलेन फारेस्ट कार्यशाला, कानपुर के आंकड़े निगम द्वारा नहीं प्राप्त कराये गये ।

3,694 मामलों में से दिसम्बर 1978 तक केवल 1,530 मामले (1,172 चोरी के मामले और 358 क्षतियों के मामले) निर्णित किये गये थे ।

(छ) माल की दोहरी आपूर्ति

1973 और 1974 के दौरान निगम ने दिल्ली की एक फर्म को नट और बोल्ट इत्यादि की आपूर्ति करने के लिये आदेश दिये जो विधिवत प्राप्त किये गये और भुगतान कर दिये गये । दिसम्बर 1975 से मार्च 1976 के दौरान इस फर्म ने सात क्षेत्रों को पहले के आपूर्ति आदेशों के संदर्भ में, जिनके विरुद्ध 1973 और 1974 में पहले ही आपूर्तियां प्राप्त की जा चुकी थीं, पुनः नटों और बोल्टों की आपूर्ति की । क्षेत्रों द्वारा पूर्व प्राप्तियों/भुगतानों का मिलान किये बिना आपूर्तियां स्वीकार कर ली गईं ।

इस दोहरी आपूर्ति में फर्म ने बैंक द्वारा भेजे गये या फर्म के प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से सौंपे गये प्रेषण दस्तावेजों के विरुद्ध 98 प्रतिशत अग्रिम भुगतान (7.45 लाख रुपये) प्राप्त कर लिया (दिसम्बर 1975 से जनवरी 1977 तक) ।

टनकपुर क्षेत्र में जहां 98 प्रतिशत भुगतान (0.46 लाख रुपये) फर्म के प्रतिनिधि को, जिसने व्यक्तिगत रूप से प्रेषण दस्तावेज सौंपे, किया गया था (जनवरी 1977), माल (0.46 लाख रुपये) प्राप्त नहीं हुआ है (जून 1978) ।

मामला निगम के सतर्कता अनुभाग को भेजा गया था (जनवरी 1976); अग्रिम प्रगतियां प्रतीक्षित हैं (मार्च 1979) ।

11.05. अन्य रोचक विषय

क्षतिग्रस्त इंजनों की प्राप्ति

जनवरी 1975 में मद्रास के एक निर्माता से 3.59 लाख रुपये मूल्य के दस ली लैण्ड इंजन क्षतिग्रस्त अवस्था में प्राप्त हुए । बीमा कम्पनी ने, इस तर्क पर कि निगम परिवहनकर्ताओं पर दावा दायर करने में असफल रही, क्षति के लिये दावा स्वीकार नहीं किया है (नवम्बर 1978) ।

ढाई साल बाद बिना मरम्मत किये ये इंजन क्षेत्रों को निर्गमित कर दिये गये (16 जून 1977 से 25 जून 1977 के दौरान) । मरम्मत पर किये गये व्यय और क्षेत्रों में उनके उचित उपयोग सम्बन्धी प्रतिवेदन अलग-अलग क्षेत्रों से केन्द्रीय कार्यशाला द्वारा नहीं प्राप्त किये गये ।

मामला निगम/सरकार को सितम्बर 1978 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित हैं (मार्च 1979) ।

11.06. निष्कर्ष

पहली जून 1972 को स्थापित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने 495.37 लाख रुपये का कुल भण्डार उत्तराधिकार में प्राप्त किया था जो 31 मार्च 1978 को 558.90 लाख रुपये तक पंहुच गया । निगम द्वारा "भण्डार नियंत्रण" पर एक सलाहकार (मई 1975) कार्य पूरा न कर सके । कुछ मामलों में निगम ने अकेले कोटेशन के आधार पर क्रय किये और वह भी मध्यस्थों से न कि सीधे निर्माताओं से । निगम ने अपने आपको डी जी एस डी दर संविदाओं के लिये प्रत्यक्ष मांग अधिकारी अनुसूचित नहीं कराया जिसके परिणामस्वरूप निम्नतर दरों का लाभ नहीं प्राप्त किया जा सका ।

अप्रचलित और अनुपयोगी भण्डारों के लिये उचित और सामयिक निर्धारण और निस्तारण की पर्याप्त व्यवस्था विद्यमान नहीं है जिसके कारण जनवरी 1978 में वह लगभग 50 लाख रुपये का एकत्रित हो गया था । लेखा अनुभाग में रखे गये भण्डार खातों और भण्डार अनुभाग में रखे गये बिन कार्डों के बीच कोई समाधान नहीं है । चोरियों तथा क्षतियों के कारण भण्डार में होने वाली कमियों और हानियों के मामलों की समय से छानबीन नहीं की गयी । 31 दिसम्बर 1977 को आपूर्तिकर्ताओं को दिये गये अग्रिम के रूप में 546.58 लाख रुपये की धनराशि बकाया थी जो बिलों से समायोजित या उनसे वसूली की जानी थी । बहुत से मामलों में भण्डार के भौतिक सत्यापन में पायी गई कमियां और अधिकतायें निर्णित नहीं की गई हैं । कुछ मामलों में कर्मचारी, जिनके विरुद्ध कमियां और हानियां बकाया हैं, सेवा से निवृत्त हो चुके हैं ।

अनुभाग XII

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

अन्य रोचक विषय

12.01. अल्युमिनियम के टुकड़ों का नीलाम

अल्युमिनियम के टुकड़ों के दो मैट्रिक टन अनुमानित के एक ढेर के निस्तारण के लिए क्षेत्रीय कार्यशाला, वाराणसी में सम्पन्न एक नीलाम में (फरवरी 1977) 11,375 रुपये प्रति मैट्रिक टन के लिए एक स्थानीय पार्टी की उच्चतम बोली स्वीकृत की गई । जून से अक्तूबर 1977 के दौरान 1,630 किलोग्राम वजन के टुकड़ों की सुपुर्दगी पार्टी को दिया जाना बताया गया । पार्टी को सुपुर्द किये गये टुकड़ों का शुद्ध वजन (1,630 किलोग्राम) की गणना करने में भरी हुई ट्रकों के बजन से दो खाली ट्रकों का घटाया गया वजन इन ट्रकों के पंजीकरण अभिलेखों में अभिलेखित वास्तविक वजन की अपेक्षा अधिक था । इस कारण बोली बोलने वाल को 3,478 किलोग्राम अल्यूमिनियम टुकड़ों (मूल्य : 0.40 लाख रुपय) की अधिक सुपुर्दगी मिली । तथापि, विभिन्न डिपो कार्यशालाओं से क्षेत्रीय कार्यशाला में टुकड़ों की प्राप्ति सम्बन्धी तोल अभिलेख नहीं रखे गये ।

सरकार ने बताया (जनवरी 1979) कि मामला जांच पड़ताल के अधीन था ।

12.02. बिक्री कर का न/कम वसूल किया जाना

उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 (फरवरी 1973 में संशोधित) के अधीन 22 जनवरी 1973 से निगम नीलाम द्वारा या अन्य किसी तरह बिक्री किये गये सामान पर बिक्री कर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है । 22 जनवरी 1973 से 31 मार्च 1973 की अवधि क दौरान निगम द्वारा नीलाम किये गये सामान के क्रेताओं से 1.81 लाख रुपये बिक्री कर क रूप में वसूल नही किये गये । बिक्री कर अधिनियम के अधीन जुलाई 1975 में अपने आपको पंजीकृत करा लेने के बाद निगम ने 1973–74 (5.29 लाख रुपये), 1974–75 (6.08 लाख रुपये) और 1975–76 (4.12 लाख रुपये) के लिए वसूल किया गया बिक्रीकर, बिक्री-कर अधिकारियों के पास जमा किया (जनवरी 1977) । जनवरी 1977 में निगम ने वर्ष 1972–73 के लिये बिक्री कर के दायित्व के साथ लगभग 1.78 लाख रुपये बिक्री कर की उपर्युक्त धनराशि के भुगतान के लिये कार्योत्तर संस्वीकृति प्रदान की । बिक्री कर अधिकारियों ने अन्तिम रूप से निर्धारण किया (मार्च 1977) कि वर्ष 1972–73 के लिये भुगतान योग्य बिक्री कर 1.81 लाख रुपये था (1,385 रुपये केन्द्रीय बिक्री कर सहित) और दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से भुगतान योग्य ब्याज की धनराशि 0.72 लाख रुपये थी । निगम ने 0.75 लाख रुपये का शष बिक्री कर अधिकारियों को मार्च 1977 में जमा कर दिया ।

1973–74 से 1975–76 तक के लिए कर निर्धारण पूरा होने पर (मार्च 1977) बिक्री कर अधिकारियों ने वर्ष 1973–74 (1.29 लाख रुपये), 1974–75 (1.15 लाख रुपये) और 1975–76 (0.60 लाख रुपये) के लिये नीलाम किये गये सामानों के क्रेताओं से न वसूला/कम जमा बिक्री कर निगम से मांगा जिसको भी इन वर्षों में बिक्री कर की जमा म देरी के लिए दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से 1.79 लाख रुपये के ब्याज सहित 31 मार्च 1977 को जमा कर दिया गया । निगम को पंजीकृत कराने में देरी, क्रेताओं से बिक्री कर का न/कम वसूल किया जाना और परिणामत: बिक्री कर का बिलम्बित प्रेषण 7.36 लाख रुपये के अतिरिक्त भुगतान में परिणत हुआ ।

निगम द्वारा बताया गया (जनवरी 1978) कि बिक्री कर का न/कम वसूल किया जाना सही बिक्री कर की दरों की अनभिज्ञता के कारण हुआ ।

मामला निगम/सरकार को अगस्त 1978 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1978)।

12.03. यात्री कर के बिलम्बित भुगतान के लिये दण्ड

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 के अनुभाग 7 के अधीन वसूला गया यात्री कर आने वाले माह के 15 वें दिन तक कोषागार में जमा करना आवश्यक होता है । उसी के अनुभाग 10 के अधीन, बिलम्बित भुगतान के अवसर में, भुगतान योग्य कर के अतिरिक्त भुगतान न किये गये कर का 25 प्रतिशत तक दण्ड लगाया जा सकता है ।

1974–75 और 1976–77 वर्षों के दौरान इलाहाबाद, गोरखपुर और कानपुर क्षेत्रों में 45.84 लाख रुपये, 64.98 लाख रुपये और 78.94 लाख रुपये के यात्री कर के भुगतान में बिलम्ब किया गया और यात्री कर अधिकारी द्वारा क्रमशः 1.10 लाख रुपये, 0.42 लाख रुपये और 1.03 लाख रुपय दण्ड लगाया गया । क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा दण्ड माफ करने का प्रार्थना-पत्र उप परिवहन आयुक्त (यात्री कर) के विचाराधीन होना बताया गया (सितम्बर 1978)।

मामला निगम को जनवरी 1978 में और सरकार को जुलाई 1978 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित हैं (मार्च 1979)।

अनुभाग XIII

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम

13. 01. दुर्विनियोजन

30 दिसम्बर 1976 को एक चैक तैयार करते समय आदान अधिकारी द्वारा यह पाया गया कि चैक बुक से एक खाली चैक लापता था । जांच पड़ताल से प्रकट हुआ कि लापता चैक एक निजी पार्टी द्वारा 23 दिसम्बर 1976 को 24,050 रुपये के लिये भुनाया गया था । प्रबन्धकों द्वारा की गई अग्रिम जांच पड़ताल से प्रकट हुआ (जनवरी 1977) कि, एक अन्य मामले में, 11,700 रुपये के लिए एक आदाता लेखा (एकाउन्ट पेयी) चैक 26 अप्रैल 1976 को एक निजी पार्टी, जिसे कोई भुगतान देय नहीं था, के पक्ष में अधिकृत आदान और प्रतिहस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों के हस्ताक्षरों से जारी किया गया ।

प्रबन्धकों ने बताया (अगस्त 1978) कि 24,050 रुपये के पहले चैक पर जाली हस्ताक्षर थे लेकिन 11,700 रुपये के बाद वाले चैक पर आदान अधिकारी ने, सम्बन्धित लेखाकार, जो चैक बुकों की सुरक्षित संरक्षण के लिए उत्तरदायी था, द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर, सामान्य रूप से हस्ताक्षर किये थे । बाद वाला चैक 11,700 रुपये के लिए 28 अप्रैल 1976 को लखनऊ के एक बैंक के माध्यम से भुनाया गया । दोनों मामलों में प्रथम सूचना प्रतिवेदन पुलिस में 31 दिसम्बर 1976 और 19 जनवरी 1977 को दर्ज कराया गया । मामले राज्य सरकार द्वारा अपराध अनुसन्धान विभाग को सौंपे गये (मार्च 1977); अन्तिम प्रतिवेदन प्रतीक्षित था (दिसम्बर 1978) ।

सरकार ने बताया (अक्तूबर 1978) कि 35,750 रुपये की हानि के लिए एक दावा बीमा कम्पनी में दर्ज कराया गया था (अगस्त 1978), जिसके साथ निगम का एक लाख रुपये का एक निष्ठा गारन्टी बीमा था और यह कि उनसे मामला पत्र व्यवहार के अन्तर्गत था (दिसम्बर 1978) ।

ओम प्रकाश गोयल

(ओम प्रकाश गोयल)
महालेखाकार, उत्तर प्रदेश–II

इलाहाबाद: 25 MAY 1979

प्रतिहस्ताक्षरित

ज्ञान प्रकाश

(ज्ञान प्रकाश)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली:

2 JUN 1979

परिशिष्ट

परिशिष्ट

(सन्दर्भ : पैरा 1.02

सरकारी कम्पनियों के कार्य कलापों के वित्तीय परिणामों

क्रमांक	कम्पनी का नाम	प्रशासनिक विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखा अवधि	कुल निविष्ट पूंजी	लाभ(+)/ हानि(-)
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	उद्योग	29 मार्च 1972	1977–78	..	(+) 42.29
2	प्रयाग चित्रकूट कृषि एवं गोधन विकास निगम लिमिटेड	पशु-पालन	7 दिसम्बर 1974	1977–78	50.06	(-) 0.57
3	हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड	हरिजन समाज कल्याण	25 जून 1976	1977–78	17.40	(+) 4.77
4	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	उद्योग	30 मार्च 1974	1977–78	144.18	(-) 1.07
5	आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	उद्योग	28 दिसम्बर 1972	1977–78	56.51	(-) 0.70
6	शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	4 मार्च 1975	1 अप्रैल से 8 अगस्त 1977 तक	48.94	(+) 1.17
7	उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड	उद्योग	20 जनवरी 1966	1976–77	145.00	(+) 13.36
8	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड	कृषि	29 मार्च 1967	1976–77	746.85	(-) 91.31
9	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्स–टाइल कारपोरेशन लिमिटेड	उद्योग	22 दिसम्बर 1969	1977–78	3,291.72	(-) 239.37
10	उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड	उद्योग	26 मार्च 1971	30 सितम्बर 1977 को समाप्त हुआ वर्ष	2,558.09	(-) 369.88

I

पृष्ठ 1)

का संक्षिप्त विवरण

(कालम 6 से 10, 12 और 13 के आंकड़े लाख रुपयों में हैं)

लाभ और हानि लेखे में कुल प्रभारित ब्याज	दीर्घ कालिक ऋणों पर ब्याज	निविष्ट पूंजी पर कुल प्रतिलाभ (7+9)	निविष्ट पूंजी पर कुल प्रतिलाभ की प्रतिशतता	लगाई गई पूंजी	लगाई गई पूंजी पर कुल प्रतिलाभ (7+8)	लगाई गई पूंजी पर कुल प्रतिलाभ की प्रतिशतता
8	9	10	11	12	13	14
52.72	51.92	94.21	..	1,725.62	95.01	5.51
..	..	(−) 0.57	..	47.69	(−) 0.57	..
..	..	4.77	27.41	38.54	4.77	12.38
2.49	1.55	0.48	0.33	119.08	1.42	1.19
0.03	..	(−) 0.70	..	8.78	(—) 0.67	..
..	..	1.17	2.39	48.94	1.17	2.39
6.57	2.32	15.68	10.81	219.56	19.93	9.08
89.35	3.87	(−) 87.44	..	1,196.65	(−) 1.96	..
50.52	31.31	(−) 208.06	..	1,935.99	(−) 188.85	..
172.46	94.12	(−) 265.76	..	932.45	(−) 187.42	..

1	2	3	4	5	6	7
11	कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	30 मार्च 1971	1976–77	214.74	( )8.35
12	राम गंगा समादेश क्षेत्र विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	15 मार्च 1975	1976–77	68.06	(+)2.18
13	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्ड-लूम एण्ड पावरलूम फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	उद्योग	9 जनवरी 1973	1976–77	234.95	(+) 1.31
14	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31 मार्च 1976	1977–78	104.80	(+)8.04
15	मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31 मार्च 1976	1977–78	104.63	(+)6.53
16	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	31 मार्च 1976	1976–77	168.00	(—)1.52
17	उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड	सिंचाई	25 मई 1976	1976–77	200.00	(—)0.87
18	उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड	योजना	15 मार्च 1977	1977–78	60.43	(+)0.82
19	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेन्ट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड	उद्योग	12 फरवरी 1974	1976–77	25.00	(—)0.44
20	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड	सार्वजनिक निर्माण	18 अक्टूबर 1972	30 सितम्बर 1975 को समाप्त हुआ वर्ष	125.00	(—)20.04
21	गढ़वाल अनुसूचित जन जाति विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	30 जून 1975	1976–77	5.00	(—)0.13
22	उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्र विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31 जनवरी 1976	1976–77	50.35	(+)0.82

(जारी)

(कालम 6 से 10, 12 और 13 के आंकड़े लाख रुपयों में हैं)

8	9	10	11	12	13	14
0.86	0.86	9.21	4.29	197.38	9.21	4.67
0.79	..	2.18	3.19	85.78	2.97	3.46
4.84	4.82	6.13	2.61	211.85	6.15	2.90
..	..	8.04	7.67	104.63	8.04	7.68
8.01	..	6.53	6.26	105.39	14.54	13.80
..	..	(—)1.52	..	162.28	(—)1.52	..
..	..	(—)0.87	..	188.49	(—)0.87	..
..	..	0.82	1.36	112.20	0.82	0.73
..	..	(—)0.44	..	42.02	(—)0.44	..
0.69	0.69	(—)19.35	..	130.39	(—)19.35	..
..	..	(—)0.13	..	4.84	(—)0.13	..
..	..	0.82	1.63	50.04	0.82	1.64

1	2	3	4	5	6	7
23	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	उद्योग	29 मार्च 1961	1977–78	..	(+)69.51
24	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर्स कारपोरेशन लिमिटेड	उद्योग	12 फरवरी 1974	1977–78	84.30	(+)3.28
25	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	सार्वजनिक निर्माण	1 मई 1975	1976–77	104.80	(+)15.80
26	वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31 मार्च 1976	1977–78	46.02	(+)0.50
27	दि इण्डियन टर्पेनटाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	उद्योग	22 फरवरी 1924	1977–78	177.70	(+)11.61
28	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	सूचना	10 सितम्बर 1975	1977–78	50.31	(−)2.79
29	उत्तर प्रदेश (रुहेलखण्ड-तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	सहकारिता	27 अगस्त 1975	1977–78	57.91	(+)2.64
30	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	सहकारिता	27 अगस्त 1975	1977–78	11.31	(+)0.13
31	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	सहकारिता	27 अगस्त 1975	1977–78	8.28	(+)0.06
32	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	सहकारिता	27 अगस्त 1975	1977–78	15.13	(+)2.86
33	उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	उद्योग	29 मार्च 1972	1977–78	4,660.96	(−)70.19
34	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31 मार्च 1976	1976–77	36.07	(+)0.98

I (जारी)

(कालम 6 से 10, 12 और 13 के आंकड़े लाख रुपयों मे हैं)

8	9	10	11	12	13	14
40.63	40.63	..	..	2,172.43	110.14	5.07
0.30	..	3.28	3.89	91.02	3.58	3.93
..	..	15.80	15.08	104.71	15.80	15.08
0.02	..	0.50	1.09	46.51	0.52	1.12
7.24	0.47	12.08	6.80	171.02	18.85	11.02
0.01	..	(−)2.79	..	42.95	(−)2.78	..
5.73	5.73	8.37	14.45	57.83	8.37	14.47
6.09	..	0.13	1.15	43.38	6.22	14.34
1.63	..	0.06	0.72	33.52	1.69	5.04
62	..	2.86	18.90	58.10	9.48	16.32
	1.81	(−)68.38	..	1,852.42	(−)67.46	..
47	..	0.98	2.72	57.46	1.45	2.52

1	2	3	4	5	6	7
35	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमैन्ट्स लिमिटेड	उद्योग	1 जनवरी 1975	1977–78	107.73	(–) 21.82
	सहायक कम्पनियां					
36	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	उद्योग	17 फरवरी 1972	30 सितम्बर 1977 को समाप्त हुआ वर्ष	504.11	(–) 87.37
37	उत्तर प्रदेश स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं० I) लिमिटेड	उद्योग	20 अगस्त 1974	1977–78	2,222.10	(–) 195.56
38	उत्तर प्रदेश स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं० II) लिमिटेड	उद्योग	20 अगस्त 1974	1977–78	0.01	(–) 0.01
39	ट्रान्सकेबिल्स लिमिटेड	पर्वतीय विकास	29 नवम्बर 1973	1976–77	19.34	(–) 2.57
40	उत्तर प्रदेश प्रैसट्रैस्ड प्रोडक्ट्स लिमिटेड	उद्योग	30 सितम्बर 1972	1975–76	2.80	..
41	उत्तर प्रदेश टैक्सटाइल प्रिंटिंग कारपोरेशन लिमिटेड	उद्योग	5 दिसम्बर 1975	1976–77	16.01	(+) 0.01
42	हैण्डलूम इन्टेन्सिव डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट (बिजनौर) लिमिटेड	उद्योग	13 सितम्बर 1976	1976–77	24.88	(–) 0.70
43	हैण्डलूम इन्टेन्सिव डेवलपमेन्ट कारपोरेशन (गोरखपुर एण्ड बस्ती) लिमिटेड	उद्योग	26 मई 1976	1976–77	48.75	(–) 2
44	दि टर्पेन्टाइन सब्सीडियरी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	उद्योग	11 जुलाई 1939	1977–78	13.46	(–) 1.5

I (जारी)

(कालम 6 से 10, 12 और 13 के आंकड़े लाख रुपयों में हैं)

8	9	10	11	12	13	14
7.06	6.31	(–)15.51	..	82.07	(–)14.76	..
86.11	47.06	(–)40.31	..	346.51	(–)1.26	..
104.20	83.34	(–)112.22	..	1,759.66	(–)91.36	..
..	..	(–)0.01	..	(–)0.79	(–)0.01	..
0.67	0.67	(–)1.90	..	16.69	(–)1.90	..
..	..	..	..	0.35	..	..
..	..	0.01	0.06	15.67	0.01	0.06
0.81	0.81	0.11	0.44	24.11	0.11	0.46
2.85	2.85	0.01	0.02	58.27	0.01	0.02
0.38	..	(–)1.91	..	11.64	(–)0.47	..

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7
45	नन्दगंज सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड	उद्योग	18 अप्रैल 1975	30 जून 1978 को समाप्त हुआ वर्ष	1,063.00	..
46	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड	उद्योग	18 अप्रैल 1975	31 जुलाई 1978 को समाप्त हुआ वर्ष	714.60	(−) 218.73

टिप्पणीं—(i) निविष्ट पूंजी में प्रदत्त पूंजी, दीर्घकालीन ऋण तथा निर्बाध आरक्षित निधि

(ii) लगाई गई पूंजी में (क्रमांक 1 और 23 की कम्पनियों को छोड़ कर) निबल नियत

(iii) क्रमांक 1 और 23 की कम्पनियों के सम्बन्ध में लगाई गई पूंजी (i) प्रदत्त पूंजी, करते हुये उधार, और (v) निक्षेप के प्रारम्भ और अन्त के शेषों के योग का औसत प्रदर्शित

(iv) क्रमांक 38, 40 और 45 की कम्पनियों में उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ है ।

(v) क्रमांक 6 की कम्पनी 9 अगस्त 1977 से परिसमापनाधीन है ।

I (समाप्त)

(कालम 6 से 10, 12 और 13 के आंकड़े लाख रुपयों में हैं)

8	9	10	11	12	13	14
..	..	..	..	214.51	..	..
21.96	17.11(–)201.62	..	..	540.77 (–)196.77	..	..

सम्मिलित है ।

परिसम्पत्तियां (चालू पूंजीगत निर्माणाधीन कार्यों को छोड़ कर) और कार्यशील पूंजी सम्मिलित है। (ii) बन्ध-पत्र और ऋण-पत्र, (iii) आरक्षित निधियों, (iv) पुनः वित्त को सम्मिलित करती है ।

परिशिष्ट

(सन्दर्भ : पैरा 6.01 (क)(iii), 6.02

सांविधिक निगमों के कार्यकलापों के वित्तीय परिणामों

(कालम 6 से 10, 12 और 13 के आंकड़े

क्रमांक	निगम का नाम	प्रशासनिक विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखा अवधि	कुल निविष्ट पूंजी	लाभ (+)/ हानि (−)
1	2	3	4	5	6	7
					(क) उत्तर प्रदेश राज्य	
1	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्	शक्ति	1 अप्रैल 1959	1977–78*	1,70,846.58	(−) 2,309.35
					(ख) अन्य सांविधिक	
2	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	उद्योग	1 नवम्बर 1954	1977–78	..	(+) 105.49
3	उत्तर प्रदेश राज्य मण्डारागार निगम	सह-कारिता	19 मार्च 1958	1976–77	643.86	(+) 165.29
4	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	परिवहन	1 जून 1972	1973–74	3,540.82	(+) 0.45
				1974–75	3,743.62	(−) 251.82
				1975–76*	4,308.39	(+) 176.86

टिप्पणीं––(i) निविष्ट पूंजी में प्रदत्त पूंजी, दीर्घकालिक ऋण तथा निर्वाध आरक्षित निधि

(ii) लगाई गई पूंजी में (उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम को छोड़कर) निबल नियत परि-

(iii) उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के सम्बन्ध में लगाई गई पूंजी (i) प्रदत्त पूंजी, (ii) उधार, (v) निक्षेप और (vi) राज्य सरकार द्वारा पेशगी के रूप में दी गई विशेष योजनाओं के

*आंकड़े अनन्तिम हैं ।

II

पृष्ठ 64 व 66)

का संक्षिप्त विवरण

लाख रुपयों में हैं)

लाभ और हानि लेखे में कुल प्रभारित ब्याज	दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज	निविष्ट पूंजी पर कुल प्रतिलाभ (7+9)	निविष्ट पूंजी पर कुल प्रतिलाभ की प्रतिशतता	लगाई गई पूंजी	लगाई गई पूंजी पर कुल प्रतिलाभ (7+8)	लगाई गई पूंजी पर कुल प्रतिलाभ की प्रतिशतता
8	9	10	11	12	13	14
विद्युत परिषद्						
2,119.30	2,119.30	(−) 190.05	..	1,60,171.05	(−) 190.05	..
निगम						
192.54	192.54	298.03	..	3,815.59	298.03	7.81
..	..	165.29	25.64	465.89	165.29	35.48
269.25	259.75	260.20	7.34	3,486.22	269.70	7.74
281.33	271.83	20.01	0.53	3,549.81	29.51	0.83
321.69	312.19	489.05	11.35	4,371.10	498.55	11.40

सम्मिलित है ।

सम्पत्तियां और कार्यशील पूंजी सम्मिलित हैं ।

बन्ध पत्र और ऋण पत्र, (iii) आरक्षित निधियों, (iv) पुनः वित्त को सम्मिलित करते हुए लिये निधि के प्रारम्भ और अन्त के शेषों के योग का औसत प्रदर्शित करती है ।

पी० एस० यू० पी०- 2 महा लेखाकार—18 4-79--1,750 प्रतियां (हिन्दी)